खण्ड-403, अंक-6
शुक्रवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1913
(21 फरवरी, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 403 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर (जारी) ..	1-20
प्रश्न काल स्थगित किए जाने की मांग (जारी)	20-21
प्रश्नोत्तर	21-98
प्रश्न काल स्थगित किए जाने की मांग ..	98-113
उपाध्यक्ष का चुनाव स्थगित किए जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	113
प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	113-114
नियम 301 के अंतर्गत सूचनाएं	114-115
वर्तमान संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन (चीनी उद्योग) के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	115-116
एम०बी०बी०एस० की प्रवेश परीक्षा में लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई धांधलीबाजी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के कर्जदारों को कर्ज माफी योजना के अन्तर्गत 2 अक्टूबर, 1989 तक के कर्जे माफ किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
जनपद अलीगढ के बरौली क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर के पचासों गांव में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	117
स्वास्थ्य विभाग के विद्युत सेल के क्षेत्रीय कार्यशालाओं को पुनर्जीवित करने तथा विभागीय कर्मचारियों को सेल में पदोन्नति करने संबंधी नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद इटावा के विधूना तहसील के गांवों में भीषण ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि में परिवर्तन की मांग	119
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	119-120
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को लिए जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	120-122
श्री महेन्द्र सिंह भाटी से संबंधित नियम 311 एवं नियम 56 में प्राप्त सूचना को औचित्य के प्रश्न के अंतर्गत लिया जाना	123
श्री महेन्द्र सिंह भाटी विधायक को निरुद्ध किये जाने तथा विधायक श्री कृष्ण किंकर सिंह को फर्जी मुकदमें में फंसाकर जेल में बन्द किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न तथा सी० आई० डी० से जांच की मांग (जारी)	123-133

सदन को सूचारु रूप से चलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	133-140
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	140-141
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1992 (पुरःस्थापित किया गया)	141-142
सदन को सुचारु रूप से चलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	142
श्री महेन्द्र सिंह भाटी विधायक को निरुद्ध किये जाने तथा विधायक श्री कृष्ण किंकर सिंह को फर्जी मुकदमें में फंसाकर जेल में बन्द किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न तथा सी० आई० डी० जांच की मांग	143-147
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	147-158
प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दस प्रतिशत स्थान मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले छात्रों को आरक्षित कर दिये जाने के संबंध में संकल्प(अस्वीकृत)	158-166
मऊ जनपद के थाना मधुवन के अन्तर्गत हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में हुए शहीदों की यादगार में शहीद स्मारक का निर्माण कराये जाने के संबंध में संकल्प (जारी)	166-167
उत्तर प्रदेश की सरकारी, अर्ध सरकारी एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं की नौकरियों में आरक्षण कोटा न पूरा करना संज्ञेय अपराध माने जाने के संबंध में संकल्प (जारी)	167
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	168-172
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1991 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	172-179
जनपद इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र चायल एवं दोआबा के सर्वांगीण विकास हेतु उद्योगों की स्थापना के संबंध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत)	180-183
जनपद उन्नाव में पुलिस पर किये जा रहे हमलों से संबंधित श्री हृदय नारायण दीक्षित की नियम 51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित, वक्तव्य का स्थगन	184
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	183-184
नत्थियां ..	185-186

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	माम चन्द्र , श्री	सहारनपुर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
अवध पाल सिंह, श्री	एटा	मोहम्मद वसीम हाजी, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	राजेन्द्र, श्री	बिजनौर
उम्मेद सिंह, श्री	आगरा	राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती	राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
ज्ञानवती सिंह, श्रीमती	अलीगढ़	राम सेवक, श्री	बदायूं
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर खीरी	राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
पतिराज, श्री	आजमगढ़	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
पूरन चन्द्र शर्मा,श्री	अल्मोड़ा	विजेन्द्र कुमार, श्री	गाजियाबाद
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
पृथ्वी सिंह, श्री	हरिद्वार	श्री निवास, श्री	देवरिया
प्रेम प्रकाश, श्री	सिद्धार्थनगर	श्री श्रीराम चौहान, श्री	बस्ती
बाबूलाल गोयल, श्री	आगरा	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद	हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
मदन भैया, श्री	मेरठ	हरद्वार दूबे, श्री	आगरा
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा	हरी चरन यादव, श्री	सुल्तानपुर
		हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

सत्यमेव जयते

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पंजाब में लोकतंत्र की वहाली के लिए बधाई तथा आपके माध्यम से पूरे सदन को बधाई ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सहकारी संस्थाओं व समितियों के चुनाव की मांग

**1–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभिन्न सहकारी संस्थाओं, प्रारम्भिक साधन सहकारी समितियों के चुनाव न कराकर गैर सरकारी प्रशासक मनोनीत किये जाने का फैसला सरकार ने लिया है ? यदि नहीं, तो चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री सधीर कुमार वालियान)–

जी नहीं ।

समितियों के चुनाव हेतु प्रारम्भिक तैयारियां आरम्भ की जा चुकी हैं और तैयारियां पूर्ण होने पर चुनाव यथासमय कराये जायेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सरकार ने अपनी पार्टी के अध्यक्षों को निर्देश दिये हैं कि विभिन्न साधन सहकारी समितियों में जो प्रदेश में हजारों की तादाद में हैं, प्रशासक नियुक्त करने के लिए नाम भेजे जायें और साधन सहकारी समितियों के चुनाव अब तक हो जाने चाहिये थे । मान्यवर, इन्होंने जो अभी उत्तर दिया है कि गैर सरकारी प्रशासक मनोनीत नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन अगर गैर सरकारी प्रशासक मनोनीत नहीं करने जा रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि समितियों के चुनाव हेतु क्या कोई तारीख निश्चित की गयी है और यदि निश्चित की गयी है तो वह क्या है ?

श्री सुधीर कुमार वालियान–

मान्यवर, समितियों के चुनाव हेतु विभिन्न समय पर तारीखें निश्चित की गयीं, लेकिन उन तारीखों का निर्वाह न करने के उपरान्त कुछ व्यक्ति अदालत में चले गये हैं । इस समय कुछ मामले लम्बित हैं यही स्थिति है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले इस सदन में एक अध्यादेश लाकर इस सरकार ने प्रदेश की सभी जिलों में स्थित कोआपरेटिव बैंक तथा जितनी भी कोआपरेटिव संस्था थीं उनको भंग करके उनमें गैर शासकीय प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जैसा उत्तर के दूसरे अंश में जवाब दिया गया है कि तैयारियां पूर्ण होने पर चुनाव

यथासमय करा देंगे तो क्या ये कोई निश्चित तारीख की घोषणा करेंगे और क्या यह चुनाव से पहले गैर सरकारी प्रशासक नियुक्त नहीं करेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है ऐसी कोई प्रक्रिया जारी नहीं हुई है । साथ ही जहां तक सदस्यों को हटाने की बात कही गयी है तो इस तरह की कोई कार्यवाही यहां नहीं की गयी है और न ही कोई समिति या बोर्ड ही भंग किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने यह पूछा है कि सहकारी समितियों के चुनाव हेतु कोई निश्चित तारीख की घोषणा करेंगे और दूसरा यह कि क्या आप गैर सरकारी प्रशासक तो नियुक्त नहीं करने जा रहे हैं ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था कुछ मामले न्यायालय में लम्बित है, इसलिये निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गयी है, जहां तक नामित करने की बात है इस तरह की कोई नीति नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है । माननीय मंत्री जी द्वारा इस सदन को गुमराह किया जा रहा है और सदन की अवमानना की जा रही है । अगर वह एक भी साधन सहकारी समिति का मामला बता दें, जो लम्बित हो, तो मैं अभी सदन छोड़ दूंगा । अध्यक्ष जी, आप मेरे प्रश्न का निश्चित जवाब दिलवा दें ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, मेरे जवाब में पहले ही इसका उत्तर आ चुका है । जैसा इन्होंने कहा कि मामले लम्बित नहीं है, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इस तरह के प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में इस समय लम्बित हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है और इसमें सरकार की नीयत साफ नहीं लगती है । पहली बात मैं जानना चाहता हूं कि जिन जिला सहकारी बैंकों में 3-4 महीने पूर्व चुनाव हुये थे,उनको बिना कारण बताये निलम्बित क्यों कर दिया गया, चुने हुये जन प्रतिनिधियों को क्यों हटा दिया गया और जब जनता की चुनी हुई संस्था में जनता के प्रतिनिधि, जो चुने गये थे, उनको हटाकर जन भावनाओं का अनादर क्यों किया गया ? मान्यवर, नरेश जी ने जो प्रश्न पूछा था, उसका भी स्पष्ट उत्तर नहीं आया है । मैं यह भी स्पष्ट घोषणा चाहता हूं कि या तो इन्हें चुनावों से डर लग रहा है कि इसमें भा० ज० पा० का सफाया हो जायेगा अन्यथा यह निश्चित घोषणा करें कि 3 महीने, 6 महीने के अन्दर चुनाव करा दिये जायेंगे और यह भी घोषणा करें कि जब तक चुनाव नहीं हो जायेगें, तब तक वहां पर कोई भी गैर सरकारी व्यक्ति नामित नहीं होगा, इसका आश्वासन सम्पूर्ण सदन को दे दें ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, भाजपा का तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि सहकारी समिति के चुनावों में राजनीतिक दलों के आधार पर चुनाव नहीं होते हैं, वरन् सहकारी बंधुओं

और सहकारिता का जो ढांचा है,उसमें सहकारी बंधुओं के चुनाव होते हैं । जहां तक चुनाव की तारीख की बात है, इस समय कई मामले न्यायालय में लम्बित हैं और उसके अनुसार निर्णय होंगे, उसके बाद ही कोई तारीख चुनाव के संबंध में तय की जा सकेगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सदन को गुमराह किया जा रहा है । माननीय मंत्री जी की नीयत साफ नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप कह रहे हैं कि वाद लम्बित नहीं हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि वाद लम्बित हैं, तो इसका फैसला कैसे होगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मंत्री जी बता दें कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रारम्भिक साधन सहकारी समितियां हैं, उनमें से कितने के मामले न्यायालय में लम्बित हैं और कितनों के नहीं लम्बित नहीं हैं, जिनके लम्बित नहीं हैं, उनके चुनाव कब तक करा देगें ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मंत्री जी वह आदेश भी पढ़कर सुना दें, जिसमें न्यायालय द्वारा चुनाव कराने पर रोक लगाई गई है और यदि न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है, तो फिर उस निर्णय की आड़ क्यों ली जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि किस न्यायालय ने चुनाव कराने पर रोक लगाई है और यदि रोक नहीं लगाई है, तो कब तक चुनाव करा देंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने एक साथ कई सवाल पूछ दिये हैं। जहां तक प्रारम्भिक समितियों की बात है उत्तर प्रदेश में 8216 कृषि सहकारी समितियां हैं । इसमें से 412 समितियों के मामले विभिन्न अदालतों में लम्बित हैं । कोई एक निर्णय नहीं हुआ है । जितने भी वाद हैं, वे सब अलग-अलग साधन सहकारी समितियों से संबंधित हैं । चुनाव पर न्यायालय ने इस समय रोक लगाई है । सारे मामले विचाराधीन हैं ।

(प्रतिपक्ष की ओर से कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

(शोर/व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री सारे प्रश्नों का जवाब टाल रहे हैं । बहुत स्पष्ट सवाल था कि चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ! दूसरा, यह कि चुनाव से पहले किसी भी तरह से गैरसरकारी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जायेगा । इन दोनों प्रश्नों के बारे में माननीय मंत्री जी स्पष्ट जवाब दें । तीसरा, अभी उच्च न्यायालय ने एक स्थगन आदेश दिया है जिन लोगों को इन्होंने हटाया है । उस स्टेण्डर्स के परिप्रेक्ष्य में यह सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह अभी कैसे बता सकते हैं कि उस स्टे आर्डर्स के परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय लेने जा रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इतना तो स्पष्ट बता दें कि चुनाव वह किस तिथि को करने जा रहे हैं ? दूसरा वह यह भी घोषणा करें कि चुनाव से पहले किसी गैर-सरकारी सदस्य को इन समितियों में मनोनीत नहीं किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सहकारिता मंत्री जी इतना बतला दें कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक आप कोई गैर सरकारी सदस्य को प्रशासक तो मनोनीत नहीं करेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, जहां तक प्रशासक को नामित करने की बात है, उसके संबंध में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि गैर-सरकारी सदस्य को प्रशासक मनोनीत किये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है और अभी यह निर्णय लिया भी नहीं जायेगा । जहां तक चुनावों की बात है विभिन्न समितियों की तिथियां समय-समय पर घोषित की गई थी, परन्तु वे सारे प्रकरण किसी न किसी अदालत में लम्बित हैं । न्यायपालिका का जो निर्णय होगा, उसी के अनुरूप कार्य किया जायेगा ।

श्री कैलाशनाथ सिंह यादव–

मान्यवर, बड़ा सीधा सा सवाल है । विभिन्न सहकारी संस्थाओं व प्रारम्भिक साधन सहकारी समितियों के बारे में पूछा गया है । उसी के बारे में माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने भी पूछा है । अगर चुनाव के संबंध में कोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय दे रखा है कि चुनाव न कराये जायं तो उसे माननीय मंत्री जी इस सदन के पटल पर उसे पढ़ दें । दूसरा, यह कि जो साढ़े सात हजार समितियां आपकी शेष बच गई हैं, उनमें चुनाव आप कब तक करा देंगे, एक निश्चित तिथि आप बता दें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अध्यक्ष जी यह संसदीय परिपाटी है कि माननीय सदस्य जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर हम देंगे लेकिन उत्तर हम क्या दें यह हमसे कहलाने का अधिकार किसी को नहीं है । माननीय सहकारिता मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम चुनाव कब करायेंगे लेकिन आज की स्थिति में तारीख तय करवाना संभव नहीं है । (व्यवधान) दूसरी बात प्रशासकों की नियुक्ति की है । माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी कि आज हमारा यह फैसला है । लेकिन हम बताना चाहते हैं कि सहकारिता आन्दोलन के विकास में क्योंकि सहकारिता आन्दोलन सर्वहारा वर्ग के हित में है तो उसके हित में जो-जो आवश्यक होगा वह सब सरकार के द्वारा किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री स्वामीनाथ यादव–

[x x x]

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

श्री स्वामीनाथ यादव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसकी इजाजत नहीं दी।

(व्यवधान)

श्रीमती गुलाब देवी–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने इन सहकारी समितियों के चुनाव कब कराये थे ?

श्री अध्यक्ष–

यह अनुपूरक प्रश्न इससे संबंधित नहीं हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक प्रश्न पूछ लेने दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय दीक्षित जी का मूल प्रश्न है उनको अंतिम प्रश्न के लिये समय दे रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

वह बैठ रहे हैं मेरे समर्थन में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पर यह अंतिम प्रश्न होगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

यदि ऐसा है और दीक्षित जी को इजाजत नहीं देते हैं तो मैं नहीं करूंगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, पहले जब माननीय सहकारिता मंत्री जी से प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि गैर सरकारी प्रशासक नियुक्त नहीं करेंगे। लेकिन जब संसदीय कार्यमंत्री जी ने बाद में उत्तर दिया तो इसको उन्होंने गोल मोल कर दिया और उन्होंने कहा कि किसी सदस्य को प्रश्न करने का अधिकार है लेकिन उत्तर निकालने का अधिकार नहीं है। तो नियमावली के नियम 38 (1) में स्पष्ट दिया है कि प्रश्नों के उत्तर सुसंगत होंगे। तो यहां पर उत्तर सुसंगत नहीं आ रहा है। एक साफ-साफ बात हम जानना चाहते हैं उधर और इधर के भी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

चुनाव से यह डरे हुए हैं।

(व्यवधान)

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक चुनाव नहीं होंगे किसी गैर सरकारी सदस्य को प्रशासक नहीं नियुक्त करेंगे और दूसरा यह कि चुनाव कब तक करा देंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसका उत्तर आ चुका है बार-बार वही प्रश्न हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

दोनों प्रश्नों का उत्तर आ चुका है, इसलिए आप बैठ जाएं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, उत्तर नहीं आया है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

भाजपा सरकार चुनाव से डर रही है । (व्यवधान) चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह [xxx] को यह सरकार लाना चाहती है, इसलिये इसके विरोध में कांग्रेस दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

(व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

क्या मुझे प्रश्न करने का आप अवसर नहीं देंगें

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस सरकार की नीयत पर मुझें शक है, इसीलिये सरकार की ओर से कोई आश्वासन चुनाव की तिथि, चुनाव की घोषणा के संबंध में नहीं आ रहे हैं और न यही आश्वासन सरकार दे रही है कि चुनाव तक गैर सरकारी सदस्य नामित नहीं करेगी ? स्पष्ट घोषणा चुनाव के संबंध में न करने के विरोध में, मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता हैं ।

(व्यवधान)

। श्री राम आसरे वर्मा अपने जनता दल (ब) के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये ।

होम्योपैथिक केन्द्रीय औषधि भण्डार की स्थापना हेतु धनराशि आबंटित होने के बाद भी भण्डार की स्थापना न होने के कारणों की जानकारी एवं उसके स्थापना की मांग

**2–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1990-91के आय-व्ययक में होम्योपैथिक निदेशालय स्तर पर एक केन्द्रीय होम्योपैथिक औषधि भण्डार की स्थापना हेतु धनराशि प्राविधानित थी ? यदि हां, तो उसकी स्थापना संबंधी शासकीय आदेश अब तक किन परिस्थितियों में निर्गत नहीं किये जा सके ? उसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? क्या अब उक्त भण्डार की स्थापना इस वर्ष कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डा० अमर सिंह)–

जी हां ।

संसाधनों पर अत्यधिक दबाव एवं सरकारी कार्यों के विकेन्द्रीकरण की नीति को दृष्टिगत रखते हुये योजना का विस्तृत परीक्षण कर शासन ने विचारोपरान्त योजना को स्थगित कर दिया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, जो भी योजनायें हैं उनके संबंध में कह दिया जाता है कि धन नहीं है । मान्यवर, दवाइयों का एलोपैथिक में केन्द्रीय भण्डार है लेकिन यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का नहीं है, इसलिये वर्ष 1990-91में यह तय किया गया था कि इस योजना पर धन लगाया जायेगा । अफसोस है कि मंत्री जी ने कहा है कि यह योजना अब समाप्त कर दी गयी है और केन्द्रीय औषधि भण्डार हेतु धन का प्राविधान नहीं हो सका है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस योजना पर पुनः विचार करेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है वर्ष 1990-91 की जो एस० एन० डी० में नई मांगें आयीं थीं उसमें इसे सम्मिलित किया गया था और इसके लिये 3.30 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था । लेकिन जब विस्तृत परीक्षण कराया गया और शासन की नीति भी विकेन्द्रीकरण की नीति है जिसमें केन्द्रीकरण नहीं होता है, एक जगह से दवाइयां क्रय न की जाएं और प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता हो इस नीति के तहत उसको उपयोगी नही पाया गया, इसलिये इसको स्थगित कर दिया गया ।

श्री गंगा बख्श सिंह–

मान्यवर, आप, मुख्य मंत्री जी और इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण होम्योपैथिक की और उसकी गम्भीरता से पूरी तरह भिज्ञ हैं । होम्योपैथी में दो चीजें मुख्य होती हैं । एक तो होम्योपैथी में लक्षण के अनुसार निर्धारण करना कि कौन सी दवा दी जानी चाहिए और दूसरी औसत की शुद्धता विशुद्धता । कई वर्षों से शासन को इस संबंध में पत्र दिये जा चुके हैं जो दवाएं होम्योपैथी की क्रय की गई हैं या क्रय कराई जा रही हैं वह निम्न कोटि की कम्पनियों से क्रय की जा रही हैं क्योंकि उसमें ज्यादा कमीशन लोगों को मिलता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि औषधि की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत की जो बड़ी-बड़ी विशुद्ध दवाओं की कम्पनियां हैं जैसे कि डेज, शारदा बैरोल कलकत्ता, हैनमैन कलकत्ता इन कम्पनियों से, जो विशुद्ध होम्योपैथिक दवाइयां निर्मित करते हैं । यह सर्वविदित है । हिन्दुस्तान की जो सबसे बड़ी कम्पनियां हैं उनसे दवाइयां क्रय की जायं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में पहले ही स्पष्ट किया कि हमारी विकेन्द्रीयकरण की नीति है और हमारे जो होम्योपैथिक के मेडिकल कालेज हैं उनमें वहां के जो अधिकारी हैं, उनको आवश्यकतानुसार क्रय करने का अधिकार है । उसी प्रकार जनपद में जो चीफ मेडिकल आफिसर हैं वह

क्रय करते हैं । जिला स्तर के जो अस्पताल हैं, वहां सी० एम० एस० क्रय करते हैं और मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया, कुछ दवा की कम्पनियों के नाम लिये उसके अतिरिक्त भी कुछ कम्पनियां हैं । उनको दवाई खरीदने के लिये कोई रोक नहीं है कि इस कम्पनी की खरीदें, इस कम्पनी की नहीं ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार के स्वास्थ्य की तरह हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी स्वास्थ्य खराब है इसलिये राजस्व मंत्री जी इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

डा० जी० एस० विनोद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछली सरकार द्वारा योजना मद का पैसा गैर योजना में व्यय करने के कारण यह परेशानी हो गई है ?

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या सरकार कोई होम्योपैथिक औषधालय खोल रही है अच्छी दवाएं उपलब्ध कराने के लिये ? इसकी माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से यह भी कह देना चाहता हूं कि जहां तक होम्योपैथिक औषधि क्रय करने का प्रश्न है, वह अच्छी दुकानों से क्रय की जा रही हैं । होम्योपैथिक औषधियां गुणवत्ता के आधार पर क्रय कराई जाती हैं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, हमने जानकारी चाही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

केवल एक आपका अंतिम प्रश्न है । क्या कुछ इस तरह का जैसा अभी माननीय सदस्य ने पूछा है औषधालय खोलने का सरकार का विचार है । हां या नहीं आप उत्तर दे दें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

ऐसा कोई विचार नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

करनाल फार्मेसी गाजियाबाद द्वारा निर्मित कर्पूरासव से दिल्ली में हुई पांच सौ लोगों की मृत्यु के कारणों की जानकारी

*1–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि माह नवम्बर, 1991 में गाजियाबाद स्थित करनाल फार्मेसी में निर्मित कर्पूरासव के सेवन से दिल्ली में करीब 500 लोगों की मृत्यु हो गई ? क्या यह सत्य

है कि आयुर्वेद यूनानी प्रयोगशाला इन्दिरा नगर लखनऊ में 31 अक्टूबर, 1989, 18 जनवरी, 1991 व माह मई, 1991 में इस फार्मेसी द्वारा निर्मित आसव की जांच कर उसमें आसव की जगह 50 प्रतिशत अल्कोहल होने की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों, आयुर्वेद निदेशक व ड्रग कन्ट्रोलर आफ इण्डिया को भेज दी थी और स्पष्ट लिख दिया था कि इसके सेवन से जान का खतरा है ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट पर तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं ?

डा० अमर सिंह–

दिल्ली में दुखद घटना घटी । सारे प्रकरण की जांच एक उच्च स्तरीय प्राधिकृत जांच समिति द्वारा की जा रही है । करनाल फार्मेसी गाजियाबाद के द्वारा निर्मित कर्पूरासव के स्पूरियस होने की आख्या राजकीय विश्लेषक आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि प्रयोगशाला लखनऊ ने दिनांक 31-10-89, 17-11-91 तथा दिनांक 18-2-91 को दी । इस संबंध में प्रारम्भिक जांच के आधार पर 5 अधिकारियों को निलम्बित किया जा चुका है तथा कुछ अन्य दोषी कर्मचारियों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह एक गम्भीर प्रश्न है, जिसका जबाव इतने हल्के ढंग से दिया गया है । कर्पूरासव के सेवन से दिल्ली में करीब 500 लोगों की मृत्यु हो गई जिसकी वजह से राज्य सरकार की साख गिर रही है । हमने पूछा था कि 31 अक्टूबर, 1989, 18 जनवरी, 1991 व माह मई, 1991 में आयुर्वेद यूनानी प्रयोगशाला इन्दिरा नगर लखनऊ में इस फार्मेसी द्वारा निर्मित आसव की जांच कर उसमें आसव की जगह 50 प्रतिशत अल्कोहल होने की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई थी और यह कहा गया था कि इसके सेवन से जान का खतरा है । आपने उत्तर में लिख दिया कि फलां-फलां तारीख को आख्या प्राप्त हुई और आगे सब गोल कर दिया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आसव बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं उनके लाइसेंस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कौन लाइसेंस देता है, 31 अक्टूबर, 18 जनवरी और माह मई में जो रिपोर्ट आई है वह क्या रिपोर्ट थी ?

दूसरा प्रश्न है कि करनाल फार्मेसी गाजियाबाद है इसका लाइसेंस कब तक वैध था और वैधता कब समाप्त होनी है, किन कारणों से उन दवाइयों का निर्माण हुआ ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, पहला प्रश्न तो इन्होंने यह पूछा है कि जो आसव बनाने वाली कम्पनियां हैं उनको आसव बनाने का लाइसेंस कौन देता है ? मान्यवर, आसव डिस्टीलेशन को कहते हैं उसमें अल्कोहल भी होता है अगर सुरासर से उनका मतलब है तो कर्पूरासव जो है उसमें आसव भी होता है । इसमें जांच की गई थी । तीन बार नमूना लेकर जांच कराई गई और विश्लेषण कराया गया । पहली बार नमूना लिया गया तो उसमें अल्कोहल 39.5 प्रतिशत पाया गया । दुबारा जब नमूना लिया गया तो अल्कोहल का प्रतिशत 50 प्रतिशत पाया गया । तीसरी बार जब नमूना लिया गया तो उसमें अल्कोहल का प्रतिशत 11.5 परसेंट पाया गया । चौथी बार सैम्पुल लिया गया तो एनालिसिस में अल्कोहल का कन्टेन्ट 38 परसेंट पाया गया । जहां तक आयुर्वेदिक औषधि का मतलब है कर्पूरासव एक आयुर्वेदिक औषध है। उसमें बाहर से कोई सुरासव नहीं मिलाया जाता । उसमें जो काम्पोनेन्ट बनता है, सेल्फ जेनरेशन का बनता है । इसमें आयुर्वेद निघण्टु और चरक संहिता में जो दिया है, उसके आधार पर दवा बनती है । उसमें जो कमी पायी गयी है, वह यह है कि उसमें कपूर ४ परसेंट होना चाहिये, लेकिन उसमें कपूर की मात्रा नहीं पायी गयी । इस आधार पर उस कम्पनी का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

किस तारीख को निरस्त किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, पिछली सरकारों ने यह जांचें की हैं । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जानबूझ कर ... (व्यवधान) .. हमें जैसे ही जानकारी मिली, उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह अजीब संयोग है कि पिछली सरकारें गलत दवाएं बनवाती रहीं और मौतें एक नहीं हुई और इस बेहतर सरकार के आते ही 500 लोग मर गये । यह इस बात का प्रमाण है कि पिछली सरकारों के समय कड़ा नियंत्रण था, जिसके कारण वे मदिरा नहीं बना पाए । जबकि इस बार का जवाब मौतें दे रही हैं । मेरा सीधा साधा सा प्रश्न यह है कि जिस समय ये बिक्री के लिये जारी की गयीं, जिससे मौतें हुई, तो उस समय प्रदेश में किसकी सरकार थी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इस कम्पनी को 13-3-85 को लाइसेंस दिया गया और वह लाइसेंस 31-12-86 तक के लिये वैध था । उसके पूर्व 11-12-86 को कम्पनी ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए शुल्क जमा कर दिया । प्राविधान यह है कि अगर अंतिम तिथि से पूर्व कम्पनी कोई निर्धारितं प्रपत्र पर शुल्क जमा कर देती है तो वह वैध हो जाता है और लाइसेंस निरस्त नहीं किया जाता है । इस प्रकार से लाइसेंस 2 वर्ष के लिये वैध हो गया । पुनः उसकी अवधि समाप्त होने के पहले 31-6-88 को पुनः प्रपत्र के साथ शुल्क जमा कर दिया गया जिससे वह 31 दिसम्बर, 1990 तक वैध हो गया । इसके पूर्व 14-12-90 को पुनः कम्पनी ने शुल्क जमा कर दिया और प्रार्थना-पत्र जमा कर दिया जिससे वह 31 दिसम्बर, 1992 तक वैध हो गया । माननीय सदस्य ने पूछा कि शराव बनती रहीं, मौतें होती रहीं, तो दिल्ली में मोतें हुई, जिसके लिये चन्द्रा कमीशन बैठा है और इस प्रकरण की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है । दिल्ली की पुलिस ने जव छापा मारा तो वहां से जो ड्रम और मिट्टी मिली, उसका दिल्ली में केन्द्र सरकार ने परीक्षण कराया और वताया कि उस में मिथाइल अल्कोहल में कोई कन्टेन्ट नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाव नहीं आया । मैंने पूछा है कि जिस दवा के पीने से मौतें हुई, वह कव वनी और विक्री के लिये कव जारी हुई । वह दवा वाहर आने पर वहां अधिकारी और इन्सपेक्टर क्वालिटी की मुहर लगाते हैं । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जिस आसव को पीने से इतनी ज्यादा मौतें हुयी हैं वह कब निर्मित हुआ और कव जारी हुआ है । यह भी बता दें कि उस समय किसकी सरकार थी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इस संवंध में चन्द्रा कमीशन पूरी जांच कर रहा है और अव तक जो तथ्य आये हैं, यह बात अपनी जगह पर सही है कि यह बहुत दुखद घटना है और कई मौतें इससे हुयी हैं, यह निश्चित नहीं हो पाया कि इसका निर्माण कब हुआ है ।

(शोर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं नियम 49 के अन्तर्गत आपको सूचना दे रहा हूं, मान्यवर, इस पर चर्चा करायें। इस [xxx] ने यह आसव बनाया जिसके पीने से 500 से ज्यादा लोग मारे गये। इसमें इस सरकार के मंत्री शामिल हैं जिन्होंने पूंजीपतियों से मिलकर [xxx] बनायी जिससे 500 लोगों की जानें गयीं। मैं नियम 49 के अंतर्गत सूचना दे रहा हूं आप इस पर चर्चा कराइये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अध्यक्ष पीठ को कुछ कहने का अवसर नहीं देते हैं यह बहुत दुखद है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मंत्री जी पूरा उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं भी यह बात मंत्री जी से कह सकता था। आप यह बात कहने का मुझे अवसर नहीं दे रहे हैं।

माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी का प्रश्न बहुत साफ था। यदि इस प्रश्न की सूचना आपके पास है तो सूचना के आधार पर आप जवाब दें। यह लाइसेन्स कब जारी हुआ और आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि दवायें कब जारी हुयीं और उस समय किसकी सरकार थी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आपका एक इक्साइज इंसपेक्टर बैठता है, वह दवा की गुणवत्ता की जांच करता है, यह कब जारी हुयी है यह बता दें ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मैं निवेदन कर रहा था कि चूंकि मृत्यु दिल्ली में हुयी इसलिये दिल्ली में इस सबकी जांच करने के लिये चन्द्रा कमीशन बैठा है और वह यह जांच कर रहा है कि यह आ। कहां बना है, कब बना है, इसका बैच नं० क्या था, उस कमीशन के जांच के यह बिंदु हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, [xxx] मैं चुनौती देता हूं कि [xxx] आप चर्चा करायें, मैंने, माननीय नरेश अग्रवाल और माननीय राम आसरे वर्मा ने सूचना दी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह लोग ...का सामान बेचने वाले हैं। (शोर)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सरकार किसी आदमी को बचाना नहीं चाहती है । जब तक जांच चल रही है और यह पता न लग जाय कि औषधि कहां बनी है, केवल लेबिल मिला है । (शोर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, [xxx] इस पर चर्चा करवाइये । [xxx] यह मेरा खुला आरोप है । मेरा निश्चित आरोप है कि इसमें [xxx] गयी है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शांत रहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस तरह के अनर्गल आरोप लगाये गये हैं, वे बिल्कुल बेबुनियाद है ।

श्री प्रमोद कुमार–

सही आरोप हैं । बिल्कुल सही आरोप हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सुन तो लें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो आरोप इन्होंने लगाये हैं, मैं उसका कड़े शब्दों में प्रतिवाद करता हूं । मान्यवर, यह नियमों में है और परम्परा है कि अगर इस सदन में कोई आरोप लगाया जायगा, तो उन आरोपों के बारे में पहले जानकारी आपको दी जायगी । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अनर्गल, अप्रासंगिक आरोप लगाने से पहले कोई जानकारी आपको दी गयी या नहीं । अगर आपको जानकारी नहीं दी गयी, तो मेरा निवेदन है कि यह सब अनर्गल आरोप सदन की कार्यवाही से निकालने की कृपा करें । (व्यवधान) इसका संचालन नियमावली के तहत कराने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

जितने आरोप लगाये गये हैं, वह कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह सु[illegible] काण्ड साधारण बात नहीं है । इससे पूरे देश के अन्दर सरकार की छवि धूमिल हुई है ।

(घोर व्यवधान)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं चर्चा का स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी ने नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, जब इसकी जांच में कुछ स्पूरियस चीज पाई गयी होगी, तो इस कम्पनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया होगा। मैं जानना चाहता हूं कि लाइसेंस कैंसिल होने के उपरान्त भी किन परिस्थितियों में इन जहरीली दवा का निर्माण होता रहा। जो पांच लोग निलंबित किये गये हैं, वे स्वास्थ्य विभाग या किसी अन्य विभाग के थे ? उनका दोष क्या था ?

(कई सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले नियम पढ़कर आइये, तब आरोप लगाइये।

डा० दिनेश जौहरी–

जब पहले इसका टेस्ट किया गया होगा और पाया गया होगा कि यह दवा स्पूरियस है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया होगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में इस दवा का निर्माण होता रहा ? जिन 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है, यह स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है या नहीं और उनके ऊपर क्या आरोप हैं ?

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर चर्चा स्वीकार कर ली गयी है।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, उत्तर दिलवा दें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप नियम 276 देखें। डा० दिनेश जौहरी पहले मंत्री रह चुके हैं, आपने उनको बोलने के लिये कहा और जब उन्होंने आप की अनुमति से प्रश्न किया तो उत्तर आना चाहिए था। आप उनका उत्तर दिलवा दें। उन्होंने पैसा भी नहीं लिया होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह इस पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जब आपने डा० दिनेश जौहरी को प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी, तो उसका उत्तर तो दिलवा दें। या तो आप उनको प्रश्न करने की अनुमति ही नहीं देते। उनका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका उत्तर दिलवा दें, उसका उत्तर तो आना ही चाहिए। अगर उधर नहीं आता है, तो यह गलत परम्परा होगी।

श्री अध्यक्ष–

जैसे ही वह खड़े हुए, मैंने चर्चा स्वीकार कर ली।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

तो आपने उनको प्रश्न करने की अनुमति ही क्यों दी ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने सोचा था कि शायद इससे हटकर कुछ वह कहना चाहते हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उन्होंने आपकी अनुमति से प्रश्न किया है, उसका तो उत्तर आप दिलवा दें। अगर आप उत्तर नहीं दिलवाते हैं, तो इसका असर केवल उत्तर प्रदेश पर ही नहीं पड़ेगा, पूरे देश पर पड़ेगा। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने चर्चा स्वीकार कर ली है, उस समय सारे प्रश्नों के उत्तर आ जायेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो माननीय वर्मा जी ने प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सदन के फ्लोर पर एक बात आ जाती है, तो उसको जानने के लिये सभी माननीय सदस्य इच्छुक हो जाते हैं, तो उसका उत्तर आप दिलवा दें। अगर आप अनुमति न दिये होते, तो कोई बात नहीं थी। जब एक बात आ गयी तो सदन का अधिकार बन गया है कि उसका उत्तर सदन में दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

मैंने चर्चा स्वीकार कर ली है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, आपने चर्चा स्वीकार कर ली है, ठीक है, लेकिन चूंकि प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, तो अच्छा होगा माननीय मंत्री जी एक लाइन में उत्तर दे दें, किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है और किन दशाओं में ऐसा कार्य हुआ है ? आप मंत्री जी को निर्देश दे दें कि वह संक्षेप में बता दें।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी मैंने कहा कि मैंने चर्चा स्वीकार कर ली है, इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप तो न्यायवक्ता हैं, जब एक बात हम लोगों के संज्ञान में आ गयी, तो सभी लोग उसको जानना चाहेंगे । सदन में किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है । यह सदन नियम और परम्पराओं से ही चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिस समय चर्चा होगी, इस समय सारी बातें आ जायेंगी । प्रश्नोत्तर काल में इसकी आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह उचित नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अध्यक्ष–

महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिये तो चर्चा स्वीकार कर ली है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, भविष्य में बड़ी दिक्कत होगी सदन चलाने में, अगर इस तरह से महत्वपूर्ण बातों को नकारा जायेगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे ।

(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, यह सदन का अपमान है ।

(व्यवधान)

सहकारी शीतगृह राजा तालाब, वाराणसी द्वारा जिला सहकारी बैंक से आलू खरीदने हेतु ली गयी धनराशि का घोटाला

*2–श्री ऊदल (अनुपस्थित)–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक वाराणसी ने सहकारी शीतगृह राजातालाब, वाराणसी को वर्ष 90-91 में 18 लाख रु० की धनराशि आलू खरीद करने के लिये दी थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वर्ष 90-91 में आलू की खरीद नहीं की गयी और फर्जी खरीद दिखाकर आलू को शीत गृह में रखा दिखाया गया तथा बाद में लिख दिया गया कि रखा हुआ 18 लाख रु० का आलू सड़ गया ? क्या सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० से कराने की कृपा करेगी और सहकारी समिति शीतगृह राजा तालाब व जिला सहकारी बैंक, वाराणसी के खिलाफ कार्यवाही कर रुपया वसूल करेगी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

सूचना एकत्र की जा रही है

*3–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

[शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन के गैर तकनीकी कर्मचारियों को सहकारी बैंक में समायोजित करने की मांग

*1–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि निबन्धक, सहकारिता एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा दिनांक 30-6-92 तक बैंक की शेयर विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन को बन्द करने का प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने की विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन जब कोआपरेटिव बैंक का ही अंग है, तो क्या इसके गैर तकनीकी कर्मचारियों को बैंक में ही समायोजित किये जाने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि लगभग 11 वर्षों से कार्यरत इन कर्मचारियों का विनियमितीकरण न होने से उनकी सेवा संबंधी निर्णय अभी भी लम्बित हैं । यदि हां, तो क्यों ? क्या इन कर्मचारियों को बैंक में समायोजित किये जाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, कब तक ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

विश्व बैंक परियोजना के गैर तकनीकी कर्मचारी उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक कर्मचारी सेवा नियमावली, 1981 के नियम संख्या–3ए(VI) में परिभाषित कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं । विश्व बैंक परियोजना के कर्मचारियों की लम्बी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए निबन्धक,सहकारी समितियां, उ० प्र० द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना के गैर तकनीकी कर्मचारियों को बैंक सहित प्रदेश की अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं में भी, समकक्ष पदों पर समायोजित किया जाये ।

उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक कर्मचारी सेवा नियमावली के नियम संख्या–3ए(VI) एवं शासनादेश संख्या–3124/12सी-2-151(5)/83, दिनांक 30-7-1985 के विनियम संख्या 1(1) एवं 4-(1) के अनुसार विश्व बैंक परियोजना के गैर तकनीकी कर्मचारी उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक की सेवा में विनियमित किये जाने के पात्र नहीं हैं, इसलिये बैंक सेवा में इन कर्मचारियों को विनियमित किये जाने का प्रश्न नहीं है ।

निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० के निर्णय के अनुसार विश्व बैंक परियोजना के कर्मचारियों को उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक सहित प्रदेश की अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं में समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है । समायोजन के संबंध में शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त शीर्ष संस्थाओं में उपलब्ध एवं समय-समय पर होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष उनके समायोजन की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये, नियमानुसार चलाने के लिए विपक्षी दलों के तमाम नेता माननीय देवी प्रसाद वर्मा जी, माननीय प्रमेन्द्र तिवारी जी, माननीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी ने आपसे अनुरोध किया कि आप डा० दिनेश चौधरी जी को अवसर दिला दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

(व्यवधान)

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

अगर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है तो मैं आगे बढ़ता हूं, यह सब नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सब नहीं लिखा जायेगा ।

*2–श्री हाजी मोहम्मद वसीम–

[3सरे बुधवार में ता० प्र० सं०–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका संडीला, जनपद हरदोई में नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा सफाई का कार्य न करने के संबंध में संडीला के नागरिकों द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही

*3-श्री मथुरा प्रसाद (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री को नगरपालिका सण्डीला, जनपद हरदोई में नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने, नालियों, सड़कों आदि की सफाई न करने, एक जगह ढेर कूड़े को महीनों तक न हटाने के सम्बन्ध में वहां के नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती पत्र दिनांक 27-6-91 प्राप्त हुआ है ? नगर पालिका सण्डीला के नागरिकों द्वारा की गयी शिकायतों के सम्बन्ध में अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो क्या मंत्री जी तुरन्त यथोचित कार्यवाही करने एवं शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 27-6-91 प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी महानगर के वरुणा पार क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने की मांग

*4–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी महानगर के वरुणा पार क्षेत्र में जहां सीवर पाइप लाइन न होने से आबादी को भयंकर कष्ट झेलना पड़ता है, गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवर पाइप लाइन बिछाये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है ? महापालिका के कौन से वार्ड इससे लाभान्वित होंगे और यह योजना कब तक क्रियान्वित होगी ?

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

वरुणा पार क्षेत्र की जनता को सीवर पाइप लाइन न होने से कठिनाई है ।

वर्ष 1986-87 में वाराणसी के ट्रांस वरुणा क्षेत्र के लिये एक सीवर योजना का प्राक्कलन गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत बनाया गया है ।

योजना के अन्तर्गत ट्रांस वरुणा क्षेत्र में 900-1800 मिमी० व्यास की कुल 5 किमी० लम्बाई में ट्रंक सीवर डाले जाने का प्राविधान किया गया है । यह ट्रंक सीवर वाराणसी तहसील से प्रारम्भ होकर यू० पी० कालेज क्रासिंग से भोजूबीर क्रासिंग होते हुए मेन्टल हास्पिटल के सामने से पाण्डेपुर चौराहे से होते हुए पंचकोसी मार्ग पर रूपनपुर में प्रस्तावित मुख्य सीवेज पम्पिंग स्टेशन तक जायेगी । मुख्य सीवेज पम्पिंग स्टेशन से सीवेज को दीनापुर में बन रहे एस० टी० पी० में पम्प किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है । इसके अन्तर्गत इस क्षेत्र के लगभग 6 लाख जनसंख्या के गन्दे पानी को ले जाने की क्षमता रखी गयी है ।

शिवपुर, सिविल लाइन के चमरौटिया क्षेत्र, अर्दली बाजार क्षेत्र, हुकुलगंज क्षेत्र, पहाड़िया जोन, मकबूल आलम रोड, चौकाघाट से पाण्डेपुर चौराहे तक का क्षेत्र सम्मिलित है ।

भारत सरकार द्वारा योजना स्वीकृत होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, एक संवेदनशील सरकार होने के नाते मानन्नीया मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि वहां कठिनाई है, मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं । साथ ही आपके माध्यम से मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहूंगा कि यह जो योजना है, जो भारत सरकार को स्वीकृति के लिये भेजी गयी है, यह कब भेजी गयी, इसका निस्तारण कब हो जाना चाहिए था, अगर कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, वहां कठिनाई है, तो क्या मैं यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि इसके लिये कब-कब प्रयत्न किये गये और इसके लिये प्रभावी कदम उठाने की कृपा कब की गयी ताकि यह योजना अतिशीघ्र स्वीकृत होकर लोगों का कष्ट निवारण हो सके ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, योजना सहित पहले पत्रावली 31-5-88 को भेजी गयी थी उसके बाद इस पर लगातार दूसरी बार 17-8-90 को तीसरी बार 9-1-92 को और चौथी बार 18-2-92 को पत्र भेजे जा चुके हैं । वार्ता भी की गयी है और शीघ्रता के लिये निवेदन भी किया गया है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, जो जवाब आया है वह एकांगी है । मान्यवर, अर्दली बाजार से शिवपुर तक के क्षेत्र में यह आता है । वरुणा के पास से सलालपुर तक जहां वाणीपुर तक है, वहां यह खुला हुआ था, इसकी जानकारी माननीया मंत्री जी को है उसके बारे में कुछ नहीं बताया । मैं जानना चाहूंगा कि यह सी० डब्लू० सी० केन्द्र सरकार के सेन्ट्रल वाटर कमीशन की योजना है, नवम्बर, 1990 में 15 करोड़ रूपया स्वीकृत होकर इस सरकार के पास आया और जिसकी बहस बनारस नगर महापालिका के सदन में भी उठ चुकी है, उस 15 करोड़ रूपये का प्राविधान कहां किया गया ? किन योजनाओं पर लागू किया गया और क्या अर्दली बाजार–शिवपुर से लेकर सलालपुर तक के क्षेत्र में कोई काम हुआ ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, प्रस्तावित योजना जिसकी मैंने पूर्व में चर्चा की है यह 15 करोड़ 10 लाख रु० की ही है और इसके अन्तर्गत जो क्षेत्र आ रहे हैं उसके अन्तर्गत व्यवस्था दी है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना दे रहा हूं, उस समय मैं लोक सभा का सदस्य था वहां पर मैंने इसका प्रश्न उठाया था, आज मेरे पास इसके कागज नहीं हैं, मैं बाद में मंत्री जी के समक्ष उसे प्रस्तुत कर दूंगा. वह 15 करोड़ रूपये की योजना नहीं है, 15 करोड़ रूपया स्वीकृत होकर आया था। कहीं वह कागजों में तो पैसा नहीं उलझ गया है ? मेरी निश्चित सूचना है यह मेरे ही लोक सभा क्षेत्र का मामला है। मैं विस्तृत रूप से इसकी बाबत जानता हूं। कृपया इसकी जांच करा लें, अगर आज न हो तो बाद में बता दें कि जो 15 कारोड़ रु० केन्द्र सरकार ने दिया है वह कहां गया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीया मंत्री जी जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को सूचित कर दें और इसमें देख लें कि क्या व्यवस्था की गयी।

स्थानीय निकायों में शासन द्वारा सदस्यों को नामित किये जाने का आधार

*5–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्थानीय निकायों में शासन द्वारा सदस्यों को नामित किये जाने का कोई आधार बनाया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा–6, संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–9 और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा–5 में यह प्राविधान है कि यदि निर्वाचित सदस्यों में से कोई महिला न हो या केवल एक महिला हो तो राज्य सरकार अधिनियम द्वारा यथास्थिति दो महिलाओं को या एक और महिला का नाम निर्दिष्ट कर सकती है जिससे कि बोर्ड में महिला सदस्यों की संख्या 2 से कम न हो और तदुपरान्त बोर्ड की सामान्य रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा। यह भी प्राविधान है कि यदि निर्वाचित सदस्यों में से कोई सफाई मजदूर वर्ग का न हो तो राज्य सरकार अधिनियम द्वारा उक्त वर्ग के एक व्यक्ति को सदस्य निर्दिष्ट कर सकती है और तदुपरान्त बोर्ड की रचना में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा। इस प्रकार नामित किये जाने का आधार अधिनियमों की उल्लिखित धाराओं में प्राविधानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जिन सदस्यों को नामित किये जाने की बात माननीया मंत्री जी ने कही है वह पूर्व सरकार द्वारा नामित किये जा चुके हैं। क्या नयी सरकार बनने के बाद मंत्री जी द्वारा कुछ स्थानीय निकायों के सदस्यों के मनोनयन में नामित किये जाने में परिवर्तन किये गये हैं ? अगर किये गये हैं तो वह कौन-कौन सी स्थानीय निकाय हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां, कुछ स्थानों में परिवर्तन किये गये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीया मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कुछ परिवर्तन किये गये हैं । एक तो किन-किन स्थानीय निकायों में परिवर्तन किये गये हैं और दूसरे परिवर्तन के क्या कारण रहे हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, प्रदेश में 8 नगरमहापालिकाओं, 229 नगरपालिकाओं और 452 नगर क्षेत्र समितियां हैं, इस प्रकार कुल स्थान 679 है, 679 में 278 सदस्य नामित किये गये हैं । इन 278 सदस्यों की यहां क्षेत्रवार चर्चा करना विस्तृत कार्य होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीया मंत्री जी विस्तृत रूप से नाम नहीं बता सकती हैं लेकिन जानकारी दे सकती हैं कि मान्यवर, इसमें जो परिवर्तन किये गये हैं उनके क्या कारण हैं ? इसका जवाब माननीया मंत्री जी से दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत ही विस्तृत हो जायेगा, इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है । मैं आपके माध्याम से माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो विधायकगण चुने गये हैं क्या उनके नाम भी उन स्थानीय निकायों में शामिल कर लिये गये हैं या नहीं । मान्यवर, भोगांव या मैनपुरी टाउन एरिया में जो विधायकगण निर्वाचित हुए हैं उनको सदस्य के रूप में सूची में शामिल नहीं किया गया है और न ही उन्हें मीटिंग में बुलाया जाता है ?

श्री अध्यक्ष–

वह तो पदेन सदस्य होते ही हैं ।

प्रश्नकाल को स्थगित किये जाने की मांग

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम110 के तहत मैं प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रस्ताव करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसको आप 10 मिनट बाद रखें । 10 मिनट बाद जब प्रश्नकाल समाप्त हो जायेगा तो आपको सुन लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं तो प्रश्नकाल को स्थगित करना चाहता हूं । जब प्रश्नकाल ही समाप्त हो जायेगा तो क्या फायदा । मान्यवर, आप जानते ही हैं कि प्रश्नकाल हम विपक्ष में बैठने वालों के लिये कितना महत्वपूर्ण होता है फिर भी मैंने इसे स्थगित करने की मांग की है । जिन कारणों से प्रश्न रखा जाता है उसे इस सदन के लिये, जनता के लिये, आपके लिये तथा पूरे प्रदेश के लिये एक अहम सवाल खड़ा हो गया है .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी प्रश्नकाल हो जाने दीजिये उसके बाद मैं आपको सुन लूंगा । मैं अभी आपको इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–110 के अन्तर्गत सदस्य को हमें पूरा अधिकार है कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के प्रस्ताव ला सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि "यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें ।" मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । आप कृपया बैठ जायें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जब आपने हमें सुनने की अनुज्ञा दे दी है तो कृपया हमें दो मिनट सुन लीजिये, हमें बोलने का मौका दीजिये । मैंने प्रश्न काल स्थगित करने की बात क्यों कही ?

श्री अध्यक्ष–

आप कारण बता रहे हैं । नियमावली के नियम में यह भी है कि "यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें"।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपने अनुज्ञा तो दी है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने प्रस्ताव करने की अनुज्ञा मांगी । मैंने यह पूछा कि आपका प्रस्ताव क्या है ? आपं बोलने की अनुमति तो नहीं दी । श्री स्वामी नाथ यादव जी अपना प्रश्न करें ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग पहले नामित किये गये थे, उनको किन कमियों के कारण हटा दिया गया और जो दूसरे नये सदस्य नामित किये गये, उनको नामित करने के पीछे कारण क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत विस्तृत प्रश्न है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी को क्यों बचा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्थानीय निकाय हैं, उनमें उस क्षेत्र के विधायकों को सदस्यता प्रदत्त की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि नगरपालिका बाराबंकी और नगरपालिका रुदौली में जो पुराने सदस्यों की जगह नये सदस्य नामित किये गये, उसका कारण क्या है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, चुने हुए जन प्रतिनिधि सामान्यतः सदन के पदेन सदस्य होते हैं । अगर किसी स्थानीय निकाय में इस तरह की कोई व्यवस्था न हो तो माननीय सदस्य अवगत करायेंगे, तो व्यवस्था अगर शासन स्तर पर करनी हुई तो कर दी जायेगी ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, म्युनिसपैलिटी और जिला परिषद् में तो यह व्यवस्था है, लेकिन टाउन एरिया में प्रदेश में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीया मंत्री जी यह निर्देश सभी टाउन एरिया को भेज देंगी कि जितने भी चुने हुए विधायक हैं, उनको उसमें शामिल कर लिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां, पहले तो यह व्यवस्था सामान्यतः है । अगर नहीं है तो यह व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जायेगी ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के एक हिस्से का उत्तर नहीं आया है, नगरपालिका बाराबंकी, नगरपालिका रुदौली में दो सदस्यों का परिवर्तन किया गया है, वहां पहले से 2 महिला सदस्य और एक सफाई कर्मी प्रतिनिधि के रूप में थे, अब नाम परिवर्तन किया गया है, उसका कारण क्या है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, वर्ष 1990 में यह प्राविधानित किया गया है कि शासन के विवेक और वर्तमान व्यवस्था में विशिष्ट वर्ग के लोगों, जन सामान्य और जन समुदाय से प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर, शासन ने विवेक के द्वारा यह निर्णय लिया है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

मोदी रबर लिमिटेड, मेरठ द्वारा दिये जाने वाले गृह कर का विवरण

*6–श्री कटार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मोदी रबर लि०, मेरठ नगर महापालिका क्षेत्र में अ"नी है ? यदि हां, तो मोदी रबर लि० की भू-सम्पत्ति कितनी है तथा इस भू-सम्पत्ति पर महापालिका अधिनियम के अनुसार कितने प्रतिशत गृहकर लगना चाहिये ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1988 से मार्च, 1991 तक वर्षवार कितना गृह कर, मोदी रबर से वसूला गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

मोदी रबर लि० की प्रश्नगत क्षेत्र की भू-सम्पत्ति 161 एकड़ है जिसमें से 87 एकड़ भूमि पर फैक्ट्री स्थापित है तथा शेष 74 एकड़ भूमि पर फैक्ट्री के उद्यान, सड़कें, मन्दिर, स्कूल एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय भवन निर्मित हैं ।

टिप्पणी–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

नियमानुसार भूमि के मूल्य एवं निर्माण की लागत के 7 प्रतिशत मूल्यांकन पर 12.5 प्रतिशत की दर से गृहकर देय होता है। प्रश्नगत मामले में पूंजी लागत की गणना तथा करारोपण की प्रक्रिया दिनांक 1-4-91 को पूरी हुई और इसी तिथि से गृहकर देय है।

प्रदेश की नगरपालिकाओं का वर्गीकरण नगरपालिका अधिनियम की धारा तीन के अनुसार करने की मांग

★7–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश की नगरपालिकाओं का वर्तमान वर्गीकरण नगरपालिका अधिनियम की धारा–3 की उपेक्षा कर श्रेणी एक, दो, तीन व चार के अन्तर्गत कर दिया गया हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त वर्गीकरण अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत होने की दशा में प्रदेश की नगरपालिकाओं का पुनः वर्गीकरण करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं।

वर्गीकरण अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत नहीं है। अतः पुनः वर्गीकरण कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गढ़वाल में बेसिक शिक्षा परिषद् के मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अन्तर्गत लम्बित मामलों का विवरण

★8–श्री भारत सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल में बेसिक शिक्षा परिषद् में मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अन्तर्गत योजना के कितने मामले, कब से लम्बित हैं ? क्या मंत्री जी एक निश्चित अवधि के अन्दर लम्बित प्रकरणों को निस्तारित कराकर मृतकों के आश्रितों को सेवायोजित किए जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मृतक आश्रितों के सेवायोजन के 14 मामले वर्ष 1987 से 1992 तक के लम्बित हैं।

मृतक आश्रितों की नियुक्ति उनकी अर्हता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध होते ही प्रदान करने के स्थायी आदेश हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में दो सौ बिस्तर वाले छः अस्पतालों को खोले जाने हेतु सहायता

★9–डा० दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में दो सौ बिस्तर के 6 अस्पताल खोले जाने की सहमति व्यक्त की है ? क्या यह सच है कि मौजूदा मुख्य मंत्री ने इन अस्पतालों के खोले जाने की जगह अलीगढ़, सीतापुर, फैजाबाद, बरेली, कुमाऊं बुन्देलखण्ड की आवश्यकता देखते हुए वहां खोलने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो उक्त स्थानों पर विश्व बैंक द्वारा इन अस्पतालों का निर्माण कब तक आरम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेद निदेशालय के अन्तर्गत कतिपय फर्मों को फर्जी लाइसेंस जारी किये जाने की शिकायत

★10–श्री उमाकान्त यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर, 1991 में कितनी ऐसी कम्पनियां पकड़ी गई हैं, जो आयुर्वेद निदेशालय के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त हैं ? क्या सरकार उन जन-नाशक औषधि निर्माताओं व विक्रेताओं द्वारा की गई हत्या की जिम्मेदारी कम्पनी या व्यवसाय चलाने वालों के साथ आयुर्वेद निदेशालय से जुड़े अधिकारियों पर निश्चित करने जा रही है जिन्होंने फर्जी कागजात तैयार करके उन अनियमितता करने वाली फर्मों को लाइसेन्स दिया है यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार माह नवम्बर, 1991 में निम्न फार्मेसियां अनियमितता करती पायी गयीं :–

1–मेसर्स करनाल फार्मेसी, गाजियाबाद

2–सोन फार्मा, गोपाल पुरा, मथुरा

3–सुख संचारक कम्पनी नाजपुरा, मथुरा

आबकारी अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3821/91-फार्मेसी–जांच- 353/91, दिनांक 12 नवम्बर, 1991 द्वारा एक उच्च स्तरीय प्राधिकृत जांच समिति सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कर रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी ।

प्रदेश के महानगरों की घनी बस्तियों से पशु वध केन्द्रों को हटाये जाने की मांग

★11–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बड़े-बड़े शहरों एवं कस्बों में घनी बस्तियों के बीच चल रहे पशु वध (सलाटर हाउस) केन्द्रों को, शहरों को प्रदूषण मुक्त करने की दृष्टि से तत्काल स्थानान्तरित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रदेश में वर्तमान समय में सैकड़ों बध-शालाएं चल रही है । पशु-बधशालाओं को अन्यत्र हटाने में व्यापक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी । प्रत्येक वधशाला की स्थिति एवं समस्या भिन्न है । अतः सामान्य नीति के रूप में कोई निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है किन्तु यदि किसी पशु-बधशाला विशेष के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उसके गुण-अवगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है । इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि नगरमहापालिका इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ तथा बरेली द्वारा पशु-बधशालाओं को स्थानान्तरित करने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु पशु-बधशाला स्थानान्तरण में व्यापक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होने के कारण कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

★12–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जनपद लखीमपुर खीरी में सहकारी संस्थाओं द्वारा बेचे गये उर्वरकों का विवरण एवं सत्यापन

★13–श्री बाला प्रसाद–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत 1 जून, 1991 से 15 जुलाई, 1991 तक जनपद के किस-किस साधन सहकारी समितियों में तथा किसान सेवा संघ, किसान सेवा सहकारी समिति व संघों में क्रय विक्रय समिति के गोदामों में कितना कुन्टल उर्वरक एन० पी० के० डाई, यूरिया उपलब्ध था ? क्या इसका निरीक्षण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि यह उर्वरक जो 15 जुलाई, 91 के पहले स्टाक में था उसे नये दर पर बेचा गया या पुराने दर पर बेचा गया ? अगर पुराने दर पर बेचा गया है तो क्या सरकार इसका सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जनपद लखीमपुर-खीरी की 86 साधन सहकारी समितियों, 43 किसान सेवा सहकारी समितियों, 6 सहकारी संघों तथा एक क्रय-विक्रय समिति के गोदामों में 1 जून, 1991 को एन० पी० के० 6377.35 कु०, डाई 2771.44 कु० तथा यूरिया 15919.72 कु० उपलब्ध था तथा 15 जुलाई, 1991 को एन० पी० के० 10011.35 कु०, डाई 2904.94 कु० तथा यूरिया 94708.22 कु० उपलब्ध था ।

जी हां ।

जी हां । सत्यापन के उपरान्त उपलब्ध उर्वरक सम्भार को पुराने दर पर बिक्री किया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सदर अस्पताल जौनपुर में पेयजल व्यवस्था की मांग

★14–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर सदर अस्पताल में पेयजल सुविधा हेतु विभाग ने पांच लाख सत्तानबे हजार रुपये जल निगम जौनपुर को दे दिया है जिसमें पुराने पम्पिंग सेट को ठीक करना भी शामिल है ? यदि हां, तो अब तक नया पम्पिंग सेट क्यों नहीं लगाया गया और पुराने को क्यों नहीं ठीक किया गया ? यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, परन्तु पुराने पम्पिंग सेट को ठीक करना स्वीकृत धन में सम्मिलित नहीं है ।

रिंग मशीन उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका । पुराना पम्पिंग सेट ठीक कराने योग्य नहीं है ।

कार्य में उपयोग होने वाली रिंग मशीन उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ होने के 6 माह के अन्दर पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा ।

पिछड़े जनपदों में औषधि निर्माण करने वाली इकाइयों द्वारा निर्मित औषधियों को क्रय में प्राथमिकता दिये जाने की मांग

*15–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या स्वास्थय मंत्री उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपदों में स्थापित औषधि निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित औषधियों के क्रय में वरीयता दिये जाने के सुस्पष्ट आदेश विभाग को जारी करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

पूर्व में ही आदेश जारी किये जा चूके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उर्सला अस्पताल कानपुर में एक्सरे मशीनों को चलाने हेतु एक्सरे टेक्निीशियन के पद सृजित करने की मांग

*16–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्सला अस्पताल कानपुर शहर में पांच एक्सरे मशीनें 200 मीटर की दूरी पर अलग-अलग भवनों में हैं, जिनको चलाने के लिये एक ही एक्सरे टेक्निीशियन का पद सृजित है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अन्य पद सृजित किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

सीमित संसाधनों को देखते हुए अन्य पद के सृजन की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन सहायक निबंधक सहकारी समितियां फैजाबाद के विरुद्ध सतर्कता जांच की मांग

*17–श्री लालजी वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 12-7-90 को प्रेषित शिकायती पत्र, जो तत्कालीन सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, फैजाबाद के विरुद्ध था, तत्कालीन मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा सचिव, सतर्कता को सतर्कता जांच हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों की सतर्कता विभाग से जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बाल्यिान–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागीय जांच लम्बित है ।

विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम् रामनगरदुर्ग, वाराणसी को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

★18–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत भाषा के प्रसार प्रचार के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उस योजना से सदन को अवगत करायेंगे ? मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम् रामनगर दुर्ग, वाराणसी को आर्थिक सहायता देने पर निर्णय ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया ?

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

जी नहीं ।

मामला विचाराधीन है ।

★19–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[4थे मंगलवार में ता० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपदों में एक ही चिकित्सीय कार्य में दो प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करने का औचित्य एवं कथित सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत

★20–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिए एक जिला मलेरिया अधिकारी एवं एक जिला प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करके उनको शासन द्वारा कार्य आवंटित किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों द्वारा आवंटित कार्यों का निष्पादन सुचारू रूप से किया जा रहा है ? यदि हां, तो इन्हीं कार्यों को करने के लिए उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी मलेरिया, प्लान एवं बजट तथा कार्मिक के तीन नये पदों पर नियुक्ति किए जाने का औचित्य क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि इनके वेतनादि पर कितनी धनराशि व्यय हो रही है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए समकक्ष विशिष्ट पदों पर उप मुख्य चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति करने पर भी विचार करेगी ? यदि हां, तो इनकी तैनाती के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु सृजित किये गये अतिरिक्त पदों तथा पूर्व में उपलब्ध उप मुख्य चिकित्साधिकारियों के मध्य कार्य एवं दायित्वों का आवंटन करने के लिए उप मुख्य चिकित्साधिकारी मलेरिया एवं संक्रामक रोग, कार्मिक, प्लान एवं बजट नामित किये गये हैं । इनके वेतन आदि पर लगभग 7.5 लाख रुपये प्रतिमाह व्यय हो रहे हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा उपचार की सुविधा हेतु उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पहले से ही उप मुख्य चिकित्साधिकारी वेतनमान के अधिकारी अधीक्षक पदनाम से तैनात किये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

तहसील सिकन्द्राराऊ जनपद अलीगढ़ में चिकित्सक एवं भवन विहीन अस्पतालों का विवरण

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद अलीगढ़ की सिकन्द्राराऊ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अधिकतर राजकीय चिकित्सालयों व प्रा० स्वा० केन्द्रों पर चिकित्साधिकारी नहीं हैं ? क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के दो चिकित्सालय क्रमशः प्रा० स्वा० केन्द्र महमूदपुर तथा राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय भिसी मिर्जापुर के इस वर्ष भवन निर्मित होने हैं ? क्या इन दोनों चिकित्सालय भवन निर्माण को गति देने तथा प्रभावी निरीक्षण हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारियों की नियुक्तियां शीघ्र करायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद अलीगढ़ की तहसील सिकन्द्राराऊ में स्थित कुल 21 राजकीय चिकित्सालयों/प्रा० स्वा० केन्द्रों में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 4 चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी नहीं हैं ।

जी हां ।

चिकित्सालय भवनों के निर्माण का निरीक्षण निर्माण इकाई के अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 1991-92 में जनपद गाजीपुर के बेसिक एवं जूनियर पाठशालाओं को सामग्री हेतु स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता की जांच

2–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में वर्ष 1991-92 में प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों को टाट पट्टी, बाल्टी-लोटा, चाक, ईक, कुर्सी, मेज, श्यामपट आदि उपलब्ध कराने हेतु कितनी धनराशि शासन से स्वीकृति की गयी थी ? क्या इस धनराशि से क्रय की गयी सामग्री का विद्यालयों में सही उपयोग हो रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार इनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

वर्ष 91-92 के लिए आयोजनेत्तर मद में प्रति प्राथमिक विद्यालय 500 रुपया तथा प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय 450 रुपया स्वीकृत किया गया है । आयोजनागत मद में प्राथमिक विद्यालयों हेतु 50,000 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 1,50,000 स्वीकृत किये गये हैं ।

सामग्री 31 मार्च, 92 तक क्रय हो सकेगी । अतः उपभोग का सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 1991-92 में नये खोले जाने वाले प्रस्तावित प्राइमरी एवं जूनियर पाठशालाओं का विवरण

3–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में जनपद गाजीपुर में कितने नये प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर हाई स्कूल खुलने प्रस्तावित हैं ? इनकी स्वीकृति कब तक की जायेगी तथा इनका भवन निर्माण कार्य कब से शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

वर्ष 1991-92 में 12 प्राइमरी पाठशाला तथा दो जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ।

प्राइमरी पाठशाला खोलने की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है तथा जूनियर हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदन के पश्चात् विद्यालय खोलने तथा उनके भवन निर्माण से संबंधित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी की शिकायतें

4–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में उ० प्र० में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अवगत है कि उन्नाव जिले के असोहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वर्ष 1987-88, 88-89 व 89-90 के मध्य हुए नसबन्दी आपरेशनों (ट्युबेक्टोमी व वेसेक्टामी) की गहन जांच करायेगी ? क्या सचिव स्वास्थ्य को इसी सन्दर्भ का प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-11-91 को मिला है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की ? जांच का निष्कर्ष क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जांच करायी जा चुकी है ।

उपलब्ध हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला महिला चिकित्सालय बांदा की डा० मनोरमा श्रीवास्तव के स्थानान्तरण की मांग

5–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला महिला अस्पताल बांदा की डा० मनोरमा श्रीवास्तव का स्थानान्तरण होने के बाद क्यों रोका गया है ? क्या इनके भ्रष्टाचार की अनेकों शिकायतें हैं जिनकी मजेस्ट्रेरियल जांच भी की गयी है ? क्या ये कई वर्षो से बांदा में ही हैं ? यदि हां, तो क्या इनके स्थानान्तरण के पुनः आदेश किये जावेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

डा० (श्रीमती) मनोरमा श्रीवास्तव, चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला अस्पताल, बांदा का स्थानान्तरण नहीं किया गया है और न ही स्थानान्तरण रोका गया है । डा० (श्रीमती) श्रीवास्तव के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झांसी मण्डल झांसी से करायी जा रही है । डा० (श्रीमती) श्रीवास्तव विगत 6 वर्षो से जनपद बांदा में कार्यरत हैं । शासन द्वारा निर्धारित नीति के तहत वार्षिक स्थानान्तरण के समय इनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

6–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[दिनांक 14-2-92 को अता० प्रा० सं० 135 द्वारा उत्तरित]

बांदा नगरपालिका में टेलीफोन वाणिज्य योजना के अन्तर्गत दुकानों के निर्माण में काम करने वाले ठेकेदार के पैसे के भुगतान की मांग

7–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बांदा ने क्या वर्ष 1985 में टेलीफोन वाणिज्य के अन्तर्गत दुकानों के निर्माण करवाने हेतु मिट्टी की खुदाई व ढुलवाई श्री लक्ष्मण सिंह, ठेकेदार से करवाई थी ? यदि हां, तो क्या उसकी पैमाइश नगरपालिका की एम० बी० नं० 79 के पेज नं० एक में दर्ज की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इसका भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो भुगतान न करने का क्या कारण है ? क्या इसमें ठेकेदार की कोई त्रुटि है ? यदि नहीं, तो क्या ठेकेदार को ब्याज़ सहित इसका भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं । प्रश्नगत कार्य टेलीफोन वाणिज्य योजना के स्वीकृत कार्य से भिन्न श्री लक्ष्मण सिंह, ठेकेदार द्वारा मलवा की खुदाई व ढुलवाई का कार्य बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के किया गया था ।

ठेकेदार ने तत्कालीन अधिशासी अधिकारी व अवर अभियन्ता से सांठ-गांठ कर इस स्वीकृत कार्य की पैमाइश एम० बी० सं०–79 पेज नं०–दो में दिनांक 19-7-1984 को अवैध ढंग से दर्ज करा ली थी ।

उक्त सन्दर्भगत मलवा की मिट्टी की खुदवाई व ढुलवाई से संबंधित कार्य के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के टाउन एरिया मझौलीराज, सलेमपुर, लार, भाटपाररानी और भटनी द्वारा आवंटित भूमि के पट्टे का विवरण तथा कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने की मांग

8–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत टा० ए० मझौलीराज, सलेमपुर, लार, भाटपाररानी और भटनी में जनवरी, 90 से 31 अक्टूबर, 91 तक कितनी भूमि का पट्टा आवंटित किया गया है ? उनके नाम और पते क्या हैं ? क्या इन पट्टों की स्वीकृति राजस्व विभाग से प्राप्त हो चुकी है ? इससे प्रत्येक टा० ए० को कितने राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रश्नगत अवधि में जनपद देवरिया की संदर्भित निकायों में भूमि का कोई पट्टा स्वीकृत नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

9–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत टाउन एरिया मझौलीराज, सलेमपुर, लार, भटनी और भाटपाररानी में कार्यरत कर्मचारियों का कितने महीने का वेतन बकाया पड़ा है ? इसके लिये सरकार द्वारा प्रत्येक टा० ए० को कितनी धनराशि अनुदान के रूप में आवंटित की जा रही है ? क्या दी गयी धनराशि में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां । संदर्भगत टाउन एरिया कमेटीज के कर्मचारियों का वेतन क्रमशः विगत 18, शून्य, 5, 4 एवं 13 माह से बकाया है ।

(ख) शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत की दर से वेतन व महंगाई भत्ते के भुगतान के लिये अंशदान स्वीकृत किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) निकायों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण नियमित वेतन भुगतान हेतु अपने हिस्से की धनराशि वहन करने में समर्थ नहीं है ।

जनपद देवरिया के कतिपय टाउन एरिया में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन एवं उसकी उपयोगिता की जांच

10–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत टाउन एरिया सलेमपुर, मझौलीराज, लार, भाटपाररानी, भटनी में नेहरू रोजगार के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी और इससे कौन-कौन से कार्य कराये गये ? क्या इन कार्यों की जांच किसी तकनीकी विभाग द्वारा करायी जायेगी ? दोषी पाये गये व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद देवरिया में टाउन एरिया सलेमपुर, मझौलीराज, लार, भाटपाररानी एवं भटनी को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्न धनराशि आवंटित की गयी :–

टाउन एरिया का नाम	आवटित धनराशि (रु०)		
	नगरीय लघु उद्यम योजना	नगरीय मजदूरी योजना	योग
1–सलेमपुर	65,584/-	62.269/-	1,27,853/-
2–मझौलीराज	83,440/-	79,904/-	1,63,344/-
3–लार	1,30,799/-	1,26,679/-	2,57,478/-
4–भाटपाररानी	54,329/-	51,152/-	1,05,481/-
5–भटनी	7,139/-	878/-	8,017/-

नगरीय लघु उद्यम योजना के लिये दी गयी धनराशि में से रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाने तथा नगरीय लघु उद्यम स्थापित करने के लिये अनुदान दिया गया । नगरीय मजदूरी योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से सम्बन्धित टाउन एरियाओं में सड़क निर्माण हेतु मिट्टी भरायी, मिट्टी भराई व सोलिंग, गन्दे जल निकास हेतु नाली निर्माण आदि का कार्य कराया गया ।

नगरीय मजदूरी योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य अवर अभियन्ता, स्थानीय निकाय के तकनीकी दिशा निर्देशन में कराये गये, जिसमें कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के होम्योपैथिक चिकित्सालय, डाभा एवं हथौड़ा में प्रशिक्षित डाक्टर एवं कम्पाउन्डर की नियुक्ति की मांग

11–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के होम्योपैथिक चिकित्सालय डाभा एवं हथौड़ा में प्रशिक्षित कम्पाउन्डरों तथा चिकित्साधिकारियों को नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं और नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत दोनों होम्योपैथिक चिकित्सालयों में प्रशिक्षित होम्योपैथिक भेषिजिक पहले से ही तैनात हैं ।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर ही प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के सभी रिक्त पदों पर तैनाती सम्भव हो सकेगी ।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के सुबेहा क्षेत्र की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की मांग

12–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के सुबेहा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का प्रस्ताव वर्ष 1986 से लम्बित है ? यदि हां, तो इसका कब तक निर्माण होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1992-93 की जिला योजना के अन्तर्गत सुवेहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवत निर्माण का प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । जिला योजना 1992-93 में धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा ।

जनपद देवरिया के प्रतापपुर चीनी मिल के बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा सहकारिता सचिव को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

13–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र सहकारिता सचिव क. दिनांक 24 अगस्त, 91 के लगभग प्रतापपुर चीनी मिल, देवरिया के बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां,

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० सहकारी संघ से उक्त पत्र पर आख्या मांगी गयी । संघ के प्रबन्ध निदेशक ने उक्त मिल का बकाया संबंधी कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया है ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बागपत (मेरठ) के कतिपय फार्मेसिस्टों के वेतन के भुगतान की मांग

14 –श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बागपत, मेरठ में कितने फार्मेसिस्ट कार्यरत हैं ? उनमें से कितनों को वेतन नहीं दिया जा रहा है ? क्या उनके बकाये वेतन का भुगतान तत्काल कराने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बागपत, मेरठ में 4 फार्मेसिस्ट तैनात हैं ।

सभी फार्मेसिस्टों के वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक, आयुर्वेद, लखनऊ द्वारा फरवरी/मार्च, 1991 में फार्मेसिस्टों की की गयी नियुक्तियों का विवरण

15–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, आयुर्वेद, लखनऊ द्वारा कितने फार्मेसिस्टों की नियुक्ति फरवरी, मार्च, 1991 में की गयी है, उनमें से किसको, किस स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया गया है ? कितनों को वेतन भुगतान कराया जा रहा है तथा कितने कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं कराया जा रहा है ? क्या सरकार बकाये वेतन का भुगतान तत्काल कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

मृतक श्री रामेश्वर प्रसाद, प्रसार शिक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साण्डी जनपद हरदोई के आश्रितों को सेवा में लेने एवं अन्य देयों के भुगतान की मांग

16–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम लखन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामेश्वर प्रसाद, प्रसार शिक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साण्डी जनपद हरदोई की मृत्यु 29 अक्टूबर, 1987 को सेवा अवधि के दौरान ड्यूटी पर ही हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या किसी मृतक आश्रित को सेवा में लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक मृतक आश्रित को सेवा में ले लिया जायेगा ? क्या यह सही है कि उक्त मृतक कर्मचारी के देयों–– वेतन, मेडिकल अवकाश, ग्रेच्युटी, बीमा एवं पारिवारिक पेंशन की 4 साल की बढ़ोत्तरी आदि के भुगतान अब तक नहीं किये गये हैं । यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करके भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक कर्मचारी के पेंशन, ग्रेच्युटी तथा सामूहिक बीमा की धनराशि के अतिरिक्त अन्य समस्त देयों का, बढ़े वेतन के एरियर सहित भुगतान किया जा चुका है । पेंशन, ग्रेच्युटी तथा सामूहिक बीमा के प्रपत्र तैयार कर स्वीकृति हेतु क्रमशः पेंशन निदेशालय, महालेखाकार तथा बीमा निदेशालय को भेज दिये गये हैं

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत मझौलीराज टाउन एरिया में अस्पताल की मांग

17–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया अन्तर्गत मझौलीराज टा० ए० की आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 हजार है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके अनुसार 30 शैय्या का अस्पताल वहां बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिए भूमि अधिग्रहण पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । मझौलीराज टाउन एरिया की आबादी लगभग 14 हजार है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित मानक के अनुसार 30 शैय्या का अस्पताल अनुमन्य नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के नगरपालिका में ठेकेदार लक्ष्मण सिंह के बकाये धनराशि का मय ब्याज के भुगतान की मांग

18–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका बांदा ने जो श्री लक्ष्मण सिंह ठेकेदार से टेलीफ़ोन वाणिज्य योजना के अन्तर्गत दुकानों का निर्माण कार्य करवाया था उससे बिना कारण बतलाये तृतीय रनिंग बिल से लगभग दस हजार रुपये रोक लिये हैं ? यदि हां, तो क्या यह भुगतान ब्याज सहित ठेकेदार को किया जावेगा ? यदि किया जावेगा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

ठेकेदार द्वारा सम्पादित कार्य स्वीकृत आगणन के अनुसार नहीं था जिसकी जांच ठेकेदार की उपस्थिति में की गयी और रु० 10,174.62 की धनराशि कम करने के उपरान्त ठेकेदार ने दिनांक 11-5-87 को रु० 35,808.50 की प्राप्ति बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर ली ।

प्रश्न नहीं उठता ।

19–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[3सरे मंगल में अता० प्र० सं० 63 के अन्तर्गत स्थान्तरित]

20-21–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[3सरे मंगल में अता० प्र० सं० 184-185 के अन्तर्गत स्थान्तरित]

उन्नाव जिले के पुरवा को नगरपालिका बनाये जाने की मांग

22 –श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि उन्नाव जिले के तहसील केन्द्र की विशाल क्षेत्रफल व भारी जनसंख्या वाली टाउन एरिया पुरवा को नगरपालिका बनाये जाने पर शासन अपनी ओर से विचार कर रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भी उक्त टाउन एरिया में किया है ? सरकार को पुरवा को नगरपालिका घोषित करने में कठिनाई क्या है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं, टाउन एरिया पुरवा द्वारा नगरपालिका घोषित करने का प्रस्ताव दिनांक 29-8-1990 को पारित किया गया था । उक्त प्रस्ताव निर्धारित मानक के अनुसार न होने के कारण जिलाधिकारी, उन्नाव ने शासन को नहीं भेजा है ।

23–श्री राम आसरे वर्मा–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गंगा प्रदूषण कार्य को उत्तर प्रदेश जल निगम को दिये जाने तथा निगम द्वारा इस कार्य हेतु व्यय की गयी धनराशि आदि का विवरण

24–श्री शिवपाल सिंह, श्री मामचन्द्र तथा श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि गंगा प्रदूषण का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम को कब से दिया गया है और जल निगम द्वारा अब तक कितना रुपया इस पर व्यय किया गया ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गंगा नदी के किनारे बसे बड़े शहरों (उत्तर प्रदेश में) द्वारा आज भी बड़े पैमाने पर अधजली लाशें तथा गंदे पानी का प्रवाह जारी है तथा व्यय के अनुपात में कार्य नगण्य है ? क्या सरकार इस कार्य में जल निगम के लगे सभी अभियन्ताओं (अवर अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता तक) के चल और अचल सम्पत्ति की जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

वर्ष 1985-86 से ।

प्रारम्भ से अर्थात् वर्ष 85-86 से दिसम्बर, 91 तक जल निगम द्वारा रु० 73.00 करोड़ योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यय किया गया है ।

जिन शहरों में शवदाह गृह बन गये हैं उनमें लाशों को यथासम्भव शवदाह गृह में जलाया जाता है, नदी में सीधे प्रवाहित नहीं किया जाता । गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत शुक्लागंज (कानपुर), हरिद्वार तथा इलाहाबाद में विद्युत शवदाह गृह भी बनाया जाना प्रस्तावित है । जिसमें से शुक्लागंज का विद्युत शवदाह गृह चालू होकर प्रयोगाधीन है तथा इलाहाबाद एवं हरिद्वार के विद्युत शवदाहगृह शीघ्र चालू होने वाले हैं । वाराणसी शहर में, जहां सबसे अधिक लाशें जलाने के लिये आती हैं शवदाहगृह काम कर रहा है तथा नदी पुलिस की व्यवस्था भी की गयी है जिसके अन्तर्गत तैनात पुलिस द्वारा अधजली अथवा बिना जली लाशें नदी में प्रवाहित करने मे रोकी जाती हैं ।

गंदे पानी का सीधे नदी में प्रवाह रोकने से संबंधित विभिन्न योजनायें हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, तथा वाराणसी नगरों में चल रही हैं जिनमें उक्त नगरों के गंदे पानी को सीधे गंगा में जाने से रोकने के 431 मिलियन लीटर प्रतिदिन के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 1991 तक 295 मिलियन लीटर प्रतिदिन दूषित उत्प्रवाह को रोकने/दिशा परिवर्तन/शुद्धिकरण के उपरान्त प्रवाह की कार्यवाही की जा चुकी है ।

जी नहीं, व्यय के अनुसार ही कार्य हुए हैं ।

उक्त स्थिति में आवश्यकता नहीं है ।

जनपद बहराइच जिला चिकित्सालय में स्वर्गीय श्रीमती अमरावती मिश्र के आश्रित को सेवा में लिये जाने की मांग

25–श्री बच्चा पाठक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, बहराइच का पत्र संख्या–नियुक्ति/91-92/1408, दिनांक 30-9-91 महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बहराइच से प्रश्नगत पत्र दिनांक 30-9-91 प्राप्त किया गया है ।

मृतक आश्रित नियमावली के अधीन श्री सुनील कुमार मिश्र ने अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती अमरावती मिश्र, सिस्टर के सेवाकाल में हुई मृत्यु के आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु जो प्रार्थना-पत्र दिया था उस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बहराइच ने कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त न होने के कारण महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण से स्पष्ट निर्देश मांगे थे । महानिदेशक द्वारा जनपद में रिक्त पदों पर योग्यतानुसार सेवायोजन के लिये विचार करने हेतु दिनांक 18-1-92 को मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच को आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

26–श्री ऊदल–

[2सरे मंगल में अता० प्र० सं० 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

साधन सहकारी समिति लिमि० कोडरा, विकास खण्ड भाटपाररानी, जनपद देवरिया के सचिव के विरुद्ध जांच

27–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत साधन सहकारी समिति लि० कोडरा, विकास खण्ड भाटपाररानी के सचिव के संबंध में जांच, पत्रांक–6898/6-सह०/दिनांक 18-12-90 द्वारा करायी गयी ? क्या जांच आख्या दिनांक 1-1-91 को जिला सहायक निबन्धक को सौंप दी है ? यदि हां, तो वह जांच आख्या क्या है ? शासन द्वारा अभी तक उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांचोपरान्त कार्यवाही न करने वाले अधिकारी पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

जी हां ।

जांच आख्या में अवैधानिक ढंग से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वेतन देने तथा स्टेशनरी क्रय करने में की गयी अनियमितायें प्रकाश में आयी हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर जिला सहायक निबन्धक द्वारा दिनांक 3-1-91 को सम्बन्धित दोषी सचिव को आरोप पत्र दिया गया और दिनांक 31-3-91 तक उत्तर प्राप्त न होने पर मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया तथा विस्तृत जांच हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई । जांच अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 30-11-91 को प्राप्त होने पर दिनांक 2-12-91 को सचिव को निलम्बित कर दिया गया तथा उसके एवं संचालक मण्डल के पदाधिकारी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर महापालिका, आगरा की सीमा बढ़ाये जाने के उपरान्त इसके अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की स्थिति आदि का विवरण

28–श्री विजय सिंह राणा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1982 में नगरमहापालिका, आगरा के गजट के आधार पर नगर महापालिका की सीमा बढ़ायी गयी थी ? क्या इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 25 विद्यालय नगर महापालिका की सीमा के भीतर आ गये ? क्या सन् 1982 से पूर्व सीमा बढ़ाने पर सीमा के भीतर आने वाले विद्यालयों को नगर महापालिका ने मय अध्यापकों के अधिग्रहीत किया था परन्तु इस बार ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे इन 25 विद्यालयों का भाग्य अधर में लटका हुआ है ? यदि ऐसा है, तो कब तक इसका निराकरण हो जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

वर्ष 1982 में अधिग्रंहण नहीं किया गया। वर्ष 1982 के पूर्व की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है । आगरा नगर क्षेत्र की बढ़ी हुई सीमा में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे विद्यालयों को उनमें कार्यरत अध्यापकों सहित ग्रामीण क्षेत्र में ही ऐसे स्थानों पर स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है, जहां शैक्षिक सर्वेक्षण के आधार पर विद्यालयों की आवश्यकता है । नगर क्षेत्र के ऐसे विद्यालयों को जो नगर क्षेत्र के एक भवन में किसी अन्य विद्यालय के साथ अथवा पाली में चल रहे हों संचालित विद्यालय में स्थानान्तरित करने एवं उनके फालतू अध्यापकों को भी उन्हीं विद्यालयों में समायोजित करने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा द्वारा स्वीपरों/चौकीदारों की अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में शिकायत पर कार्यवाही की मांग

29–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में दिनांक 4-10-91 को मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा द्वारा 24 स्वीपरों/चौकीदारों की भर्ती में अपर जिलाधिकारी (वित्त) बांदा के सामने लाटरी पद्धति चुनाव में रंगे हाथों पकड़े गये थे जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बांदा ने पत्रांक संख्या–797/आशु/वित्त, दिनांक 26-10-91 को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ को आख्या भेजी थी उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सी० एम० ओ०, बांदा को निलम्बित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि करेंगे, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा डा० एस० पी० गुलाटी का स्थानान्तरण बांदा से जनपद पौड़ी गढ़वाल के लिये किया जा चुका है तथा मामले की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झांसी मण्डल, झांसी से करायी जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

चेयरमैन, टाउन एरिया, सिसवा बाजार (गोरखपुर) के विरुद्ध जांच

30–श्री शिवेन्द्र सिंह–

ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 क दूसर शुक्रवार क लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उक्त प्रकरण की मुख्य शिकायतें क्या थीं ? उसकी जांच किस अधिकारी ने की ? क्या शिकायतकर्ता से उस संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों को ? क्या जांच में विलम्ब के लिये कोई दोषी है ? क्या जांच पूरी कराने की सरकार कोई तिथि निर्धारित करेगी ? अब तक हुई जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

टाउन एरिया सिसवा बाजार के चेयरमैन के विरुद्ध वित्तीय, प्रशासनिक, गुणवत्ता में अनियमितता के संबंध में मुख्य शिकायतें थीं ।

प्रकरण की जांच अपर परगनाधिकारी, सदर, महराजगंज द्वारा की गयी ।

जी हां ।

दिनांक 30-11-91 को ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रारम्भिक जांच के दौरान वित्तीय, प्रशासनिक तथा गुणवत्ता की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

राजकीय एलोपैथिक अस्पताल, बरही नेवादा, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी का नामकरण करने की कार्यवाही

31-श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय एलोपैथिक अस्पताल, बरही नेवादा, ब्लाक बड़ा गांव जिला वाराणसी के निर्माण के लिये 2 बीघा जमीन तथा एक लाख रु० वारिस अली, सगीर अली, बशीर पुत्र स्व० रज्जब अली निवासी बरही नेवादा द्वारा सी० एम० ओ० वाराणसी को सन् 85 के पूर्व इस आशय से दिया गया था कि उनके स्व० पिता के नाम से रज्जब अली मेमोरियल अस्पताल उस चिकित्सालय का नाम रक्खा जायेगा ? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य विभाग, वाराणसी ने इस बारे में एग्रीमेंट भी किया है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल का नाम रज्जब अली मेमोरियल एलोपैथिक अस्पताल, बरही नेबादा, वाराणसी अब तक न रखने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र स्वास्थ्य मंत्री को दिनांक 28-6-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में अस्पताल में लेट्रिन, बाथरूम तथा कमरों को पूरा करने की जांच कराने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो अस्पताल में उक्त निर्माण कार्य कराने और उसका नामकरण करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है । नामकरण का मामला विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रतनपुरा, मुख्यालय जनपद मऊ को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने की मांग

32--श्री घुरहू--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि नव सृजित जनपद मऊ अन्तर्गत विकास खण्ड रतनपुरा मुख्यालय पर उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन बनकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो क्या उसका औपचारिक उद्घाटन न होने के कारण वहां पर चिकित्सादि का कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त चिकित्सालय को नये भवन में कब तक स्थापित करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

पानी एवं बिजली का कनेक्शन लगने तथा भवन में कतिपय खराबियों के कारण भवन अभी हस्तगत नहीं हुआ है ।

टाउन एरियाओं में कार्यरत सचिवों की सेवा शर्तें

33--श्री राम आसरे वर्मा --

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरियाओं में कार्यरत सचिवों की सेवा शर्तें क्या हैं तथा उनको पदोन्नति के अवसर उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार--

सचिवों की सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया कमेटी (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1976 द्वारा अधिनियमित हैं ।

पदोन्नति के अवसर नियमानुसार उपलब्ध हैं ।

उत्तर प्रदेश के बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के सम्मिलित कतिपय संवर्गों के वेतनमानों में पुनरीक्षण का मामला

34--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य योजना शासनादेश सं०--प० का०/18669/16-11-81-496/77, दिनांक 23-7-81 के अन्तर्गत कार्यान्वित की गयी है ? यदि हां, तो शासनादेश सं०--752/पांच--12-91/1रिट(11)88, दिनांक 26 अप्रैल, 1991 के अन्तर्गत निम्न वेतनमान के स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग को उच्च वेतनमान स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग के वेतनमान 230--385 जिसका पुनरीक्षित वेतनमान रु० 400--615 दिनांक 1-7-79 देते हुए समायोजित किया गया है ? यदि हां, तो क्या निम्न वेतनमान स्वास्थ्य पर्यवेक्षक संवर्ग को उच्च वेतनमान स्वास्थ्य पर्यवेक्षक संवर्ग के वेतनमान 300--500 जिसका पुनरीक्षित वेतनमान रु० 515--860 दिनांक 1-7-79 प्रदान करते हुए समायोजित करेंगे ? क्या पर्यवेक्षक संवर्ग में शासनादेश सं०--4050/5-7-1079/82, दिनांक 2-8-82 के पैरामेडिकल असिस्टेंट को माना है ? यदि हां, तो शासनादेश सं०--2458/पांच-10-91-11(18)83, दिनांक 3-7-1991 पैरामेडिकल असिस्टेन्ट को 250--425 जिसका पुनरीक्षित वेतनमान 430--685 के स्थान पर 515--860 दिनांक 1-7-79 से दिया गया है ? यदि हां, तो क्या अन्य पर्यवेक्षकों को योजना में देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत कार्यकर्ता में सम्मिलित कतिपय संवर्गों के वेतनमान्में के पुनरीक्षण का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मोहल्ला मोहम्मदगंज बावली, सआदतगंज, लखनऊ में दूसरा हैण्ड पम्प लगाये जाने, नालि ं की सफाई तथा जल निकासी की मांग

35–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला मोहम्मदगंज, बावली (निकट पदम दाल मिल, चौराहा पीपल के पास), सआदतगंज, लखनऊ में जल संस्थान द्वारा लगाये गये इण्डिया मार्क-२ हैण्ड पम्प से पर्याप्त जलापूर्ति न होने के फलस्वरूप एक अतिरिक्त हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री बसन्त लाल गुप्ता, विधायक का पत्र दिनांक 27-4-90 मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) उ० प्र० जल निगम, 16-ए, अशोक मार्ग, (पटियाला हाउस) लखनऊ को प्राप्त हुआ था ?' यदि हां, तो उक्त विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है ? प्रश्नगत कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

36–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला मोहम्मदगंज बावली (निकट पदमा दाल मिल), सआदतगंज, लखनऊ के निवासियों के प्रार्थना-पत्र श्री बसन्त लाल गुप्ता, विधायक के पत्र दिनांक 23-3-90 व 10-9-91 सहित क्रमशः नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी (जोन-2), नगर महापालिका, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो मोहल्लावासियों के द्वारा प्रार्थना-पत्र के माध्यम से क्या मांग की गयी है और उनके निराकरण के संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस बारे में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

उक्त प्रार्थना–पत्र में मोहल्ला निवासियों द्वारा मोहम्मदगंज बावली (निकट दाल मिल) के पास जल निकासी की व्यवस्था न होने तथा सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई न किये जाने का उल्लेख करते हुए समस्या के निराकरण की मांग की गयी है । इस सम्बन्ध में महापालिका के अभियन्त्रण विभाग द्वारा मिट्टी से बन्द पड़ी नालियों की मिट्टी हटवा दी गयी है तथा नाली को खुलवा दिया गया है और जल निकासी की व्यवस्था करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार में ऋण राहत योजना के अन्तर्गत किसानों द्वारा लिये गये ऋणों को माफ करने की मांग

37–श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय–

क्या सहकारिता मंत्री को मालूम है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार में दिनांक 10-7-91 को ऋण राहत समिति की ओर से श्री जगमोहन भारद्वाज एडवोकेट के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस देवी मन्दिर से आया था जिसमें परगनाधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल को ऋण राहत के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के दस हजार रुपये तक के दिनांक 2-10-89 के पूर्व में लिये गये ऋणों को माफ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बलियान–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट से सम्बद्ध प्राइमरी पाठशालाओं को वेतन वितरण अधिनियम में लेने की मांग

38–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल व इण्टमीडिएट से संलग्न प्राइमरी पाठशाला जो 1970 से पूर्व से मान्यता प्राप्त हैं उनमें से शासन की सूची में कितने टूट गये हैं तथा कितने संचालित हैं ? क्या इनमें से कुछ विद्यालय शासन की सूची से छूट गये ? यदि हां, तो उनका नाम क्या है ? क्या छूटे हुए विद्यालयों को सरकार तत्काल वेतन वितरण अधिनियम में लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

325 बालक विद्यालय अनुदानित हैं

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महाराजगंज में स्थित टाउन एरिया सिसवा बाजार को नगरपालिका बनाने का प्रस्ताव

39–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज में टाउन एरिया सिसवा बाजार को नगर पालिका बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उसे नगरपालिका बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो पूर्व की सरकारों द्वारा स्वीकृति के बाद भी इसको नगरपालिका न घोषित किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

विधिक परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खाईपार शहर बांदा में भैंसे के गोश्त को नियमानुसार बेचे जाने की व्यवस्था

40–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री को यह ज्ञात है कि मोहल्ला खाईपार शहर बांदा की मुख्य सड़क के किनारे खुली जगह में भैंसे का खाने वाला गोश्त बेचा जाता है ? यदि हां, तो नियमानुसार कब तक इस संबंध में समुचित व्यवस्था करा दी जायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

अन्य उपयुक्त स्थान के अभाव में कोई अन्य व्यवस्था कराना सम्भव नहीं है ।

जनपद आगरा की प्राइमरी पाठशाला विहीन ग्राम सभाओं का विवरण एवं नये प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

41–श्री विजय सिंह राणा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कितनी ग्राम सभा ऐसी हैं, जहां अभी प्राइमरी विद्यालय स्थापित नहीं हो सके हैं ? इन ग्राम सभाओं में कब तक प्राइमरी विद्यालय स्थापित कर दिए जायेंगे और अब तक यहां विद्यालय स्थापित न होने के कारण क्या हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

12 ग्राम सभाएं ।

जनपद आगरा की जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध होने तथा जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित मानकानुसार प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जायेंगे ।

जिला योजना में परिव्यय की अनुपलब्धता ।

ऋण राहत योजना के अन्तर्गत ऋण माफी हेतु पात्रता का निर्धारण

42–श्री तीरथ राज–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश संख्या–2214/12सी-1-1990-1 (5)/89, दिनांक 30 मई, 1990 के अन्तर्गत सहकारिता अनुभाग–1 द्वारा (ऋण राहत योजना 1990) प्रथम प्रस्तर के खण्ड (5) ख के अनुसार ऐसे काश्तकारों के भी ऋण माफ किये जाने का प्राविधान है जिनके ग्राम में दैवी आपदा के कारण 50 प्रतिशत फसल की क्षति दो वर्षों में हुई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ऐसे काश्तकारों को भी ऋण माफी की सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे जिनके ग्राम में 50 प्रतिशत फसल की क्षति एक वर्ष में ही हुई है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि किसी कृषक की भूमि एक से अधिक ग्रामों में स्थित हो और किसी एक ग्राम में दैवी आपदा के कारण 50 प्रतिशत फसल की क्षति दो वर्षों में हुई हो, तो क्या ऐसा कृषक ऋण राहत प्राप्त करने का पात्र है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऋण राहत योजना की अन्य शर्तें पूर्ण होती हों, तथा बकाया ऋण दैवी आपदा से प्रभावित जोत से संबंधित हो और जोत उसी समिति के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती हो जिससे उसने ऋण लिया है ।

जनपद बांदा के ग्राम सिंकहुला में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की कार्यवाही

43–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मैदानी क्षेत्रों में 300 की आबादी पर प्राथमिक पाठशाला खोली जाती है ? यदि हां, तो क्या जनपद बांदा में ग्राम सिंकहुला के मजरा क्योटरा में प्राथमिक पाठशाला क्योटरा खोली जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

मानकानुसार प्राथमिक विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जायेगी ।

जिला योजना के अन्तर्गत परिव्यय की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत होने तथा जिला बेसिक शिक्षा सीमति के अनुमोदनोपरान्त विद्यालय खोले जाने की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महमूदपुर के भवन का निर्माण कार्य

44–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के अन्तर्गत प्रा० स्वा० केन्द्र, महमूदपुर के भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर, 92 तक पूर्ण कराने की सम्भावना है ।

निर्माण कार्य जनवरी, 1992 में प्रारम्भ करा दिया गया है ।

श्री अब्दुल मलिक चयडा, सुपरवाइजर एवं श्रीमती आशा पाण्डेय, ए० एन० एम० का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मियांव, फैजाबाद के बाहर स्थानान्तरण की मांग

45–श्री राम लखन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्दुल मलिक चयडा सुपरवाजर प्रा० स्वा० केन्द्र मियांव फैजाबाद एवं श्रीमती आशा पाण्डेय ए० एन० एम० अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि श्री मलिक लगभग 20 वर्षों से उक्त स्थान जनपद में कार्यरत हैं और प्रश्नकर्ता द्वारा अनुरोध पर तत्कालीन स्व० मंत्री जी द्वारा दिनांक 5-7-91 को उन्हें तत्काल हटाने का आश्वासन दिये जाने के बाद भी वहीं कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री मलिक को स्थानान्तरित करने के आदेश दे दिये गये हैं । श्रीमती आशा पाण्डेय के विरुद्ध स्थानान्तरण संबंधी कोई शिकायत नहीं है ।

जी नहीं ।

श्री मलिक को अन्यत्र स्थानान्तरण करने के आदेश दे दिये गये हैं ?

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मियांव के प्राइमरी पाठशाला दुल्हूपुर एवं पर्वतपुर द्वारा वर्ष 1984-85 में छाया पुरस्कार के अन्तर्गत पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये प्राप्त किये जाने एवं व्यय न करने की शिकायत

46–श्री राम लखन वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद विकास खण्ड मियांव में प्रा० पा० दुल्हूपुर तथा प्रा० पा० पर्वतपुर को छाया पुरस्कार के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में मिले 25,000 हजार रुपये की धनराशि प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्राप्त किये जाने तथा उसे व्यय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

शिक्षा विभाग में इस संबंध में कोई सूचना नहीं है ।

जनपद फैजाबाद की कतिपय तहसीलों में ऋण माफी योजना के अन्तर्गत दस हजार के कर्ज की माफी हेतु पात्रता सूची बनाने में धांधली की शिकायत

47–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की 10 हजार रुपये तक के ऋण माफ किये जाने विषयक आदेश के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील, बीकापुर तहसील, सदर तहसील, टाण्डा तहसील के अन्तर्गत विभिन्न सहकारी साधन समितियों के सचिवों द्वारा, पात्र किसानों की सूची बनाये जाने में और ऋण माफी कराने में, बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गयी हैं ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी परगनाधिकारियों या अन्य मजिस्ट्रेट के नियंत्रण वाले जांच दल से इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गवर्नमेंट हाउसिंग पूल की स्कीम के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय परिसर फैजाबाद में भवन आवंटन में धांधली

48–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में ''गवर्नमेंट हाउसिंग पूल'' स्कीम के अन्तर्गत, राजकीय महिला चिकित्सालय परिसर में बने आवासी कक्ष संख्या डी–2 को श्रीमती बी० जेम्स

की सेवानिवृत्ति के कारण राजकीय महिला चिकित्सालय के पी० पी० सेन्टर पर कार्यरत, श्रीमती विद्या शर्मा को, मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद द्वारा दिनांक 29-1-91 को आवंटित किया गया है ? क्या इस संबंध में श्रीमती बी० जेम्स को, भवन का कब्जा श्रीमती विद्या शर्मा को देने के आदेश भी किये गये हैं ? यदि हां, तो श्रीमती बी० जेम्स द्वारा राजकीय आवास अब तक खाली न किये जाने के संबंध में, विभागीय अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? अब तक कितना किराया उनसे किस-किस दर से वसूल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

श्रीमती बी० जेम्स को उनके दिनांक 31-1-1991 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उक्त आवासीय भवन खाली करने हेतु दिनांक 28-8-91, 7-9-91 तथा 19-9-91 को लिखित निर्देश दिये गये । उक्त आवास खाली न करने की दशा में प्रत्येक माह के मानक किराये के अनुसार माह फरवरी, 92 तक के बकाया कुल किराया रुपये 2700 की वसूली के आदेश कोषाधिकारी, फैजाबाद दिनांक 3-2-92 को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक आयुर्वेद द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच हेतु विधायक श्री जाहिद हुसैन के पत्र पर कार्यवाही

49–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, आयुर्वेद द्वारा तमाम अनियमिततायें बरतने और अनियमित नियुक्तियां किये जाने विषयक विधायक श्री जाहिद हुसैन का शिकायती पत्र माह नवम्बर, 1991 का उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र की जांच किसने की ? जांच के प्रमुख बिन्दु क्या थे एवं जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? क्या सरकार ने शिकायतों के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निवारण संगठन से भी कोई पत्र व्यवहार किया है ?

श्री कल्याण सिंह–

सन्दर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया है तलाश जारी है ।

जनपद देवरिया की सलेमपुर तहसील में प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण की मांग

50–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में 1990-91 तथा 91-92 में कुल कितने नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? इन नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में कया विलम्ब है ? किन-किन स्थानों पर भवन निर्माण प्रारम्भ हो गया है और किन-किन स्थानों पर भवन निर्माण नहीं हो पाया है ? उसका कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में वर्ष 1990-91 में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 1991-92 में 5 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत होता है। अतः इस हेतु जिला योजना में पर्याप्त धन एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्थान का अनुमोदन उपलब्ध कराये जाने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति दी जाती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति न होने के कारण किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

बांसी नगरपालिका जनपद सिद्धार्थनगर के जिला परिषद् अस्पताल में कतिपय कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किये जाने की मांग

51–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में बांसी नगरपालिका के अन्तर्गत जिला परिषद् अस्पताल के पांच कर्मचारियों को एक वर्ष का वेतन न मिलने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ने उन कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजित किया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद सिद्धार्थनगर के जिला परिषदीय एलोपैथिक चिकित्सालय बांसी का प्रान्तीयकरण शासनादेश दिनांक 13-11-90 द्वारा किया गया है। उसमें कार्यरत तीन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान 1-4-91 से किया जा रहा है। शेष दो कर्मचारियों के वेतन का भुगतान इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वे कर्मचारी प्रान्तीयकरण के पूर्व निर्धारित मानक से अधिक संख्या में कार्यरत थे, इसलिए इनका स्वास्थ्य विभाग में समायोजन नहीं किया गया।

तीन कर्मचारियों की सेवायें उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार 8-1-91 से स्वास्थ्य विभाग में समायोजित कर ली गयी हैं। शेष दो कर्मचारियों का समायोजन न किये जाने का कारण उपरोक्तानुसार है।

जनपद बांदा, सहकारी समितियों में कार्यरत सुपरवाइजरों/पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण आदि का पूर्ण विवरण

52–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत सहकारिता विभाग में सहकारी समितियों में कार्यरत पर्यवेक्षक/सुपरवाइजर निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि से वहां तैनात हैं ? यदि हां, तो कितने और कब से ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निर्धारित जनपदीय सेवा अवधि क्या है ? क्या इस वर्ष निर्धारित समय सीमा से अधिक से कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो किसका और कब ? क्या कुछ स्थानान्तरण रोके भी गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस के कब तथा किस स्तर से ? क्या निर्धारित जनपदीय सेवा अवधि से अधिक समय से कार्यरत पर्यवेक्षक/सुपरवाइजरों का स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

चार निम्न कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया :–

1–श्री रमेश चन्द्र दीक्षित (16-4-86 से)

2–श्री श्यामाचरण (27-12-85 से)

3–श्री ओमकार सिंह (25-10-86 से)

4–श्री आशा राम रिछारिया (24-3-86)

छः वर्ष ।

जी हां ।

1–सर्वश्री ज्ञान सिंह

2–सोबरन लाल

3–राम प्रसाद 30-7-91 (पिछले सत्र में)

जी हां ।

1–श्री सोबरन लाल (4-12-91) सक्षम अधिकारी के स्तर से (उप निबन्धक)

जी हां ।

अगले सत्र में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत/यांत्रिक शाखा जल निगम सीतापुर में फर्जी बिलों के भुगतान का मामला

53–श्री ओम प्रकाश तथा श्री उमाकान्त यादव–

क्या नगर विकार मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के वि/यां शाखा, सीतापुर में पिछले तीन साल से जितने भी भुगतान संबंधी (रिग मशीन की मरम्मत या डीजल का) बिल प्रस्तुत एवं भुगतान किये गये हैं उसमें सत्तर प्रतिशत या तो फर्जी हैं या डुप्लीकेट हैं ? क्या एक ही कार्य के कई भुगतान बिल फर्जी हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार अवर/सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता को तत्काल निलम्बित करके मामले की तकनीकी जांच कराने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं । कोई बिल फर्जी या डुप्लीकेट नहीं हैं ।

जी नहीं ।

किसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

54–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[दिनांक 14-2-92 को अता० प्रा० सं० 86 द्वारा उत्तरित]

मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत चेयरमैन नगरपालिका बलरामपुर गोण्डा को चार्ज दिये जाने की कार्यवाही

55–श्री रमा कान्त यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री कासिम अली, चेयरमैन, नगरपालिका, बलरामपुर, जनपद गोण्डा को उक्त पद पर चेयरमैन के रूप में कार्य करते रहने के लिए दिनांक 16-8-1991 को उच्च न्यायालय, इलहाबाद के खण्डपीठ लखनऊ ने कोई आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो उक्त उच्च न्यायालय के आदेश होने के बाद भी अधिसूचना संख्या 5878/11-6-91/7-90. दिनांक 20 नवम्बर, 1991 नगर विकास अनुभाग–6 उ० प्र० सरकार के सचिव द्वारा श्री कासिम अली को पदच्युत करने का आदेश क्यों जारी किया गया है ? क्या सरकार न्यायालय के निर्देशों के अनुसार श्री कासिम अली चयरमैन को बने रहने देने व उक्त अधिसूचना को निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रेमलता कटियार–

श्री कासिम अली, अध्यक्ष, नगरपालिका, बलरामपुर गोण्डा ने अपने निलम्बन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19-8-91 द्वारा निलम्बन के आदेश को स्थगित कर दिया था जिसके फलस्वरूप उन्हें अध्यक्ष पद पर दिनांक 23-8-91 को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया । प्रश्नगत आदेश द्वारा श्री कासिम अली को पदच्युत नहीं किया गया है बल्कि नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 30 के अन्तर्गत नगरपालिका बोर्ड, बलरामपुर गोण्डा को विघटित कर दिया गया है तथा बोर्ड व अध्यक्ष के समस्त अधिकार जिला मजिस्ट्रेट में निहित कर दिये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने प्रश्नगत अधिसूचना को स्थगित/निरस्त करने के आदेश नहीं दिये हैं । अतः इसे निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराये जाने की मांग

56–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में प्राइमरी एवं केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित मण्डलों के कार्यकाल चालू वर्ष में समाप्त हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसी सहकारी संस्थाओं के प्रजातांत्रिक स्वरूप को कायम रखने हेतु वहां चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नये चुनाव के होने तक वर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में कार्य करने की नीति लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो सरकारी सेवकों को प्रशासक बनाने का क्या औचित्य है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

प्रदेश की प्रारम्भिक एवं केन्द्रीय सहकारी समितियों के संचालक मण्डलों के कार्यकाल पूर्व ही समाप्त हो चुके हैं ।

जी हां ।

निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० लखनऊ द्वारा प्रारम्भिक समितियों के निर्वाचन के पूर्व प्राविधित प्रारम्भिक तैयारियां पूर्ण करने हेतु दिनांक 18-6-90 तथा दिनांक 2-8-91 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

सहकारी समितियों में शासन की अंशपूंजी, ऋण-अग्रिम तथा ऋणों एवं अग्रिमों पर शासकीय प्रतिभूति लगे होने के कारण जनहित एवं शासकीय धन की सुरक्षा हेतु सहकारी अधिनियम एवं नियमों के अधीन तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को प्रशासक नियुक्त किया गया है ।

जनपद बांदा मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा स्वीपर के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने का विवरण

57–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी, डा० एस० पी० गुलाटी और आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने अपने-अपने विभाग में स्वीपर के रिक्त पदों में पिछड़ी जाति के लोगों की भर्ती की है ? यदि हां, तो किस नियमावली के तहत ? क्या इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायी जावेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

मुख्य चिकित्साधिकारी डा० एस० पी० गुलाटी द्वारा बांदा जिले में अपने विभाग में स्वीपरों के रिक्त पदों में पिछड़ी जाति के लोगों की भर्ती नहीं की गयी है ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा अपने विभाग में स्वीपरों के रिक्त पदों में पिछड़ी जाति के लोगों की भर्ती किये जाने के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा नगर की घनी आबादी के बीच से शव विच्छेदन गृह के स्थानान्तरण की मांग

58–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि बांदा नगर की घनी आबादी के बीच शव विच्छेदन गृह कार्यरत है ? क्या जन स्वास्थ्य को दृष्टि में लेते हुए शव विच्छेदन गृह वर्तमान स्थान से अन्यत्र आबादी से दूर निकट भविष्य में हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हटाया जायेगा, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

स्वास्थ्य की दृष्टि से आपत्तिजनक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय बांदा में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता की शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

59—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला चिकित्सालय, बांदा में व्याप्त अनियमितताओं संबंधी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री को 6-9-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह—

जिला चिकित्सालय, बांदा में व्याप्त अनियमितताओं संबंधी प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 6-9-91 की जांच जिला अधिकारी, बांदा से करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि खरीदने के मद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा को दिये गये धन से भूमि क्रय करने की कार्यवाही

60—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय, बेसिक, उ० प्र० के पत्रांक अ० शा० पत्रांक सा० नि० वि० (बे०)/2712-27/18/दस-ए(240 91-92, दिनांक 15-7-91 के अनुसार बांदा नगर क्षेत्र में भवन क्रय करने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? भूमि स्वामियों को भुगतान करने के बाद कब तक भूमि क्रय की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

शिक्षा निदेशालय (बेसिक) उत्तर प्रदेश के अर्द्ध-शासकीय पत्रांक सा० नि० वि०/2712/दस-ए (24)/91-92, दिनांक 15-7-91 द्वारा वांछित सूचना प्राप्त होने पर एक विद्यालय हेतु रु० 4,89,010 बैंक ड्राफ्ट दिनांक 9-10-91 जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, बांदा को प्राप्त कराया जा चुका है।

भूमि क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है जो शीघ्र पूरी हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

भूरागढ़ निरीक्षण गृह सोलहवीं शाखा जल निगम में 1987-88 से आज तक वृक्षारोपण में व्यय की धनराशि का विवरण

61 —श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या नगर विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जल निगम सोलहवीं शाखा, बांदा द्वारा भूरागढ़ निरीक्षण भवन बांदा में कितना वृक्षारोपण वर्ष 1987-88 से अब तक किया गया है ? उसमें कितनी धनराशि व्यय की गई है ? रोपे गये वृक्षों में डालने के लिये कितनी धनाराशि की खाद कहां से क्रय की गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार—

वर्ष 1987-88 से अब तक 2000 (दो हजार) पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है।

रुपये 1300.00 मात्र की धनराशि व्यय की गई है।

विवरण निम्नवत् है :—

क्रमांक	वर्ष	स्थान	धनराशि रु० पै०
1	1987	स्थानीय	4575.60
2	1988	स्थानीय	4519.80
3	1989	स्थानीय	6200.00
4	1990	स्थानीय	8164.80

श्री केदार नाथ जूनियर हाई स्कूल, सोनगांव तहसील, अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की मान्यता निरस्त किये जाने की मांग

62--श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केदारनाथ जूनियर हाई स्कूल, सोनगांव, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद को अस्थाई मान्यता प्राप्त है ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय श्री रसूद अहमद पुत्र बुद्धू व श्री हरिहर सिंह पुत्र राम नरायन सिंह की भूमि पर बना है जिस पर विद्यालय को स्वाामित्व नहीं प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या विद्यालय को मान्यता अनियमित रूप से दी गई है ? यदि हां, तो क्या मान्यता निरस्त करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

विद्यालय द्वारा मान्यता दिये जाने हेतु जो अभिलेख प्रस्तुत किया गया था उसमें भूमि विद्यालय के नाम अंकित थी और उसके स्वामित्व में थी । बाद में ज्ञात हुआ है कि इस भूमि का अन्य दावेदार भी है किन्तु इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के सोलहवीं शाखा जल निगम के अधिशासी अभियन्ता के भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

63-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जल निगम-सोलहवीं शाखा, बांदा के अधिशासी अभियन्ता, श्री एम० सी० गोस्वामी के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जांच कभी की गई है ? यदि हां, तो क्या जांच अभी लम्बित है ? यदि नहीं, तो क्या जांच पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

इनके विरुद्ध 5 आरोप लगाये गये हैं । इनमें से केवल एक आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप चेतावनी दी गयी है ।

बांदा पुनर्गठन पेयजल योजना के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का विवरण

64-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा पुनर्गठन पेय जल योजना के अंतर्गत दो करोड़ रुपये देने की घोषणा तत्कालीन मुख्य मंत्री ने की थी ? यदि हां, तो क्या जल निगम, सोलहवीं शाखा, बांदा को केवल 38 लाख ही दिये गये हैं ? यदि हां, तो यह धनराशि किस तिथि को दी गई है ? दी गई धनराशि में से कितना रुपया व्यय, किस-किस मद में किया जा चुका है ? उक्त दी गई 38 लाख रूपयों की धनराशि में कितने लोग या जन संख्या लाभान्वित हुई हैं ? क्या अभी भी उक्त कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या इसे पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं, रुपये 48 लाख (अड़तालीस लाख) दिये गये हैं ।

उक्त धनराशि माह अप्रैल 1990 में दी गयी है ।

व्यय का मदवार विवरण संलग्न है ।

योजना का कार्य प्रगति पर है कार्य पूर्ण होने पर जनसंख्या लाभान्वित होगी ।

जी हां ।

योजना को वर्ष 1994-95 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

जी हां ।

मार्च 1995 तक पूर्ण होने की आशा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 185 पर)

65–श्री देवेन्द्र पाल सिंह तथा श्री गोविंद कुमार सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

बांदा शहर के क्योटरा मोहल्ले से शव विच्छेदन गृह को हटाने की मांग

66–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बांदा में क्योटरा मोहल्ले में जो शव विच्छेदन गृह है, घनी आबादी के बीच में है ? यदि हां, तो क्या यह यहां उचित है ? यदि नहीं, तो क्या इसे हटा कर आबादी के बाहर ले जाया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य की दृष्टि से आपत्तिजनक नहीं है ।

जल निगम सोलहवीं शाखा, बांदा द्वारा वर्ष 1987-88 से अब तक टंकी सफाई में व्यय किये गये धनराशि का विवरण

67–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जल निगम, सोलहवीं शाखा, बांदा द्वारा विभिन्न टंकियों की सफाई की गई है ? यदि हां, तो सफाई कार्य हेतु वर्ष 1987-88 से अब तक कितनी-कितनी धनराशि किस-किस क्षेत्र की टंकियों में (अलग-अलग) व्यय की गई है ? क्या टंकियों

की सफाई से संबंधित कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा की जा रही है ? यदि जांच पूरी हो गई है, तो जांच आख्या क्या है ? क्या जिन टंकियों की मरम्मत या सफाई की जा चुकी है वे सफलता पूर्वक कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो वे कौन-कौन सी टंकियां हैं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, खण्डेह पेयजल योजना की टंकी की सफाई से संबंधित शिकायत की जांच करायी गयी है ।

गुणना नियंत्रण इकाई द्वारा जांच वर्ष 1991 में की गयी ।

शिकायत निराधार पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खण्डेह पेय जल योजना जल निगम सोलहवीं शाखा बांदा द्वारा पानी पहुंचाने से लाभान्वित गांवों की संख्या और व्यय धनराशि का विवरण

68–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि खण्डेह पेय जल योजना, बांदा वर्ष 1987-88 से जल निगम, सोलहवीं शाखा, बांदा द्वारा प्रारम्भ की गई थी ? यदि हां, तो क्या जितने गांव इस योजना से लाभान्वित होने थे, उनमें पानी पहुंच रहा है ? क्या यह भी बतायेंगे कि इस योजना में कितना धन अब तक व्यय हो चुका है ? क्या यह योजना पूरी होने के बाद जल संस्थान को हस्तान्तरित की गई ? खण्डेह व अन्य योजनाओं के अंतर्गत जल निगम, सोलहवीं शाखा, बांदा द्वारा 1987-88 से अब तक पाइप लाइन लीकेज/ मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ? व्यय धनराशि से मरम्मत के बाद किन-किन स्थानों पर अभी तक लीकेज है ? जहां पर पुनः लीकेज हो गये हैं वहां पर मरम्मत कब की गई थी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रश्नगत योजना के निर्माण कार्य वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ किये गये थे एवं योजना वर्ष 1985-86 में पूर्ण हुई । वर्ष 1987-88 से योजना का रखरखाव प्रश्नगत शाखा द्वारा किया जा रहा है ।

इस योजना के अंतर्गत बांदा के 14 ग्राम एवं जनपद हमीरपुर के 9 ग्राम लाभान्वित किये जाने थे । जनपद बांदा के 11 ग्राम एवं जनपद हमीरपुर के 6 ग्रामों में पानी पहुंच रहा है । शेष जिन 6 ग्रामों में समुचित विद्युत की अनुपलब्धता तथा पाइप लाइन में तोड़-फोड़ के कारण पानी नहीं पहुंच रहा है उनमें 18 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है ।

इस योजना के निर्माण कार्यों में अब तक रु० 189.18 लाख व्यय हुए हैं ।

जी नहीं ।

षोडश शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, बांदा द्वारा अनुरक्षित की जा रही योजनाओं के पाइप लाइन लीकेज/मरम्मत पर दिसम्बर, 1991 तक रुपये 33.04 लाख की धनराशि व्यय की गई है ।

वर्तमान में किसी स्थान पर लीकेज नहीं है ।

पुनः लीकेज नहीं हुए । अतः मरम्मत का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में अनौपचारिक शिक्षा कार्यों में व्यापक धांधली के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

69–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र फर्जी रूप से कागज पर चलाये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-9-91 बेसिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र का विवरण क्या है ? क्या पर्यवेक्षक सरकार से रु० 500 प्रति माह लेकर सरकारी धन तथा योजना का दुरुपयोग कर रहे है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

शिकायती पत्र में मुख्यतः निम्नलिखित शिकायतें की गयी हैं :–

(1) बांदा जनपद में अनौपचारिक शिक्षा केवल कागज में चल रही है ।

(2) किसी भी गांव में अनुदेशक केन्द्र पर नहीं रहते ।

(3) पर्यवेक्षक जांच कार्य नहीं करते तथा

(4) केवल कागज पर ही पर्यवेक्षकों के नाम चल रहे हैं और उसी से मासिक वेतन उठाया जा रहा है ।

जांच पूर्ण होने पर स्थिति स्पष्ट होगी ।

जी हां, जांच करायी जा रही है ।

यथा शीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

70–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[2सरे सोमवार में अता० प्र० सं० 182 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

71–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं० 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के किसानों द्वारा दस हजार रुपये कर्जा माफी के संबंध में दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही

72–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि 10 जून, 1991 को जनपद पौड़ी गढ़वाल के परगनाधिकारी, भावर, कोटद्वार से श्री जगमोहन प्रसाद भरद्वाज के नेतृत्व में किसानों का एक शिष्ट मंडल किसानों के दस हजार रुपये तक के कर्ज माफी के संबंध में मिला था । यदि हां, तो उस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा दिये गये ज्ञापन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह सत्य है कि प्रशासन द्वारा सहकारी बैंक गढ़वाल द्वारा दिए गये ऋणों की वसूली सख्ती से की गई थी ? जिला प्रशासन द्वारा जनपद में सहकारी बैंक द्वारा दी गई धनराशि में से माह मई-जून, 91 में कितनी वसूली हुई ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

विचारोपरान्त प्रश्नगत ज्ञापन अस्वीकृत कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

जिला प्रशासन द्वारा 53.44 लाख रुपये की धनराशि के विरुद्ध माह मई-जून 1991 तक 16.80 लाख रुपये धनराशि की वसूली की गई है ।

पर्वतीय क्षेत्र में जल निगम एवं जल संस्थान के बीच टकराव एवं ग्रामीण पेयजल योजना के कार्य में बाधा

73–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल की जटिल समस्या का मुख्य कारण जल संस्थान तथा जल निगम का आपसी विवाद है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पर्वतीय क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के लिये करोड़ों रुपये दिये जाने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में पर्वतीय क्षेत्र में जल संस्थान तथा जल निगम को मिलाकर एक ही संस्थान या निगम के द्वारा कार्य कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि सुखरी देवी तहसील कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल में जल निगम द्वारा पेयजल हेतु एक नलकूप बनाया गया था ? यदि हां, तो उक्त नलकूप कितने समय में कितनी लागत से बना ? नलकूप किस तिथि में जल संस्थान को हस्तान्तरित किया गया तथा हस्तान्तरण के बाद नलकूप कितनी बार खराब हुआ ? कितनी लागत इसकी मरम्मत पर आई एवं विद्युत बिल कितना आया ? कुल कितने घंटे नलकूप चला तथा कितने लीटर पानी दिया गया ? क्या इसे चलाने वाला तकनीकी विशेषज्ञ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन से वहां की जनता लाभान्वित हुई है तथा पेयजल संबंधी समस्याओं का शनैः-शनैः समाधान हो रहा है ।

जी नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है ।

सुखरो देवी, तहसील कोटद्वार में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा बनाये गये नलकूप में लगभग एक वर्ष का समय लगा तथा जिसकी लागत 9.75 लाख रु० (नौ लाख पचहत्तर हजार रुपये) आई ।

उक्त नलकूप दिनांक १७ नवम्बर, 1990 को चालू स्थिति में उ० प्र० जल निगम द्वारा गढ़वाल जल संस्थान को हस्तान्तरित किया गया । हस्तान्तरण के उपरान्त उक्त नलकूप केवल एक बार दिनांक 15 जुलाई, 1991 से 22 सितम्बर, 1991 की अवधि में ही खराब रहा । जिसकी मरम्मत पर 22,500 रु० लागत आई तथा 12-10-90 से 30-11-91 तक 9,54,663 रुपये 58 पैसे विद्युत बिल आया । नलकूप औसतन प्रतिदिन 8 घंटे चलाया गया तथा 20 हजार लीटर पानी प्रतिदिन पाइप लाइनों को दिया गया । उक्त नलकूप को चलाने हेतु योग्यता प्राप्त तकनीकी कर्मचारी कार्यरत है ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के कतिपय ग्रामों के प्राइमरी पाठशाला भवनों के दोषपूर्ण निर्माण की शिकायतों की जांच

74–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के मुक्तेमऊ टेड़वा बम्हना, बेलौरा, ओगरापुर (ब्लाक असोहा) प्राइमरी पाठशालाओं के स्कूल भवन किस कलेण्डर वर्ष में बनाये गये थे ? इन भवनों को कितने वर्ष चलना चाहिए था ? क्या सरकार अवगत है कि यह भवन जर्जर हो चुके है और उपयोग लायक नहीं हैं ? यदि हां, तो निर्माण एजेंसी के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? इन भवनों की मरम्मत कंब तक करा दी जायेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्राइमरी पाठशाला ओगरापुर का भवन वर्ष 1990 में तथा प्राइमरी पाठशाला मुक्तेमऊ टेडवा बम्हना एवं बिलौरा के भवन वर्ष 1972 में निर्मित हुये थे ?

जानकारी की जा रही है ।

जी हां ।

प्रकरण के जांच के निर्देश दे दिये गये हैं ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ।

जनपद उन्नाव के साधन सहकारी समितियों के आरोपित सचिवों एवं प्रारम्भिक जांच के दौरान दोषी पाये गये सचिवों की संख्या

75–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की साधन सहकारी समितियों के अधिकांश सचिव गबन जैसे आरोपों के बावजूद अपने चार्ज पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उन्नाव जिले में ऐसे कितने सचिव हैं, जिन पर गबन के आरोप सिद्ध हो चुके हैं ? कितने सचिव ऐसे हैं, जिन पर प्रथम दृष्टया ऐसे आरोप प्रारम्भिक जांच के दौरान पाये गये हैं ? दोष सिद्ध और आरोपित सचिवों में से कितने ऐसे हैं, जो साधन सहकारी समितियों में चार्ज पाये हुये हैं ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं ।

जनपद उन्नाव की साधन सहकारी समितियों के चार सचिवों के विरुद्ध गबन के आरोप सिद्ध पाये गये ।

साधन सहकारी समितियों के 26 सचिवों के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया आरोप पाये जाने पर उन्हें निलम्बित किया गया परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 17 सचिवों का निलम्बन आदेश स्थगित किये जाने के कारण उन्हें समिति पर कार्यरत रखना पड़ा हैं ।

बरेली नगर में रिक्शा स्टैण्ड निर्मित करने की मांग

76–डा० दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है बरेली नगर में रिक्शा बहुत कम होने के कारण रिक्शा चालकों को खड़े होने की बहुत कठिनाई होती है और उन्हें गर्मी/सर्दी/बरसात सदा ही खुले में रहना पड़ता है ? क्या सरकार बरेली महानगर के लिये कम से कम 15 रिक्शा स्टैण्ड और खोलने की अनुमति देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

बरेली नगर में रिक्शा चालकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 52 रिक्शा स्टैण्ड निर्मित हैं, जो पर्याप्त हैं । दो बड़े रिक्शा स्टैण्डों में टीन शेड हैं, जिनसे रिक्शा चालक गर्मी, सर्दी व बरसात में बचाव कर सकते हैं । बरेली नगर के रिक्शा चालकों की संख्या की दृष्टि से स्टैण्ड की पर्याप्त व्यवस्था है । अतः और रिक्शा स्टैन्ड खोलने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद अलीगढ़, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरई के प्रभारी चिकित्सक के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही की मांग

77–श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरई, जनपद अलीगढ़ पर कार्यरत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा० रोहन सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं रहते हैं तथा चिकित्सालय में सफाई कर्मचारी ने अपना आवास बना रखा है तथा मुर्गी पाल रखी हैं ? क्या उप मुख्य चिकित्साधिकारी जनता की शिकायत पर 11 नवम्बर, 1991 को जांच करने गये थे और उन्होंने सभी शिकायतों को सही पाया ? जांच के आधार पर इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी ? इस प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र का भवन कब तक निर्मित करा दिया जावेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । महानिदेशक से प्राप्त आख्या के अनुसार डा० रोहन सिंह चिकित्साधिकारी नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरई जनपद अलीगढ़ पर नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं । शासकीय आवास के अभाव में, रात्रि निवास नहीं करते हैं बल्कि स्वास्थ्य केन्द्र के निकट बेसवा स्थान जो केन्द्र से 9 किमी० दूर है, पर निवास करते हैं । ग्राम पंचायत द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र हेतु उपलब्ध कराये गये तीन कमरों वाले भवन की सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्वीपर कम चौकीदार को एक कमरे में निवास की अनुमति दी गयी है जहां उसने मुर्गी नहीं पाली हैं ।

जी नहीं । जनता की शिकायत पर नहीं वरन् दिनांक 11 नवम्बर, 1991 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान उप मुख्य चिकित्साधिकारी उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु गये थे । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रादेशिक सहकारी संघ, स्टेशन रोड, लखनऊ द्वारा खरीदी गई घटिया किस्म की कीटनाशक दवाओं का विवरण

78–श्री रमाकान्त यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सहकारी संघ, स्टेशन रोड, लखनऊ द्वारा अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, 1991 में कौन-कौन सी कीटनाशी दवायें किन-किन फर्मो से क्रय की गयीं ? इस संदर्भ में कीटनाशी दवा खरीद में कमीशन लेकर घटिया माल घटिया फर्म से क्रय किये जाने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

निम्नलिखित फर्मो से इनके समक्ष अंकित कीटनाशी दवाये अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर-91 में बिक्री उपरान्त भुगतान के आधार पर प्राप्त की गयीं :–

नाम-फर्म	नाम रसायन
1–मैसर्स नोसिल दिल्ली	1–मोनोक्रोटोफास
	2–डाईक्लोरोवास
	3–फास्फोमिडान
	4–आइसोप्रोटान
2–मैसर्स सीबा गायगी	1–मोनोक्रोटोफास
	2–फास्फोमिडान
	3–डाईक्लोरोवास
3–मैसर्स हैक्सट इंडिया	1–आइसोप्रोटान
4–मैसर्स रेलीज इंडिया	1–डाईमोथियेट
5–मैसर्स मोनटारी इण्ड०	1–मोनोक्रोटोफास
	2–आइसोप्रोटान
	3–क्यूनालफास
6–मैसर्स पेस्टो केम	1–इण्डो सल्फान
	2–क्यूनालफास
	3–क्यनालफास
7–मैसर्स एच०, पी० एम०	1–आईसोप्रोटान
8–मैसर्स हरियाणा केमि०	1–आइसोप्रोट्रान
9–मैसर्स केमिकल एण्ड इनसेक्टीसीड्स	1–बी० एच० सी०
	2–मिथाइल पैरा०
10–मैसर्स स्वदेशी पेस्टी०	1–बी० एच० सी०
11–मैसर्स नेशनल फार्म केमि०	1–क्यूनालफास

जी हां ।

जांचोपरान्त शिकायत निराधार पांयी गयी ।

स्वर्गीय श्रीमती उर्मिला मौज, स्वास्थ्य निरीक्षिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जामो, जनपद सुल्तानपुर के आश्रितों को सेवा में लिये जाने की मांग

79–श्री तेज भान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में सेवारत सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत सेवा में नियोजित किया जाता है ? यदि हां, तो जनपद सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जामों में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिका, श्रीमती उर्मिला मौज, जिनकी मृत्यु दिनांक 27-10-85 को सेवाकाल में हुई है क्या इनके मृतक आश्रित को सेवा में शासकीय प्राविधानों के अंतर्गत नियोजित किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? श्रीमती मौज के पुत्र श्री अरुण प्रताप श्रीवास्तव के इस संदर्भ में अब तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और इस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 9-1-92 को सेवायोजित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

28 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए और उन पर विचारोपरान्त मृतक आश्रित की नियुक्ति डार्क रूम असिस्टेन्ट के पद पर की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय, बांदा के चिकित्सकों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही

80–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला चिकित्सालय, बांदा के डाक्टरों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को दिनांक 23-9-91 को दिया हुआ पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे दिनांक 25-9-91 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा को भेजा गया है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या दोषी डाक्टरों को निलम्बित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । प्रश्नगत मामले की जांच जिलाधिकारी, बांदा से कराई जा रही है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

तिन्दवारी नगर क्षेत्र जिला बांदा में पेयजल संकट को दूर करने की मांग

81–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में तिन्दवारी नगर क्षेत्र में पेयजल संकट को दूर करने हेतु दो नलकूपों का निर्माण वहां पर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं, केवल एक नलकूप का निर्माण कराया जायेगा ।

एक नलकूप का निर्माण यथासम्भव शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा ।

जल संस्थान कर्वी ने एक ही नलकूप के निर्माण का अनुरोध किया है ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा के कथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशनकारियों की मांगों पर जांच की कार्यवाही

82–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में बांदा कचेहरी के बाहर दिनांक 28-10-91 से अनिश्चित कालीन आमरण अनशन चल रहा है ? यदि हां, तो क्या अनशनकारियों की मांगों पर कोई जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

83–श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

डा० श्री राम चतुर्वेदी, प्रवक्ता/पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय कानपुर, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के विरुद्ध कतिपय शिकायतें

84–श्री ओम प्रकाश (फतेहपुर)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन को डा० श्री राम चतुर्वेदी, प्रवक्ता/पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के विरुद्ध प्रान्तीय होम्योपैथिक शिक्षक सेवा संघ शाखा कानपुर के मंत्री का शिकायती पत्र दिनांक 12-6-90 तथा श्री अजय कुमार अग्रवाल, निवासी बिरहाना रोड, कानपुर का शिकायती पत्र दिनांक 19-11-90 तथा श्री प्रभू दयाल यादव, पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 28-12-90 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि डा० श्रीराम चतुर्वेदी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किस तिथि तक निर्धारित प्रपत्र पर आरोप पत्र दिया जायेगा ? क्या उक्त पत्रों में लगाये गये आरोपों की निष्पक्ष जांच हेतु डा० चतुर्वेदी को अन्यत्र स्थान्तरित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, प्राप्त समस्त शिकायती पत्रों पर प्रारम्भिक जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है । जांच में यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही नियमानुसार की जायगी ।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश स्तर पर महिला एवं पुरुष होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग

85–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने पुरुष एवं महिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं ? क्या इन रिक्त पदों पर तदर्थ रूप से होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति हेतु विज्ञापन कब तक निकाला जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में सम्प्रति 310 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पद तथा 53 महिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त हैं ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन था परन्तु मंत्रि-परिषद् द्वारा स्थगित कर दिया गया था ।

होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पदों के चयन हेतु साक्षात्कार

86–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के विज्ञापन सं० 10/88-89 बिभाग संख्या-सेवा-8/95 दिनांक 25-3-89 द्वारा विज्ञापित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार किस तिथि से प्रारम्भ होगा ? क्या ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिनका आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड लखनऊ में होम्योपैथिक चिकित्सक की हैसियत से, अस्थाई रूप से रजिस्ट्रेशन हो चुका था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1986 में विज्ञापित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों (विज्ञापन सं०–15/85-86) के चयन के संबंध में 200 से अधिक रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न अन्तरिम आदेशों के कारण प्रश्नाधीन पदों हेतु वर्ष 1989 में जारी विज्ञापन सं०–10/88-89 विभाग संख्या-सेवा–8/95 पर चयन के संबंध में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर सन्निरीक्षा के कार्य को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है । इस संबंध में कम से कम दो माह का समय लग जाने की सम्भवंना है ।

ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया जायेगा जो सभी विज्ञाप्ति अर्हताय धारित करते हों तथा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि (6 मई, 1989) तक होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड लखनऊ में होम्योपैथिक चिकित्सक की हैसियत से स्थाई/अस्थाई रूप में पंजीकरण हो चुका है तथा जो आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी हेतु निर्धारित मापदण्ड में आते हों ।

प्रदेश स्तर के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं उससे सम्बद्ध अस्पतालों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित करने की मांग

87–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं उनसे सम्बद्ध अस्पतालों हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों को सृजित किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या यह भी बतायेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं उनसे सम्बद्ध अस्पतालों में तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पूर्ण कालिक कर्मचारियों के रूप में कब तक समायोजित कर लिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० राकेश कुमार निगम संयोजक उत्तर प्रदेश बी० एच० एम० एस० मेडिकोस एसोसिएशन की डिग्री केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् अधिनियम, 1973 के द्वितीय शेड्यूल सम्मिलित करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

88–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें डा० राकेश कुमार निगम, संयोजक उत्तर प्रदेश बी० एच० एम० एस० मेडिकोस एसोसियेशन का आगरा विश्वविद्यालय की बी० एच० एम० एस० डिग्री को केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् अधिनियम-1973 के द्वितीय शेड्यूल में सम्मिलित किये जाने विषयक पत्र संख्या पी० एफ०/223/90 दिनांक 22-3-90 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त डिग्री को केन्दीय होम्योपैथिक परिषद् अधिनियम-1973 के द्वितीय शेड्यूल में किस तिथि तक सम्मिलित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

आगरा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही डिग्री बी० एच० एम० एस० को केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् अधिनियम 1973 के द्वितीय शेड्यूल में शामिल करने हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 5-10-89 को उक्त परिषद् से अनुरोध किया गया था तथा दिनांक 4-4-91 को तत्कालीन मा० स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उक्त परिषद् के अधिकारियों से इस विषय पर वार्ता भी की गई है तथा परिषद् द्वारा अपेक्षित समस्त सूचना उन्हें उपलब्ध भी करा दी गयी साथ ही पुनः दिनांक 10-10-91 को परिषद् के अध्यक्ष तथा सचिव से शासन स्तर पर वार्ता हो चुकी है ।

चूंकि यह मामला भारत सरकार से संबंधित है अतः राज्य शासन द्वारा कोई स्पष्ट तिथि दिया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच की मांग

89–श्री नन्द राम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली के वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार व अपने पद के दुरुपयोग व दवाओं के विक्रय के लिये २५ दुकानें को लाइसेन्स देने व झूठे प्रमाण पत्र बनाने में लाखों रुपये के गम्भीर आरोप हैं ? क्या सरकार इनकी जांच कराने का कष्ट करेगी ? इतने गम्भीर आरोपों की जांच करने से पूर्व क्या सी० एम० ओ० का स्थानानतरण अन्यत्र कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में छात्रावास के निर्माण में विलम्ब की शिकायत

90–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में सिटी स्टेशन के निकट स्थित मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति शासन ने कब दी थी ? स्वीकृति के समय छात्रावास के निर्माण पर कितनी अनुमानित लागत थी ? इसे कब तक बन जाना चाहिए था ? क्या यह सच है कि समय पर न बन पाने से निर्माण लागत में कई गुनी वृद्धि हो गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि समय पर निर्माण न कर पाने के दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत निर्माण हेतु स्वीकृति दिनांक 31-10-1986 को प्रदान की गई । स्वीकृति के समय निर्माण हेतु अनुमानित लागत 21,96,000 रुपए थी । स्वीकृति संबंधी शासनादेश में निर्माण हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी । अतः समय पर निर्माण न होने के कारण निर्माण लागत में वृद्धि के फलस्वरूप कोई भी दोषी नहीं है ।

निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा बनाये गये प्रदेश के नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंकों के स्टाफिंग पैटर्न एवं उल्लिखित अनुमन्य वेतन तथा भत्ता पुनरीक्षित करने की कार्यवाही

91–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंकों हेतु निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा स्टाफिंग पैटर्न सी० 74/स्टा० प०/ नग० बैंक/एस० ए० 2 अधि०, दिनांक 16-11-84/30-1-85 बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या उसमें उल्लिखित अनुमन्य वेतनमान तथा भत्ते को दिनांक -1-86 के आधार पर पुनरीक्षित करने की कार्यवाही निबन्धक द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो कार्यवाही किस प्रक्रम पर है तथा वेतनमान कब तक पुनरीक्षित करा दिये जायेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा बनाये गये प्रदेश के नगर सहकारी बैंकों के सचिवों के कैडर पर शासन द्वारा शीघ्र निर्णय करने की मांग

92–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरीय सहकारी बैंकों के सचिवों का जो कैडर निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा बनाया गया है, शांसन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो कब तक इसका निस्तारण करके अधिसूचना जारी करके कैडर लागू करा दिया जायेगा ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोआपरेटिव बैंक इम्प्लाइज यूनियन के मांग पत्र पर कृत कार्यवाही एवं प्रदेश के नगरीय सहकारी समितियों के कर्मचारियों हेतु माडर्न सर्विस रूल्स पर शासन द्वारा निर्णय लिये जाने की मांग

93–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव बैंक इम्प्लाइज यूनियन, उत्तर प्रदेश की नगरीय बैंक इकाई का मांग पत्र दिनांक 3-2-1990 प्रदेश की नगरीय बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं एवं बैंकों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, सचिव, सहकारिता, उ० प्र० शासन एवं मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय बैंकों के सम्बन्ध में उपनिबन्धक (अर्बन बैंक) सहकारी समितियां द्वारा माडर्न सर्विस रूल्स बनाये गये थे ? क्या इन्हें निबन्धक सहकारी समितियां के अनुमोदनोपरान्त शासन को भेजा गया ? यदि हां, तो शासन द्वारा इसकी अधिसूचना कब तक जारी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

यह प्रकरण निबन्धक सहकारी समितियां, उ० प्र० लखनऊ के स्तर पर विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम भुरेडी के मजरा बोधीपुरा में प्राथमिक पाठशाला खोले जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

94–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम भुरेडी के मजरा बोधीपुरा पर प्राथमिक पाठशाला बोधीपुरवा खोलने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री को पत्रांक ग/7/309606, दि० 2-8-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) को विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जनपद बांदा में वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी किये गये मेडिकल प्रमाण-पत्रों की संख्या एवं जांच की मांग

95–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ मुख्य चिकित्साधीक्षक द्वारा वर्ष 1990-91 में कितने मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं ? क्या सरकार प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बांदा द्वारा वर्ष 1990-91 में कुल 405 मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किये गये थे । जारी किये गये मेडिकल प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

96–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[3सरे मंगल में अता० प्र० सं० 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सी० पी० एम० टी० परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या एवं परीक्षाफल निरस्त करने के कारणों की जानकारी

97–डा० दिनेश जौहरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष मेडिकल प्रवेश परीक्षा (पी० एम० टी०) में कितने छात्र बैठे थे ? परीक्षाफल क्यों निरस्त करना पड़ा ? उसके लिये कौन-कौन दोषी थे तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

सी० पी० एम० टी० परीक्षा 1991 में 38,092 छात्र बैठे ।

उक्त परीक्षा में अनियमिततायें होने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच करायी गयी । प्रारम्भिक जांच के आधार पर परीक्षाफल निरस्त किया गया ।

चूंकि प्रश्नगत जांच अभी चल रही है, अतः उसके पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

मैनपुरी नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये जाने की कार्यवाही

98–श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकि–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका मैनपुरी में सफाई कर्मचारियों की संख्या और बढ़ाने हेतु कोई कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन कब तक इनकें पदों की स्वीकृति प्रदान करेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

कतिपय पदों के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय को अध्यक्ष, नगरपालिका, मैनपुरी से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जो निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था । इसके अतिरिक्त मानक निर्धारण कार्यवाही विचाराधीन है । अतः पदों को स्वीकृत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को विशेष चिकित्सा अनुदान दिये जाने की मांग

99–डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी अपनी उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं द्वारा पूर्वी उ० प्र० के एक बड़े भू-भाग की जनसंख्या को चिकित्सकीय सेवा प्रदान करता है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अब से पूर्व की सरकारें, इसे केन्द्रीय संस्थान बताकर अपने ही प्रदेश की सेवा करने वाली इस संस्था के प्रति अपने दायित्वों से किनारा करती रही हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के उक्त जनसेवा चिकित्सा को शासन द्वारा कोई अनुदान अथवा विशेष चिकित्सा अनुदान देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय की 180 शैय्याओं के अनुरक्षण हेतु विश्वविद्यालय हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है ।

प्रदेश में इक्यूपेंचर चिकित्सा विधि को मान्यता दिये जाने की मांग

100–डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान समय में इक्यूपेंचर चिकित्सा विधि श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैण्ड तथा इण्डोनेशिया आदि देशों में मान्यता के साथ प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या इक्यूपेंचर चिकित्सा विधि को प्रदेश चिकित्सा हेतु स्वीकृति प्रदान करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इक्यूपेंचर चिकित्सा विधि का प्रकरण प्रदेश शासन के विचाराधीन रहा है । चूंकि किसी चिकित्सा विधि को मान्यता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है । अतः राज्य शासन द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशिक्षण प्राप्त फार्मेसिस्टों के भविष्य के लिये शासन की योजना

101–डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फार्मासिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करके परीक्षा वर्ष 1992 पर रोक लगने के कारण राज्य में कितने आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्रशिक्षणार्थियों का जीवन अधर में लटक कर अंधकारमय बना हुआ है ? क्या शासन उन प्रशिक्षणार्थियों के भविष्य के प्रति कोई योजना बना रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

विचाराधीन है ।

क्षेत्र समिति काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा कतिपय ग्राम सभाओं में नवीन प्राइमरी पाठशाला तथा कन्या जूनियर हाईस्कूल खोले जाने की मांग

102–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र समिति काशी विद्यापीठ, जनपद वाराणसी ने अपने प्रस्ताव संख्या–6, दिनांक 27-12-90 द्वारा कुछ ग्राम सभाओं में नवीन पाठशाला तथा नवीन कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने के लिये प्रस्ताव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास भेजा है ? यदि हां, तो वे प्रस्तावित ग्राम कौन-कौन से हैं और विद्यालय खोलने के संबंध में अब तक कया कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्राथमिक पाठशाला हेतु प्रस्तावित ग्राम मूझादेव, कुरहुआ, अवलेशपुर, मिटारी, कादीपुर, नकाईन, समहट, नासिरपुर, भिखारीपुर, ऊंचगांव, कंचनपुर एवं लहरतारा तथा कन्या जूनियर हाई स्कूल हेतु प्रस्तावित ग्राम खन्ना एवं कन्दवा ।

जिला योजना में आवश्यक परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण उक्त ग्रामों में विद्यालयों की स्थापना नहीं हो सकी है । जिला योजना में परिव्यय के आधार पर स्वीकृति होने एवं बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

जल निगम, उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (श्री गुप्त) के विरुद्ध कतिपय गम्भीर शिकायतों के संबंध में सांसद श्री सत्यपाल सिंह यादव आदि के पत्र पर कार्यवाही

103–श्री शिवपाल सिंह तथा श्री दुर्गा प्रसाद मित्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 13-7-91, 9-8-91 एवं 24-8-91 को सांसद श्री सत्यपाल सिंह यादव, दिनांक 9-8-91 को नेता विरोधी दल, विधान सभा एवं दिनांक 12-7-91, 6-8-91, 8-8-91, 12-8-91 को कतिपय विधान सभा सदस्यों द्वारा उ० प्र० जल निगम के मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (श्री गुप्ता) के विरुद्ध गम्भीर अनियमिततायें बरतने एवं करोड़ों रुपयों की जल निगम को हानि पहुंचाकर निजी सम्पत्ति से संबंधित शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुख्यालय में मुख्य अभियन्ता स्तर-२ का पद रिक्त न होते हुए भी यह अभियन्ता लखनऊ मुख्यालय पर तैनात है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुख्य अभियन्ता को कहीं स्थानान्तरित करा कर निष्पक्ष जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

.जी हां । परन्तु दिनांक 8-8-91 का शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । सतर्कता अधिष्ठान को जांच संदर्भित कर दी गयी है । कुछ बिन्दुओं पर जल निगम से भी जांच करायी जा रही है ।

जी हां ।

जी हां । जांच चल रही है । स्थानान्तरण पर यथासमय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

104–श्री किशन गोपाल–

[चौथे मंगल के अता० प्र० सं० 138 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जल संस्थान, आगरा द्वारा विषाक्त पेयजल आपूर्ति की शिकायत

105–श्री किशन गोपाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा में जल संस्थान द्वारा जिस पेयजल की आपूर्ति की जा रही है वह विषाक्त हरे रंग का काई युक्त है जो स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक है और जिसको पीने से जनता अनेक रोगों से पीड़ित होने के साथ-साथ आंखों की कमजोरी से भी ग्रसित हो रही है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी स्कूलों में पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने में कथित धांधली

106–श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकि–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी स्कूलों में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 5 तक अलग-अलग कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है ? क्या यह सही है कि कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के अन्तर्गत ग्राम गुरसेना में स्कूल का भवन अधूरा रहने की शिकायत

107–श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र इगलास, जनपद अलीगढ़ में ग्राम गुरसेना में स्कूल का भवन का निर्माण अधूरा ही छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या गांव हस्तपुर खेड़ा सत्तू के स्कूलों के भवनों की इमारत भी गिर गयी है ? यदि हां, तो इनकी मरम्मत करवाने का शासन ने क्या प्रबन्ध किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय का भवन का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, अलीगढ़ द्वारा कराया गया है । उनके द्वारा भवन के अन्दर प्लास्टर नहीं कराया गया है जिसका कारण उनके द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है । भवन में पूर्ण प्लास्टर कराने के सम्बन्ध में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, अलीगढ़ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र व्यवहार किया जा रहा है ?

इमारत गिरी नहीं है इनमें आंशिक मरम्मत की आवश्यकता है । जिसके लिये जनपद स्तर पर व्यवस्था की जा रही है । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़ को निर्देशित भी कर दिया गया है कि वे अपने पी० एल० ए० में मरम्मत "मरम्मत" हेतु उपलब्ध धनराशि से प्रश्नगत विद्यालयों में अपेक्षित मरम्मत तुरन्त कराया जाना सुनिश्चित करें ।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में प्राइमरी पाठशालाओं का अभाव

108–श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र इगलास, जनपद अलीगढ़ में प्राइमरी शिक्षा का भी, बहुत से गांवों में कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो बारहा क्षेत्र ऐदलपुर के 8, 10 ग्रामों तथा साथनी-मानचूहरा क्षेत्र के गांवों में प्रा० शिक्षा के बारे में शासन द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रश्नगत क्षेत्र इगलास में मानक के अनुसार केवल 6 ग्राम ही असेवित बस्तियों की श्रेणी में आते हैं ।

बारहा क्षेत्र एदलपुर के आस-पास एदलपुर, सत्तूखेड़ा पूर्वी फतहगढ़ी–सजना, कसीमों, बजीपदपुर, संग्रामपुर तथा साधनी के आस-पास ग्राम साथनी, श्योरा, मौनिया, जवार में पूर्व से ही प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था है । ग्राम नयेला, विसात गढ़ी मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोलने हेतु प्रस्तावित हैं तथा एक ग्राम पश्चिमी फतहगढ़ी की भौगोलिक स्थिति के आधार पर नवीन प्राइमरी विद्यालय की आवश्यकता है तथा साथनी मानचूहा क्षेत्र के ग्राम मानचूहरा दिसवार तथा रनसूरा नवीन विद्यालय खोलने हेतु प्रस्तावित हैं जिन्हें इस वर्ष खुलने वाले नवीन विद्यालयों हेतु जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक में रखा जायेगा ।

109–श्री राम आसरे वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उ० प्र० सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा नियुक्त अवर अभियन्ताओं को सेवा से अलग करके नयी भर्ती किये जाने की शिकायत

110–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि दि० 5-2-86 को 12 अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति उ० प्र० सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो इनकी सेवायें सामान्य प्रबन्धक (निर्माण) के पत्रांक पी० सी० एफ०/नि०/ एस० टी० दिनांक 25-9-86 के प्रतिकूल 30-9-86 को समाप्त कर दी गई थीं । यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन्हें माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के

अन्तर्गत सेवा करनें दिया गया था ? यदि हां, तो इनके सेवा में होते हुए 25 अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति माह फरवरी, 87 में क्यों की गयी ? क्या ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय 5-2-86 के 12 अवर अभियन्ताओं को सेवा में समायोजित करने तथा माह फरवरी, 87 में नियुक्त 25 अवर अभियन्ताओं में से 12 कनिष्ठतम अवर अभियन्ताओं की सेवायें समाप्त करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

इनमें से 10 अवर अभियन्ताओं ने ही दिनांक 6-2-86 से 15-2-86 तक की अवधि में अलग-अलग तिथियों में योगदान किया था । बाद में एक अवर अभियन्ता ने त्याग-पत्र दे दिया । दिनांक 30-9-86 के बाद इनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने के कारण इनके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं गया ।

जी हां, तदोपरान्त मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की याचिकाओं को निरस्त होने के उपरान्त इनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं ।

अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु 25 अवर अभियन्ताओं की फरवरी, 87 से अप्रैल, 88 के मध्य तदर्थ एवं अस्थायी आधार पर नियुक्तियां की गयीं ।

जी नहीं ।

इन 12 अवर अभियन्ताओं के विपरीत 10 अवर अभियन्ताओं ने ही कार्यभार ग्रहण किया, बाद में एक अवर अभियन्ता ने त्याग पत्र दे दिया था, शेष 9 अवर अभियन्ताओं की सेवायें मा० उच्च न्यायालय के आदेश दि० 3-3-89 के अनुसार समाप्त की जा चुकी हैं ।

जनपद फिरोजाबाद में जल निगम द्वारा पिछले दो सालों से लगाये गये हैण्ड पम्पों में कथित व्यापक घोटाला

111–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद में बर्ष 1990-91 में अब तक कितने हैण्ड पम्प लगाये गये हैं तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इन हैण्ड पम्पों के लगाने में लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है, न चबूतरा बनाये गये हैं तथा अनुपयोगी स्थानों पर हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? क्या सरकार किसी तकनीकी अधिकारी से टूण्डला ब्लाक में लगाये गये हैण्ड पम्पों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1990-91 में 1235 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, जिन पर लगभग रु० 140.00 लाख व्यय किया गया है ।

जी नहीं ।

प्लेटफार्मों का निर्माण धन एवं सामग्री की कमी के कारण नहीं किया जा सका परन्तु अब कार्य प्रगति पर है ।

सभी हैण्ड पम्प उप्रयुक्त स्थानों पर ग्राम प्रधानों, मा० क्षेत्री विधायकों तथा परगनाधिकारी द्वारा चयनित स्थलों पर ही लगाये गये हैं ।

जिलाधिकारी द्वारा हैण्ड पम्पों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है । अतः अन्यथा जांच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सकों, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति

112–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 20-7-91 से 30-7-91 तक प्रदेश भर के कितने एलोपैथिक चिकित्सकों, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्थानान्तरण कितनें वर्ष की सेवा अवधि बीत जाने की नीति बनाकर किये गये ? इनं स्थानान्तरणों से यात्रा भत्ता के मद में प्रदेश सरकार पर कितनी धनराशि का भार पड़ा है । स्थानान्तरण के लिये क्या नीति निर्धारित की गयी थी ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 20-7-91 से 30-7-91 तक प्रदेश के साधारण ग्रेड के 1062 सीनियर ग्रेड के 192 संयुक्त निदेशक ग्रेड (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी) के 46 चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये, स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण हेतु चिकित्साधिकारियों को एक स्थान में बने रहने की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गयी है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को वर्ष 1991-92 के लिये स्थानान्तरण नीति शासनादेश सं०-4763सेक-3/पांच–91, दिनांक 10-7-1991 सपठित कार्मिक अनुभाग–2 के पत्र संख्या–14-1/90-कार्मिक-2, दिनांक 9-7-91 द्वारा निर्धारित की गयी है । (प्रतिलिपि संलग्न)*

मृतका श्रीमती शकुन्तला पाण्डेय के सम्बन्ध में राजकीय महिला चिकित्सालय, फैजाबाद के कर्मचारियों की लापरवाही के कारणों की जांच की मांग

113–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में डाक्टर एवं नर्सों की लापरवाही से दिनांक 9-12-1987 को मृतका श्रीमती शकुन्तला पाण्डेय की मृत्यु के बारे में मजिस्ट्रेटी जांच आख्या को संलग्न करके अपर निदेशक चि० स्वा० एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मंडल, फैजाबाद द्वारा पत्रांक 2615 दिनांक 11-8-88 निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ० प्र० को कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो इस मामले में लगभग 3 साल बीतने के बाद भी मजिस्ट्रेट की जांच के अनुसार कार्यवाही न किये जाने से संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* छापी नहीं गयी ।

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत जांच आख्या के आधार पर दोषी चिकित्साधिकारियों को आरोप पत्र देकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बभनान, जनपद गोण्डा के मान्य अध्यापकों के भुगतान किये गये एवं बकाया वेतन का विवरण

114–श्री विश्वनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनता उ० मा० वि०, बभनान, जि० गोण्डा के मान्य अध्यापकों का वेतन बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा द्वारा मार्च, 1991 तक का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो उन अध्यापकों के नाम क्या हैं और कितना-कितना रुपया मासिक वेतन भुगतान किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के अध्यापकों का वेतन अप्रैल 1991 से नवम्बर 1991 तक की अवधि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त अध्यापकों का बकाया वेतन भुगतान कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश स्तर पर स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के बकाये वेतन का विवरण

115–श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकि–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की कितने स्थानीय निकाय ऐसे हैं जिन पर अपने कर्मचारियों का 3 माह से 40 माह तक का वेतन बकाया है ? उनके बकाये वेतन भुगतान के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? क्या उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ और सरकार के बीच दिनांक 16-10-91 को कोई समझौता हुआ है जिसमें प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में स्थानीय निकाय कर्मचारियों को वेतन वितरण किया जाना तय हुआ है ? यदि हां, तो इस कार्य में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अधिकांश निकायों के कर्मचारियों का वेतन भुगतान बकाया हैं ।

(ख) बकाये वेतन के भुगतान का दायित्व स्थानीय निकायों का है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान हेतु शासनादेश दिनांक 24 जनवरी, 1992 को निर्गत कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित होम्योपैथिक कम्पाउण्डरों को समायोजित करने संबंधी मापदण्ड

116 –श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में प्रशिक्षित होम्योपैथिक कम्पाउण्डरों के समायोजित करने का मानक क्या है ? वर्ष 1988-89 के प्रशिक्षित कितने होम्योपैथिक कम्पाउण्डरों को सेवा में समायोजित किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शेष प्रशिक्षित होम्योपैथिक कम्पाउण्डरों को समायोजित करने में सरकार को क्या कठिनाई है तथा उन्हें कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

कम्पाउण्डरों के पद उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हैं और आयोग की संस्तुति पर ही इन्हें सेवा में समायोजित किया जाता है ।

कुल 73 को सेवा में समायोजित किया गया है ।

शेष अभ्यर्थियों को नियुक्तियां तभी प्रदान की जा सकती हैं जब उनका होम्योपैथिक कम्पाउण्डर्स पद हेतु उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विधिवत् चयन कर लिया जाय क्योंकि अब यह पद इस आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आ गया है ।

निदेशक होम्योपैथिक के विरुद्ध गवर्नमेंट सर्वेन्ट कन्डक्ट रूल्स का उल्लंघन के कारण कार्यवाही की मांग

117–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई 91 के प्रथम सप्ताह में निदेशक होम्योपैथिक डा० अविनाश चन्द्र सक्सेना को सम्मानित करने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन गन्ना संस्थान, लखनऊ में किया गया था ? यदि हां, तो क्या गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट कन्डक्ट रूल्स के विरुद्ध उक्त आयोजन कराने के लिये निदेशक होम्योपैथी को निलम्बित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, टिगरी मनका वाला, नगीना, जनपद बिजनौर की भूमि के उपयोग के प्रस्ताव

118–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, टिगरी मनका वाला, बिजनौर की 25 एकड़ भूमि को व्यापक उपयोग में लाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या तथा उसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इतने बड़े भू-खण्ड को विगत एक दशक से अनुपयोगी रखने हेतु कौन जिम्मेदार है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत कालेज में उपलब्ध भूमि पर एक ट्यूबवेल तथा छात्र/छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु प्रस्ताव कालेज के प्रधानाचार्य से प्राप्त हुए परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण तत्सम्बन्धी निर्माण कार्य स्वीकृत किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड सठियांव के अन्तर्गत गांव अमिलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

119–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सठियांव, जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत ग्राम सभा अमिलों में वर्ष 1971 एवं 1985 को आधार मानकर इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्प कितने लगे हैं ? क्या अलग-अलग संख्या बतायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या ग्राम सभा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब तक होगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

वर्ष 1971 व 85 को आधार मानकर इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्प कितने लगे हैं, का आशय स्पष्ट नहीं है ।

कोई योजना विचाराधीन नहीं है । अमिलों को ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन के नीति के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर 2 हैण्ड पम्प लगाकर लाभान्वित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड सठियांव एवं जहानगंज में भवन विहीन प्राइमरी पाठशालाओं का विवरण

120–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सठियांव एवं जहानगंज में कितने जू० बे० विद्यालय, भवन विहीन हैं ? कितने जू० बें० विद्यालय के भवन निर्माणाधीन हैं ? कितने भवन निर्माण विवादास्पद हैं ?

श्री शिवप्रताप शुक्ल–

विकास खण्ड सठियांव में 9 तथा विकास खण्ड जहानगंज में 6 जूनियर बेसिक विद्यालय भवन विहीन हैं ।

विकास खण्ड सठियांव में 6 तथा विकास खण्ड जहानगंज में 6 जूनियर बेंसिक विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं ।

उक्त निर्माणाधीन भवनों का निर्माण विवादित नहीं हैं ।

इलाहाबाद जनपद के चायल विधान सभा क्षेत्र के कतिपय नगर, क्षेत्र समितियों में सदस्यों के मनोनयन

121–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, 1991 से अक्टूबर 91 तक इलाहाबाद जनपद के निर्वाचन क्षेत्र चायल के अन्तर्गत किन-किन नगर क्षेत्र समितियों में कितने सदस्य मनोनीत किये गये हैं ? क्या उक्त मनोनयन के पूर्व विधायक से संस्तुति ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

(क) जी हां । प्रश्नगत अवधि में निर्वाचन क्षेत्र चायल की नगर क्षेत्र समिति सराय आकिल में तीन और नगर क्षेत्र समिति, भरवारी में दो सदस्यों को शासन द्वारा मनोनीत किया गया है । नगर क्षेत्र समिति चायल में इस अवधि में कोई सदस्य मनोनीत नहीं किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उत्तर प्रदेश टाउन एरिया ऐक्ट 1914 में प्राविधान नहीं है ।

लखनऊ नगर के मोहल्ला अहिबरनपुर मलिन बस्ती हरिजन बाहुल्य क्षेत्र में इंडिया मार्का - II हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग

122–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला अहिबरनपुर (मलिन बस्ती) लखनऊ के हरिजन बाहुल्य क्षेत्र में एक इण्डिया मार्क-II हैन्ड पम्प लगाये जाने विषयक प्रार्थना-पत्र पर नगर विकास राज्य मंत्री अपने पत्र संख्या 727 वी० आई० पी०/एस०एम०/एम०टी०/91, दिनांक 4-11-91 द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को उक्त स्थान पर हैन्ड पम्प लगाये जाने हेतु आदेशित किया था ? यदि हां, तो क्या वहां इण्डिया मार्क-II हैण्ड पाइप लगा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक हैण्ड पाइप लगा दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं ।

स्थानीय स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जनप्रतिनिधियों के परामर्श से इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं ।

जिलाधिकारी लखनऊ को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रदेश स्तर पर चल रहे मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यों के नाम एवं मान्यता नियमावली के नियमों के पालन का विवरण

123–श्री छोटे लाल यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मान्यता एवं राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय अरबी तथा फारसी मदरसों (पते सहित) के प्रबन्धकों तथा प्रधानाचार्यों के नाम क्या हैं ? क्या राजाज्ञा संख्या 3367/ 15-17-87-53(5)/86, दिनांक 22 अगस्त, 1987 के साथ संलग्न पूर्वोक्त मदरसों की मान्यता नियमावली के सभी 43 (तैंतालिस) नियमों का प्रदेश के सभी मदरसों से संबंधित अधिकारियों द्वारा अक्षरशः पालन किया जा रहा है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्यों के नामों की अद्यतन सूची उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

जी हां ।

प्रदेश स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास मदरसों के संसाधनों सहित पंजीकृत संविधान की उपलब्धता

124–श्री छोटे लाल यादव–

क्या प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास सभी पूर्वोक्त मदरसों के संसाधनों सहित पंजीकृत संविधान (दस्तरुल अमल) अद्यतन नवीनीकृत प्रमाण-पत्र तथा प्रबन्ध समिति के वर्ष 1991-92 तक के सदस्यों की सूचियां उपलब्ध हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रदेश स्तर पर सभी राज्य सहायता अरबी तथा फारसी मदरसों के शिक्षकों एवं कर्मचारी को नियमित वेतन दिये जाने की मांग

125–श्री छोटे लाल यादव–

क्या राजाज्ञा संख्या–92/15-(13)/90-37(4)/90, दिनांक 12-7-90 द्वारा की गई व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के सभी राज्य सहायता प्राप्त अरबी तथा फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रत्येक मास समय से नियमित मासिक वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस तारीख तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

यथासम्भव प्रत्येक मास के द्वितीय सप्ताह तक ।

जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी हरदोई के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही

126–श्री खालिद गौरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध स्टेशनरी आदि की खरीद में कमीशन खाये जाने की शिकायत की जांच षष्ट मण्डल शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई है ? यदि हां, तो जांच की क्या रिपोर्ट आयी है ? यदि अभियोग सिद्ध हुआ है, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

आरोप सिद्ध नहीं हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

127–श्री खलिद गौरी–

[4 थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

महिला चिकित्सालय हरदोई में हुये मरम्मत कार्य तथा नियमों के प्रतिकूल धन का व्यय किये जाने की शिकायत

128–श्री खालिद गौरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1988-89 में महिला चिकित्सालय, हरदोई में कुल कितने रुपये का मरम्मत कार्य कराया गया ? क्या इस कार्य को कराने के लिए टेन्डर लिये गये थे ? यदि नहीं, तो क्या परचेज कमेटी से स्वीकृति ली गई ? यदि नहीं, तो नियमों में अधिक धन का व्यय कैसे हुआ और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

महिला चिकित्सालय, हरदोई में वित्तीय वर्ष 1988-89 में रुपये 1,04,368.00 का अनुरक्षण कार्य कराया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम त्रिकोलिया परगना पलिया जिला खीरी में ए० एन० एम० की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

129–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1133/91 ग्राम त्रिकोलिया, परगना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी में ए० एन० एम० की नियुक्ति के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखीमपुर खीरी को पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा शहर में सीवर लाइन योजना में सुधार की मांग

130–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा शहर में सीवर लाइन योजना वर्षों से मन्द गति से चलने का क्या कारण है ? इसे पूरा करने का शासन द्वारा क्या समय निर्धरित किया गया है ? क्या वर्तमान समय में यह कार्य बन्द हुआ पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार इसे शीघ्र पूरा करवाने के उपाय कर रही है ? क्या निरन्तर बढ़ती हुई दरों के कारण सरकार को उक्त योजना में घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

धनाभाव के कारण प्रगति धीमी रही ।

योजना वर्ष 1983 में आरम्भ की गई थी और वर्ष 1987 में पूर्ण की जानी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यथासम्भव धन उपलब्ध कराया जा रहा है ।

बढ़ती हुई दरों के कारण योजना की लागत बढ़ी है ।

उपर्युक्त के अनुसार कोई नहीं ।

प्राथमिक पाठशाला झंझरीपुरवा विकास खण्ड जसपुरा जिला बांदा के हेड मास्टर आदि के स्थानान्तरण की मांग

131–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में प्राथमिक पाठशाला झंझरीपुरवा, ब्लाक जसपुरा में कार्यरत हेड मास्टर रामकृष्ण सिंह व लक्ष्मी गुप्ता के स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र संख्या क- 195667 दिनांक 1-7-91 बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिनांक 3-7-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिवप्रताप शुक्ल–

जी हां, परन्तु शिकायती पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

श्री रामकृष्ण सिंह का स्थानान्तरण किया गया था परन्तु अभी वे कार्यमुक्त नहीं हुये हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता के स्थानान्तरण के प्रकरण की जांच की जा रही है ।

वर्ष 1991-92 में प्रदेश स्तर पर खुलने वाले प्राइमरी (बालक/बालिकाओं) पाठशालाओं का विवरण एवं बाराबंकी को सम्मिलित किये जाने की मांग

132–श्री सुरेन्द्र नाथ तथा श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में प्रदेश में खुलने वाले जूनियर हाई स्कूल लड़के/लड़कियों की संख्या क्या है ? क्या जनपद बाराबंकी भी इसमें आता है ? यदि हां, तो उसकी संख्या वहां क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

पूरे प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 163 विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका तिलहर जिला शाहजहांपुर में स्थानान्तरण नीति की अवहेलना की शिकायत

133–श्री नेतराम–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 1035/11-न०वि० 6-234, दिनांक 20-8-83 की अवहेलना कर नगर पालिका तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में एक ही काउन्टर पर लगातार 10-10 वर्षों से कई लिपिक कार्यरत हैं, जबकि उपरोक्तानुसार अधिकतम तीन या पांच (3 या 5) वर्षों में प्रत्येक लिपिक का काउन्टर बदल जाना चाहिए ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

नगरपालिका तिलहर में केवल 6 कर्मचारी कार्यरत हैं । उक्त शासनादेश के अन्तर्गत इसमें से दो लिपिकों का कार्य परिवर्तन किया जा चुका है । मीटर रीडर, टाइपिस्ट और लेखाकार के पद तकनीकी सेवाओं के हैं और उनके अन्य प्रतिस्थानीय नगरपालिका में उपलब्ध नहीं हैं अतः पालिका के कार्य हित में उनके काउन्टर परिवर्तित नहीं किये जा सकते हैं । यह कार्य पूर्णतयाः स्थानीय प्रशासन को ही करना है ।

शासन स्तर से किसी भी कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

134–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सेवा निवृत्त कामदार पूर्ति भण्डार नहरी जिला बांदा के बकाया देयों के भुगतान की मांग

135–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमीर बख्श, सेवा निवृत्त, कामदार, पूर्ति भण्डार नहरी, बांदा का ग्रेच्युटी, बीमा, नगदीकरण, बोनस व 25 माह का वेतन और जमानत का भुगतान वर्ष 1987 में सेवा निवृत्त होने के बाद से आज तक नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि हो सकेगा तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

निर्धारित क्लेम फार्म भरकर श्री अमीर बख्श द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री बख्श द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद यथाशीघ्र ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

136–श्री तेजभान सिंह–

[2सरे मंगल में अता० प्र० सं० 198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

137–श्री तेजभान सिंह–

[3सरे मंगल के अता० प्र० सं० 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

138–श्री तेजभान सिंह–

[3रे मंगल में अता० प्र० सं० 56 –अ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वित्तीय वर्ष 1988-89 में जनपद हरदोई के माधोगढ़ जनपद हरदोई के सोलह प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के गबन की शिकायत एवं निर्माण की मांग

139–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज में वर्ष 1988-89 के दौरान 16 (सोलह) प्रा० विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु चार लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त धनराशि का गबन कर लिए जाने के कारण समस्त भवनों का निर्माण रुक गया है ? यदि हां, तो इनके निर्माण के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

अवरुद्ध निर्माण कार्यों को पुनः प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

विकास खण्ड जसपुरा जनपद बांदा में वर्ष 1990-91 में डी० डी० टी० के छिड़काव एवं टीकाकरण का विवरण

140–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा की किन-किन गांवों में वर्ष 1990-91 में डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया है व टीकाकरण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जन्म एवं मृत्यु का लेखा-जोखा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रति माह रखा जाता है ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्ष 1990-91 में जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम जसपुरा में छिड़काव किया गया । यह छिड़काव वार्षिक पराश्रयी सूचक (ऐनुअल पैरासाइट इन्डेक्स) के आधार पर किया जाता है । टीकाकरण विकास खण्ड के सभी ग्रामों में किया गया है ।

जन्म मृत्यु का लेखा-जोखा व पंजीकरण का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी, टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया में उनके सचिव तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाता है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला रजिस्ट्रार होता है ।

जनपद बांदा के कर्वी चित्रकूट में तीन सौ शैय्याओं वाले अस्पताल खोले जाने की मांग

141–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अंतर्गत कर्वी (चित्रकूट) में तीन सौ शैय्याओं युक्त अस्पताल खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन की नीति एवं मानक के अनुसार 300 शैय्यायुक्त अस्पताल केवल जिला मुख्यालय पर खोलने का प्राविधान है ।

जनपद फैजाबाद के राजकीय महिला चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन आवासों में अवैधानिक कब्जा

142–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में राजकीय महिला चिकित्सालय परिसर में हरिजन एवं दुर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा निर्माणाधीन आवासीय कक्षों, तथा इसी परिसर में गवर्नमेन्ट हाउसिंग पूल स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों के निमित्त लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन आवासीय कक्षों और नर्सेज होस्टल में गत डेढ़ साल से ज्यादा समय से अवैधानिक कब्जेदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और आज भी अवैध कब्जेदारों के ही कब्जे में है ? यदि हां, तो राजकीय सम्पत्ति पर अनाधिकार कब्जा करने वालों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारीगण द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि अवैध कब्जेदारों से राजकीय सम्पत्ति को पुलिस बल की सहायता लेकर खाली न कराये जाने और लगातार राजस्व क्षति होने देने के लिए किन-किन अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

राजकीय महिला चिकित्सालय, फैजाबाद के परिसर में निर्मित उपचारिका हास्टल में उपचारिकाओं ने दिनांक 14-7-88 को अवैध कब्जा कर लिया था । उनकी आवासीय कठिनाईयों के संबंध में जिलाधिकारी, फैजाबाद की अध्यक्षता में बैठक हुई तथा निर्णित हुआ कि उन आवासों को उपचारिकाओं को आवंटित कर दिया जाय । फलस्वरूप दिनांक 28-9-88 को उनका आवंटन कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपचारिकाओं को उनके सेवाकाल में निःशुल्क आवास की सुविधा देय है । अतः राजस्व हानि तथा किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

143–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नगरपालिका फैजाबाद के कार्य क्षेत्र में बनी कतिपय कालोनियों में आवंटियों पर बकाया धनराशि

144–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका फैजाबाद के कार्य क्षेत्रान्तर्गत लक्ष्मणपुरी और भरतपुरी आवासीय कालोनियों के आवासीय कक्ष तथा बस स्टेशन, पुष्पराज टाकीज, जनाना अस्पताल जमुनियाबाग में बनी दुकानें किन-किन लोगों के नाम से और कब से तथा कितने-कितने किराये पर आवंटित हैं ? क्या आवंटित आवासीय कक्ष तथा दुकानों के किराये की अदायगी आवंटियों द्वारा की जा रही है या बकाया है ? किन-किन लोगों पर कितना-कितना किराया तथा टैक्स आदि का कुल बकाया है ? इस बकाया की वसूली के लिए नगरपालिका द्वारा बकायेदारों के प्रति अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रश्नगत आवासों तथा दुकानों के आवंटियों के नाम, मासिक किराया एवं अक्टूबर, 1991 तक बकाया किराया संलग्न परिशिष्ट † में उल्लिखित है ।

आवंटियों द्वारा किराये की अदायगी की जा रही है लेकिन काफी संख्या में आवंटियों के ऊपर धनराशि बकाया है । बकायेदारों से अत्यधिक वसूली का प्रयास किया जा रहा है । कुछ बकायेदारों के विरुद्ध यू० पी० पी० पी० ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है जिसमें एक बकायेदार को बेदखल किया जा चुका है ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर नगरपालिका क्षेत्र में बस स्टेशन पर सुलभ शौचालय बनाये जाने की मांग

145–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर नगरपालिका क्षेत्र में बस स्टेशन के समीप "सुलभ शौचालय" का निर्माण कराये जाने विषय प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-8-91 प्राप्त हुआ है ? क्या इस पत्र को कार्यवाही हेतु "सचिव, नगर विकास" को भेजा गया था ? यदि हां, तो इस मामले में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

---

† छापी नहीं गई ।

जी हां ।

शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है धनराशि की उपलब्धता पर स्वीकृति दी जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक होम्योपैथिक के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराये जाने की मांग

146–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, 1986 के प्रथम सप्ताह में उनके द्वारा नेता भारतीय जनता पार्टी, विधान मण्डल दल, उ० प्र० विधान सभा की हैसियत से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को निदेशक, होम्योपैथिक के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराने हेतु अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र के आधार पर तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तमाम शिकायतों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराने का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

बलिया जनपद की बिल्थरा रोड टाउन एरिया के चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद भी कार्य करते रहने की शिकायत

147–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद की टाउन एरिया बिल्थरा रोड के चेयरमैन अनिल कुमार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावं बैठक में कब और किस न्यायिक अधिकारी की देखरेख में टाउन एरिया सदस्यों ने बहुमत से पास किया था ? क्या किसी अधिकारी की गलती से विश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद उक्त चेयरमैन अपने पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

दिनांक 3 जनवरी, 1991 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बलिया की देख रेख में ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

148–डा० दिनेश जौहरी–

[3सरे मंगल में आता० प्र० सं० 57 के अंतर्गत स्थान्तरित]

उप जिला परिषद् ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के विकास खण्ड भदोही के कुछ सेवा निवृत्ति प्रधान अध्यापकों के बकाया देयों के भुगतान की मांग

149–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिला परिषद् ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के प्रा० पा० बरवां, ब्लाक भदोही, जिला वाराणसी से श्री सूर्य देव मिश्र प्र० अ० सन् 88 जून में रिटायर हो गये ?

यदि हां, तो इनकी पेंशन अब तक स्वीकृत न करने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि श्री राजकरन मिश्र प्र० अध्यापक, जो प्रा० पा० बरवां, ब्लाक भदोही, वाराणसी से रिटायर हो चुके हैं ? उन्हें सन् 85 से बकाया पड़ी राशि (एरियर) नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या इसी तरह से रिटायर श्री राजदेव शुक्ल, प्र० अ० प्रा० पा०, अमवां, ब्लाक भदोही, वाराणसी को भी बकाया धनराशि का एरियर सन् 85 से नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उपरोक्त रिटायर अध्यापकों का बकाया धन व पेंशन देने का आदेश देगी ?

श्री शिव प्रसाद शुक्ल–

जी हां।

पेंशन स्वीकृत हो चुकी है ।

जी नहीं,

इनको बकाया धनराशि रु० 8484.00 का भुगतान चेक सं०–1070/042, दिनांक 25-1-92 द्वारा किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शुक्ल की बकाया धनराशि रु० 7850.00 का भुगतान चेक संख्या–1070/042 दिनांक 25-1-92 द्वारा किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुदामापुरी क्योटरा, शहर बांदा में सड़क निर्माण की मांग

150–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुदामापुरी क्योटरा, शहर बांदा के स्टेडियम से मजार को जाने वाली सड़क को पक्की करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा विधायक तिन्दवारी को जो पत्र सं० 862/वी० आई० पी०/म० न० वि०, दिनांक 12-8-91 को लिखा गया था, उसमें आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सड़क पक्की करवायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

विधायक जी को प्रेषित संबंधित पत्र की प्रतिलिपि मंत्री जी के कैम्प कार्यालय से जिलाधिकारी, बांदा को अब तक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चीकृत हास्पिटल बैरिया को चालू करने की मांग

151 –श्री भरत सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के बैरिया में उच्चीकृत हास्पिटल भवन बनकर काफी दिनों से तैयार है ? क्या उच्चीकृत हास्पिटल पूबहऊ (बलिया) कार्य कर रहा यदि हां, तो बेरिया हास्पिटल का कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन जिम्मेदा है ? कब तक यह हास्पिटल कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । उच्चीकृत अस्पताल, पुबहऊ (बलिया) नहीं वरन् दुबहइ (बलिया) कार्य कर रहा है ।

विद्युत संयोजन न होने के कारण ।

विद्युत विभाग ।

विद्युत कनेक्शन हो जाने तथा वांछित पदों इत्यादि की स्वीकृति हो जाने पर कार्य प्रारम्भ कर देगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं विकास बैंक शाखा धौरहरा, जनपद खीरी के तत्कालीन आंकिक के विरुद्ध जांच की मांग

152–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि०, शाखा धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी के तत्कालीन आंकिक द्वारा किये गये भ्रष्टाचार/गबन की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी को दंडित किये जाने के सम्बन्ध में श्री के० एल० शुक्ला, अध्यक्ष, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार एवं अपराध सुधार समिति, लखनऊ, मा० अकबर हुसैन बाबर, स० वि० स० तथा श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, स० वि० स० के ज्ञापन दिनांक 19-9-90, 15-11-90 तथा 9-1-91 तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां ।

जिला प्रबन्धक, हरदोई तथा शाखा प्रबन्धक, धौरहरा से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकरण में बैंक के सहायक सामान्य प्रबन्धक, श्री बेचूराम वर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और श्री उमेश कुमार पाण्डे, शाखा आंकिक को दिनांक 1-11-89 तथा 13-2-91 को आरोप पत्र दिया गया है । जिला प्रबन्धक, लखीमपुर खीरी की रिपोर्ट के अनुसार शाखा धौरहरा में श्री पाण्डे द्वारा की गयी कतिपय तथाकथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खीरी के न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिसके कारण उ० प्र० सहकारी सेवा विनियमावली, 1975 के नियम 100 के प्राविधान के अनुसार कार्यवाही स्थगित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के प्राथमिक पाठशालाओं में छात्रों एवं अध्यापकों के अनुपात ठीक करने की मांग

153–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के प्राथमिक पाठशालाओं में कितने बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की गयी है ? शासन की नीति क्या है ? क्या ग्राम भुरेड़ी के भूरागढ़ प्राथमिक विद्यालय में जिसमें छात्र संख्या 40 है तथा ब्लाक जसपुरा के कई विद्यालयों में जहां छात्र संख्या 100 से अधिक है वहां केवल एक ही अध्यापक है जैसे खप्टिहा खुर्द प्राथमिक विद्यालय ? यदि हां, तो क्या इस दोषपूर्ण स्थानान्तरण नीति को रोका जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्राथमिक पाठशालाओं में निर्धारित मानक/नीति के अनुसार 40 बच्चों पर एक अध्यापक (40 : 1) नियुक्त किये जाने का प्राविधान है ।

जी नहीं । भूरागढ़ प्राथमिक विद्यालय में 211 छात्र संख्या है और वहां पर 9 अध्यापक/अध्यापिकायें कार्यरत हैं जो निर्धारित मानक से 4 अधिक है इन अतिरिक्त अध्यापकों को एकल अध्यापिकीय विद्यालय में स्थानान्तरण करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

ब्लाक में केवल दो एकल अध्यापिकीय विद्यालय हैं ।

जी हां ।

त्रुटि निवारण हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में पेयजल सप्लाई हेतु बनी पानी की टंकियों का संचालन का कार्य जनपद हमीरपुर के बजाय बांदा करने का सुझाव

154–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में पेयजल सप्लाई करने वाली पानी टंकियों को जिसके निस्तारण हेतु हमीरपुर उल्टा जाना पड़ता है अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, हमीरपुर से हटा कर जनपद बांदा से इन टंकियों को सम्बद्ध किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अयोध्या, जनपद फैजाबाद के कार्तिक मेला एवं परिक्रमा मेला के नाम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्तीय धांधली की शिकायत

155–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या कार्तिक मेला व परिक्रमा मेला के नाम पर वित्तीय अनियमितता आदि विशष्टि मामलों से संबंधित प्रश्नकर्ता द्वारा उनको प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 22-7-91 प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग को कार्यवाही हेतु उनके कार्यालय से भेजा गया है ? यदि हां, तो उस शिकायती पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच करने के आदेश महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को दे दिये गये हैं । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र हरदोई एवं शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र शाहाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में कृषि मंत्री श्री गंगा भक्त सिंह के पत्र पर कार्यवाही

156–श्रीं बच्चा पाठक–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री विश्राम लाल मिश्र, शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र हरदोई एवं श्री मोहम्मद अतहर, शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र शाहाबाद, हरदोई द्वारा अनियमिततायें बरतने, कार्य में शिथिलता बरतने एवं भ्रष्टाचार एवं रिश्वत लिये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा भक्त सिंह, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28-9-91 को पत्र संख्या 1298 एवं 1299 मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री को भेजे गये हैं ? उन पत्रों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां। परन्तु प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

पत्र उपलब्ध होने पर ही कार्यवाही की जा सकेगी।

बरेली मण्डल में अपर निदेशक, स्वास्थ्य की स्थायी नियुक्ति किये जाने की मांग

157–श्री इस्लाम साबिर–

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली में गत 6 माह से अधिक से अपर निदेशक, स्वास्थ्य की स्थायी नियुक्ति न हो पाने के कारण मंडल की चिकित्सा व्यवस्था में बहुत गिरावट आयी है ? मौजूदा अपर निदेशक सप्ताह में 2 दिन बरेली रहते हैं व शेष दिन अपने गृह जनपद आगरा चले जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बरेली मंडल में तुरन्त ही एक स्थायी अपर निदेशक की नियुक्ति करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अपर निदेशक, बरेली मंडल के दिनांक 30-6-91 को सेवा निवृत्त होने के उपरान्त अपर निदेशक के पद पर स्थायी तैनाती न हो पाने के कारण मण्डल की चिकित्सा व्यवस्था में गिरावट आयी है।

जी नहीं, वर्तमान कार्यवाहक मण्डलीय अपर निदेशक केवल अवकाशों में ही आवश्यकतानुसार बरेली से बाहर जाते हैं। उनका गृह जनपद आगरा नहीं बल्कि आजमगढ़ है।

मण्डलीय अपर निदेशक के पद पर शीघ्र ही स्थायी तैनाती की जायेगी।

जनवरी, 1989 से 30 नवम्बर, 1991 के मध्य औषधि नियंत्रक द्वारा खरीदी गयी दवाओं का तथा व्यय की गयी धनराशि का विवरण

158–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औषधि नियंत्रक ने जनवरी, 1989 से 30 नवम्बर, 1991 तक किस-किस कम्पनी से दवा खरीदी तथा उसमें कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

औषधि नियंत्रक द्वारा प्रश्नगत अवधि में किसी भी कम्पनी से कोई दवा क्रय नहीं की गयी इसलिये औषधि क्रय पर किसी धनराशि के व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के औषधि नियंत्रक द्वारा गत वर्ष में औषधि निरीक्षकों की अनियमित नियुक्तियों की शिकायत

159–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के औषधि नियंत्रक ने वर्ष 1991 में औषधि निरीक्षकों को अनियमित रूप से नियुक्त किया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच शासन स्तर से कराकर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औषधि नियंत्रक द्वारा जनवरी, 89 से नवम्बर, 1991 के मध्य दवा बनाने वाली कम्पनियों के लाइसेंस निलम्बित किये जाने का विवरण

160–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औषधि नियंत्रक ने जनवरी, 89 से नवम्बर, 91 के मध्य दवा बनाने वाली किन-किन कम्पनियों के लाइसेंस निलम्बित किये तथा बचे हुए माल के सम्बन्ध में फर्म पर किसी प्रकार का अभियोजन दायर न करने का क्या कारण रहा ? क्या मंत्री जी पूरे मामले की छानबीन कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित कराकर पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में जिन औषधि निर्माण इकाइयों के लाइसेंस निलम्बित किये गये उनकी सूची संलग्न है । निलम्बन काल में संबंधित फर्म द्वारा निलम्बन आदेशों के उल्लंघन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया, अतः अभियोजन का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 186 पर)

विनय भरत ब्लड बैंक, मेरठ को मानव रक्त से औषधि बनाये जाने का लाइसेंस

161–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त औषधि नियंत्रक ने विनय भरत ब्लड बैंक, मेरठ को मानव रक्त से औषधि बनाने का लाइसेंस दिया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत दिया ? क्या सरकार उक्त मामले में शासन स्तर से जांच कराकर उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत ।

लाइसेंस नियमानुसार दिया गया है, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी के जिलाधिकारी कचेहरी परिसर में लगे हैण्ड पम्प के खराब होने की शिकायत तथा पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग

162 –श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के जिलाधिकारी के दफ्तर के सामने कलक्टरी कचहरी परिसर में लगा हैण्ड पम्प करीब दो वर्ष से खराब है व पानी नहीं देता है ? यदि हां, तो क्या इसी तरह से प्रा० पा० दावतपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में लगा हैण्ड पम्प भी शुरू से खराब है और पानी नहीं देता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दूसरा हैण्ड पम्प दोनों जगहों पर लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्या इसकी मरम्मत कराकर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

हैण्ड पम्प खराब था जिसे मरम्मत करके चालू कर दिया गया है जो वर्तमान में समुचित रूप से कार्यरत है ।

जी हां ।

बावतपुर की प्राइमरी पाठशाला में धन की उपलब्धता के आधार पर ही हैण्ड पम्प पुनर्स्थापन की कार्यवाही सम्भव होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में गांव सभा कुवार, विकास खण्ड बड़ागांव के बाजार में खटिक बस्ती में हैण्ड पम्प लगाने की मांग

163–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा-कुवार, ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी में बाजार के दक्षिण में अनुसूचित जाति (खटिक) की बस्ती में वर्ष 90-91 में लगने वाला हैण्ड पम्प जल निगम के कर्मचारियों ने गलत स्थान पर लगाना शुरू किया था, जिसे जल निगम वाराणसी ने रुकवा दिया है ? यदि हां, तो उस हैण्ड पम्प का पूरा सामान कहां है ? अनुसूचित जाति के लोगों की उक्त बस्ती में अब तक उक्त हैण्ड पम्प न लगाये जाने के प्रकरण की क्या सरकार जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री ऊदल के चौहद्दी देने के आश्वासन पर ही प्रश्नगत स्थल पर हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रारम्भ कराया गया था परन्तु स्थल पर स्थानीय विवाद उत्पन्न हो जाने तथा माननीय विधायक द्वारा लिखित चौहद्दी न दिये जाने के कारण कार्य रोक दिया गया ।

हैण्डपम्प की सामग्री विभाग के पास है ।

स्थल विवाद एवं मा० विधायक से तथा अन्यथा भी लिखित चौहद्दी अब तक न मिल पाने के कारण ही प्रश्नगत खटिक की बस्ती में प्रश्नगत प्रस्तावित हैण्डपम्प अब तक नहीं लगाया जा सका है । अतः जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

प्रश्नगंत ग्राम कुवार में कुल 540 की जनसंख्या पर पेयजल आपूर्ति हेतु 3 हैण्डपम्प पूर्व से ही अधिष्ठापित हैं जो मानक से अधिक हैं एवं ग्राम लाभान्वित हैं ।

गांव विश्वनाथपुर, विकास खण्ड बड़ागांव, जनपद वाराणसी में हैण्डपम्प न लगाये जाने की शिकायत

164–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव विश्वनाथपुर, ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी में एक हैण्डपम्प गलत स्थान पर सन् 90-91 में लगाया जा रहा था, जिसको जल निगम, वाराणसी ने रोक दिया था ? यदि हां, तो उसका सारा सामान कहां है और उस हैण्ड पम्प को दूसरी जगह अब तक न लगाने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रश्नकर्ता मा० विधायक श्री ऊदल द्वारा दी गयी चौहद्दी पर प्रश्नगत हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य प्रारम्भ कराया गया था । स्थल पर स्थानीय विवाद होने पर मा० विधायक के मौखिक अनुरोध पर कार्य रुकवा दिया गया था । मा० विधायक के लिखित अनुरोध पर पुनः उसी स्थान पर कार्य आरम्भ करने की कार्यवाही करते ही पुनः विवाद उत्पन्न हो गया, इसके कारण कार्य रोक दिया गया ।

सामग्री विभाग के पास है ।

मामला सुलझाने हेतु मामला जिला प्रशासन को संदर्भित है । निर्णय हो पाने के कारण हैण्डपम्प अभी तक नहीं लगाया जा सका है ।

जांच कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

उक्तानुसार ।

बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा नगरपालिका बांदा को दुकान के निर्माण रोकने के संबंध में दिये गये आदेश

165 –श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री को अवगत है कि नगरपालिका बांदा ने गुरहा कुआं में श्री अब्दुल रशीद की दुकान टीन का ढाबा हटाकर अवैध ढंग से, उसी दुकान पर निर्माण करवाया है ? क्या उक्त दुकान का निर्माण रोकने के आदेश, बांदा विकास प्राधिकरण ने नगर पालिका, बांदा को दिया था ? यदि हां, तो क्या नगर पालिका ने उस आदेश का पालन किया ? यदि नहीं, तो क्या दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

नगरपालिका ने अब्दुल रशीद का कोई भी टीन का ढाबा नहीं हटाया है बल्कि उन्होंने स्वयं अपना टीन का ढाबा हटाया था । अतिक्रमण के हटने के बाद गुरहा कुआं जिसमें उक्त आंशिक भूमि भी शामिल है, के निकट कुछ भूमि पर जो रिक्त थी पालिका के हितों व आर्थिक लाभ हेतु दुकान का निर्माण करवाया है ।

बांदा विकास प्राधिकरण के दुकान के निर्माण को रोकने का आदेश दुकान का निर्माण पूर्ण होने के बाद प्राप्त हुआ जिसका व्यावहारिक एवं विधिक अनुपालन सम्भव नहीं था । किसी कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्लामियां जूनियर हाई स्कूल, बड़ापुर, जिला गाजीपुर को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

166–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, गाजीपुर के अधीनस्थ कार्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् नगर क्षेत्र गाजीपुर के अन्तर्गत आने वाले इस्लामियां जूनियर हाइस्कूल, बड़ापुर में छात्र/छात्राओं की संख्या निर्धारित मात्रा से बहुत कम अथवा नगण्य होने के कारण इसे अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो अब तक विद्यालय स्थानान्तरित न किये जाने और राजस्व के दुरुपयोग के लिये कौन जिम्मेदार है ? शासन द्वारा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं,

बेसिक शिक्षा परिषद् नगर क्षेत्र गाजीपुर के अन्तर्गत इस्लामियां जूनियर हाईस्कूल, बड़ापुर नामक कोई विद्यालय नहीं है। जूनियर प्राइमरी स्कूल संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता !

जूनियर हाईस्कूल सुभाषनगर, गाजीपुर के उर्दू अध्यापक श्री नसीम अहमद अब्बासी के स्थानान्तरण की मांग

167–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, नगर क्षेत्र अधीनस्थ बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर के अधीनस्थ जूनियर हाईस्कूल, सुभाषनगर, गाजीपुर में श्री नसीम अहमद अब्बासी उर्दू टीचर अपने प्रथम नियुक्ति के समय से विगत 15 वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि उनके विरुद्ध अनेक शिकायतें हैं ? यदि हां, तो वहां से किन परिस्थितियों में इनका स्थानान्तरण अब तक नहीं किया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या शासन द्वारा हर 3 वर्ष पर अध्यापकों को स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं,

बेसिक शिक्षा परिषद्, नगर क्षेत्र, गाजीपुर के अधीनस्थ जूनियर हाईस्कूल, सुभाषनगर में श्री नसीम अहमद अब्बासी, उर्दू टीचर नाम के कोई अध्यापक कार्यरत नहीं हैं। श्री अब्बासी, उर्दू अध्यापक प्राइमरी पाठशाला, सुभाषनगर, क्षेत्र गाजीपुर में कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

डा० आर० सी० वर्मा, वरिष्ठ परामर्शदाता, चिकित्सालय, गोण्डा द्वारा शासन की नीति के विरुद्ध कार्य करने की शिकायत

168–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला चिकित्सालय, गोण्डा में सीनियर रेडियोलोजिस्ट के पद पर डा० आर० सी० वर्मा कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि डा० वर्मा ने अपना निजी एक्सरे प्लान्ट गोण्डा में लगा रखा है और स्वयं नियमित रूप से अपना क्लीनिक पूरा समय देकर देखते हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसा करना शासन की नीति के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जिला चिकित्सालय, गोण्डा में डा० आर० सी० वर्मा, वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर कार्यरत हैं ।

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार डा० वर्मा ने अपना निजी एक्सरे प्लान्ट गोण्डा में नहीं लगाया है । डा० वर्मा किसी क्लीनिक में कार्य नहीं करते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मान्यता एवं सेवा नियमावली अरबी तथा फारसी मदरसे उत्तर प्रदेश के विरुद्ध प्रबन्धकों की मनमानी किये जाने की शिकायत

169–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 22-8-87 को निर्गत मान्यता एवं सेवा नियमावली, अरबी तथा फारसी मदरसे उ० प्र० में 43 धारायें हैं ? क्या पूर्वोक्त सेवा नियमावली की 43 धाराओं में से किसी में निलम्बन का शब्द प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे मनमाने ढंग से पूर्वोक्त नियमावली के विरुद्ध कर्मचारियों, शिक्षकों का निलम्बन कर सकें ? यदि हां, तो किस धारा के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो क्या पूरे प्रान्त में प्रबन्धकों द्वारा उनको निलम्बन किये जाने पर, उच्चाधिकारियों द्वारा प्रबन्धकों के विरुद्ध किसी प्रकार की दण्डनीय कार्यवाही की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

मदरसे के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी तथा फारसी मदरसों की मान्यता नियमावली में निलम्बन का प्रयोग नहीं किया गया है, परन्तु नियमावली की धारा 39 में मदरसे के अनुदान के निलम्बन हेतु प्राविधान किया गया है । नियमावली की धारा 33 एवं 34 के अनुसार प्रबन्धाधिकरण को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं सेल से पृथक करने का अधिकार है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मऊ के कस्बा मधुबन को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

170–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के कस्बा मधुबन को टाउन एरिया बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो मधुबन को टाउन एरिया बनाने की स्वीकृति शासन से कब तक मिल जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलतां कटियार–

जी हां ।

निर्धारित शर्तें और प्रक्रिया पूर्ण न करने के कारण इसे टाउन एरिया बनाना सम्भव नहीं है ।

तत्कालीन सचिव, नगरपालिका बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध पालिका सभासदों के संयुक्त हस्ताक्षर से आयुक्त, गोरखपुर को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

171–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नगरपालिका बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध पालिका सभासदों के संयुक्त हस्ताक्षर से आयुक्त, गोरखपुर व जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को कोई शिकायती पत्र माह जुलाई सन् 1991 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा उक्त शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच आख्या सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं, अपितु तत्कालीन सचिव, नगरपालिका, बांसी के विरुद्ध पालिका सभासदों के संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

उक्त पत्र पर सचिव के विरुद्ध जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा बनायी गयी दुकानों का आवंटन

172–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अब तक कितनी दुकानें नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत मंगल बाजार में निर्मित कराई गईं ? उक्त निर्मित दुकानों के आवंटन हेतु कितने व्यक्तियों ने जमानत की धनराशि जमा की है ? क्या धनराशि जमाकर्ता सभी को दुकानें उपलब्ध करा दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष द्वारा दफ्तरी की अनियमित नियुक्ति की शिकायत

173–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नगरपालिका बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा पालिका में कोई असृजित दफ्तरी मोहर्रिर पद पर कर्मचारी नियुक्त कर माह मई, 1990 से नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुकूल है ? यदि नहीं, तो क्या पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका अध्यक्ष, बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा कार्यरत सचिव (बक्शी) को अधिशासी अधिकारी का वेतनमान दिये जाने की शिकायत

174—श्री जय प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत सचिव (बक्शी) श्री ओम प्रकाश गुप्त को पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिशासी अधिकारी केन्द्रीयित सेवा पद वेतनमान.1400--2300 के अन्तर्गत वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 3767/11-4-90 डब्लू/90 नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 7 सितम्बर, 1990 का उल्लंघन करने का क्या कारण है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रमाणित वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायी पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

न्याय पंचायत भारत खण्ड पकड़ी, विकास खण्ड निचलौल, जनपद महाराजगंज के ग्राम जहदा में स्थित ग्रामीण गोदाम का निर्माण अपूर्ण होने की शिकायत

175—श्री शिवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत भारत खण्ड पकड़ी, विकास खण्ड निचलौल, जनपद महाराजगंज के ग्राम जहदा में स्थित ग्रामीण गोदाम का निर्माण अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों ? इसे कब तक पूर्ण करवा देंगे ? क्या इसके निर्माण से संबंधित अधिकारियों की अनियमितताओं की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान—

जी हां ।

ठेकेदार द्वारा बीच में कार्य छोड़ देने के कारण ।

फरवरी, 1992 तक ।

जांच करा ली गयी है ।

ग्राम हडखौडा, विकास खण्ड मिठौरा, जनपद महाराजगंज में नवनिर्मित प्राइमरी पाठशाला भवन के निर्माण में अनियमितता की शिकायत एवं निर्माण कार्य कराने की मांग

176—श्री शिवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम हडखौडा, विकास खण्ड मिठौरा, जनपद महाराजगंज में नवनिर्मित प्राइमरी पाठशाला भवन घटिया किस्म का निर्मित होने से ग्रामीणों के तीव्र विरोध के कारण आज तक विभाग द्वारा पठन-पाठन के कार्य में नहीं उपयोग किया जा रहा है ? क्या सरकार इसके निर्माण में की गयी अनियमितताओं के संबंध में निर्माण इकाई के सहायक एवं अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? उक्त भवन के पुनः समुचित निर्माण की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां,

नवनिर्मित प्राइमरी पाठशाला भवन घटिया स्तर का होने तथा पठन-पाठन कार्य हेतु अनुपयोगी होने के कारण शिक्षा विभाग द्वारा उपयोगार्थ अधिगृहीत नहीं किया गया है ।

जी हां,

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने तथा भवन का समुचित कार्य पूरा कराने हेतु सम्यक् निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्रीमती शैल कुमारी (सीतापुर) एवं राम प्यारी वर्मा (उन्नाव) के पारस्परिक स्थानान्तरण की मांग

177–श्री अनिल कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पैड संख्या क नं- 236969 दिनांक 29-9-91 को श्रीमती शैल कुमारी (सीतापुर) एवं राम प्यारी वर्मा (उन्नाव) का संस्तुति पत्र उनको प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कब ? क्या इस पारस्परिक स्थानान्तरण पर शासन की तरफ से कोई संवैधानिक शासन की नीतियां विरोध में आ रही हैं ? क्या उक्त स्थानान्तरण के आदेश दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, परन्तु मा० विधायक के पत्र पैड संख्या ख नं० 576485 दि० 23-8-91, संख्या ग नं० 261458 दि० 26-9-91, संख्या क नं० 236910 दि० 19-9-91, संख्या क नं० 236909 दिनांक 23-9-91, संख्या ग नं० 261423 दि० 29-11-91 एवं संख्या ख नं० 839774 दिनांक 13-1-92 प्राप्त हुए हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

स्थानान्तरण सत्र समाप्त हो जाने के कारण इस पर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

राजकीय एवं स्वायत्तशासी विभागों के कतिपय कर्मचारी को अनुमन्य अवकाश का विवरण

178–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कर्मचारियों और प्रदेश के शहरी/नगर/स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, सफाई नायकों, ट्रक चालकों को शासन द्वारा घोषित अवकाश दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से अवकाश दिए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो समान रूप से अवकाश न दिए जाने का क्या कारण है ? कब तक अवकाश उन्हें समान रूप से दिये जायेंगे ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 के भाग-2 से 4 में निहित समस्त प्रकार के अवकाश अनुमन्य हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघर्ष समिति द्वारा सफाई मजदूरों को सफाई भत्ता दिये जाने की मांग

179–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० सफाई मजदूर संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई वार्ता में सरकार के अन्य विभागों में जहां पर सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्य किया जाता है, उन्हें सफाई भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ० प्र० के पत्र सं० 6171/4/9-1-89-79 सा /89, दिनांक 6 नवम्बर, 1989 द्वारा अनुरोध किया गया है ? क्या नगर विकास विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को सफाई भत्ता देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा किन-किन विभागों में सफाई भत्ता अनुमन्य किया गया है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां ।

(ग) प्रदेश के समस्त नागर स्थानीय निकायों में यह भत्ता पूर्व में ही स्वीकृत किया जा चुका है ।

(घ) यह भत्ता सीवर व रविश रिमूवर कार्यों में संलग्न अन्य समस्त विभागों में अनुमन्य करने हेतु इस विभाग द्वारा प्रस्तर "ख" में संदर्भित पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली की साधन सहकारी समिति की सील युक्त डी० ए० पी० खाद का तहसीलदार पुरवा द्वारा वितरण का विवरण

180–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साधन सहकारी समिति अकोहरी विकास क्षेत्र हिलौली, जनपद उन्नाव में ए० डी० सी० ओ० सहकारिता ने माह अगस्त, 1991 में डी० ए० पी० खाद के स्टाक को सील कर दिया गया था ? यदि हां, तो दिनांक 22-11-91 को तहसीलदार, पुरवा ने उक्त खाद को कितने काश्तकारों को कितने दिनों मे कितनी-कितनी खाद किस-किस रेट में दिलवायी ? क्या सरकार उन काश्तकारों के नाम तथा पते की सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान–

जी हां, माह अगस्त, में नहीं बल्कि अक्टूबर, 1991 में ।

दिनांक 22-11-91 को सील तुड़वाकर 29 काश्तकारों को 14 दिन में 50 किलो से लकर 400 किलो तक प्रति काश्तकार को 191.40 पै० प्रति 50 कि०ग्रा० बोरी की दर से वितरित की गयी ।

जी हां, काश्तकारों के नाम तथा पते निम्नवत् हैं :–

क्र०सं०	नाम काश्तकार	पूरा पता
1	सर्वश्री सुलेश पुत्र राम निधि	कुशलाखेड़ा, हिलौली
2	वृहना पुत्र नन्हका	बसंतखेड़ा, अकोहरी
3	श्रीराम पुत्र विश्वनाथ	गुरूदत्तखेड़ा, लोटना
4	राम मोहन पुत्र बृजभूषण	नरीचक, मौरावां

क्र०सं०	नाम काश्तकार	पूरा पता
5	सर्वश्री नन्दकिशोर पुत्र नन्हकऊ	लायक खेड़ा, अकोहरी
6	बैजनाथ पुत्र भोगा	पत्योलादासी, अकोहरी
7	छेदीलाल पुत्र पूरन	पत्योलादासी, अकोहरी
8	लल्लू पुत्र लाला	मुस्कापुर, अकोहरी
9	शीतला सिंह पुत्र शिवपाल सिंह	6 कुराईनखेड़ा, अकोहरी
10	राम प्रसाद पुत्र लाला	पठई, अकोहरी
11	राम पियारे पुत्र गया प्रसाद	6 कुराईनखेड़ा, अकोहरी
12	होरी लाल पुत्र तुलई	पठई, अकोहरी
13	राम आसरे पुत्र चुनई	लोचनखेड़ा, अकोहरी
14	राम औतार पुत्र शिव गुलाम	चौथरिनखेड़ा, अकोहरी
15	राम औतार पुत्र दुर्जन	लायकखेड़ा, अकोहरी
16	शम्भू पुत्र नन्हऊ	बसन्तखेड़ा, अकोहरी
17	दयाराम पुत्र सीताराम	चौथरिनखेड़ा, अकोहरी
18	श्रीनारायन पुत्र ब्रह्मादीन	पठई, अकोहरी
19	शिव कुमार पुत्र राम प्रसाद	नरी, मौरावां
20	जागेश्वर पुत्र गंगा प्रसाद	बखतखेड़ा, अकोहरी
21	भगवान देव पुत्र मैकू	परानूखेड़ा, मौरावां
22	श्रीराम पुत्र रामचरन	चौधरिनखेड़ा, मौरावां
23	राम गोपाल पुत्र राम किशुन	पत्योला, अकोहरी
24	राम रतन पुत्र बद्री	पत्योला, अकोहरी
25	राम मोहन पुत्र बृजभूषण सिंह	नरीचक, मौरावां
26	सरजू पुत्र मेड़े	सेवकखेड़ा, अकोहरी
27	श्रीराम पुत्र कालीचरन	सेवकखेड़ा, अकोहरी
28	राम शंकर पुत्र चन्द्रिका	अकोहरी, अकोहरी
29	गिरजा सिंह पुत्र शिवनारायण सिंह	बरौला, मौरावां

मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से शिक्षण संस्थाओं को आवंटित धनराशि का विवरण

181–श्री उदय प्रताप सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1989 से अक्टूबर, 91 तक मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से उ० प्र० के किन-किन जनपदों में किस-किस विद्यालय को कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या आवंटित धनराशि का सदुपयोग किया गया ? २ ; नहीं, तो क्या सरकार संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रबन्धकों के विरुद्ध सतर्कता आधेष्ठान से जांच कराकर धनराशि का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(प्रतिपक्ष की ओर से कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

प्रश्नकाल को स्थगित किये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, प्रश्नकाल के समय, मैंने मामला उठाने का प्रयास किया था । प्रश्नकाल की गम्भीरता को देखते हुए, मैंने प्रश्नकाल को स्थगित करने की बात कही थी । मान्यवर, हो यह रहा है कि विधान सभा में कभी-कभी महत्वपूर्ण विषयों को बहुत ही हल्के तरीके से लिया जा रहा है । बहुत बड़े-बड़े मसलों को छोटे स्तर से समाप्त कर दिया जाता है ।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य प्रश्नकाल को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव ला रहे हैं । जबकि प्रश्नकाल समाप्त हो गया है । ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को लाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री चौधरी जी प्रश्नकाल के समय अपनी बात कहना चाहते थे तो उस समय मैंने उनसे कहा था कि प्रश्नकाल का अब केवल 10 मिनट का समय शेष रह गया है जब प्रश्नकाल का समय समाप्त हो जायेगा तो मैं बात कहने की अनुमति दूंगा । हो सकता है माननीय सदस्य कोई महत्वपूर्ण बात संज्ञान में लाना चाहते हों इसलिए मैंने उनको अनुमति दी है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आज जब प्रश्नकाल चल रहा था और आप माननीय मंत्रियों से प्रश्न पुछवा रहे थे और विपक्ष के माननीय सदस्यों को आप उत्तर दिलवा रहे थे तो उसी समय स्वास्थ्य विभाग का एक प्रश्न आया और उस पर काफी वाद-विवाद हुआ । माननीय श्री प्रमोद तिवारी, विपक्ष के माननीय सदस्य व सत्ता पक्ष के सदस्य भी उस प्रश्न पर दिलचस्पी रख रहे थे । आपने उस पर नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा की बात कही । आपने कह दिया कि इस पर आधे घण्टे की चर्चा करायेंगे । आपके ऐसा कहने पर डा० दिनेश जौहरी जी, जो बरेली से सदस्य हैं, प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए । आपने उनसे यह आग्रह किया कि माननीय मंत्री जी के उत्तर आ जाने के बाद, मैं आपको अवसर दूंगा । उस समय डा० जौहरी खड़े हुए और आपने प्रश्न पूछने की अनुमति दी । महत्वपूर्ण इसलिए है कि डा० जौहरी कोई साधारण सदस्य नहीं हैं । पूरा विपक्ष ऐसा समझ रहा था कि उनसे अच्छा इस प्रश्न के सन्दर्भ में दूसरा प्रश्न पूछने वाला और कोई माननीय सदस्य इस विधान सभा में नहीं है । महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने माननीय संदस्य व प्रश्न दोनों को बहुत ही हल्के ढंग से लिया और माननीय मंत्री जी को उत्तर देने से मना कर दिया, जो आपके अधिकार से सर्वथा बाहर की बात है । आपका यह अधिकार नहीं है कि आप माननीय मंत्री जी को उत्तर देने से मना करें । इतना अवश्य माननीय सदस्य की आप सहायता कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकते हैं कि अगर प्रश्न का उत्तर देने में सत्तापक्ष आनाकानी करता है त. उसे आप उत्तर दिलवाने में सहयोग कर सकते हैं । अगर माननीय डा० जौहरी जी के प्रश्न का उत्तर आ जाना तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता और हम जो लोग यहां पर बैठे हैं, उस उत्तर से संतुष्ट होते और जो यह मामला उलझा हुआ है, उसका एक सरल रास्ता निकल आता । परन्तु, आपने ऐसा नहीं होने दिया । आपने यह कह दिया कि हम चर्चा की अनुमति देते हैं । .....माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर हम नहीं दिलायेंगे इसकी घोषणा आपने नहीं की थी आपने कहा था कि हम चर्चा के लिए स्वीकार करते हैं । जब् माननीय सदस्य का प्रश्न हो गया तो आपका नैतिक कर्तव्य होता है और परम्परा भी ऐसी ही है कि माननीय मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें अगर उत्तर नहीं दिलवाते हैं तो आपके लिए भी और सदन के लिए भी और उस कुर्सी के लिए भी यह बड़े भारी [xxx] की बात होगी । (व्यवधान)

* श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) मैं आपकी अनुमति से नियमावली 276 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप जो कहना चाहते हैं वह मैं समझ लिया है (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं अधिक इस सन्दर्भ में नहीं कहूंगा आप इसे पढ़ चुके हैं कहीं से आपको महसूस कराना नहीं चाहता हूं कि आप नियम को नहीं जानते हैं । लेकिन कहना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत किसी भी मंत्री को जो बर्खास्त कर दिया गया हो या त्याग-पत्र दिया गया हो तो वह किन परिस्थितियों में हुआ । उससे सम्पूर्ण सदन को अवगत कराया जायेगा । उसे इसके लिए वक्तव्य देने का अधिकार है । माननीय डा० दिनेश जौहरी जिस समय बर्खास्त हुए थे उस समय उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु उठाया थी, उन्होंने कहा था कि कल्याण सिंह की सरकार नौकरशाहों के पैरों तले ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि डा० दिनेश जौहरी एक ईमानदार और अपनी बात पर कायम रहने वाले सदस्य हैं । मैं इस सदन में सिर्फ आग्रह करूंगा कि आज जब डा० दिनेश जौहरी बोलने के लिए खड़े हुए तो उधर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना चश्मा उतार कर उनकी तरफ देखा और उन्हें डराया, धमकाया और वह बोल नहीं सके । नियम 276 के अन्तर्गत डा० दिनेश जौहरी जो कुछ कहना चाहते थे उनको कहने नहीं दिया (व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) यह आरोप गलत है (व्यवधान)

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर डा० दिनेश जौहरी अपना वक्तव्य नहीं देते हैं तो उससे स्पष्ट हो जायेगा कि जो आरोप इन पर भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि के लगाये गये थे वह सही थे ।

श्री अध्यक्ष–

यह माननीय चौधरी जी ने जो विषय उठाया है उससे परे है मैं पहले माननीय राम गोविन्द चौधरी के व्यवस्था के प्रश्न पर कोई निर्णय दे दूं । (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मानयवर, उसी संबंध में मैं पहले नियम 276 को पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष–

यहां पर 276 लागू नहीं होगा । (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरी जानकारी है डा० दिनेश जौहरी किन परिस्थितियों में मंत्रि मण्डल से हटाये गये

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की न उन्होंने कोई पहल की और न मांग की (व्यवधान) मैंने नियम 276 पढ़ लिया है । न उन्होंने त्याग-पत्र दिया और न उन्होंने व्यक्तिगत बात कहने की बात कही है ।

(व्यवधान)

* श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, नियमावली के नियम 42 (2) को देखें ।.....(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

नियमावली के नियम 276 को आप पढ़ें..... ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया पहले नियम 42 को आप देखें जिसके संबंध में श्री हृदय नरायन दीक्षित कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, नियमावली के नियम 42 (2) के अनुसार यदि कोई अनुपूरक प्रश्न आप अस्वीकार करेंगे, यदि उनकी राय में उससे प्रश्नों संबंधी नियम भग होते हैं । मान्यवर, आपने डा० दिनेश जौहरी का प्रश्न अस्वीकार किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि उससे कौन सा नियम भग हो गया ? यह जिज्ञासा मेरी आप शान्त कर दें तो मैं बैठ जाऊं । आपने अनुपूरक प्रश्न करने के लिए डा० दिनेश जौहरी जी को अनुमति दिया लेकिन आप अनुपूरक प्रश्न को इन्कार कर सकते हैं किन्तु नियमावली के नियम 42 (2) के अनुसार आपकी अनुज्ञा से स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछ सकेंगे और डा० जौहरी जी ने प्रश्न पूछा और आपने इन्कार कर दिया, तो कौन सा नियम भंग हो गया ? यह आप बता दें ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नियम 276 को आप देखें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री हृदय नरायन ने जो प्रश्न उठाया हे उस पर व्यवस्था पहले दे दूं । श्री प्रमोद तिवारी जी क्या आप भी इसी संबंध में कहना चाहते हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरे प्रश्न पर आप अलग व्यवस्था देने की कृपा करेंगे । मेरा प्रश्न दूसरा है ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या आप भी श्री राम गोविन्द चौधरी के प्रश्न पर कुछ कहना चाहते हैं ?

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । मान्यवर, आपका आदर करता हूं, व्यक्तिगत रूप से और पीठ पर जो होगा उसका आदर करूंगा । लेकिन कभी-कभी ऐसे दुखद प्रसंग आ जाते हैं जिससे आप पर कुछ प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया जिसके लिए मुझे खेद है । लेकिन यह हमारा व्यक्तिगत अधिकार है और जब अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ा होती है । श्रीमन्, यह सदन नियमों से और परम्पराओं से चलता है । नियमों और परम्पराओं से कोई ऊपर नहीं है । नियमों से सदन चलता है तो ठीक से चलता है । डा० दिनेश जौहरी को आपने अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दिया और उन्होंने अनुपूरक प्रश्न कर लिया और उसके बाद आप नियम 49 में चर्चा स्वीकार कर दें ।..... श्रीमन्, यह मैंने कहीं भी नियमों में नहीं देखा है और न ही संसदीय प्रणाली की पुस्तक में कहीं है आपके विवेक का इस्तेमाल कर लिया । प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी । सदन के संज्ञान में भी आ गया । माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए तो आपने कहा कि निमय–49 में चर्चा स्वीकृत हो गयी है । हमारे दिमाग में एक प्रश्न उपस्थित हो गया और हमने आपसे उस समय भी जिद की । आप भी अपनी जिद पर अड़े रहे । आपने हमको अनुमति नहीं दी । ऐसे प्रश्न संसदीय जीवन में जनहित के लिए अच्छे नहीं होते हैं । यह प्रश्न जो आज है पूरे प्रदेश, देश की जनता के लिए कौतूहल का प्रश्न है और आज भी है । जिस समय यह घटना घटी उस समय भी उस पर कुछ उत्तर दिये गये । इसके बावजूद इस जैसे संवेदनशील मसले पर सरकार कोई उपाय सोचती कोई आगे के लिए कार्यवाही करती । उस समय सरकार आपकी थी कुछ लोग इधर हैं कुछ लोग उधर । यह लाइसेंस जारी हुए थे 1985 में ।

इस समय कुछ इधर बैठे हैं कुछ उधर । फैक्टरी न उनकी थी न हमारी, न वह चलाते थे न हम । ऐसे विषय पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो इससे जो भ्रष्ट उद्योगपति हैं, अधिकारी हैं उनकी अच्छी तरह से चलती है वह जानते हैं कि इस तरह से लोगों को आपस में लड़ा दो । मान्यवर, इसकी शुरुआत माननीय मंत्री जी की ओर से हुई थी । इन्होंने यह आरोप लगाया कि इनकी सरकार थी तब यह लाइसेंस जारी हुए थे । यह घटना जब घटी उस समय डा० जौहरी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं । इसलिए लेटेस्ट जानकारी उन्हें ही ज्यादा अच्छी तरह से होगी । उनको हम इसमें शामिल नहीं करते । उनके प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो चिन्ता का विषय है । श्रीमन्, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो प्रश्न ग्राह्य था उस पर चर्चा हो तो चर्चा की तिथि आज ही निर्धारित कर दी जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री राम लखन वर्मा जी को बोलने दें ।

* श्री राम लखन वर्मा–

श्रीमन्, इस प्रश्न से मेरा कोई संबंध नहीं है । मैं इससे हट करके एक व्यवस्था चाहूंगा और आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया । श्रीमन्, इसी सदन में पिछले सप्ताह आपकी पीठ से एक आश्वासन हुआ था कि अगले सप्ताह तक उपाध्यक्ष का चुनाव हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह विषयान्तर हो रहा है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, 276 हो जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी के बोलने से आप सब नेता लोगों को सुन लें । सबसे सलाह लेकर इस पर उचित व्यवस्था दें । डा० जौहरी जी की बात सुन लें । श्रीमन्, इसमें जल्दबाजी न करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डा० जौहरी जी आपने जो प्रश्न किया था उसके संबंध में अपनी बात कह दें और इससे संबंधित जो श्री चौधरी ने कहा है उसे भी कहें ।

* डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इसे चर्चा के लिए जल्दी ले लें जिससे यह जल्दी ही खत्म हो जायेगा । इतना ही कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं माननीय डा० दिनेश जौहरी की बात पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं उसे सुन लें । उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, [xxx]

श्री अध्यक्ष–

आप आरोप लगा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

डा० दिनेश जौहरी जी ने सदन में अपनी बात को कहा, अब सदन उसमें जाने को उत्सुक है कि उत्तर क्या है । मान्यवर, माननीय डा० दिनेश जौहरी जी ने जो बात सदन में कही है वह सदन की सम्पत्ति बन गयी और जब वह सदन की सम्पत्ति बन गयी तो हर सदस्य उसका जबाब जानना चाहेगा । यह कह देना कि चर्चा होगी इससे काम नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें ।

(व्यवधान)

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, आपने मुझे बुला लिया है ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्दीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मैं स्वयं राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का आदर करता हूं । मेरा संवैधानिक प्रश्न है यह सत्य है कि डा० दिनेश जौहरी जी ने सवाल उठाया । उनके सवाल उठाने के बाद उनका वह व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया । यह मामला पूरे सदन का हो गया । जो सवाल उठाया गया वह अब सदन की सम्पत्ति हो गया । अब उन्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि खड़े होकर वह इसको वापस ले लें । मैं संवैधानिक व्यवस्था चाहूंगा । आप नियमों के प्रकाण्ड पंडित हैं । अब उस पर डा० जौहरी जी का कोई अधिकार नहीं रह गया है । वह सदन की सम्पत्ति बन गया । कर्पूरासव की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की । मेडिकल प्रेक्टिसनर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यह नहीं दिया जा सकता है । यह प्रतिबंधित ड्रग है । इसको ज्यादा मात्रा में लेने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है । इसको ज्यादा लेने से कितनी बहनों के सिंदूर धुल गये ? कितनी माताओं की गोद सूनी हो गयी ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने और माननीय यादव जी ने जो बात कही वह बहुत महत्वपूर्ण है । जब मैं ग्राह्यता पर बोल रहा था तब मैंने खुद इस बात को कहा था कि यह विषय महत्वपूर्ण है । इसमें कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहता हूं । इसलिए नियम–49 की चर्चा स्वीकार कर ली गई है । अगर तथ्य छिपाना चाहते तो उत्तर ही नहीं देते । इसमें पांच लोगों को निलम्बित कर दिया गया है । कड़ी कार्यवाही की जा रही है । नियम–49 में सब बातें स्पष्ट हो जायेंगी । इस पर जल्दी चर्चा हो जानी चाहिए । नियम–49 को इन्होंने देखा । इसमें लिखा है कि "किसी मंगलवार या वृहस्पतिवार के लिए सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त लिया जायेगा" नियमों में यह व्यवस्था है । मान्यवर,आप सदन संचालित करते हैं । डा० जौहरी जी के प्रश्न पर जैसा आप उचित समझेंगे करेंगे । नियम–49 में उस विषय पर यह चर्चा कर सकते हैं उसमें इनको चर्चा का सुअवसर प्राप्त है । अब इसमें सदन का समय नहीं जाना चाहिए । आपके विवेक को चुनौती देना संसदीय परिपाटी नहीं है । मान्यवर, एक बात की ओर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था । अभी माननीय तिवारी जी ने कहा .....

श्री प्रमोद तिवारी–

अभी मैंने नहीं कहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने तिवारी जी का नाम जो लिया उसको वापस लेता हूं । मान्यवर, कहावत है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, अगर माननीय मंत्री जी कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

नियम 42 के अन्तर्गत मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कोई बात नहीं बतायी है । जब आप अपनी व्यवस्था दें तो उस पर भी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न रखा है। आपने मुझको सुना और उसके तहत नियम 42 के तहत एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय दीक्षित जी ने उठाया और उसके बारे में आपने माननीय वर्मा जी को सुना और कैलाशनाथ यादव जी को सुना और डा० जौहरी साहब को सुना है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न जो है उसका उत्तर दे दीजिये। एक बात और है यदि संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद व्यवस्था दें तो मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको कुछ कहना है नहीं तो मैं माननीय राम गोविन्द चौधरी को सुन लूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बातों को घुमाने की आदत है। आप पूरी कार्यवाही देख लीजिये, मैंने कहीं पर, कभी आपको चुनौती नहीं दिया है, मैंने केवल आग्रह किया है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा भी नहीं है कि आपने कुछ चुनौती दी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप नियमों के ज्ञाता हैं, कानून के पंडित हैं। आपके द्वारा इस विधान सभा में नये-नये इतिहास सृजित होने चाहिए।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, सदन में पर्चा बांटा जा रहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जो मान्य परम्परायें हैं, नियमावली है, संविधान है उसके अनुसार सदन की कार्यवाही चलती है। यदि आपके रहते हुए कोई ऐसी बात हो जाय जो नियमानुकूल न हो तो वह सदन के लिये, सदस्यों के लिये शोभा की बात नहीं है। माननीय मंत्री से डा० दिनेश जौहरी जी का जवाब आना चाहिए था। मैं कहना चहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। इसका स्तर बढ़ाने के लिये, गरिमा को बचाने के लिये आवश्यक हो गया है कि यह चर्चा हो और आप यह चर्चा करायेंगे लेकिन अभी प्रश्न यह है कि उनके प्रश्न को अनुमति देने के बाद उत्तर देने के लिये जब मंत्री जी खड़े हुए तो आपने मना क्यों कर दिया ? यह परम्परा को आपने तोड़ा है, यह सदस्यों की गरिमा और आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हम लोगों पर आरोप लगाया कि हमने आप पर आरोप लगाया है। हमको इतने बुद्धिमान अध्यक्ष मिले हैं, काफी आप लोगों की सहायता भी करते हैं उसके बावजूद भी यह लोग कुछ आपसे सीख नहीं ले रहे हैं। मैं तुलसीदास जी का एक दोहा कहना चाहता हूं :—

फूलहिं फलहिं न बेंत, जदपि सुधा बरसें जलद,
मूरख हृदय न चेत, जो गुरू मिलें विरंचि सम।

मान्यवर, यह हम लोगों का अधिकार है, हम तेज भाषा में आग्रह भी करते हैं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी उसको आरोप समझ लेते हैं । आरोप हम लोग नहीं लगा सकते, श्रीमन्, और कभी-कभी तो हम देखते हैं कि जो सत्ता पक्ष के हैं, वे किस तरह से नियमों का उल्लंघन करते हैं और संसदीय कार्य मंत्री सुनते रहते हैं । विपक्ष के लोग इस सदन में ज्यादा मर्यादित हैं और अमर्यादित और संसदीय नियमों के विपरीत आचरण कोई करता है, तो सत्तापक्ष के लोग करते हैं ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

एक सदस्य दूसरे सदस्य से सीधे प्रश्न नहीं पूछ सकता ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो संविधान के नियमों का प्रश्न उठाया है, क्या तुलसीदास का उदाहरण उसमें चल सकता है । यदि चल सकता है और परम्परा बन सकती है तो यह थोड़ा झंझट की है, इनको हटाकर दूसरी धारा लगायें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम गोविन्द चौधरी, माननीय हृदय नरायण दीक्षित, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा, माननीय राम आसरे वर्मा आदि ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर इस सदन में आ रहे थे तो माननीय तिवारी जी ने मांग की और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्वीकृति हो जाने के पश्चात् प्रश्नों से उठते हुए विषय पर नियम 49 के अन्तर्गत मैंने आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर ली । चर्चा स्वीकृत होने के बाद व्यवस्था देने के पूर्व डा० दिनेश जौहरी ने एक अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उस समय प्रश्न न पूछने के कारण मैंने तुरन्त ही चर्चा स्वीकृत कर दी थी । उसके पश्चात् डा० दिनेश जौहरी को बुलाया कि वे क्या अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं । माननीय डा० दिनेश जौहरी ने एक प्रश्न पूछा और मैंने मंत्री जी से अपेक्षा की कि इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । नियम 49 में चर्चा स्वीकृत करने की व्यवस्था अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है तो नियम 49 में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि उसके बाद जो प्रश्न है, उससे उठते हुए अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति न दी जाय । मेरा उद्देश्य केवल इतना ही था कि क्या माननीय डा० दिनेश जौहरी कहीं कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछ रहे थे जो चर्चा के विषय से हटकर हो और जब मैंने देखा कि अनुपूरक प्रश्न ऐसा है कि जो चर्चा के विषय में सम्मिलित है और उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो सकती है तो मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

यह सत्य है कि सदन मान्यताओं और परम्पराओं के आधार पर चलेगा और चलता रहेगा । यह बात भी निर्विवाद है कि तब तक यह सदन संसदीय मान्यताओं के आधार पर चलता रहेगा, जब तक कि सदस्यों का सहयोग एक दूसरे को प्राप्त होता रहेगा और सभी सदस्य परस्पर विश्वास के वातावरण में बात करते रहेंगे । मैं यह नहीं समझता कि डा० दिनेश जौहरी का जो अनुपूरक प्रश्न था उसमें कोई ऐसी बात थी जो चर्चा के विषय में सम्मिलित न हो । यह भी सही है कि एक बार अनुपूरक प्रश्न सदन में आ जाता है तो सदन की सम्पत्ति हो जाता है । तो माननीय डा० दिनेश जौहरी ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा वह सदन की सम्पत्ति हो गया, लेकिन उसके पश्चात् भी अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी भी अनुपूरक प्रश्न को नजरंदाज कर दें और परम्परा यह भी है कि यदि अध्यक्ष कोई विनिश्चय करता है तो उनके विनिश्चिय को नियम 313 में चुनौती नहीं दी जाती है । माननीय हृदय नरायण दीक्षित ने नियम 42 की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और कहा है कि अनुपूरक प्रश्न पूछना सदस्यों का अधिकार है । अब मैं इसी विषय को थोड़ा सा लेकर दो-चार वाक्य मैं और कहना चाहता हूं । प्रत्येक सदस्य को

अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन किसी सदस्य को असीमित प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। किसी को 3, किसी को 5, किसी को 10 प्रश्न हम अमान्य करेंगे। उसी के हिसाब से अध्यक्ष को विनियमित करना पड़ जाता है। कभी शासन के उत्तर ऐसे आते हैं, जिससे सदस्य लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। उत्तर से संतुष्ट कराना या न कराना यह अध्यक्ष का काम नहीं है। आपने कभी प्रश्न किया, कभी-कभी उसके अस्पष्ट उत्तर आ जाते हैं, आप अनुपूरक प्रश्न के लिये खड़े हो जाते हैं, किसी को अनुमति मिल जाती है, किसी को नहीं मिल पाती है। डा० दिनेश जौहरी खड़े हो गये थे, उससे पहले हमने चर्चा स्वीकार कर ली थी, तो मैंने जब उनके प्रश्न को सुना तो स्पष्ट हुआ कि वह नियम 49 की चर्चा में आ जायेगा, चर्चा के समय आप बहुत से नियमों का सहारा ले सकते हैं। यह मेरी व्यवस्था है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था हम लोग मान ले रहे हैं। श्रीमन् इस निवेदन के साथ कि आगे इस बात का ध्यान रखें कि पुनः ऐसी व्यवस्था न हो जाय।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियमावली के नियम 276 के अन्तर्गत आपका ध्यान दिलाना चहता हूं। इसमें कुल मिला कर एक अधिकार बनता है। जब कोई मंत्रि-मण्डल का सदस्य निष्कासित किया जाय, यह तो मान्यवर, इसमें है, अब उसके नियमों में न जा कर दो बातें कहना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, उस समय समाचार-पत्रों में मैंने पढ़ा था कि डा० दिनेश जौहरी ने कहा था कि यह सरकार ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त में है, इसलिये उन्होंने जो बगावत की आवाज उठायी थी, उसका खामयाजा उनको उठाना पड़ा था।

श्री अध्यक्ष–

नियम 276 की आप चर्चा कर रहे थे, अभी तक माननीय पूर्व मंत्री जी ने अपने व्यक्तिगत वक्तव्य देने के बारे में कोई समय नहीं मांगा था, तो क्या सदन का दूसरा सदस्य पद त्याग किये हुए मंत्री को बाध्य कर सकता है ? यह जो प्रश्न आपके द्वारा उठाया जा रहा है, यह सुसंगत नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, डा० दिनेश जौहरी लगातार इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार दबाव डाल रही है कि वह कहीं बोल देंगे, तो उनका भ्रष्टाचार उजागर हो जायगा।

(व्यवधान)

मान्यवर, नियम की लाइन यह है कि – किसी सदस्य को जिन्होंने मंत्री पद का त्याग किया हो, अध्यक्ष की सम्मति से अपने त्याग-पत्र के स्पष्टीकरण में एक व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार होगा। मान्यवर, डा० दिनेश जौहरी ने जो तथ्य रखा था या तो वह सही है या सरकार सही है, दोनों में से एक ही सही है। यह मान्यवर, आज उनके राजनैतिक जीवन का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि यह सरकार अभी तक तो विरोधी दलों के विधायकों का उत्पीड़न करती थी, लेकिन अब यह सरकार इस पर उतर आयी है कि यह अपने ही दल के विधायक का ही उत्पीड़न कर रही है। अब उनको विवश किया जा रहा है कि सच्चाई न बोलें। मैं अन्तिम वाक्य में कहना चाहता हूं कि अगर वह वक्तव्य दे दें तो सच्चाई सामने आ जायेगी और अगर नहीं देते हैं तो समझा जायेगा कि उन्होंने जो आरोप लगाये हैं, वह गलत हैं। मान्यवर, वह बहुत ही डरे हुए बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अगर पूर्व मंत्री को कुछ कहना होता तो वह कुछ कहते ।

श्री प्रमोद तिवारी–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं, यह आरोप है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, वह बहुत ही डर गये हैं । उनकी आप रक्षा कीजिये । आप बोलने का अवसर दें और सच्चाई को सामने आने दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं झूठ सच की बात नहीं करता हूं, लेकिन तिवारी जी को काल्पनिक बातें कहने का ज्यादा अभ्यास पड़ रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि जो माननीय सदस्यों को दत्त स्वातंत्रय प्राप्त है, उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है । इन शब्दों के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि जो अनर्गल आरोप लगाये जा रहे हैं कि उनको दबाया जा रहा है, बिल्कुल निराधार हैं, उन पर किसी प्रकार का और किसी तरह का दबाव डालने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(व्यवधान)

जिन संस्कारों में, वहां दबाया जाता होगा, लेकिन हमारे यहां पर किसी को किसी तरह से दबाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

माननीय मंत्री जी ने दुरुपयोग शब्द का प्रयोग किया है, यह असंसदीय है, इसको कार्यवाही से निकाला जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने दुरुपयोग शब्द का प्रयोग नहीं किया है । मैंने कहा है कि सदुपयोग नहीं किया जा रहा है ।

मान्यवर, जहां तक नियम 276 का ताल्लुक है, उसमें अगर कोई मंत्री सदन में वक्तव्य देना चाहता है तो उसकी व्यवस्था है, उसकी सूचना की कापी देंगे और आपकी अनुमति से वह वक्तव्य देंगे । अगर वह कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तो सदन के मूल्यवान समय को नष्ट करना शोभा नहीं देता है । तो इस तरह से नियम 276 का बहाना लेकर काल्पनिक बातें उठाना ठीक नहीं है । अनर्गल आरोप लगाने आरम्भ कर दिये हैं । मान्यवर, आरोप लगाने की भी व्यवस्था है, परिपाटी है और नियमों में भी व्यवस्था है । आपको सूचित कर दें और खुलकर आरोप लगायें और इस तरह के आरोप लगाना संसदीय परिपाटी में नहीं है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी को असंसदीय शब्द प्रयोग करने की आदत पड़ गयी है । अनर्गल शब्द असंसदीय है । अगर असंसदीय है, तो उन्हें डाटिये । मैं तो कभी-कभी काल्पनिक बात बोल जाता हूं, वह तो हमेशा काल्पनिक बात करते रहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप शांति बनाये रखिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

एक दिन और मैंने यही बात कही थी । आप कार्यवाही को दिखवा लें । अगर ९९ बातें राजेन्द्र कुमार गुप्त जी काल्पनिक बोलते हैं, तो एक आध मैं भी बोल जाता हूं । मान्यवर, एक यह परिपाटी रही है, यह कह रहे हैं कि हम पर आरोप मत लगाया करो, अगर लगाना है तो एक दिन पहले सूचना दो । मैं तो सच्चाई कह रहा हूं, [×××] क्या गलत है ?

श्री अध्यक्ष–

यह असंसदीय है, यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, [xxx] शब्द असंसदीय नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा, समाचार पत्रों में भी उल्लेख नहीं होगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, फूलन देवी का नाम लिया जायेगा तो क्या डाकू फूलन देवी नहीं कहा जायेगा इसी तरह से अगर इस सरकार का नाम लेगें तो भ्रष्टाचारी सरकार का नाम लेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

भ्रष्टाचार शब्द संसदीय है । आपने एक आरोप लगाया और उसका उत्तर आ गया ।

(व्यवधान)

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, अब मुझे व्यवस्था देने दीजिए

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुझे याद है कि आपने पहले दिन यहां बोला था कि जब तक मैं इस पीठ पर आसीन हूं सभी सदस्य निष्पक्षतापूर्वक और निर्भीकतापूर्वक अपने विचारों को रखें । तो मान्यवर, जब मैं आपकी तरफ बोलता हूं तो मुझे महात्मा गांधी जी दिखाई देते हैं और सच के अलावा और कुछ बोल ही नहीं पाता हूं और जब सरकार के बारे में बोलता हूं तो मुझे इस से ज्यादा भ्रष्टाचारी पूंजीपतियों की सरकार कोई और नजर नहीं आती है, यह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई निकम्मी और पूंजीपतियों से मिली हुई सरकार है और अब तक के इतिहास की सबसे भ्रष्टतम सरकार भा० ज० पा० की है ।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है और 276 से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष–

276 की मैं व्याख्या कर दूंगा इसका प्रकरण मेरे सामने आ चुका है ।

श्री श्याम देव रा. चौधरी–

मान्यवर, आपने एक-एक सदस्य को दो-दो, तीन-तीन बार खड़े होकर इक्सप्लेन करने का अवसर दिया है, मैं तो पहली बार खड़ा हुआ हूं । नियम 276 के बारे में मैं कहना चाहता हूं । मान्यवर, मुझे पहले आपने अनुमति दे दी है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले भी कह दिया है कि अगर किसी सदस्य के बोलते समय नेता सदन, नेता विरोधी दल और संसदीय कार्य मंत्री खड़े होते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, केवल नेता सदन और नेता विरोधी दल को, संसदीय कार्य मंत्री को नहीं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, यहां कुछ परम्परायें हैं और इस सदन का संचालन करने में उन परम्पराओं और नियमावली के तहत ही आप संचालन करते हैं । मान्यवर, यह देखा जा रहा है कि उधर सत्तापक्ष से 276 या कोई भी नियम माननीय विरोध पक्ष के सम्मानित नेताओं ने और सदस्यों ने उठाया और उस पर संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात कही, आप व्यवस्था देने जा रहे हैं । लेकिन मान्यवर, यहां परम्परा हम देखते जा रहे हैं कि इन परम्पराओं का प्रयोग माननीय सत्तापक्ष के सदस्य अपने आप व्यवस्था उठाकर व्याख्या देने लगते हैं तो उनको यह बता दें कि सत्तापक्ष की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री उसका उत्तर देते हैं और वह स्वयं सक्षम हैं, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, बहुत से सदस्यों की आज होड़ लगी हुई है सत्ता पक्ष के तो मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी तो हैं नहीं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर हैं, कुछ इन लोगों को बतला दीजिये जिससे इन्हें उत्तर देने में सहूलियत हो । यह खुद ही जवाब देने लगते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है ।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं नियम 276 के अन्तर्गत कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अभी कहा है कि मैं नियम 276 की व्याख्या स्वयं कर दूंगा । आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने अभी हमारा उत्तर सुन लिया और फिर उसके बाद माननीय प्रमोद तिवारी जी बोले, अगर कोई बिन्दु उठाने को रह गया है तो उन्हें भी सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

अगर मैं स्वयं संतुष्ट न होता तो सुन लेता । लेकिन मैं संतुष्ट हूं । इस समय 419 के करीब सदस्य हैं । इस तरह से तो सबको सुनना पड़ेगा । माननीय चौधरी जी आप कृपया बैठ जायें । माननीय वर्मा जी खड़े हैं कृपया उनको सुन लें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे अपनी बात । उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया, डा० दिनेश जौहरी के संबंध में । तिवारी जी ने कहा कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है । माननीय डा० जौहरी जी इस समय सदन में मौजूद हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह कोई फाइल का उत्तर नहीं है जो आप जवाब देते । जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा वह काल्पनिक नहीं है बल्कि सच्चाई बयान की है । यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री सरकारी जवाब दे सकते हैं । किसी व्यक्तिगत सदस्य के बारे में अगर कोई शंका हो तो उसका जवाब सम्बन्धित सदस्य ही दे सकता है न कि संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, नियम 276 के सम्बन्ध में जो माननीय तिवारी जी ने कहा है उसे आपने सुना । मैं उसका एक पैरा पढ़ना चाहता हूं इसमें लिखा है कि "अपने त्याग-पत्र के स्पष्टीकरण में एक व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार होगा" उस दिन लिखा है जिस दिन वक्तव्य दिया जाये । मान्यवर, इसी के आगे भी लिखा हुआ है कि "ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा" तो मान्यवर, यह बड़ा ही दुखद है कि इन सारे नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है । मान्यवर, माननीय सदस्य बड़े सीनियर हैं, नियमों के ज्ञाता हैं.....

(व्यवधान)

जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके पूर्व से मैं इस आदरणीय सदन का सदस्य हूं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि जो सदन को व्यवस्थित करने की दुहाई देते हैं.....

(व्यवधान)

आज इस माननीय सदन के अन्दर माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कुछ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने [xxx] शब्द का प्रयोग किया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उसे कार्यवाही से निकलवा दिया है। अब आप कृपया बैठ जायें। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं देता हूं। यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, चूंकि मेरे विषय में बात कही गयी है, इसलिये मैं एक मिनट बोलने की अनुमति चाहता हूं।

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी और माननीय वर्मा जी ने मेरे विषय में बात कही। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं। यह मेरी पार्टी का फैसला था, उन्होंने मुझे बनाया, उन्होंने मुझे हटाया, यह व्यक्तिगत फैसला है, इसके लिये मुझे कोई शिकायत नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, डा० दिनेश जौहरी ने अभी कहा, मुझको हटाया गया और पहले कहा था कि मैंने इस्तीफा दिया, यह विरोधाभास हो गया है और पूरे प्रदेश के लिये एक चिन्ता का विषय है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर – व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, सदन में आने के बाद कोई मामला व्यक्तिगत नहीं रह जाता है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें। मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं, इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, अब तो यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि हमको पार्टी ने मंत्री बनाया और पार्टी ने ही मंत्री पद से हटाया। बनाने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक योग्य, ईमानदार व्यक्ति को मंत्री पद से क्यों हटाया गया, इसका उत्तर विधान सभा में आना ही चाहिए ?

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, डा० जौहरी अपने विचार रख चुके हैं, इस पर अब चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें । मैं इस विषय पर अब आगे बिल्कुल नहीं सुनूंगा ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार जब से सदन चालू हुआ है, तब से प्रतिपक्ष के सदस्य मना करने के बाद भी बोलते रहते हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह आप पर आरोप है, अध्यक्ष पीठ पर आरोप है, यह सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मैं नहीं जानता कि डा० दिनेश जौहरी को.....

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आप इस पर चर्चा क्यों करा रहे हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी नें एक विषय यहां उठाया और डा० जौहरी ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने हटाया.....

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री कृष्ण कुमार–

प्रश्नकाल का इतना कीमती समय है और हमें डा० जौहरी से क्या लेना देना, यह उनकी पार्टी का मसला है । सदन का इतना कीमती समय बेकार की बातों में खराब हो रहा है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह लोग बिना अनुमति के बोले जा रहे हैं, इसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप लोग आसन ग्रहण करें । अब मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं । माननीय प्रमोद तिवारी जी ने नियम 276 का हवाला देते हुए डा० दिनेश जौहरी जी को मंत्रिमण्डल से हटाने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया । मैं नियम 276 को पढ़ देता हूं । वैसे श्री तिवारी जी ने जो मामला उठाया है, वह नियम 276 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता हैं । नियम 276 में लिखा हैं– "किसी सदस्य को जिन्होंने मंत्री पद का त्याग किया हो, अध्यक्ष की सम्मति से अपने त्याग-पत्र के स्पष्टीकरण में एक व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार होगा ।" यह अधिकार माननीय जौहरी जी का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था और अधिकार है लेकिन उन्होंने अपने इस अधिकार का प्रयोग न तो अभी तक किया है और न ही उन्होंने सदन से इच्छा प्रकट की है कि वह अपने इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। यदि पूर्व मंत्री स्वयं अपने इस अधिकार का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं तो उन्हें इस सदन के माध्यम से बाध्य नहीं किया जा सकता है। वैसे भी ऐसे प्रकरण में पूर्व दृष्टान्त भी है कि अगर किसी मंत्री को मंत्रिपद से हटाया गया है तो वह नियम 276 के अन्तर्गत नहीं आता है। वर्ष 1977-78 में श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी को हटाया गया था तो उस समय यह प्रकरण आया था और इस सदन ने यह मांग की थी कि उनका वक्तव्य कराया जाय कि उन्हें क्यों हटाया गया ? उस समय निर्णय लिया गया था कि उनको वाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह अपना वक्तव्य दें। इसलिये श्री प्रमोद तिवारी जी ने जो मामला उठाया है, उस पर नियम 276 लागू नहीं होता है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगली मद लिये जाने पर)

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।.....

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष का चुनाव स्थगित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

डा० बृज भान यादव–

मान्यवर, इस सदन की परिपाटी रही है कि अगर कोई माननीय सदस्य अपनी मेडन स्पीच दे रहा हो तो उसे ध्यानपूर्वक सुना जाय। परन्तु मैं देख रहा हूं कि उन्हें बैठा दिया जाता है और उनकी आवाज को खत्म कर दिया जाता है। पिछले सप्ताह उपाध्यक्ष के चुनाव को स्थगित करते हुए इस आदरणीय सदन में आपने आश्वासन दिया था कि अगले सप्ताह इसका चुनाव वास्तविक विचार-विमर्श के बाद करा दिया जायेगा। मान्यवर, आज सप्ताह का आखिरी दिन है। मैंने जब आज एजेन्डा देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उसमें उपाध्यक्ष के चुनाव का कोई जिक्र ही नहीं है। उपाध्यक्ष के चुनाव को न कराने से सदन का कार्य बाधित होता है। उपाध्यक्ष का चुनाव न कराने से सदन की मर्यादा घटी है। इसके पीछे आपकी क्या मंशा है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 को लेने के पश्चात् मैं इस आदरणीय सदन को सूचना देना चाहता था, परन्तु यह मामला उठा दिया गया है, इसलिये मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। दिनांक 13 फरवरी, 1992 को सदन की भावनाओं को देखते हुए विधान सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन के लिये नियत तिथि दिनांक 13 फरवरी, 1992 को स्थगित कर दिया गया था, परन्तु उक्त निर्वाचन के संबंध में नाम-निर्देशन-पत्रो को निरस्त नहीं किया गया था। अब उक्त निर्वाचन के लिये दिनांक 24 फरवरी, 1992 की तिथि नियत कर रहा हूं। तद्नुसार उक्त निर्वाचन दिनांक 24 फरवरी, 1992 को सदन में प्रश्नकाल के उपरान्त सम्पन्न होगा।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर – व्यवधान)

प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मो० रिजवानुल हक–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, 24 ता० के सम्बन्ध में मेरा आपसे आग्रह है 26 या 27 ता० को रख लें क्योंकि 24 ता० को हम यहां नहीं रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय में आपसे बात कर लेंगे । माननीय रिजवानुल हक साहब ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसे सुन लूं ।

श्री मो० रिजवानुल हक–

मैं आपका ध्यान अपने प्रश्न नत्थी (क) के संबंध में आज के एजेण्डा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या दो देखने का कष्ट करें । मान्यवर, आपकी पीठ से मुझे दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का हक है । मुझे दूसरा अनुपूरक पूछने का मौका नहीं दिया गया इस प्रकार यह मेरे अधिकारों का हनन हुआ है । मैं दूसरे प्रश्न में सरकार से सही उत्तर न आने के कारण कहना चाहता था कि या तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें या प्रश्न संदर्भ समिति को भेज दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हक साहब आपने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था उसके बाद दूसरे लोगों ने प्रश्न पूछे..... (व्यवधान)

श्री मो० रिजवानुल हक–

मेरा दो प्रश्न पूछने का हक था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रश्न का आंकलन करके माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये समय दिया था उसमें 3-4 अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

श्री मो० रिजवानुल हक–

मैं चाहता था कि सही उत्तर न आने के कारण उसे या तो स्थगित कर दें या प्रश्न संदर्भ समिति को भेज दें ।

श्री अध्यक्ष–

स्थगित करने का प्रश्न नहीं है जितना उचित समझा जाता है उतने अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति दी जाती है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 फरवरी, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं जो इस प्रकार हैं । (सभी सदस्य उपस्थित हैं) यह सूचनायें शासन को भेजी जा रही हैं ।

(निम्नांकित 7 सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

1–श्री विश्वनाथ — उत्तर प्रदेश शासन के वर्तमान संयुक्त सचिव (चीनी उद्योग) के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करा कर दण्डित करने के सम्बन्ध में ।

2–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी — एम० बी० बी० एस० की प्रवेश परीक्षा में लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई धांधलेबाजी के सम्बन्ध में ।

3–श्री महेन्द्र सिंह भाटी — ऋण माफी योजना के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के कर्जदारों के कर्जे दिनांक 2-10-89 तक माफ करने के संबंध में ।

4–श्री दलबीर सिंह — अलीगढ़ जनपद के बरौली क्षेत्र की पेयजल समस्या के संबंध में ।

5–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय — जनपद मऊ के नत्थूपुर निर्वाचन क्षेत्र के कई गांवों में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

6–श्री स्वामी नाथ यादव — स्वास्थ्य विभाग की विद्युत सेल की क्षेत्रीय कार्यशालाओं को पुनजीर्वित करने एवं विभागीय व्यक्तियों को सेल में प्रोन्नति देने के संबंध में ।

7–श्री धनीराम वर्मा — जनपद इटावा की विधूना तहसील के कुर्सी आदि गांवों में भीषण ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

वर्तमान संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चीनी उद्योग के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्वनाथ

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के वर्तमान संयुक्त सचिव (चीनी उद्योग) के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के आरोप संबंधी पत्र मा० विधायकों द्वारा बार-बार मुख्य मंत्री, चीनी उद्योग मंत्री एवं शासन के प्रमुख अधिकारियों को प्रेषित किये गये परन्तु आरापों के साबित हो जाने के बाद भी संयुक्त सचिव के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी ।

संयुक्त सचिव ने अंडमान की यात्रा के लिये उत्तर प्रदेश शासन से अप्रैल, 91 में 28 हजार एल० टी० सी० एडवांस के मद में तथा माह मई, 91 में सहकारी चीनी मिल संघ से भी 28 हजार रुपये प्राप्त किये । एक ही यात्रा के लिये इन्होंने दो स्थानों से रुपया प्राप्त किया जो नियमतः गलत है और इसके लिए उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए । परन्तु नहीं की गयी ।

अनेक मामलों में इनके विरुद्ध सतर्कता जांच भी हो रही है सतर्कता विभाग ने अपनी जांच में कहा है कि इन्हें उक्त पद से हटाकर खुली जांच करायी जाय परन्तु इसे भी दबा दिया गया है । इसके अतिरिक्त चीनी निगम की एक गाड़ी अपने पास रखते हैं और उसका सारा खर्च चीनी निगम से वहन करवाते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः प्रशासन की छवि को दुरुस्त करने और भ्रष्ट अधिकारियों को दण्डित करने की कार्यवाही करने हेतु यह सूचना मा० सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

एम० बी० बी० एस० की प्रवेश परीक्षा में लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई धांधलेबाजी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

[मान्यवर, दिनांक 12 जनवरी, 1992 को उत्तर प्रदेश के सात महाविद्यालयों के पोस्ट ग्रेजुएट (एम० डी०, एम० एस० व डिप्लोमा) हर वर्ष की भांति छात्रों ने पी० जी० एम० ई० ई० की प्रवेश परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में सम्पन्न हुई परीक्षा के पहले ही दिन प्रश्न पत्र बाहर आ गया जिसकी हल हुई प्रतियां 75000 रुपये में बिकीं । यही नहीं परीक्षा केन्द्र पर हर तरह से नकल हुई इसके अतिरिक्त असामाजिक तत्वों ने नकल कराने में भिन्न-भिन्न तरीके के हथकण्डे अपनाये परीक्षा केन्द्र के व्यवस्थाधिकारी एवं पुलिस निष्क्रिय रही । परीक्षा केन्द्र पर भारी धांधलेबाजी रही है जिससे परीक्षा दे रहे अच्छे छात्रों का मनोबल गिरा है और उनमें भारी निराशा व्याप्त हो गयी है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर हुई नकल की उच्चस्तरीय अधिकारियों द्वारा जांच कराने, परीक्षा रद्द करने तथा दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के कर्जदारों का ऋण माफी योजना के अन्तर्गत 2 अक्टूबर, 1989 तक के कर्जे माफ किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

[मान्यवर, ऋण माफी योजना के अन्तर्गत सामान्यता 2 अक्टूबर, 1989 तक के कर्जे माफ किये गये थे । किन्तु जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के कर्जदारों के कर्जे 2 अक्टूबर, 1986 तक के माफ किये गये हैं । सीमा से लगे जनपद बुलन्दशहर में एवं गाजियाबाद की तहसील हापुड़ में भी कर्जे 2 अक्टूबर, 1989 तक के माफ किये गये थे । 14 नवम्बर, 1976 से पहले दादरी जनपद बुलन्दशहर का एक अंग था, वर्तमान में जनपद गाजियाबाद की एक तहसील है । जनपद गाजियाबाद की एक अन्य तहसील हापुड़ के कर्जे भी 2 अक्टूबर, 1989 तक के माफ हैं । फिर यह अवैधानिक व्यवहार तहसील दादरी के साथ क्यों है ? दादरी के लोग इस संबंध में कई बार धरना, प्रदर्शन एवं आन्दोलन कर चुके हैं और कर रहे हैं । क्षेत्र में रोष व आक्रोश व्याप्त है । प्रदर्शनकारी समान व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं ।

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन की नीति का खुलासा कर उपरोक्त वर्णित भेदभाव को समाप्त कराकर क्षेत्र दादरी के लोगों को इस अन्याय से मुक्त कराने की कृपा करें ।]

जनपद अलीगढ़ के बरौली क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

• श्री दलबीर सिंह–

[मान्यवर, अलीगढ़ जनपद के बरौली क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में पेयजल का गम्भीर संकट है, गत वर्ष जनपद के शहरी क्षेत्रों में ही जल निगम के हैण्ड पम्प लगाये देहाती क्षेत्र पूर्णतया उपेक्षित रहा ।

• वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उल्लेखनीय है कि बरौली विधान सभा क्षेत्र में कोई नगरपालिका या टाउन एरिया न होने के कारण उस योजना का लाभ भी उस क्षेत्र को नहीं मिल पाया । जनपद के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा प्राथमिकता देकर बरौली विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न विकास खण्डों के निम्न ग्रामों में आगामी ग्रीष्म ऋतु के पूर्व से ही हैण्ड पम्प लगवाया जाना अति आवश्यक है तथा कुछ बड़ी आबादी के कस्बे जो कि टाउन एरिया घोषित नहीं हैं उनमें पाइप लाइन वाटर सप्लाई की व्यवस्था कराया जाना आवश्यक है । ग्राम निम्न प्रकार हैं :--

1–विकास खण्ड खैर:–उदयगढ़ी, ऐचना, कौरतपुर, वसई, ममरौला, उटवा, कौरह, चौमुहा, नन्दपुरपला, रायट, बीघानागर, इस्माइलपुर ।

2–विकास खण्ड चण्डौस :–कसेरू, दिलावरपुर किनुआ, नगला, पहावटी, वामौती, विसारा, जामनका, रायपुर, शाहपुर, वीरपुरा, उदयपुर, पौराई, जखौता, चिलावटीगभाना, हीसैल, गोरना, आदि ।

3–विकास खण्ड जवां:–जमकोली, पोथा, सोगरा, श्यामपुर, रामपुर, छेरत बहादुरपुर, गदनगढ़ी, साया, मदनपुर, सुम्मेरपुर, मालिकपुरा, सिकन्दरपुर आदि ।

4–विकांस खण्ड धनीपुर :–वरौढ़ा सपेराभानपुर, जरौढ़ी, शाहपुर ।

5–लोधा ब्लाक:–लोधा, शिखरन, चिकावटी, खेड़, खुशखबर, माकरी, कलुआ, राजमऊ, खेड़िया, चुलावली, हरनौटी, मूसेपुर, हटलपुर भरतरी ।

6–बड़े कस्बे जैसे :–जहां पाइप लीन सप्लाई की आवश्यकता है :–

गभाना, जवां, बीरपुरा, विसारा, लोधा, साथा, बरौली, आदि ।

क्षेत्र के उक्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था न होने से जनता में क्षोभ व असन्तोष है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर शासन से आवश्यक कार्यवाही की मांग की जाती है ।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर के पचासों गांव में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान जनपद मऊ के नत्थूपुर निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ताल रतोय से प्रभावित पचासों गांवों में जीवन यापन करते हिन्दुस्तान की आजादी में अग्रणी भूमिका अदा करने वाले लोगों की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं । इस ताल रतोय में वर्षा के समय काफी भीषण रूप में जल जमाव हो जाता है और फरवरी तक पानी निकलता है जिससे खरीफ की फसल पानी जमाव से नष्ट होती है और रबी की बुवाई पानी रहने के कारण नहीं हो पाती है । इसमें 50 सौ हजार एकड़ भूमि प्रभावित है, जहां खेती करना असम्भव ही है ।

अतः इस महत्वपूर्ण मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करता हूं कि तत्काल इसकी जांच कर प्रभावी कदम उठाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

स्वास्थ्य विभाग के विद्युत सेल की क्षेत्रीय कार्यशालाओं को पुनर्जीवित करने तथा विभागीय कर्मचारियों को सेल में पदोन्नति करने संबंधी नियम 301 की सूचना

श्री स्वामी नाथ यादव–

[मान्यवर, करोड़ों रुपये के उपकरणों के रख-रखाव हेतु स्वास्थ्य विभाग की विद्युत सेल की क्षेत्रीय कार्यशालाओं में अभियन्ताओं एवं सुपरवाइजरों के स्थान पर चतुर्थ एवं निम्न स्तरीय तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को दसों वर्षों से प्रभारी बनाने से क्षेत्रीय कार्यशालायें दिखावटी एवं अभिलेखों में ही रहकर तथा विद्युत सेल मुख्यालय अनुभाग-29 केवल टेक्निकल स्वीकृति देने का यन्त्र बन गये हैं। सेल के माध्यम से खरीदे करोड़ों रुपये के जनरेटर खराब होने से अस्पतालों की आकस्मिक सेवायें शोचनीय स्थिति में हैं। सेल के प्रभारी निहित कारणों से सहायक अभियन्ताओं के 10 में से 8 तथा टेक्नोलोजिस्टों के अनेक रिक्त पदों पर पटवाडांगर (नैनीताल) के अनुभवी अवर अभियन्ताओं/इलेक्ट्रिशियनों के आवेदनों को औचित्यहीन विभिन्न कैडरों की आड़ में शासनादेशों एवं पटवाडांगर की संस्तुतियों को दबाकर उनकी प्रोन्नति में बाधा, उत्पीड़न तथा विभाग की भी हानि कर रहे है। फिर 29-6-88 एवं 17-1-91 के निदेशालय के आदेशों द्वारा पटवाडांगर के अभियन्ताओं की सेल में तैनाती पर सेल के प्रभारी क्यों मौन हैं ? विधायकों की मांग पर मुख्य मंत्री विधायक कोष्ठक के 21-9-91 आदि आदेशों के बावजूद स्वार्थपूर्ति में 12 वर्षों से विद्युत सेल प्रभारी पद पर तैनात और पूरे सेवाकाल में वहीं प्रभारी पद पर रहने को दृढ़प्रतिज्ञ प्रभारी अपने अनुचित संसाधनों के बलबूते प्रदेश में अद्वितीय कैडर के नाम पर समस्तर व समयोग्यता के विभागीय पद पर भी अपने स्थानान्तरण प्रस्ताव पर चर्चा भी नहीं होने देते। वर्ष 1990 संयुक्त निदेशक पद की अनावश्यक सृजन एवं अनियमित प्रोन्नति को स्वयं मुख्य मंत्री द्वारा अक्टूबर, 1991 में समाप्त करना पड़ा। पद सृजन के अपरोक्ष प्रयास पुन: हो रहे हैं।

अतः निर्जीव कार्यशालाओं को पुनर्जीवित करना, विभागीय व्यक्तियों को सेल में प्रोन्नति देना, सेल के प्रभारी को शीघ्र बदलने, लोक निर्माण के परामर्श से कैडर का पुनर्गठन तथा मई, 1991 में जारी ज्येष्ठता सूची में प्रभारी अभियन्ताओं को भी शामिल करना अविलम्ब आवश्यक है।

लोक हित के अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इटावा के विधूना तहसील के गांवों में भीषण ओला वृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री धनीराम वर्मा–

[मान्यवर, हमारे क्षेत्र विधूना इटावा के ग्राम कुर्सी आदि 20 गांवों में विगत 7 फरवरी को भयंकर ओला वृष्टि से लाही, मटर, चना की 90 प्रतिशत एवं गेहूं की 75 प्रतिशत फसलें नष्ट हो गयी है जिससे कृषक वर्ग अत्यन्त दुखी है एवं भावी परेशानियों से भयभीत है। खाने को न अनाज है और न अगले 9 माह तक उपलब्ध होने की आशा है। सरकारी वसूली उत्पीड़न के साथ चल रही है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को आपके तथा सदन के संज्ञान मे लाकर सरकार से मांग करता हूं कि सरकारी देयों को माफ किया जाय एवं कृषकों को अगले 9 माह तक के लिए भोजन वस्त्र की तथा जानवरो को चारे की व्यवस्था की जावे।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि में परिवर्तन की मांग

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये कोई प्रत्याशी हमारे दल का नहीं है लेकिन चौधरी साहब ने जैसा निवेदन किया है 25 को हमारा एक प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है तो 24 ता० को ही हम लोग अपने-अपने जिलों में होंगे अगर इसमें हमारी आवश्यकता हो तो इस तिथि को किसी दूसरे दिन रख लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी मेरा निवेदन है जब मैं यहां से अपने कक्ष में जाऊं तो इस संबंध में कोई चर्चा होगी, वहीं पर विचार कर लेंगे । वहीं आ जायं ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज 6 सूचनायें प्राप्त हुई पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री राम आसरे वर्मा, डा० बृजभान यादव, श्री स्वामीनाथ सिंह, श्री नरेश अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी की श्री महेन्द्र सिंह भाटी, विधायक को निरुद्ध किये जाने तथा श्री कृष्ण किंकर सिंह, विधायक को फर्जी मुकदमे में जेल में डालने के संबंध में है । तो मेरा निवेदन है चूंकि इसमें 7 सम्मानित सदस्यों के हस्ताक्षर हैं आप लोग स्वयं निर्णय कर लें किसी दो माननीय सदस्यों को सुनूंगा वह संक्षेप में अपनी बात कह दें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

नेता लोग तो बोलते रहते हैं पहले हमें सुन लें ।

श्री राम औतार शाक्य–

क्या केवल 7 ही सदस्य विधान सभा में हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

यह कोई पंचायत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा 7 सदस्यों ने सूचना दी है नियम 300 के माध्यम से इसमें नेता विरोधी दल तथा नेता कांग्रेस दल के भी हस्ताक्षर हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जिसका नाम ले लेंगे वह अपने विचार व्यक्त कर लेगा । (व्यवधान) क्या आपने मुझे इजाजत दे दी है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हृदय नरायण दीक्षित–

मान्यवर, बाकी सूचनाएं मालूम हो जायं क्या हैं, इसलिये उनको भी कृपया पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो सभी सूचनाओं को पढ़े दे रहा हूं –

दूसरी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की है जो–संविधान में वर्णित राज्य सूची के बाहर के विषयों पर कार्य करने के संबंध में है।

तीसरी सूचना सर्वश्री विशम्भर प्रसाद निषाद, नसीमउद्दीन सिद्दीकी, गया चरण दिनकर और बरखू राम वर्मा की है जो–संविधान द्वारा प्रदत्त सभा करने के अधिकार से वंचित करने के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री बलराम यादव की है जो–भारत के मूल संविधान की मूल भावना का पालन न किये जाने के संबंध में है।

पांचवीं सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की है जो–दिनांक 20-2-92 की कार्य सूची के नत्थी "ग" अतारांकित प्रश्न संख्या 116 को निरस्त किये जाने के संबंध में है।

छठी सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की है जो–वर्तमान विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 में नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना का उत्तर न दिये जाने के संबंध में है।

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें लिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इसमें जो नियम 300 में कई सूचनायें हैं और नियम 311 में बहुत सी सूचनायें कामन हैं, एक ही विषय पर, तो सभी को एक करके 300 में कर लें तो सहूलियत होगी और एक ही साथ सुन लेंगे तो रिपीटीशन नहीं होगा।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अभी तक परम्परा रही है कि नियम 311 के अन्तर्गत कोई विशेष उल्लेखनीय विषय है तो चर्चा करायी जाती है या उसकी ग्राह्यता पर आप सुनते रहे हैं लेकिन इस सत्र में ऐसी व्यवस्था हो गयी है कि नियम 311 जो विशेष परिस्थितियों के लिये है, अपरिहार्य परिस्थितियों के लिये है वह सामान्य नियम के रूप में बनता जा रहा है जिससे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली की जो मंशा रही है वह इस व्यवस्था के कारण पराजित हो रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो सामान्य नियम बने हैं जैसे नियम 56. नियम 300 के अन्तर्गत ही आप माननीय सदस्यों को ग्राह्यता पर सुनने की कृपा करें अन्यथा जो नियम में व्यवस्था की गयी थी उसकी महत्ता घटती जा रही है, इस पर आप व्यवस्था दे दें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, शाही जी ने जो व्यवस्था उठायी है चाहे नियम 311 हो या नियम 300 हो या और किसी नियमावली के नियम के अन्तर्गत सूचना दी जाती है तो आपकी अनुज्ञा प्राप्त करके सूचना यहां लायी जाती है। इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाकर नियम 311 लिया ही न जाये, यह उचित नहीं है। यह आप पर है। जब किसी नियम में सूचना दी जाती है और आपकी अनुज्ञा प्राप्त होती है तभी माननीय सदस्य उस पर अभिव्यक्त यहां करेंगे, इसलिये इस पर व्यवस्था की कोई बात नहीं है।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो शाही जी ने कहा है वह सही है अपरिहार्य परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है लेकिन वह उधर बैठते थे तो नियम 311 में सूचनायें देते थे, प्रश्नकाल के बाद उन पर सुनते थे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन अब वह मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं इसलिये अब ऐसा कह रहे हैं । नियमं तो बहुत हैं लेकिन किसी नियम को शिथिल करके आपको सुनने का अधिकार है । नियम 311 में सूचनायें हम देते हैं उनको आप स्वीकार करते हैं और सुनते हैं लेकिन ज्यादातर तो अस्वीकार ही करते हैं और फिर नियम 56 में बदल देते हैं और जिसको उचित समझते हैं उस पर सुनते हैं वरना नहीं । इसलिये पहले भी परम्परा रही है कि नियम 311 में सूचनायें दी जाती रही हैं और प्रश्नकाल के बाद आप सुनते रहे हैं और अपनी व्यवस्था देते रहे हैं ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियम 311 को आप पढ़ लें । आखिर में लिखा है ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा, यह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी । जो सूचनायें आपको दी गयी हैं उन पर निर्णय आप पर छोड़ देते हैं कि आप क्या निर्णय लेंगे । आपके विवेक पर चैलेन्ज नहीं करते हैं । संसदीय कार्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री मान्यवर, प्रतिदिन आपके निर्णय पर अपनी शंका जाहिर करते हैं, यह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, शाही जी ने जिस विषय को उठाया उससे ऐसा लग रहा है कि उन्हें आप पर शंका हो गयी है । मैं समझता हूं कि यह आपके लिये और हम लोगों के लिये उचित नहीं होगा । इसलिये मैं चाहूंगा श्री शाही जी.....

श्री अध्यक्ष–

शाही जी ने जिस व्यवस्था के प्रश्न को उठाया है । यहां पर कोई शंका नहीं प्रकट की है ।

(व्यवधान)

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्री शाही ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उनकी बात सही है यह कहने को कि नियम 311 में जो महत्वपूर्ण मसला होता है वह लिया जाता है । नियम 311 के अन्तर्गत प्रदेश और जनता के हित के लिये प्रश्न उठाये जाते हैं । कुछ दिनों से देखा जा रहा है यह आपके विवेक का आधार है आप किसको किस नियम के अन्तर्गत मानते हैं । मान्यवर, नियम 311 के प्रचलन से नियम 56 जो कि विपक्ष का कारगर हथियार हुआ करता था । हम लोग उसके जरिये कार्य-स्थगन प्रस्तुत करते थे वह प्रायः खत्म सा हो गया है । इसलिये मान्यवर, मेरा आग्रह है कि जो सूचनाएं हम देते हैं उन्हें आप ग्राह्य करें और अपने विवेक के अनुसार किसको 311 मानते हैं, किसको 56 मानते हैं किसको 301 के अन्तर्गत मानते हैं । अगर किसी सदस्य ने 311 में दिया और वह उसमें नहीं आ रहा है तो मान्यवर, उसे 56 में स्थानान्तरित कर दिया जाय । 311 में महत्वपूर्ण मसले ही लिये जायं । मान्यवर, नियम-56 की प्रक्रिया अपनायी जाय तो मान्यवर, सदन को चलाने में आपको भी सुविधा होगी । हमको भी अपनी बात कहने का मौका मिल जायेगा । नहीं तो मान्यवर, इस तरह से कोइे भी कार्यवाही ठीक तरह से नहीं हो पा रही है । ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, शाही जी ने एक तर्क प्रस्तुत किया 311 के बारे में । जैसा अभी माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कहा माननीय गुप्ता जी जब इधर बैठते थे तो न जाने कितनी बार कितने 311 के अन्तर्गत उन्होंने प्रश्न उठाये हैं ?

वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

इस तरह से नहीं उठाये हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस तरह से उठाये हों या उस तरह से यह फर्क हो सकता है । आपने उठाये हैं । आप एक तरफ नियमों के तहत चलने की बात करते हैं जैसा कि अभी शाही जी ने कहा मैं याद दिलाना चाहता हूं कि संसदीय प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अध्याय-4 और 14 देखें, सभा के उपवेशन के बारे में । एक तरफ आप चाहते हैं कि नियमावली बड़ी सख्ती से लागू की जाय लेकिन जहां सभा के उपवेशन चलाने की बात है बार-बार कहने के बाद भी 8 महीने के समय में कितने दिन विधान सभा का अधिवेशन चलता गया कृपया इस पर भी विचार करें । नियमावली के अनुसार तब ही चल सकता है जब उसका ठीक ढंग से पालन किया जाय । ऐसा ही कैसे कह देते हैं कि नियमावली का पालन किया जाय ? ऐसे कैसे दुहाई देते हो ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

संसदीय परिपाटी की सुरक्षा करना हम लोगों ने सीखा है । वर्मा जी और नेता विरोधी दल से सीखकर इस स्थान पर पहुंचे हैं । 311 के अन्तर्गत प्रश्न आया था । अग्रवाल जी ने संदेह व्यक्त किया है, तो सरकार की तरफ से आपके निर्णय में कोई संदेह नहीं है । मान्यवर, आपका निर्णय तो शिरोधार्य है उसमें न तो किसी प्रकार की शंका है और न ही किसी प्रकार का संदेह है । माननीय नेता विरोधी दल ने सत्र चलने के बारे में कहा, इसमें कहना चाहेंगे कि यह लोग शान्तिपूर्ण ढंग से बैठें तो कितने दिन यह कहेंगे हम सत्र चलायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी जी ने जो सुझाव दिये हैं वह बहुमूल्य सुझाव हैं । नियम 311 का प्रयोग यदा-कदा होता है इसमें संदेह नहीं है । इधर नियम 311 की सूचनायें काफी आने लगी हैं । सभी सोमवार की 24 तारीख को दलों के नेताओं से विचार-विमर्श कर लेंगे कि नियम 311 की सूचनायें कैसी हों ? सुविधानुसार 24 या 25 तारीख रख ली जायेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, 25 तारीख को हम लोग नहीं रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

जैसी सुविधा होगी वैसी तारीख रख ली जायेगी ।–

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नियम 311 का उपयोग ज्यादा हो रहा है । इसको नियंत्रित करना होगा ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी से संबंधित नियम 311 व 56 में प्राप्त सूचना को औचित्य के प्रश्न के रूप में लिया जाना

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 पर जो सदस्य बोलेंगे वह ग्राह्यता से संबंधित रहेगा । जिन घटनाओं पर 311 मे सूचनायें दी जाती हैं उसमें ग्राह्यता पर अधिक कहें, तो सदन के समय की भी बचत होगी ।

महेन्द्र सिंह भाटी के बारे में सूचना आई है नियम 311 और नियम 56 में आई है । इसको लिये लेते हैं । जिन लोगों ने सूचनायें दी हैं उसमें 2-2 सदस्य बोलें तो समय बच जाएगा । शेष सूचनायें 300 की हैं ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी, विधायक को निरुद्ध किये जाने तथा विज्ठधायक श्री कृष्ण किंकर सिंह को फर्जी मुकदमें में बन्द किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न तथा सी० आई० डी० से जांच की मांग (जारी)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मैंने कल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी कहा था मुझे उम्मीद थी कि मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री इस विषय को गम्भीरता से सुन लेंगे । इस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करेंगे । लेकिन मान्यवर, आप देखें कि एक प्रक्रिया बनती जा रही है कि सम्मानित विधायकों को चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हो चाहे और कोई अधिनियम हो, चाहे नया नियम टाडा का हो उसके अन्तर्गत निरुद्ध करने का सिलसिला इस सरकार ने कर दिया है । हैरत की बात यह है कि दुनिया में और जगह ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी इस देश की क्या बात करूं । 60 आदमियों को गिरफ्तार किया गया । हमारे सदन के सम्मानित सदस्य महेन्द्र सिंह भाटी जो तीन बार इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं और 52 हजार वोटों से इस वर्ष जीत कर आये हैं । गाजियाबाद की पुलिस सभी ड्राइवरों से ट्रक मालिकों से चौथ वसूल करती है । रोजमर्रा की चौथ वह लोग कहते हैं कि हम नहीं देंगे ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सोमनाथ शुक्ल पीठासीन हुए)

मान्यवर, मा० महेन्द्र सिंह भाटी वहां उपस्थित थे । संतराम, ट्रक का जो मालिक था वह उनके पास तीन बार आया । जब वह तीसरी बार आया तो वह थाने गये । सबसे दुखद बात यह है कि उसी थाने में उनके सामने संतराम को कनपटी पर गोलीमार कर एक एस० आई० ने मौत के घाट उतार दिया । इस घटना के बाद महेन्द्र सिंह भाटी जी वहां से लौटकर वापस आ गये । इस तथ्य को छिपाने के लिए वहां के एस० आई० ने भर्जी तौर पर यह कह दिया कि भीड़ थाने पर आग लगाने आयी थी, मजबूर होकर हमें गोली चलानी पड़ी । मान्यवर, जब गोली चलायी जाती है, शाही जी, गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं, पता नहीं उन्होंने पुलिस को क्या इंस्ट्रक्शन दिये हैं ? पुलिस जब भी गोली चलाती है तो उसमें एहतियात रखती है कि गोली कमर से नीचे मारी जाय । लेकिन संतराम को गोली कनपटी पर मारी गयी जिससे वह वहीं पर ढेर हो गया । बाद में कहा गया कि भीड़ थाने पर आग लगाने आयी थी । वहां पर जो लोग पकड़े गये हैं उनके पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं था, कोई फायर आर्म नहीं था किसी के पास पेट्रोल नहीं था या किसी के पास बारूद नहीं था न कोई ऐसी साम्ग्री थी जिससे आग लगायी जा सके । तो इस प्रकार से फर्जी केस बनाया गया और फर्जी केस बनाकर उनके 14 साल के एक लड़के संजय और 18 साल के भतीजे को और एक 82 साल के बुजुर्ग व्यक्ति अंगद और अन्य 54-55 आदमियों पर टाडा लगा दिया गया ।

मान्यवर, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? मुझे अफसोस इस बात का है कि उस एस० आई० के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मैंने कल अपने भाषण में यह बताया था कि आप बड़ी डींग मारते हैं कि गाजियाबाद में पुलिस ने अमन चैन कायम कर दिया है । आपके सारे आंकड़े जो गृह मंत्रालय से प्रकाशित हुए हैं, गाजियाबाद में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस समय नहीं हैं, संसदीय कार्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, इस सारे मामले की जांच सी० आई० डी० से करायी जाय । इस घटना का एक पहलू यह है कि पुलिस ने मारने के बाद उसकी लाश उसके परिवार वालों को नहीं दिया बल्कि पोस्टमार्टम कराकर जलवा दिया । इससे ज्यादा अफसोशजनक बात और क्या हो सकती है । एक तरफ तो पुलिस ने हत्या कर दी और उसके बावजूद उसकी लाश भी उसके परिवार वालों को नहीं दी गयी । वहां पर आतंक राज कायम कर दिया गया है । गांव के गांव खाली हो गये हैं । 15 साल की उम्र के बच्चे, महिलाओं और वृद्ध लोगों के अलावा गांव में और लोग नहीं थे ।

आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है । इसलिये मेरा निवेदन है कि पूरे मामले की जांच सी० आई० डी० से करवायी जाय । उन लोगों पर जो टाडा लगाया गया है उसके बारे में जांच करायें और पुलिस प्रशासन के ऊपर स्ट्रक्चर पास करके दरोगा के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाय तथा प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाय । अगर यह नहीं किया गया तो बहुत बड़ा असन्तोष फैलेगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी । मैं चाहूंगा कि आज ही संसदीय कार्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री घोषणा करें जिससे यह सदन व्यवस्थित ढंग से चल सके । हमारे सम्मानित विधायक अपने विधायी कार्यों को यहां करने में सक्षम हो सकें यह दायित्व आपका है और इसका आप निर्वहन करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है, सुनियोजित ढंग से विरोधी दल के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न जारी है । यह सरकार पूरी तरह से फासिस्टवादी तरीके अपनाकर विश्वास करती है कि न विरोध रहेगा न विरोधी दल रहेगा और न विरोधी स्वर रहेगा । इसीलिये जो कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जाता था, अब वह विधायकों तक पहुंच गया है । इसी सदन में भोला शंकर मौर्य जी का मामला उठा था । उसकी गूंज अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि भाटी जी का मामला सामने आया । उनके साथ जो व्यवहार किया गया, उसकी जितनी निन्दा की जाय, कम है । बस्ती के विधायक श्री कृष्ण किंकर सिंह की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस प्रकरण में स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ने व्यक्तिगत रुचि लेकर उनके मकान को हड़पा है । मैं सारे तथ्य सामने रख रहा हूं जिससे आपको 311 में स्वीकृत करने में सहूलियत हो । वह एक ट्रस्ट की प्रापर्टी है । वक्फ की प्रापर्टी है । एक मुस्लिम महिला उसकी देखरेख करती है । उनकी लिखित अनुमति से श्री कृष्ण किंकर सिंह को उसमें प्रवेश मिला । जब वे आये तो वहां पर जो कार्यालय चल रहा था, तीन अभियन्ता और बाबुओं ने लिखित रूप से उसका कब्जा दिया । वह व्यवस्थित हो गये और उनके अध्यासन में आ गया । इसके बाद इस सरकार की तानाशाही और नौकरशाही का जीता जागता उदाहरण उसके पशुधन राज्य मंत्री हैं । दुनियां के किसी न्यायालय में ..... (व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, ये गाजियाबाद की ओर से बस्ती चले गये । एक सूचना पर दो घटनाओं की चर्चा नहीं हो सकती । वह दो विभिन्न स्थानों पर दो विभिन्न तिथियों में हुए प्रकरण हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य जारी रहे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

इसमें अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी है । शाही जी को मैं काबिल समझता था । इन्होंने चर्चा का विषय नहीं देखा है । इसमें संबंधित कागज तो पहले देख लें । मान्यवर, मैं कहना चाह रहा था कि उस महिला की स्वीकृति के बाद श्री कृष्ण किंकर सिंह को अध्यासन मिला था और तीन अभियन्ताओं और बाबुओं ने लिखित दे दिया । इसके बाद घटना चक्र बदलता है । भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य मंत्री, इनके मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और सांसदों ने मकान हड़पो आन्दोलन चलाया है, वहां पर इनके राज्य मंत्री श्री चन्द्र शेखर सिंह की नजर आती है वे रात को साढ़े बारह बजे श्री कृष्ण किंकर सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं कि यह मकान हमको दे दो । उन्होंने कहा कि मेरे गुरू ने दिया है और मैं इसको नहीं दूंगा तो श्री चन्द्रशेखर सिंह आग-बबूला हो गये । घटना चक्र बदला । उन्होंने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि किन्हीं भी परिस्थितियों में उसको बाहर करो, चाहे जो करना पड़े । इसके बाद एक आदेश होता है, दुनियां में एलाटमेन्ट के पहले मकान वैकेट होता है । उसमें एलाटमेन्ट की दर्खास्त मेरिट के आधार पर तय की जाती है । वह पहला आदेश है सरकार का जिसमें 23-11-91 को आदेश दिया गया कि 25 तारीख को जो मकान खाली होगा उसको 25-1-92 को जो मकान खाली होगा उसको श्री चन्द्रशेखर सिंह को दे दिया जाय । मान्यवर, एक राज्य मंत्री को जो आदेश दिया जा रहा है कि खाली होगा, प्रत्याशा में दिया जा रहा है । वैकेन्सी डिक्लेयर नहीं हुई । उसके बाद उस मकान के आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र आहूत किये जायेंगे । तो बिना वैकेन्सी डिक्लेयर किये हुए वह मकान आवंटित कर दिया गया, श्री चन्द्रशेखर सिंह के दबाव में । उसके विरोध में श्री कृष्ण किंकर सिह ने अहिंसा का रूप लिया और आमरण अनशन पर बैठे, उनको जेल भेज दिया गया । मेरे पास सी० एम० ओ० की रिपोर्ट है, उसकी एक लाइन मैं पढ़ देना चाहता हूं, जो जांच के दौरान पायी गयी है । माननीय विधायक के तलुवे और हथेलियां ठंडी पड़ी हैं, उससे पसीना आ रहा है, उनकी स्थिति गम्भीर है । जिस दिन परीक्षण किया जा रहा था, वे मरणावस्था में थे । भगवान का नाम लेकर तो यह सरकार आयी है और इन्हीं की सरकार के एक राज्य मंत्री अपने पद का दुरुपयोग सत्ता के बल पर कर रहे हैं । हमारे एक सम्मानित विधायक को अपने प्राणों पर बन आयी है । कहीं पर तो आप विधायकों की रक्षा के लिए चेतें और उठें, कहीं तो आगाह करें कहीं तो निर्देश करें । श्री चन्द्रशेखर सिंह ने माननीय कृष्ण किंकर सिंह पर दबाव डाला है । एफ० आई० आर० माननीय कृष्ण किंकर सिंह के खिलाफ लिखायी गयी, अधिशासी अभियन्ता ने कहा है कि मुझसे जबरदस्ती एफ० आई० आर० लिखायी गयी है । नैतिकता का तकाजा है कि उस राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर दीजिए या इस सदन से आप निलम्बित करने की घोषणा करें । मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि तत्काल उस मकान को खाली करा कर, जिसमें श्री कृष्ण किंकर सिंह का सामान अब भी मौजूद है, उनको अध्यासित किया जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, गाजियाबाद के माननीय विधायक श्री महेन्द्र सिंह भाटी और उनके परिवारजनों के साथ जिस तरह का हादसा हुआ है, वह शर्मनाक है । एक विधायक के रूप में अपना कर्तव्य समझ कर उस समय वह थाने पहुंच गये थे, जिस समय संतराम नाम का व्यक्ति पुलिस की जो नाजायज वसूली होती है, उसके सिलसिले में पहुंचा हुआ था, विधायक की उपस्थिति में उसकी कनपटी में गोली मार कर हत्या कर दी गयी और उसका पोस्टमार्टम करवा कर, उसके परिवारजनों को लाश न देकर लाश जला दी गयी । गोली से संतराम ही नहीं मरा उसके साथ के कई लोग भी घायल हुए । अगर इस तरह की घटना होती रहेगी, तो विधायकों का जीवन असुरक्षित हो जायेगा और वह अपने कर्तव्य के निर्वहन

से पूरी तरह से वंचित हो जायेंगे । इस मसले पर मैं मांग करना चाहता हूं कि चूंकि विधायक से संबंधित यह मसला है, इसकी सी० आई० डी० से जांच करावें और जो भी मृतक हैं, उनके परिवारजनों को मुआवजा दें । एस० आई० राना, जिसने खुलेआम, आम पब्लिक के बीच में कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी थी, उस एस० आई० के खिलाफ मुकदमा कायम करके, उसे जेल भेजा जाय ।

अब दूसरे विधायक माननीय कृष्ण किंकर सिंह के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बस्ती के माननीय विधायक एक बार ही नहीं, पिछली दो विधान सभाओं में वह विधायक रह चुके हैं । बस्ती जिले में उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है । एक मकान जो एक मुस्लिम महिला का था, उसके मर जाने के बाद ट्रस्टी द्वारा माननीय कृष्ण किंकर सिंह के नाम लिख दिया गया था और आर० ई० एस० का दफ्तर था, 25 जनवरी को वह खाली होना था, 25 जनवरी, 1992 को आर० ई० एस० के कर्मचारियों द्वारा लिखित रूप से कब्जा माननीय विधायक को दिया गया और 26 जनवरी को सुबह पशुधन विकास राज्य मंत्री वहां पर पहुंचते हैं और वह विधायक को बुलाकर कहते हैं कि यह मकान मुझे दे दो । उन्होंने कहा कि इसे मैंने 250 रुपये किराये पर लिया है, उन्होंने देने से मना कर दिया । आर० ई० एस० के अधिशासी अभियन्ता ने उनके खिलाफ दफा 147, 148 और न जाने किन-किन दफाओं में एफ० आई० आर० लिखा दी । विधायक को जेल भेज दिया जाता है और जेल में उनकी हालत बहुत गम्भीर हो गयी और उनको मेडिकल कालेज लखनऊ में भर्ती कराया गया है, मान्यवर, यह कितनी गम्भीर बात है । मान्यवर, आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और उस मकान को उन विधायक को दिलाया जाये, जो वह मौत से जूझ रहे हैं, उससे उनको छुटकारा दिलाया जाये ।

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, मैं केवल 3 निवेदन आपसे करना चाहता हूं गाजियाबाद के जिस इन्सपेक्टर ने 11 बजे दिन में ड्राइवर की कनपटी पर गोली मारी है, उस पर 302 का मुकदमा चलाया जाये और इस मामले की तुरन्त सी० आई० डी० से जांच करायी जाये ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, अभी और प्रतिदिन आपके सामने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी भय रहित समाज और दंगा रहित समाज और माननीय सदस्यों की रक्षा की बात करते हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने यह संकल्प किया है, तो आप सदस्यों की रक्षा करें और अगर नहीं संकल्प लिया है, तो आप सदस्यों की रक्षा और सुरक्षा की बात मत कीजिए । हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन हमले हो रहे हैं । भाटी जी का ही मामला आज आपके सामने आया है । माननीय गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं, उनको वह दिन याद होना चाहिए, जब उनके पिता जी इमरजेंसी में जेल में बन्द थे और मैं भी उनके साथ था, पुलिस ने जो सलूक उनके साथ किया था, उससे बहुत कष्ट पहुंचा था । आपने स्वयं देखा था । अगर आप पुलिस के जुल्मों को नहीं रोकेंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी । मान्यवर, एक विधायक, भाटी जी के सामने संतराम को गोली मारी गयी, इसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस मामले की सी० आई० डी० से जांच करा दें, तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल आयेगा । यह बहुत बड़ी बात नहीं है और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कम से कम जो दरोगा है, उसके खिलाफ मुकदमा चलायें । यदि ऐसा नहीं किया गया तो पुलिस जुर्म माननीय सदस्यों पर ही नहीं होगा बल्कि मा० मंत्रियों को भी इसका खामयाजा भुगतना पड़ेगा ।

तो माननीय गृह राज्य मंत्री जी, आपसे कहना चाहता हूं कि उस एस० एस० आई० राना पर आप 302 का मुकदमा कायम करने की घोषणा करें और उसे गिरफ्तार करने का आदेश दें तभी कहा जा सकता है कि आप भयमुक्त समाज बना रहे हैं और माननीय विधायकों की रक्षा के लिए संकल्प लिए हुए हैं, वरना फर्जी लफ्फाजी भाषण से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । मैं पुनः अपने नेताओं की बातों पर बल देना चाहता हूं, 302 का मुकदमा कायम करके उस दरोगा को गिरफ्तार करने का आदेश दें तथा सी० आई० डी० से इसकी जांच कराने का भी आदेश दें, यही मैं मांग करता हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल –

मान्यवर, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे जो विपक्ष के ओजस्वी विधायक हैं, वह इस सरकार की [x xx] को सदन में उजागर न करें । यह सरकार सदन में प्रशासन की मदद से किसी न किसी तरह मदस्यों को प्रताड़ित करने पर उतारू है । हरदोई के विधायक श्री राम पाल वर्मा जी को पुलिस ने मारा, श्री अतीक अहमद को बन्द कर दिया, श्री महेन्द्र सिंह भाटी और श्री भोला शंकर मौर्य के साथ ज्यादती हुई और अब श्री कृष्ण किंकर सिंह के साथ यह सब हो रहा है । मुझे लगता है कि इनकी पार्टी के सदस्य, मंत्री और एम० पी० को यह लग गया है कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी इसीलिए वे लोग [x x x] पर जुट गये हैं ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, एक पेपर में आया है कि [x x x] पता नहीं इसका खण्डन आया है कि नहीं मैं नहीं जानता, इसी तरफ बी० जे० पी० के एक मंत्री को गोण्डा में प्रशासन ने कब्जा दिलाया और [x x x] करने के बाद श्री कृष्ण किंकर सिंह जी का मकान ही खाली करवा लिया ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मुझे ग्राह्यता पर बोलने पर आपत्ति नहीं है लेकिन जो आरोप लगाये जा रहे हैं यह अर्नगल और अप्रासंगिक है । इन्हें कृपा करके सदन की कार्यवाही से निकलवा दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, [x x x] (व्यवधान)

[xxx]

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, [x x x] (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस सदन की गरिमा नहीं रहेगी, औचित्य नहीं रहेगा, चूंकि श्री कृष्ण किंकर सिंह की हालत गम्भीर है और किसी समय अद्भुत घटना घट सकती है, आप सरकार को निर्देश दें कि तुरन्त उनका अनशन छुड़ावें, मकान खाली कराया गया और जो ज्यादती हुई है उसकी न्यायिक जांच के आदेश दें जिससे सत्यता सामने आये ।

श्री अधिष्ठाता–

जो व्यक्तिगत चर्चा हुई, वह सदन की कार्यवाही से निकाल दी जायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो प्रसंग चल रहा है उसके सन्दर्भ में मात्र इतना कहना चाहता हूं कि कई और कई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सम्पूर्ण सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष यहां उपस्थित है, विगत को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए तभी आदर्श कल्पना करेंगे । मान्यवर, गृह राज्य मंत्री जी सदन के सदस्य थे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन के सदस्य थे और मुझे भी 1985 में इस सदन में उनके साथ सदस्य रहने का मौका मिला था । जब एक वरिष्ठ सदस्य, वर्तमान सत्तादल के श्री हरीश चन्द्र जी के साथ पुलिस ने दुर्व्यहार किया था, तो आज सदन में माननीय नेता सदन हैं, वह स्वयं उठकर आये और हमें साधुवाद दिया था कि हमने एक उचित प्रश्न उठाया । जब एक विधायक का मामला हो, चाहे वह श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी का हो, चाहे वह श्री कृष्ण किंकर सिंह जी हों, चाहे वह श्री भोला शंकर मौर्य जी का मामला हो, परन्तु जब किसी प्रश्न के साथ कोई मंत्री जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से वह मामला अत्यधिक गम्भीर हो जाता है ।

खलीलाबाद की मुन्सिफ कोर्ट में मुकदमा संख्या 1236 दर्ज है, भूमि के कब्जे के संबंध में । इसी न्यायालय में मुकदमा संख्या 1237 दर्ज है । ये दोनों मुकदमें अभी तक लम्बित हैं । श्री कृष्ण किंकर सिंह जी के चरित्र के ऊपर आरोप लगाये गये । आपने प्रक्रिया को, नियमों को, संविधान को और इससे बढ़कर आपने न्यायपालिका को दिगभ्रमित किया है, इस पर आप विचार करें । नवम्बर, 1991 में प्रत्याशा में किसी मकान का आवंटन संविधान के द्वारा होना क्या सम्भव है ? उस मकान का आवंटन, झगड़े का कारण और गिरफ्तारी, इसके पीछे मात्र इतना कारण है कि उस पर सत्तादल के राज्य मंत्री अपना कब्जा करना चाहते हैं । जब न्यायपालिका में सूची पेश की जाती है तो वह दूसरी है और जो यहां पर की जाती है, वह दूसरी है । यह कहा गया है कि इसमें ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का कार्यालय था । यह सूची न्यायालय में पेश की जाती है । परन्तु उसमें कोई भी ऐसा सामान नहीं है, जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से मतलब रखता हो । यदि आप कहेंगे तो मैं वह सूची आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दूंगा ।

मान्यवर, बन्द कर दीजिए दर्शक दीर्घा को सत्तापक्ष के बैरियर को तोड़ दीजिए, फिर तय कर लीजिए कि अवमानना का मानक क्या होगा ? उसके बाद इस विषय पर चर्चा कर लीजिए । श्री चन्द्र शेखर सिंह दोषी हैं या नहीं, परन्तु मेरे समक्ष जो अभिलेख हैं, मैं उनके आधार पर कह रहा हूं । नवम्बर, 1991 में किसी आवास को खाली होने की प्रत्याशा में आवंटित किया गया था ? क्या प्रत्याशा में किसी आवास का आवंटन सम्भव है । यदि आपने नियमों में कोई परिवर्तन कर लिया हो तो, आप इसे जानें । हमें तो इसकी जानकारी नहीं है । आज आप लोग सत्ता में बैठे हैं, कभी आप भी प्रतिपक्ष में बैठे थे, हो सकता है कल यह सीमा इधर से उधर हो जाय तो क्या तब भी ये मानक चलते रहेंगे ? बदले की भावना से कोई कार्यवाही करना उचित नहीं है ।

श्री राम आसरे शर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री नरेन्द्र सिंह भाटी व श्री महेन्द्र सिंह भाटी दोनों सदस्य सदन में मौजूद हैं, इसलिए उन्हे आप सुन लीजिए ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं आपका ध्यान दिनांक 18-12-1991 को सेक्टर–39, नोएडा, जनपद गाजियाबाद में दिन के 11.30 बजे बिल्कुल क्लोज रेंज से कनपटी पर रिवाल्वर रखकर एक ट्रक मालिक श्री संत राम की हत्या के बारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी वहां पर जाने से लगभग दो सौ मीटर दूर एक साइकिल की दुकान का उद्घाटन करने गये थे । ट्रक ड्राइवर भी उनके साथ था, जिसका नाम सन्त राम था उसे गोली मार दी गयी और वह वहीं पर खत्म हो गया । उसके बाद डेढ़ दो घण्टे बाद जो वहां के गांव के लोग थे, वे आये । सन्त राम की पत्नी, उसकी मां तथा बहन भी आयी, पुलिस वालों ने उन पर बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठी चलायी, लोगों को काफी पीटा, बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था । चार-पांच गांव खाली करा दिये । 82 वर्ष के बुड्ढे से लेकर 14 वर्ष के बच्चे तक को बन्द कर दिया । श्री महेन्द्र सिंह भाटी के बेटे को थाने में बन्द कर दिया उनके भतीजे को टाडा के अन्दर बन्द कर दिया गया मेरठ जेल में । इस संबंध में श्री महेन्द्र सिंह भाटी को भी दिनांक 21-12-91 को टाडा के अन्दर मेरठ जेल में बन्द कर दिया । कोर्ट ने भी यह कहा है कि यह मामला टाडा के अन्तर्गत नहीं आता । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस निर्दोष सन्त राम की हत्या वहां के सब-इन्सपेक्टर ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से की है उसके खिलाफ दफा 302 का मुकदमा चलाया जाये, मृतक के परिवार वालों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और जो फर्जी मुकदमा श्री महेन्द्र सिंह भाटी, उनके पुत्र व उनके भतीजे पर चलाया गया है उसे भी वापस लिया जाये । एस० एस० पी० गाजियाबाद से यह पूछा जाये कि क्या इस मामले में टाडा लगाने का कोई औचित्य था ? एक तो सन्त राम की हत्या की गयी उसके ऊपर उसके भाई को बन्द किया गया, उसकी लाश को रात 3.10 मिनट पर पोस्टमार्टम करके पुलिस ने अंत्येष्टि कर दी, उसके परिवार वालों को उसकी लाश नहीं दी गयी, उनको बन्द कर दिया गया । जब एक ने इसका प्रतिरोध किया तो उसकी छाती पर बुलेट की इंजरी हो गयी तो इस सारे प्रकरण की जांच सी० आई० डी० से करायी जाये तथा मृतक के परिवार वालों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये, जो वहां का इन्सपेक्टर है, एस० एस० राना मान्यवर, उसके खिलाफ दफा 302 का मुकदमा दर्ज किया जाय । इन्हीं शब्दों के हाथ मैं अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बल देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी को भी सुन लीजिए । वे इस समय सदन में मौजूद हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सवाल इस बात का नहीं है कि यह मामला नियम 300 का या 311 का । लेकिन जिनके साथ यह घटना घटी है उनको सुन लें ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, जब संसद में इस टाडा ऐक्ट के ऊपर बहस हो रही थी तो यह विश्वास दिलाया गया कि राजनीति में लगे लोगों पर इस टाडा का उपयोग नहीं होगा । यह उन लोगों पर होगा जो लोग देश की एकता एवं अखण्डता में विश्वास न करते हों, देश को तोड़ने की बात पर विश्वास रखते हों, संविधान में विश्वास न रखते हों । ऐसा कौन सा अपराध दादरी के लोगों का था और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि नोएडा में 39 सेक्टर की घटना से संबंधित निर्दोष लोगों के ऊपर जिसमें मैं भी शामिल था, मेरे बेटे भी थे, मेरा भतीजा था जिसका बाप तो नहीं लेकिन उसका चाचा और ताऊ भी जो घटना में नहीं शामिल थे उनको भी टाडा में बन्द कर दिया गया । मेरी पहली मांग यह है कि टाडा का औचित्य क्या था ? क्या आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जिसके आधार पर आप अपराधों को रोक सकते हों ।

मान्यवर, न्यायालय कहता है कि इस घटना में टाडा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज भी टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तारियां हो रही हैं । मान्यवर, एक दरोगा दिन के साढ़े 11 बजे मेरी मौजूदगी में गोली मार दे और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज न हो, यह कहां का इन्साफ है ? ऐसी मिसाल देश में कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, उसके बावजूद शासन दरोगा को बचाने में लगा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई दूसरी हो नहीं सकती । सन्तराम की लाश को उसके परिवार वालों को नहीं दिया गया ! अंतिम संस्कार से पहले उसकी लाश को मां ने नहीं देखा, भाई ने नहीं देखा और रात के 3 बजकर 10 मिनट पर उसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया गया । मैं तो समझता था कि इस देश में हम लोग आजाद हैं और अपनी बात कहने के लिये सक्षम हैं, लेकिन यह कौन सा समाज था, जब एक आदमी को मारकर उसकी लाश भी परिवार वालों को न दी जाय । अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ, जैसा इस सरकार में हुआ है, इससे ज्यादा अन्याय और क्या हो सकता है ? सन्तराम के दूसरे भाई के सीने में गोली मारी गयी, उसका भी कोई मुकदमा नहीं हुआ है । आप किसको न्याय देना चाहते हैं, कहां गया आपका राम, रोटी, इन्साफ का नारा । आप पुलिस को न्याय देना चाहते हो । मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है और आपके माध्यम से शासन से प्रार्थना है कि उस दरोगा के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम किया जाय और उसे जेल भेजा जाय और अगर आप न्याय देना चाहते हो, तो सन्तराम के बच्चों को 5 लाख का अनुदान दिया जाना चाहिये ।

(सत्ता पक्ष की ओर से कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग शान्त रहें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है, मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य के साथ जिस तरह का व्यवहार इस सरकार ने किया, उस व्यवहार से जो दर्द पैदा हुआ है, माननीय सदस्य उस दर्द को सदन के सामने रख रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से लोग उस दर्द को सुनने को तैयार नहीं हैं, यह किसी से छिपा नहीं है कि दर्द तो उनके पास भी है, लेकिन वह उस पर पर्दा डालकर रखे हुये हैं । लेकिन कम से कम जो पर्दा न डालकर अपना दर्द सुना रहे हैं, उसके दर्द को सुन तो लें ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, हम यहां अपने अधिकार के तहत बोलने आयें हैं, गिड़गिड़ाने नहीं आये हैं । अन्याय और न्याय में क्या अन्तर है, उसे बताना चाहते हैं । हम किसी के रहम पर नहीं चलना चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, विधायकों का पूरा-पूरा सम्मान हमारी और हमारी सरकार की नजर में है । मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने आपत्ति की थी कि इधर के लोग सुनना नहीं चाहते हैं । इधर के लोग कुछ बोल दिये, हमने गलती की । मान्यवर, मैंने तो बहुत कड़वी-कड़वी बातें सुनी हैं । मेरी प्रार्थना है कि तस्वीर का एक पहलू तो यहां सुना गया, दूसरा पहलू भी सुन लिया जाय । मान्यवर, विधायकों के सम्मान की पूरी-पूरी गारन्टी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन साथ-साथ यह भी बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार की जो भयमुक्त समाज की कल्पना है, उसको पूरा करने के लिये कानून के रूप में, कानून के नीचे सभी बराबर हैं, चाहे इधर बैठने वाले हों और चाहे उधर बैठने वाले हों । दो बातें यहां गम्भीर रूप से कही गयीं । एक तो मा० श्री कृष्ण किंकर सिंह के बारे में कही गयी दूसरी बात माननीय श्री भाटी जी के बारे में कही गयी । मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं । तर्क के लिए मैं उनकी बात को मानता हूं कि

श्री चन्द्र शेखर सिंह जी को मकान खाली होने की प्रत्याशा में आवंटित हो गया । लेकिन मान्यवर, आप देखें, जहां पर ग्रामीण अभियंत्रण का कार्यालय है, एलाटमेन्ट की एक प्रक्रिया है, जिसे माननीय श्री तिवारी जी भी जानते हैं, वह मकान ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के नाम पर 5-12-1986 को आवंटित हुआ था । उस बिल्डिंग में एक स्वर्गीय जज साहब का परिवार रहता था और आधे मकान में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का कार्यालय है । अभी भी वह कार्यालय वहां पर है । माननीय विधायक जी वहां पहुंच गये । किसका क्या पूर्व इतिहास रहा है, इसकी चर्चा मैं यहां पर नहीं करना चाहता हूं । वहां पर पहुंच-कर विधायक जी ने एक इकरारनामा दिखाया । यह कहा कि यह मकान हमें मिल गया है । आप भी यह जानते हैं कि वक्फ का यह भवन है और रेन्ट कंट्रोल के तहत जो मकान आवंटित होता है वह किसी एथारिटी द्वारा होगा ।

एक कालेंज वहां पर चलता है, जिसका नाम है "खैर इण्टर कालेज" और जिसके प्रिंसपल हैं श्री इबादुल हक सिद्दीकी । श्री सिद्दीकी व उनके बीच में एक इकरारनामा हो गया । तो मान्यवर, यह तो आप भी जानते हैं कि क्या किसी रेन्ट कंट्रोल के मकान को किसी इकरार नामे के तहत आवंटित किया जा सकता है ? आप भी सहमत होंगे कि नहीं किया जा सकता है । जो उत्पात वहां पर किया गया, उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं । वहां पर सामान को तोड़ा-फोड़ा गया । वहां पर जो कर्मचारी हैं, उनसे जबरिया सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये गये । इसे आप नहीं मानेंगे । वहां पर मार-पीट हुई । विधायक जी के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत हुआ । मुकदमा पंजीकृत होने के बाद सरकार व पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाता ? जब उन्हें जेल ले जाया गया तो विधायक जी ने भूख-हड़ताल शुरू कर दी । जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो हमारी सरकार ने ईमानदारी के साथ यह जानना चाहा कि उनकी मांगें क्या थीं तो विधायक जी ने सामान की फेहरिस्त मांगी, वह सूची उन्हें जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई । मेरे ख्याल से उन्हें अपना अनशन वापस ले लेना चाहिये । अभी उन्होंने अनशन वापस नहीं लिया है । जबकि ईमानदारी का तकाजा यह था कि उन्हें अनशन वापस ले लेना चाहिये था । हमने भी हड़तालें की हैं, कभी मां पूरी हो जाती थीं और कभी नहीं होती थीं, परन्तु हम अनशन वापस ले लेते थे । हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि माननीय विधायक जी को ऐसी छोटी बातों पर आमरण अनशन नहीं करना चाहिये । वह अपना अनशन वापस ले लें । क्या मकान का आवंटन गलत हुआ, इस पूरी प्रक्रिया को मैं श्री प्रमोद तिवारी जी पर छोड़ता हूं वह बतायें । माननीय राज्यमंत्री जी ने अपने पद का दुरुपयोग करके मकान का एलाटमेन्ट कराया है, इसका मैं खण्डन करता हूं । आप अपनी बात कह सकते हैं । माननीय विधायक जी को उस मकान पर बलात् कब्जा करने का अधिकार किस स्रोत से मिला था ? इसकी आप जांच करा लें । इसलिए मैं पुनः अपनी बात पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि कानून के आगे सब बराबर हैं । कानून के आगे हर एक को बराबर होना पड़ेगा तभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी का संकल्प कि हम प्रदेश में दंगा रहित और भयमुक्त समाज बनाना चाहते हैं, साकार होगा ।

श्री यदुनाथ सिंह–

पंजाब के चुनाव के बाद आपकी एकता यात्रा कहां गयी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

हमारे नौजवान मित्र माननीय सदस्य हरदोई पता नहीं क्या-क्या बातें यहां पर कहने लगे । (व्यवधान) उन्होंने हमारी पार्टी के स्वर्गीय सम्मानित नेता शांही जी का नाम लिया (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मैंने किसी का नाम नहीं लिया आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें । (व्यवधान) माननीय गुप्ता जी जबरदस्ती नाम निकलवा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने कहा । हमें कोई संकोच नहीं है हम पूरे पारदर्शक हैं । हम कोई बात छुपाना नहीं चाहते हैं जिस समय की यह बात कहते हैं मैं इस आदरणीय सदन में था । माननीय सदस्य हरदोई सुनी सुनाई बात कहते हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–,

मैंने किसी का नाम नहीं लिया ।

श्री अधिष्ठाता–

कार्यवाही से वह हटा दिया गया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैंने नाम नहीं लिया, क्या हटा दिया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

धन्यवाद, दूसरी बात यहां पर कही गयी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 मकानों पर कब्जा किया है । मैं समझता हूं कि दुनियां में इससे बड़ी कोई असत्य बात नहीं हो सकती है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 मकानों पर कब्जा किया है लेकिन वाक स्वतंत्रता के नाम पर सदन में इस प्रकार की परिपाटी बनेगी तो यह उचित नहीं है इसका निर्णय मैं माननीय नेताओं पर छोड़ता हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैंने कहां कहा । (व्यवधान) माननीय मंत्री गलत कह रहे हैं । अखबार में निकला है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बैठें । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर नेता विरोधी दल खड़े होते हैं तो मैं बैठ जाता ।

श्रीमन्, मुझे बेहद अफसोस है माननीय भाटी जी के साथ एक घटना घटी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

एक स्पष्टीकरण की इजाजत चाहता हूं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उधर से एक बात कही गयी जिस थाने का जिक्र किया गया कि वहां पर पैसा वसूल किया जाता है, दलाली होती है । इस आरोप को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है उसकी हम जांच करा लेते लेकिन उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिये ? माननीय विधायक जी पुलिस वालों के खिलाफ बात शासन के संज्ञान में लाते । कोई पत्र लिखते और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते तो ठीक था लेकिन गोली क्यों चलानी पड़ी, गोली चलाने का क्या प्रसंग है, क्या मजबूरी थी उसकी जानकारी कर लें ? एक भीड़ पहुंची और ईट, पत्थर, फायरिंग करने लगी । उत्तेजित भीड़ ने थाने में लूटपाट किया, सारा रिकार्ड जला दिया.....(व्यवधान).. वाहनों को क्षतिग्रस्त किया, थाने के आरक्षी का स्कूटर जला दिया..... (व्यवधान) यह घटना वहां घटी । इसके बाद फायरिंग हुई, उस हंगामें में गोली चली, चला हुई, इसको हम स्वीकार करते है । लेकिन इसके पीछे बदले की भावना से जानबूझकर कुछ

करने की नीयत से यह नहीं किया गया । अभी जांच रिपोर्ट हमारे संज्ञान में नहीं आयी है । उसके बाद श्री महेन्द्र सिंह भाटी वहां पहुंचे जिस... ज्यादा जिक्र मैं यहां नहीं करना चाहता हूं । थाने की दीवाल टूटी । (व्यवधान) हमारे पुलिस कर्मचारी, सी० ओ० आदि चोटहिल हुए । उसके बाद मुकदमा दायर हुआ जिसके तहत 49 गिरफ्तारियां हुई । यह सही है कि भाटी जी भी गिरफ्तार हुए उसके बाद वह जमानत पर छूट गये । एक शिकायत मिली जिसके आधार पर मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करा रहे हैं ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो गुप्ता जी बात यहां कह रहे हैं इस बात से हम कतई संतुष्ट नहीं हैं कि एक सम्मा... सदस्य के खिलाफ टाडा लगाकर गिरफ्तार किया जाये...। (व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

[xxx] से सदन नहीं चलेगा । (व्यवधान)

जनता दल (ब) के कई सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे [x x x]

सदन को सुचारु रूप से चलाये जाने के संबंध में व्यवस्था ...ा प्रश्न (जारी)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जायं ।

*श्री लाल जी वर्मा–

नेता विरोधी दल की हूटिंग हुई है । ...जी माफी मांगें । जब तक संसदीय कार्य मंत्री माफी नहीं मांगते यह सदन नहीं चल सकता है ।

(माननीय सदस्यगण नारे लगाते रहे)। [x x x]

(माननीय सदस्यों के अपने-अपने स्थान पर चले जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह माननीय सदस्यों को शान्त रखें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, यह व्यवस्था एक ओर के लिये है या दोनों तरफ के लिये ?

(व्यवधान)

*वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जब माननीय नेता विरोधी दल खड़े हुए । उन्हें हक है, वह जिस समय चाहें बोल सकते हैं । मैं उनकी बात सम्मान के साथ सुन रहा था ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप सदस्यों को भी तो कंट्रोल में रखिये । यह गलत तरीका है । यह [x x x] की नहीं चलेगी ।

[xxx] यह अंश मा० अधिष्ठाता के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल के खड़े होने पर कौन से नियम का जिक्र हुआ है जिसकी वजह से व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है ।

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, एक बात सभी जानते हैं कि इस सदन में माननीय नेता विराधी दल और माननीय नेता सदन की प्रतिष्ठा बराबर आंकी गई है । जब नेता विरोधी दल बोलने के लिये खड़े होते हैं तो न तो कोई सदस्य खड़ा होता है और न ही टीका-टिप्पणी करता है । लेकिन मान्यवर, प्रायः यह देखा गया है कि जब नेता विरोधी दल बोलने के लिये खड़े होते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री और इनके मंत्री लोग अपने सदस्यों को उकसाते हैं शोर करने के लिये ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो उधर से हूटिंग हुई है । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि हूटिंग करने वाले सदस्य नेता विरोधी दल से क्षमा याचना करें नहीं तो हम लोग विधान सभा नहीं चलने देंगे । न तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल पायेंगे न हम किसी को बोलने देंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अभी यह सदन चलाने की बात कह रहे थे और अब सदन नहीं चलने देना चाहते हैं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

यह सदन की परम्परा रही है । लेकिन आज गुप्ता जी संसदीय कार्य मंत्री हैं, मुझे इस बात का दुःख है कि ये जो बेलगाम फौज लेकर बैठे हैं, यह संसदीय परिपाटी को समझ नहीं पा रहें हैं । यह हुल्लड़बाजी की एक फौज के रूप में यहां काम कर रहे हैं । संसदीय परिपाटी हुल्लड़बाजी नहीं है । अगर आपको बुरा लगता है तो हम सब विधान सभा से चले जाएं । आप बजट पास कर लें ।

(व्यवधान)

यह न समझें कि आप अपनी संख्या के बल पर यहां बैठे हैं । हुल्लड़बाजी करके आप जो चाहे कर लेंगे । अगर यही परिपाटी चलती है तो ठीक है आपके नेता सदन भी फिर नहीं बोल पायेंगे, न कोई मंत्री बोल पाएगा । अगर इन्होंने यह फैसला कर लिया है कि कोई बोलेगा तो टीका-टिप्पणी करेंगे, तो फिर हम भी फैसला कर लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

गलत फैसला न करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप बैठे रहते हैं और कोई आपकी बात नहीं मानता है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर मैं अपना निर्णय दे दूं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जैसा आप समझें । अभी प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है और आप निर्णय की बात कह रहे हैं । आप धन्य हैं और महान हैं, मैं इसके अलावा और क्या कहूं ? आपके सम्मान में यही कह सकता हूं कि आप धन्य हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं समझा आप वार्ता कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यहां हम वार्ता करने के लिए नहीं आए हैं । जो परम्परायें हैं उन्हीं के अनुसार बोलते हैं ।

(व्यवधान)

जो घटना घटी है इसके लिये सदन में खेद प्रकट करें, जो इस तरह का व्यवहार हुआ है वह अगली बार या अन्यथा नहीं होगा जो हुआ है उसके लिए आपको खेद है जब आप यह कहेंगे तभी सदन की कार्यवाही चलेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्यमंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं या मैं निर्णय दे दूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उत्तर देने के लिए मान्यवर, दो विन्दु हैं मैंने उस समय भी कहा था मैं माननीय नेता विरोधी दल के सुझावों को सुनना चाहता हूं । छींटाकशी हो गई उसमें इस तरह की उत्तेजना होने पर दुख होता है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

खेद प्रकट करें वरना हाउस नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से माफी मंगवाइये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं खुद चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चले । अगर कोई सदस्य बीच में बोल देते हैं तो मैं खुद हाथ जोड़ देता हूं । माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात पूरी कर लें फिर मैं कहूंगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पहले खेद प्रकट करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

बिना खेद प्रकट किये सदन नहीं चलेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अगर उत्तेजना में कोई बात निकल जाती है तो संसदीय पार्टी के नेता खेद प्रकट करते हैं । माननीय नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे तो भा० ज० पा० के लोग, संसदीय इतिहास की जिनको जानकारी नहीं है, उन्होंने हूटिंग की उसके लिये पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री खेद प्रकट करें नहीं तो सदन नहीं चलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने पहले ही दोनों तरफ के लोगों को शान्त किया है। मान्यवर, खेद प्रकाश तब होगा, मैं करने के लिये तैयार हूं, अगर आचरण कभी इधर से गलत होता है तो उधर से भी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, मुझे खुद इस बात पर दुख है। इस आदरणीय सदन में प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष से कभी-कभं ऐसे कटाक्ष हो जाते हैं जिससे वतावरण उत्तेजित हो जाता है, इसका मुझे दुख है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी खेद प्रकट करें। कल तक जो [xxx] वह पहली बार विधान सभा में आकर [xxx] कर रहे हैं। इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्त रहें।

(मा० लालजी वर्मा अपने दल के साथियों के साथ सदन के वेल में आ गये।)

([xxx] के नारे लगाये गये।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री लालजी वर्मा–

आप हम लोगों को निकाल दीजिये और सदन चलवा लीजिये। अगर यह सदन नियमों और परम्पराओं से नहीं चलेगा तो हम लोगों के यहां पर रहने की आवश्यकता क्या है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने आसन पर जायं और सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री लालजी वर्मा–

जब तक संसदीय कार्य मंत्री खेद व्यक्त नहीं करते हैं तब तक सदन नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग सत्यता को सुनना नहीं चाहते हैं, सत्य कड़ुआ होता है।

(शोर)

(घोर व्यवधान)

(अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े-खड़े [xxx] आदि कहते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें। आप लोग शान्त हो जायं तभी तो संसदीय कार्य मंत्री कुछ कह सकेंगे। आप सदन को व्यवस्थित करने के लिये स्थान ग्रहण कर लें।

(सदन के फ्लोर पर आए सदस्य [xxx] नारे लगाते रहे)

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(2 बजकर 55 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी । 3 बजकर 10 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही पुनः 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी । 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः अधिष्ठाता डा० सोमनाथ शुक्ल के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

(सदन के पुनः बैठने पर)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । लोकतंत्रीय जो प्रणाली है, जो संसदीय प्रणाली है, उसमें कुछ परम्परायें होती हैं और उसके साथ ही साथ प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के अनुसार सदन को चलाया जाता है । विधान सभा में यह होता रहा है और होता है कि अगर माननीय नेता सदन बोलने लगते हैं तो अन्य शेष जो भी सदस्य बोलने के लिये खड़े होते हैं, वह बैठ जाते हैं और उनकी बात को सुनने लगते हैं । तो मान्यवर, नेता सदन और नेता विरोधी दल का अपना-अपना अलग स्थान हैं । जिस प्रकार से नेता सदन जब खड़े होते हैं, तो बाकी सदस्य बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से जब माननीय नेता विरोधी दल बोलने के लिये खड़े होते हैं, तो विपक्ष के सभी सदस्य बैठ जाते हैं । यह परम्परा यहां की रही है । इसी प्रकार से मान्यवर, जब नेता सदन और नेता विरोधी दल बोलते हैं, तो किसी बिन्दु पर उनसे स्पष्टीकरण किया जा सकता है, लेकिन आज जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो न तो कोई टिप्पणी की गयी और न कोई स्पष्टीकरण मांगा गया, बल्कि सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा हूटिंग की गयी । इससे बहुत दुख हुआ है । इस विधान सभा का एक सोने का इतिहास रहा है, इसके ५० वर्ष पूरे हो गये हैं ।

विधान सभा के सदस्य जब उन परम्पराओं का उल्लंघन करके बदतमीजी करते हैं और हूटिंग करते हैं, तो बड़ा दुख होता है और मान्यवर, जब इस तरह के प्रकरण आते हैं तो अध्यक्ष महोदय के यहां पर सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलायी जाती है और उसमें विचार विमर्श किया जाता है और संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत खेद प्रकट किया जाता है और बड़े से बड़े प्रकरण को समाप्त कर दिया जाता है और सारी बातें भुला दी जाती हैं । आज यहां पर जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे, तो सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा हूटिंग की गयी । मान्यवर, इस समय नेता सदन नहीं हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं और उनको अपने सदस्यों द्वारा किये गये आचरण के बारे में खेद प्रकट करना चाहिये था, लेकिन उन्होंने खेद नहीं प्रकट किया है । अगर संसदीय परम्पराओं और नियमों का उल्लंघन किया जायेगा, तो किस प्रकार से काम चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने कहा.....

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इनको सीधे-सीधे, खेद प्रकट करना चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप यहीं पर देख लीजिये । मैं खड़ा हुआ हूं, आपकी अनुमति से और माननीय वर्मा जी खड़े हो गये और बिना आपकी अनुमति के बोलने लगे । माननीय अधिष्ठाता महोदय मैंने पहले भी बड़ी

विनम्रता से कहा था, जिस समय माननीय नेता विरोधी दल बोलने के लिये खड़े हुये, मैं बोल रहा था, तो मैं तत्काल बैठ गया । उनके खड़े होने पर मेरे बोलते रहने का कोई औचित्य नहीं था । मान्यवर, पीछे से कुछ आवाजें आयीं, मैंने पीछे देखा नहीं, लेकिन आप निर्णय कर दें कि अगर इधर के माननीय सदस्यों का आचरण आपत्तिजनक था, तो मैं माफी मांगने के लिये तैयार हूं । आप इस मामले को समाप्त कर दें, मैंने दुःख भी प्रकट किया है । आज हमारा काम कम है, आज असरकारी दिवस है और बहुत बड़े महत्वपूर्ण संकल्प हैं, नियम 311 की चर्चा है । इस समय प्रदेश के हित में बहुत बड़ी बातों पर चर्चा कर लें, छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिये ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं उधर भी रहा हूं । माननीय नेता विरोधी दल जानते हैं, मैंने उनसे सीखा है । मेरी पूरी जिन्दगी में केवल एक अवसर आया है, जब हम फ्लोर पर आये थे और कभी हम फ्लोर पर नहीं आये हैं । यह सदन विचार अभिव्यक्ति के लिये है, यह प्रदर्शन की जगह नहीं है । यह बात सही है कि कभी-कभी ऐसे काम हो जाते हैं, तो एक असामान्य स्थिति आ जाती है । हमने खुद देखा है । हमारा दायित्व है कि सदन को ठीक से चलाया जाये । हमें इस पर दुःख है । मान्यवर, अब आगे काम करें और मैं माननीय नेता विरोधी दल से अलग से बात कर लूंगा । आप कृपया शांत रहें और संयत रहें । मेरी प्रार्थना है कि सदन का काम चलने दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मेरी गुप्ता जी से कोई शिकायत नहीं है और न उन्होंने ऐसा कोई आचरण किया है । आप परम्पराओं की दुहाई देते हैं । अगर विपक्ष का कोई सदस्य है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है । आप हठधर्मिता न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैंने कहा कि हमें दुःख है । अगर मान्यवर, कोई सदस्य बैठे-बैठे कोई कमेन्ट करता है, तो उसको असंसदीय नहीं माना जाता है । मैंने आवाजें सुनी हैं, मैंने देखा नहीं पीछे । संसदीय परिपाटी में बैठे-बैठे कमेंट करना असंसदीय नहीं है । अगर आप कोई निर्णय करते हैं कि इधर के सदस्यों का आचरण ठीक नहीं रहा है, आपत्तिजनक था, तो मैं माफी मांगने के लिये तैयार हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब इस विषय को समाप्त किया जाता है ।

*श्री यदुनाथ सिंह–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विपक्ष में रहे हैं, हम लोगों के साथ रहे हैं । लेकिन क्या कारण है कि आज वह इतने तंग दिल के हो गये हैं कि उधर के सदस्यों ने जब हूटिंग किया, तो उनको क्षमा मांगने में क्या हर्ज है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने इस प्रश्न को माननीय अधिष्ठाता जी पर छोड़ दिया है, अगर वह निर्णय दे देते हैं कि इधर के माननीय सदस्यों का आचरण आपत्तिजनक था, तो मैं माफी मांगने में हिचकूंगा नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको समाप्त किया जाता है । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री लालजी वर्मा–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, हमें अधिकार मिला है उसमें अभिव्यक्ति का अधिकार है । अगर इस तरह से सदन को चलाने का काम होता रहेगा, अमर्यादित ढंग से नेताओं का सम्मान होगा, जिस तरह से मन में आये ा, हूटिंग करेंगे । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपके सम्मान में कमी नहीं हुई है, आप स्थान ग्रहण करें और सदन को चलने दें । आप दूसरे विषय पर माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी को बोलने दें ।

(व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

संसदीय कार्य-मंत्री के द्वारा संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन होने नहीं दिया जायेगा, वह खेद भी नहीं प्रकट कर रहे हैं ।

मान्यवर, इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

(श्री लाल जी वर्मा, श्री स्वामी नाथ यादव, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री दुलारे लाल आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अधिष्ठाता–

आप उत्तेजित न हों, आप अपने स्थान पर जायं ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित कराया जाय तब मैं अपनी बात कहूं

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आप हमें निकाल दीजिये, मैं जाने को तैयार हूं, हमारे रहने का कोई औचित्य नहीं है, अगर संसदीय परम्पराओं का हनन होगा, लोकतंत्र को समाप्त करने की [x x x] की जायेगी तो इस तरह से सदन चलने नहीं दिया जायेगा, आप हमें निकाल दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी भी जिम्मेदारी है सदन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने की ।

श्री लाल जी वर्मा (फ्लोर से)—

यह सदन [xxx] से नहीं चलेगा, हम तो इस विधान सभा को शान्तिपूर्वक चलाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपा पूर्वक स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा नियम 300 एवं 311 की अन्य सूचनाओं पर सूचनादाता सदस्यों के नाम पुकारे जाने पर एवं किसी के न खड़े होने पर)

मैं उक्त सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे [xxx])

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारित का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 फरवरी, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 21 फरवरी, 1992 से 28 फरवरी, 1992 तक के उपवेशनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:–

(1) सदन का दिनांक 21फरवरी, 1992 से 28 फरवरी, 1992 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

फरवरी, 1992

21–शुक्रवार 1 -गैरसरकारी कार्य (आधा दिन)

2–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992–आधा घंटा,

(ख) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992–आधा घंटा ।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

3–नियम 103 के अन्तर्गत श्री दिनेश चन्द्र सोनकर सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र चायल एवं दुवाबा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु इस क्षेत्र में वृहद्रूप से उद्योगों की स्थापना की जाय"

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

22 शनिवार | बैठक नहीं होगी ।
23 रविवार |
24 सोमवार | 1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (चतुर्थ एवं अन्तिम दिन)
2–अपराह्न 5.00 बजे
वित्तीय वर्ष 1991-92 के वित्तीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।

25 मंगलवार 1–निम्नलिखित विधोयकों पर विचार एवं उनका पारण :–
(क) उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, 1992–आधा घंटा,
(ख) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992–आधा घंटा ।
2–वित्तीय वर्ष 1991-92 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार तथा मतदान और तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

26 बुधवार | विधायी कार्य ।
27 गुरुवार |
28 शुक्रवार | असरकारी दिवस ।

(2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिन नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना जो श्री अधिष्ठाता द्वारा आज सदन को दी गयी, से यह सदन सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[विरोध पक्ष के अनेक सदस्य अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे तथा नारे लगाने लगे]

[× × ×]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

मैं मद संख्या–7 ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1992†

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक 1992 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक 1992 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करता हूं ।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं सदन को 30 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(3 बजकर 55 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 4 बजकर 25 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 4 बजकर 25 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 4 बजकर 45 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है । 4 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)–

सदन को सुचारु रूप से चलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

सर्व सम्मानित सदस्यों के सहयोग से सदन चल रहा है । अभी कक्ष में कुछ आवश्यक कार्य करते-करते मैंने यहां की कार्यवाही भी सुनी थी । माननीय अधिष्ठाता महोदय इस पीठ पर विराजमान थे, कुछ माननीय सदस्यों को यहां पर एक दूसरे पर की गयी टीका-टिप्पणी पर आपत्ति हुई और सदन को स्थगित करना पड़ा । सदन की कार्यवाही कभी विपक्ष की ओर से कटाक्ष होने पर और कभी सत्ता पक्ष की ओर से कटाक्ष होने पर जो मर्यादा की सीमा पार कर जाने हैं, बाधित होती है । तो यह गतिरोध न हो यह सुनिश्चित करना हम सब का कर्तव्य है । मेरा निवेदन है संसदीय कार्यमंत्री और माननीय नेता विरोधी दल से, गतिरोध न उत्पन्न हो उसके लिये ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे । मैं समझता हूं कि बजाय यह कहने के कि नेता विरोधी दल खेद प्रकट करें या संसदीय कार्यमंत्री खेद प्रकट करें जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस समय हम यहां एकत्रित हुये हैं उसमें कार्यवाही चले इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, इस सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से संचालित होने के लिये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भागीदारी है लेकिन सत्ता पक्ष की भागीदारी कहीं ज्यादा है और आज इस तरह का आचरण इस सदन में हुआ इससे सभी सम्मानित सदस्य दुःखी हैं । मैं चाहूंगा कि इस तरह की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर अपने विचार प्रकट करें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आप उस समय इस आदरणीय सदन में नहीं थे लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे आये जिससे वातावरण में उत्तेजना उत्पन्न हुई । मैं समझता हूं विद्ववत्ता से और परिपाटी के रूप से भी मैं माननीय नेता विरोधी दल का बहुत सम्मान करता हूं । इस सदन में माननीय नेता सदन के बाद उनका ही नम्बर आता हैं । हर स्थिति से मैं उनका सम्मान हृदय से करता हूं । मेरे बोलते समय जब बीच में वह खड़े हुये तो मैं तत्काल बैठ गया और कुछ स्थिति ऐसी हुई जिसकी वजह से मैंने दुःख भी प्रकट किया । मैं बिना किसी शर्त और बिना परन्तुक के यह बात स्वीकार करता हूं कि अगर हमारे किसी आचरण से माननीय नेता विरोधी दल को दुःख हुआ है तो उनके दुःख के शमन के लिये मैं सब तरह से खेद प्रकट करता हूं । बिना किसी तरह के गतिरोध के सदन की कार्यवाही अच्छे ढंग से चले और माननीय नेता विरोधी दल इस बात को फील न करें और उनको जो दुःख हुआ उसका मुझे खेद है । मैं इधर और उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन की बड़ी गौरवशाली परम्परा रही है जब कभी यहां कोई इस तरह का वातावरण बनता है वह बाहर जाता है उससे न केवल हमारी बदनामी होती है बल्कि सम्मान कम होता है । हम सब को इसका सम्मान बढ़ाना है । हम सब अपने-अपने कार्यों से इसका सम्मान बढ़ायें और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही आगे बढ़े ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी, विधायक को निरुद्ध किये जाने तथा विधायक श्री कृष्ण किंकर सिंह को फर्जी मुकदमें में फंसाकर जेल में बन्द किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न तथा सी० आई० डी० द्वारा जांच की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय महेन्द्र सिंह भाटी वाले मामले में क्या हुआ ?

श्री प्रमोद तिवारी–

कृष्ण किंकर सिंह जी वाले मामले पर सरकार का क्या कहना है ?

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

उसी विषय पर बोल रहा था तो उसी समय उत्तेजना उत्पन हो गयी । मान्यवर, मैंने यह कहा था कि कानून के आगे सभी बराबर हैं । विधायक के नाते हमारा अलग उनका सम्मान है । संसदीय परिपाटी में उनको पूरा-पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का और हमारी सरकार उनकी सुरक्षा की पूरी-पूरी गारन्टी दे रही है । लेकिन कभी-कभी ऐसे मामले होते हैं जिनमें कहा था कि कानून सभी के लिये बराबर है । एक दो मामले हमारे सामने आये हैं । एक तो श्री सिंह जी बस्ती के हैं उनका मामला सामने आया है । मैंने कहा था कि तर्क के लिये मान भी कर लें कि वह एलाटमेन्ट नहीं होना चाहिए था, गलत था या उसमें कार्यालय था कि नहीं, इसके विवाद में मैं नहीं जाता हूं लेकिन जो घटना प्रारम्भ होती है एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के एलाटमेन्ट की, तो मैं समझता हूं कि सभी लोग सहमत होंगे कि उनकी किरायेदारी नहीं बनती है । वह अनशन में फिर बैठे हैं । दोहराना नहीं चाहता हूं किन्तु जो उसकी विधिक व्यवस्था है उसके अनुसार ही कार्यवाही होगी । मुझे जानकारी मिली है मामला कोर्ट में चला गया है इसलिये वह तो न्यायालय से तय होगा । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी किन्हीं कारणों से व्यस्त हैं, इसलिये दूसरी जगह गये हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मामले को सभी दल के नेता बैठकर निपटा लेंगे ।

मान्यवर, दूसरी बात श्री महेन्द्र सिंह भाटी के संबंध में कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं समझता हूं लेकिन दूसरा पक्ष भी है । श्री भाटी जी ने और दूसरे नेताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे । एफ० आई० आर० लिखायी गयी और सम्पत्ति लूटी गयी लेकिन विधायक जी कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो उसकी सही जांच के लिये मैजिस्ट्रेट की जांच हो रही है । इसके बाद भी नेता विरोधी दल के मार्गदर्शन को हम ठुकराना नहीं चाहते हैं, उन्होंने मांग किया दरोगा, सिपाहियों के खिलाफ 302 का मुकदमा चलायें और मुकदमा वापस ले लिया जाये तो यह ठीक नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि मुकदमा वापस ले लिया जाये । मैंने तीन बिन्दुओं पर कहा है । पहला बिन्दु सी० आई० डी० से जांच हो, दूसरा बिन्दु वहां के ज्येष्ठ दरोगा, एस० आई० ने जो सन्तराम को गोली मारी तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दायर किया जाये और तीसरा बिन्दु है संतराम के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक मांग और आ गयी है । जहां तक सी० आई० डी० जांच का ताल्लुक है मैं घोषणा करता हूं कि जांच करायी जायेगी सी० आई० डी० से लेकिन तथ्य जब सामने आयेंगे उसके बाद कार्यवाही की जायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो घटना हुई उसे वह स्वीकार करते हैं कि संतराम को गोली से थाने में मारा गया। लेकिन रिपोर्ट दर्ज न होना क्या यह नियम संगत और तर्क संगत है ? मंत्री जी नियमों के बड़े विद्वान हैं लेकिन कह रहे हैं कि प्राथमिक रिपोर्ट तब दर्ज होगी जब सी० आई० डी० रिपोर्ट देगी। इसलिये रिपोर्ट दर्ज हो जाये, मुकदमा सही पाया जाये तो उसके बाद उनको जेल भेजा जाये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आदमी को गोली लगे और रिपोर्ट दर्ज न हो यह कौन सी बात है ? अभी माननीय नेता विरोधी दल ने सी० आई० डी० जांच कराने की बात कही। आप कहते हैं कि सी० आई० डी० जांच हो जाने पर रिपोर्ट दर्ज होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने कहा कि सी० आई० डी० जांच में जो तथ्य सामने आयेंगे उनके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री बाबू राम यादव–

अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वह इनको सद्बुद्धि दे। आदमी मारा जाय उसे गोली लग जाये और रिपोर्ट दर्ज न हो, यह कौन सा कानून है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि मुझे सद्बुद्धि आये। लेकिन कदाचित उन्होंने मेरे भाषण को शुरू से नहीं सुना। मान्यवर, मैं दोबारा दोहरा कर सम्मानित सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। एफ० आई० आर० तो दर्ज है पुलिस की तरफ से। दूसरी ओर इस पूरे मामले की सी० आई० डी० जांच होगी। इसमें दो बातें होती हैं एक तो इसे निराधार खत्म कर दिया जाय और दूसरी चार्ज शीट बनायी जाती है उसके बाद मुकदमा दायर होता है।

(व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

अब इस पर चर्चा न करवायें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल ने भी कुछ बातें रखी थीं उसमें सब आ गयी हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक बात का खुलासा हो जाय कि जो रिपोर्ट लिखायी गयी है वह पुलिस की तरफ से है और सन्त राम जो मारा गया है उसके परिवार की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है। सी० आई० डी० किस बात की जांच करेगी। वह किस रिपोर्ट के आधार पर जांच करेगी ? इसलिये जो हमने संसदीय कार्य मंत्री जी से कहा था कि वहां से एस० ओ० को हटाकर एफ० आई० आर दर्ज करवा दें। एफ० आई० आर० के बाद सी० आई० डी० के पास दोनों पक्षों की रिपोर्ट रहेगी। ऐसे तो सी० आई० डी एक पक्षी जांच करेगी क्योंकि संतराम के परिवार की या भाटी जी की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है। मान्यवर, चाहे थाने में कोई मारा जाय या कहीं भी मारा जाय या फिर पुलिस की गोली से मारा जाय। आई० पी० सी० में प्राविधान है कि पुलिस के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज होती है। कोई नई बात तो नहीं है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नेता विरोधी दल को स्वयं इस बात की जानकारी है कि पहले एक समूह का जाना दिखाया जाता है फिर दूसरे समूह का जाना दिखाया जाता है। उसी समय गोली भी चलती है। दोबारा वारन्ट जारी किया जाता है। जब जांच आरम्भ होगी तो पूरे पहलू की सही ढंग से सी० आई० डी० जांच करेगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, सी० आई० डी० की जांच के बारे में सन्तराम की मृत्यु की रिपोर्ट भी शामिल होगी। अब इस प्रकरण को समाप्त करें।

श्री भगवत प्रसाद–

मान्यवर, सी० आर० पी० सी० में प्राविधान है ! आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता ! किसी भी आदमी की मृत्यु किसी भी ढंग से होगी अप्राकृतिक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की जायेगी और उसकी सबसे पहले रिपोर्ट पुलिस आफिसर और कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी कि किन वजहों से उसकी मृत्यु हुई इसकी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष–

यह तथ्य सदन के सम्मुख आ गया है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है। इसमें सी० आई० डी० की जांच की जायेगी इसमें सन्तराम की मृत्यु का कारण भी आ जायगा इसमें उनका आश्वासन आ गया है।

(व्यवधान)

लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें रिपोर्ट होनी ही चाहिए।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

इसमें सरकार को निर्देश दे दें रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए।

* श्री बाबू खां–

आप मान्यवर, हमारे हितों के संरक्षक हैं हम आपसे प्रार्थना करते हैं संसदीय कार्य मंत्री पूरी तरह से गुमराह हैं इसलिए गुमराह हैं मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा सुनने में कहीं-कहीं आया है कि कत्ल होने पर, जानकारी के बाद भी रिपोर्ट न दर्ज की गयी हो। मैं विनम्र शब्दों में कहूंगा कि सन्तराम की हत्या की रिपोर्ट दर्ज की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पहलू पर भी आप विचार कर लें, एक घटना हुई और उस घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के तथ्य भी पाये गये, यह बात विवादित नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति सन्तराम की मृत्यु हुई। उस मृत्यु के लिए कौन दोषी है, यहां मृत्यु के सारे तथ्य शासन और पुलिस के संज्ञान में आ गये हैं या नहीं रिपोर्ट लिखी जाए या नहीं यह अलग प्रकरण है, लेकिन सदन के अन्दर जो बात उठी, भाटी जी की घटना के बारे में सी० आई० डी० की जांच हो यह बात आ गयी है। चूंकि इसी घटना से संबंधित है सन्तराम की मृत्यु का मामला, तो उसमें उसकी जांच हो जायगी।

श्री बाबू खां–

रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गयी इसके बारे में मैं आपसे पूछ तो नहीं सकता हूं आप वन्दनीय हैं लेकिन मान्यवर, रिपोर्ट तो लिखी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अगर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है तो इसके बारे मे आप अलग से पूछ लीजियेगा।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री बाबू खां–

माननीय सदस्य का मामला उठा है तब मैंने कहा है ।

* श्री इजहार आलम खां–

रिपोर्ट क्यों न लिखी जाए ? रिपोर्ट लिखाने की अगर कोई घटना हुई है, तो हर आदमी को हक है । थाने में हर आदमी रिपोर्ट लिखा सकता है उसके बाद उस रिपोर्ट को चाहे खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं चाहूंगा आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दें कि इसमें रिपोर्ट लिखी जाए । यह ठीक है कि इसमें सी० आई० डी० इन्क्वायरी होगी, लेकिन इसमें रिपोर्ट तो लिखी ही जानी चाहिए ?

श्री अध्यक्ष–

रिपोर्ट लिखने से यह होता है कि मृत्यु की विवेचना हो जाती है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी, जो वर्तमान सदस्य हैं उनके साथ जो घटना घटित हुई है, उसमें सी० आई० डी० की जांच की जाए, यह कहना था, तो इसमें वह बात आ गयी है ।

कुंवर रेवनी रमण सिंह–

मान्यवर, आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और सदन के संरक्षक और अध्यक्ष भी हैं । मान्यवर, आप ही फैसला कर दें कोई घटना घटित हुई है तो उस घटना की रिपोर्ट लिखने में कोई रुकावट आती है, या नहीं लिखी जाती है तो यह बात तो सही नहीं है ? हम आपसे यह तो नहीं कह रहे हैं कि 302 में सजा दे दें । मान्यवर, मैं केवल इतना आग्रह कर रहा हूं कि संतराम की मृत्यु के संबंध में रिपोर्ट लिखी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने अपने भाषण में पहले कहा था कि माननीय विधायक का एक अलग स्थान है, उनका इन्वाल्वमेंट था, मैंने सी० आई० डी० इन्क्वायरी की घोषणा की । जहां तक संतराम की मृत्यु का ताल्लुक है यह विवादास्पद है । यह बात भी सामने आयी कि संतराम थाने में क्यों गये ? वहां पर सम्पत्ति का नुकसान हुआ, वहां एक हंगामा हुआ पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलायी या जानबूझकर मार दिया यह भी विवादास्पद विषय है, यह बात जांच से सामने आयेगी । मैंने अपने भाषण के शुरू में कहा था कि अगर पुलिस से कोई शिकायत थी तो माननीय भाटी जी को साथ लेकर माननीय मुख्य मंत्री के पास या माननीय गृह मंत्री जी के पास उनको आना चाहिए था । लेकिन वह प्रक्रिया न होकर वह थाने चले गये । वहां पर गोलियां चलीं, दोनों तरफ चलीं । पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं । तो यह सारी बातें दिमाग में पैदा होती हैं कि पुलिस ने जानबूझकर मारा या आत्मरक्षा में गोली चलायी, इन सब बातों पर विचार होगा । एफ० आई० आर० लिखने की जरूरत क्या है, यह सब बातें सामने आयेंगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हम यह कहां कह रहे हैं कि कौन दोषी है ? मैं केवल संसदीय कार्य मंत्री से इतना कह रहा हूं कि एक घटना घटी, चाहे वहां सेल्फ डिफेंस में घटी या जानबूझकर वहां पर फायरिंग हुई । यह सी० आई० डी० की जांच से पता लगेगा इसमें हमारा कहीं विवाद नहीं है । मेरा केवल यह कहना है कि जिस प्रकार से पुलिस ने रिपोर्ट लिखायी है कि थाने में आकर आगजनी हुई या वहां पर स्कूटर जला या क्या जला उसी प्रकार से संतराम के परिवार वालों की रिपोर्ट दर्ज की जाय । बस इतना सा मामला है । जांच से तथ्य सामने आ जायेंगे । जांच से पता चलेगा कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलायी गयी तो पुलिस के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

इस घटना को इस दृष्टि से देंखें, लोग सही भी लिखाते हैं और गलत भी लिखाते हैं । विवेचना में अगर रिपोर्ट गलत पायी जाती है तो 182 सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । मान लीजिये सन्तराम के परिवार के लोग गलत रिपोर्ट लिखाते हैं तो उनके परिवार वालों के खिलाफ 182 की कार्यवाही करें, रिपोर्ट लिखने में क्या हर्ज है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया कि पूरी जानकारी तो इस समय मेरे पास है नहीं कि वह रिपोर्ट लिखाने गये और रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया गया । क्या मामला है ? इसको देख लेंगे और आपस में मिलकर तय कर लेंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, अगर कोई आवेदन-पत्र सन्तराम के परिवार की ओर से पुलिस अधीक्षक या शासन को मिला होगा तो उस आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जायेगी ।

* श्री राम रतन सिंह–

मान्यवर, डी० जी० या एस० एस० पी० को परिवार की तरफ से यदि कोई दरख्वास्त दी गयी हो तो वह रिपोर्ट मान ली जाय, हमारा अनुरोध है कि उस एप्लीकेशन और पुलिस रिपोर्ट दोनों की बिवेचना हो जाय ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

शासन को यदि सन्तराम के परिवार के लोगों की ओर से लिखित रिपोर्ट भेजी जाती है तो उसी को एफ० आई० आर० मानकर कार्यवाही कर लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जब तक दिखवा न लें और सारी बात हमारी जानकारी में न आ जाय, तब तक बिना समझे कोई घोषणा करना उचित न होगा ।

(घोर व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

जिस दिन प्राप्त होंगी उस दिन का समय दर्ज हो जायेगा ।

नियम 56 में मुझे आज कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से निदेश संख्या-15 के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 सूचनायें चयनित की गयीं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, 311 के बारे में क्या हुआ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

311 अब नहीं । आज की 311 की सूचनाओं को इस स्वतंत्रता के साथ कि माननीय सदस्य दोबारा सूचना दे सकते हैं, शेष सभी सूचनाओं को निरस्त करता हूं । मेरे पास 10 सूचनायें नियम 56 में प्राप्त हुई थीं जिसमें से निदेश संख्या 15 के अन्तर्गत 8 सूचनायें चयनित की गयी हैं । मैं नियमानुसार 5 सूचनायें ग्राह्यता हेतु सुन सकता हूं । लेकिन पहली सूचना आटो ट्रैक्टर्स के बारे में श्याद अली साहब की है । इसमें मैं समझता हूं कि दो मिनट के लिये ग्राह्यता के लिये कह दें । आज जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें पहली श्री श्याद अली, श्री यदुनाथ सिंह, श्री किशोरी लाल, श्री ज्वाला प्रसाद, श्री राज नारायण बिन्द तथा श्री प्रमोद तिवारी की आटो ट्रैक्टर, प्रतापगढ़ की अवैधानिक बिक्री तथा कर्मचारियों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना श्री यदुनाथ सिंह, श्री अंगद यादव तथा श्री ऊदल की दिनांक 25 जनवरी, 1992 को जिलाधिकारी, मऊ के कार्यालय के समक्ष जिलाधिकारी के निर्देश पर सर्वदलीय सभा कर रहे छात्रों तथा युवजनों की पिटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री हरेन्द्र सिंह की जनपद मऊ के जिलाधिकारी द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ताओं की शांतिप्रिय ढंग से चल रही सभा में लाठीचार्ज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री देवेन्द्र पाल सिंह की जनपद शाहजहांपुर में दाही घाट गंगा तट पर दिनांक 17-18 फरवरी, 1992 को हुए अग्निकाण्ड में जन-धन की हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । छठी सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री हृदय नारायण तथा श्री बलराम यादव की है, सातवीं सूचना श्री लीला राम शर्मा की है और आठवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय की है । श्री दिवाकर विक्रम सिंह ने अनुरोध किया है कि वे अपनी सूचना किसी और दिन देंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

* श्री श्याद अली--

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में तथा इस राजधानी लखनऊ में जिस तरह से 15 महीनों से ए० टी० एल० के कर्मचारी आन्दोलनरत हैं, वह चाहे जिला मुख्यालय रहा हो, लखनऊ राजधानी रही हो, जिस समय यह ए० टी० एल० बेचा गया था, उस समय माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि माननीय मुलायम सिंह ने मिनी बोफोर्स को दोहराया है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज किस तरह से ए० टी० एल० के कर्मचारी रोजी-रोटी के लिये मोहताज हैं । चुनाव के समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा था कि जो ए० टी० एल० कौड़ी के भाव बेचा गया है, मैं शासन में आने के बाद उसको वापस कर दूंगा । हमारे यहां के विधायक ने कहा था कि जो माननीय मुलायम सिंह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

की सरकार ने ए० टी० एल० को मिट्टी के भाव बेचा है, मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं ए० टी० एल० को वापस कराऊंगा । क्या डाला, चुर्क और चुनार में माननीय ओम प्रकाश सिंह से बहुत ताकत है, जो वह डाला और चुर्क को वापस करा सकते हैं, तो क्या ए० टी० एल० को वापस नहीं करा सकते हैं ? आज वहां का बच्चा-बच्चा आन्दोलनरत है ! वहां पर रास्ता जाम किया गया था । जिस तरह से छात्रों ने विधान सभा के सदस्यों को विधान सभा की कार्यवाही में नहीं उपस्थित होने दिया था, मैं प्रतापगढ़ का जन प्रतिनिधि होने के नाते कह रहा हूं कि वहां के कर्मचारी आन्दोलनरत हैं, उनका कहना है कि अगर माननीय विधायक लोग ए० टी० एल० के मामले को सदन में नहीं रखेंगे, तो उनको निकलने नहीं दिया जायगा ।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से छात्रों ने आन्दोलन किया है, उसी तरह एक आन्दोलन आज ए० टी० एल० के कर्मचारी करने के लिए उतारू हैं । आज उनकी बीबियां दूसरों के घर पर झाड़ू लगाने का काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं । उनकी रोजी-रोटी की इतनी बड़ी समस्या हो गयी है कि जो लोग 10–15 साल से काम करते थे, आज वे लोग इस उम्र में घरों पर जाकर काम करेंगे । मैं वर्तमान सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से ए० टी० एल० के साथ घिनौना अपराध किया गया है, वही अपराध आप दोहराना चाहते हैं, तो आप अपनी मंशा को जाहिर करिये । मैंने आपको एक नहीं दसों पत्र भेजे हैं, आपने कहा था कि इस पर बहुत जल्द ही विचार किया जयगा । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सिपानी जो कबाड़ी का काम करता है, उसकी बैक ग्राउन्ड कितनी घिनौनी है । वहां के जो कल-पुर्जे रहे हैं, जो भी सामान रहे हैं वह सब कबाड़ी के हाथ बेचा गया है । अगर उसको वापस नहीं किया गया तो कल को उसके खिलाफ वारन्ट जारी होगा । वहां पर 152 एकड़ जमीन किसानों की अधिग्रहीत की गयी है । लेकिन मान्यवर, एक बात है । मेरा निवेदन है कि जो लोग मौजूद हैं, चाहे वह सरकार में हों और चाहे विपक्ष में हों, 116 विधायकों ने लिखकर दिया है कि ए० टी० एल० के सौदे को रद्द किया जाना चाहिए । मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं । अगर ए० टी० एल० का सौदा रद्द न किया गया, तो प्रदेश में भयावह स्थिति पैदा हो जायेगी । जिस प्रकार से हम लोग कल नहीं निकल पाये थे, श्री बृजेश कुमार शर्मा जी हैं, वह मंत्री हैं, जिनके क्षेत्र में ए० टी० एल० विराजमान है, प्रमोद तिवारी जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, इनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा । इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाये ।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, सीमेन्ट फैक्ट्री के बारे में आन्दोलन हुआ और पूर्व सांसद सुश्री सुभाषिनी अली के नेतृत्व में जिन्दाबाद के नारे लगाये गये, वहीं पर डालमिया के दामाद संजय हैं, तो ट्रैक्टर नहीं पैदा करना चाहते थे । हमारे साथ पढ़ने वाले इंजीनियर वहां पर हैं, वह आज कहां नौकरी पायेंगे । आज वहां के 1300 कर्मचारियों के सामने भुखमरी की समस्या है । आज राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री हैं, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी संसदीय कार्य मंत्री हैं और ओम प्रकाश जी सिंचाई मंत्री हैं । सिपानी के हाथ ए० टी० एल० कारखाने को बेंच दिया गया है, मुलायम सिंह की सरकार और कल्याण सिंह की सरकार एक ही ढर्रे पर चल रही है, उसमें कोई अन्तर नहीं है । आप तो अयोध्या के कार्यक्रमों में पड़े हैं । वहां के जो कर्मचारी हैं, वह भुखमरी के शिकार हैं । उनकी स्थिति को देखते हुए इस सौदे को वापस किया जाये ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, एक बात कई बार इस सदन में कही गयी है, पुरानी सरकार और नई सरकार की बात नहीं करना चाहिए । मैं उसमें नहीं पड़ता हूं । यह स्पष्ट है कि हमें विरासत में बहुत सी चीजें मिली हैं, जिनका हम समर्थन नहीं कर सकते हैं । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं । मैंने पुरानी पत्रावली देखी है और जिस प्रकार से निजीकरण की डील हुई है मैं उससे खुश नहीं हूं । जो बातें कही गयी हैं हम उनसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सहमत हो सकते हैं, लेकिन आज हमारे सामने स्थिति दूसरी है । उसे ज्वाइन्ट सेक्टर में दे दिया गया है। यह बात भी सही है और मैं इसे स्वीकार करता हूं कि मैं वहां स्वयं गया था, उन कर्मचारियों की दर्दनाक बातें मैंने देखीं और सुनी थी उसके बाद आज भी उनकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारी सहानुभूति उनके साथ है, हम लोग इस बात का परीक्षण कर रहे हैं कि जो निजीकरण में एक चीज दे दी गयी है उसके बारे में क्या रवैया अपनाया जाय, कैसे सरकार अपने हाथ में ले ? लेकिन मेरा कथन यह है कि वहां के जो कर्मचारी हैं उनको जवाब कैसे दिया जाय, उसके कर्मचारी आज भी मिले थे, उनको सदन के बाहर आश्वासन दिया था और यहां भी कहना चाहता हूं कि उनके दुख के साथ हमारी सिम्पैथी है, उनको रोजी-रोजगार मिले, उनके जीवन यापन की कोई व्यवस्था की जाय । इसके बारे में सरकार पूरी तरह से चिन्तित है इसके बारे में हम जल्दी ही कोई निर्णय करेंगे, यह मामला 311 में है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 में है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियम 56 में कार्य-स्थगन का यह मामला आता नहीं है इसमें तो वह मामला जो तत्काल घटित घटना हो, आप नियमों में देख लें जो तत्काल घटित घटना हो, यह तो पुरानी घटना है लेकिन फिर भी उनकी समस्या से हमको पूरी सहानुभूति है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव में न लें, इसे आप ख़ारिज कर दें लेकिन इस समस्या से हमारी सहानुभूति है ।

*श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी की बात से सहमत हूं लेकिन थोड़ा संशोधन यह चाहता हूं कि उनके साथ में इनको सिम्पैथी हैं लेकिन 7 महीने हो गये हैं और अभी उधर से कोई बात नहीं आयी है । मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि कोई निश्चित समय रख दें कि 15 दिन में या 20 दिन में कोई न कोई फैसला कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्याद अली आदि सम्मानित सदस्यों ने सूचना दी है नियम में ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, आप संरक्षण दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात सुनें । नियम 56 में कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में इसे स्वीकृत करना तो सम्भव नहीं है परन्तु इस पर मैं अगले सप्ताह 24 फरवरी को प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के किसी दिन आधे घंटे की चर्चा जरूर स्वीकार कर रहा हूं ।

दूसरी और तीसरी सूचना वापिस हो गयी है, चौथी सूचना श्री रिजवानुल हक की है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, जनपद रामपुर में एक जनवरी से 15 जनवरी तक 13 निर्दोष व्यक्तियों की सुनियोजित ढंग से हत्या गला काटकर कर दी गयी । जिसकी दहशत हमारे मुरादाबाद जनपद में फैली हुई थी लोग डर से कांप रहे थे । मैं मुरादाबाद क्षेत्र से देहात से चुनकर आता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद देहात की सीमा जनपद रामपुर से 13 किलोमीटर तक मिली हुई है । यह गलाकाट गिरोह हमारे क्षेत्र में आ गये और थाना भरतपुर में 2 लोगों की हत्या गला काटकर कर दिया । यह घटना 7-2-92 की है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

रात के आठ बजे 3 लोग ग्राम मुड़िया का अशफाक आयु 35 वर्ष पुत्र गुलवाडा, दूसरा ग्राम ठिलिया का अहमद हुसैन आयु 25 वर्ष पुत्र श्री अगनी, तीसरा ग्राम ठिलिया का ही 14 वर्षीय प्रेम सिंह पुत्र श्री अतर सिंह । ये लोग बेरखेरा के भट्ठे पर लकड़ी उतार कर आ रहे थे रात के आठ बजे थे उनके पास 400 रुपये किराये के थे उन्हें रास्ते में दो बदमाश मिले जिन्होंने चग्गोवाली तक जाने की बात कही जब डनलप मुड़िया गांव की ओर मुड़ी तो इन लोगों ने तमन्चा निकाल लिया और इन्होंने प्रेम सिंह के हाथ पैर बांध दिये और उन दोनों लड़कों की निर्मम हत्या कर दी और यहां तक सुना गया कि हत्यारों ने उनका गला घोटने के बाद खून भी पिया । सरकार को कोई चिन्ता नहीं हो रही है कि इस तरह के अपराध क्यों बढ़ रहे हैं ? मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि गला पूरा नहीं काटा जाता है बल्कि सिर्फ अधकटा करके छोड़ दिया जाता है । यह विचित्र किस्म की घटना है । इसकी ग्राह्यता यह है यह घटना सदन प्रारम्भ होने के तीन दिन पहले की है । आम चर्चा है कि [xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा, आरोप निकाल दिया जायेगा ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, कत्ले आम हो रहा है । इस सिलसिले में मैं एक शेर पढ़ कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा–

क्या इन्हीं मजालिम को राम राज कहते हैं
सारे शहर को तुमने एक चिता बना डाला
तुमसे क्या रखें कोई मुंसिफी की उम्मीदें
कत्ले आम को तुमने हादसा बना डाला ।

मान्यवर, मैं इस घटना पर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री अकबर–

मान्यवर, यह जो इस तरह की घटनायें पश्चिम में हो रही हैं, इस प्रकार की घटनायें तो होती रहती हैं किन्तु उनके पीछे कोई मकसद होता है । यह जो रामपुर में 13 मर्डर किये गये या मुरादाबाद में 3 मर्डर हुए हैं, इसके पीछे कोई दुश्मनी भी नहीं थी और न ही कोई लूटने का मकसद, इसका होना उचित नहीं था इन घटनाओं के प्रति हालात में आम मर्डरों की तरह से प्रशासन का उदासीन रहना एक बड़ी अजीब सी बात लगती है । रिजवानुल हक साहब ने थोड़ा सा इशारा सत्ता पक्ष की ओर कर दिया तो चिल्लाने लगे । इन घटनाओं के प्रति वहां का प्रशासन मौन है । इसी तरह के मर्डर होते रहें, जिसमें न तो कोई दुश्मनी की बात है न कोई लूटने का मकसद है तो फिर आखिर क्या बात है क्यों ऐसे मर्डर होते रहे हैं ? इसे गम्भीरता से लेना चाहिए था । किस दल विशेष ने इस तरह के मर्डर किये या किसी राजनैतिक दल के सह पर यह घटना हुई । चाहे इधर से संबंधित हों या उधर से संबंधित हों, शासन उधर का है अधिकारियों का मौन रहना, किसकी दिलचस्पी मर्डरों में साबित करती है यह सदन बखूबी जानता है । मान्यवर, यह विषय तात्कालिक है । सदन बैठने के कुछ समय पहले की यह घटना है इस संबंध में मान्यवर, किसी तरह से इस पर चर्चा करा दें वहां के प्रशासन का मौन रहना, उदासीन रहना उचित नहीं है । यह मर्डर क्यों कराये गये इसका पता लगना चाहिए । मान्यवर, एक मांग मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि बेगुनाहों को इसमें मारा गया बगैर किसी दुश्मनी के, मकसद के, बगैर किसी लूटने के मकसद के, अल्पसंख्यक मारे गये हैं । मैं चाहूंगा कि उन्हें सरकार मुआवजा दे और इस प्रकरण पर सदन में चर्चा करायें तथा सच्चाई सदन के सामने आ सके ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव यहां पर रखा है उसमें उन्होंने तथ्यों को काफी तोड़-मरोड़कर रखा है । मान्यवर, इस सदन में अकारण किसी संस्था या सदन के किसी सदस्य पर आरोप लगाये जायें तो यह उचित नहीं है और यह प्रक्रिया में नहीं आना चाहिए था । यह घटना 7 फरवरी, 1992 की है । इसमें अशफाक व अहमद हुसैन नामक दो युवक भैंसागाड़ी से बरेखेरा के भट्ठे पर लकड़ी उतरवा कर आ रहे थे कि रास्ते में दो युवकों ने उनकी गाड़ी को रोका उन्हें लूट लिया और उनकी गला रेतकर हत्या कर दी । इसमें हमने एक अभियुक्त नन्द किशोर को गिरफ्तार कर लिया है तथा दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार करने के प्रयास चल रहे हैं । यह पुरानी रंजिस का मामला है । मान्यवर, हमें पूरी उम्मीद है कि हम दूसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लेंगे और मान्यवर, मुरादाबाद जिले में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, वहां पर स्थिति सामान्य बनी हुई है । माननीय सदस्य कुछ इधर-उधर की बात करके वहां की स्थिति और वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और यह जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है इसका कोई औचित्य नहीं है आप इसे निरस्त कर दें ।

(व्यवधान)

*श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं । माननीय श्री शाही जी इस समय गृह राज्य मंत्री हैं और यहां शासन में बैठे हैं उनके लिये यह शब्द कहना कि हमारे विपक्ष के विधायकगण तनाव करके वहां की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं यह उचित नहीं है । मान्यवर, इतना तो आप जानते हैं कि वहां पर दो आदमियों का मर्डर हुआ, आप एक जिम्मेदार जगह पर बैठे हैं, आप केवल इतना ही कह देते कि हम इस पूरे प्रकरण को दिखलवा रहे हैं लेकिन आप दोषारोपण करने लगे जो उचित बात नहीं है ।

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री अकबर हुसैन और श्री रिजवानुल हक ने कहा कि मर्डर तो होते ही हैं, यह सही है लेकिन जो इन 13 व्यक्तियों की गला काट कर हत्या हुई है, जो यह खून पिया गया है, यह कार्य किसने किया यह सरकार का काम है कि इसका पता लगाये । यह जो मर्डर करके खून पीने की जघन्य प्रवृत्ति है यह एक राक्षसी प्रवृत्ति है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि जिसने भी इस प्रकार का कार्य किया है उसका पता लगाये यह सरकार । यह जो पाश्विक प्रवृत्ति है, खून पीने की । अगर प्रदेश में इसी तरह बढ़ती गयी और भारतीय जनता पार्टी इसे नहीं रोक पायी तो एक दिन इनकी भी यही प्रवृत्ति हो जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय गृह राज्य मंत्री ने ग्राह्यता का उत्तर दिया । आप व्यवस्था देने से पहले प्रक्रिया नियमावली का नियम-289 (क) देखें । मान्यवर, आप प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-289-क को देख लें, इसमें दिया हुआ है कि किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो, जिसमें मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सकें । अब आप देखें कि राज्य मंत्री श्री शिव बहादुर सक्सेना जी के बारे में ऐसा गलत काल्पनिक आरोप यहां लगाया गया और इस तरह सदन में वाक् स्वातंत्र्य का लाभ उठाकर गलत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आरोप लगाना कहां तक उचित है ? यदि आरोप लगाना ही है, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है अगर आप लिखित देते, मंत्री जी यहां बैठे होते, ताकि उन्हें भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिलता। मान्यवर, परिपाटी भी यही रही है कि जिस व्यक्ति को सदन में जवाब देने का मौका नहीं है, उस पर आरोप नहीं लगाया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उस आरोप को कार्यवाही से निकलवा दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने आदेश दिया है, तो उसका पालन होगा, लेकिन यदि इस संबंध में एक चेतावनी भी आप दे दें कि इस तरह के मामलों को भविष्य में न दोहराया जाय और अगर उठाना है तो प्रक्रिया के अनुसार हो।

* श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, परम्परा यह रही है कि माननीय अध्यक्ष जी निर्देश देते हैं, लेकिन यहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री आपको बता रहे हैं कि आपको यह करना चाहिए, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री का यह कहना कि आप हम लोगों को चेतावनी दें, यह अच्छी बात नहीं है और परम्पराओं के विरुद्ध है, इसकी भर्त्सना की जाती है।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मेरी चर्चा का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने अभी चर्चा स्वीकार नहीं की है।

*श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, यद्यपि मैं नया सदस्य हूं और प्रक्रिया नियमावली का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी आपके माध्यम से इस सदन से एक गुजारिश जरूर करूंगा। मान्यवर, देखा गया है कि चाहे किसी के कत्ल की बात हो, चाहे किसी के मर्डर की बात हो, चाहे किसी हिनीयस क्राइम की बात हो। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बड़ा हो-हल्ला करते हैं और जब मंत्री जी जवाब देते हैं, तो मेजें थपथपाई जाती हैं। इसी तरह जब प्रतिपक्ष के लोग मिर्चमसाला लगा कर पेश करते हैं, तो इधर से भी मेजें थपथपाई जाती हैं। मान्यवर, यह सदन गम्भीर विचार-विमर्श का स्थान है और इसके अन्दर कम से कम ह्यूमन सेन्टीमेंट्स की बात हो या मर्डर की बात हो, चाहे हिपुनस क्राइम की बात को सस्ते तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए और किसी प्रकार की खुशी जाहिर नहीं की जानी चाहिए। इस तरह से, इतने गम्भीर विषयों पर हल्कापन जाहिर करना सदन के लिये शोभा नहीं देता। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस सदन का मार्ग-दर्शन करें। हम यहां गम्भीरता से विचार-विमर्श करें, चाहे किसी प्रकार का विषय हो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, इस बात का ध्यान रखिये।

नियम-56 के अन्तर्गत माननीय रिजवानुल हक और मा० अकबर हुसैन ने जो सूचना दी है, वह नियम 56 में नहीं आती लेकिन चूंकि यह शांति और व्यवस्था की समस्या है, कत्ल हुआ है, इसलिये माननीय गृह राज्य मंत्री इसको दिखवा लें ताकि अपराधियों का शीघ्रता से पता चल जाय और अपराध की विवेचना शीघ्र समाप्त होनी चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मंत्री जी की ओर से कहा गया कि दो मर्डर हुए हैं, जबकि रिज़वानुल हक साहब ने 15 मर्डर्स रामपुर में होना बताया है।

श्री अध्यक्ष–

आप इसके बारे में अलग से सूचना दें, तो इस पर विचार करेंगे।

मेजर जे० पी० सिंह–

मान्यवर, मैं भी मुरादाबाद का हूं [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह कोई चर्चा यहां नहीं हो रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी पहले ही आरोप लगाने के बारे में प्रक्रिया का उल्लेख किया है, उसका ध्यान रखें।

(श्री अकबर, श्री मोहम्मद रिजवानुल हक के खड़े होने पर तथा यह कहने पर कि क्या यह असंसदीय नहीं है)

मैंने उसे कार्यवाही से निकाल दिया है।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन का ध्यान दुखद घटना की ओर आकर्षित कर रहा हूं। मान्यवर, हमारे जनपद शाहजहांपुर में सदियों से ढाई घाट गंगा के तट पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। पूर्व की भांति इस वर्ष भी वहां मेला लगा। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण वहां पर गंगा स्नान के लिए जाते रहे हैं और इस बार भी गये। राजस्व मंत्री जी के गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह मेला लगता है। 17 तारीख की रात में मेले में आग लगी और दूसरे दिन 18 तारीख को सुबह 8.00 बजे मेले में आग लगी, फिर 10.00 बजे आग लगी और 2.00 बजे आग ने विकराल रूप ले लिया। मेरी जो निश्चित जानकारी है इस आग की लपेट में बीसियों बच्चे, बूढ़े और औरतें आ गयीं और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गयी।

परन्तु हमारे जिला प्रशासन ने चार लोगों की मृत्यु को दर्शाया है। सत्यता यह है कि मेले में यह आग करीब 6 किलोमीटर की परिधि में लगी। राजस्व मंत्री जी भी इसे जानते हैं। हमेशा इस मेले में पूर्णिमा के दिन डी० एम० व एस० पी० वहां रहते थे, परन्तु अबकी बार वहां न डी० एम० थे, न एस० पी० थे, न एस० डी० एम० और न वहां सी० ओ० था। वहां का जो लोकल थाना-इंचार्ज था, वह भी मेले में न रह कर, एक पुलिया पर जबरन वसूली कर रहा था। 17 तारीख को आग लगी परन्तु अग्निशमन की व्यवस्था वहां नहीं की गयी। 18 तारीख का जब आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें हजारों आदमी जख्मी हो गये। 15 ट्रैक्टर स्वाहा हो गये, कई मोटर साइकिलें व सैकड़ों साइकिलें लगभग स्वाहा हो गईं। अभी तक जिलाधिकारी ने मृतकों के आश्रितों को कोई अनुदान नहीं दिया। "अमर उजाला" में यह समाचार आया है कि जिलाधिकारी ने एक-एक हजार रुपये का अनुदान दिया है जो मर गये हैं। मेरी मांग है कि मृतकों के आश्रितों को एक-एक लाख रुपये दिये जायं और जो व्यक्ति आग लगने से घायल हुए हैं और विभिन्न अस्पतालों में पड़े हुए हैं, उन्हें 50-50 हजार रुपये दिये जायं और उनकी चिकित्सा व्यवस्था की जाय। इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर चर्चा करायी जाय और साथ ही उच्च स्तरीय जांच करायी जाय और वहां का जो जिला प्रशासन है तथा जो अधिकारी इसके दोषी हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेनासुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* श्री राम मूर्ति सिंह–

मान्यवर, यह जो अभी माननीय विधायक श्री देवेन्द्र पाल सिंह जी ने इस सदन के संज्ञान में ढाई घाट गंगा तट पर जो मेला लगता है, उसमें भीषण आग लगने का मामला यहां उठाया ।

(इस समय 5 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सोमनाथ शुक्ला पुनः पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करें (व्यवधान)

श्री राम मूर्ति सिंह–

मान्यवर, यह जो भीषण आग लगी है यह मेरे क्षेत्र में गंगा जी के तट पर जो विशाल मेला लगता है उसकी है जहां पर मान्यवर, खीरी लखीमपुर, पीलीभीत, बदायूं, नैनीताल और शाहजहांपुर आदि से श्रद्धालु आते हैं और एक महीने तक वहां रुक कर गंगा स्नान करते हैं । गत वर्षों में हमेशा वहां पर जिला प्रशासन पूर्णमासी से दो दिन पहले पूर्ण व्यवस्था करा देता था लेकिन इस सरकार ने वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की । 16 ता० को आग लगी उसे बुझा दिया गया फिर 17 ता० को लगी । इन दोनों घटनाओं के बारे में मैंने जिलाधिकारी और परगनाधिकारी को लिखित भेजा कि आग बुझाने के लिये आग बुझाने वाली गाड़ियों की व्यवस्था की जाय लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी । 18 ता० को दो बजे दिन में भीषण आग लगी जिससे 20 ट्रैक्टर, हजारों साइकिलें और 15, 20 मोटर साइकिलें जल गयीं और 50, 60 लाख का नुकसान हो गया । जिला प्रशासन ने वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की और न कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां गया । जिस दरोगा की ड्यूटी मेले के लिये लगी थी वह भी वहां नहीं था । वह पुल में जबरदस्ती एक ठेकेदार का ठेका खतम कराकर पैसा वसूल कर रहे थे । मैं आपके माध्यम से सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो नुकसान हुआ है उसकी तत्काल जांच करायी जाय और उन लोगों को मुआवजा दिया जाय । माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र के पड़ोसी जिले के माननीय राजस्व मंत्री हैं वह वहां पर थे उनको घटना स्थल पर जाना चाहिए था लेकिन वह नहीं पहुंचे और हमारे जनपद के माननीय राज्य मंत्री भी वहां पर मौजूद थे लेकिन वह भी घटना स्थल पर नहीं गये ।

मेरी मांग है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिलाया जाय ।

श्री इजहार आलम खां–

मान्यवर, यह ढाई घाट का जो मेला है यह मुझसे भी सम्बन्धित है । मैं भी इस पर कुछ कहना चाहता हूं । यह मेरे क्षेत्र की बात है ।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में आप अपनी बात कह लें ।

श्री इजहार आलम खां–

यदि एक मिनट में सही बात नहीं आयेगी तो क्या मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा । 10 लोगों की जानें गयी हैं और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है ।

श्री सोमांश प्रकाश–

दो मिनट दे दें इनके क्षेत्र की बात है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

पहले तय करा दें कि किसके क्षेत्र की बात है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री इजहार आलम खां–

मान्यवर, ढाई घाट के मेले में लाखों आदमी आते हैं और एक महीने तक यह मेला चलता है । वहां पर लोग दुकानें लगाते हैं और करोड़ों रुपये का सामान आता है । मेरा कहना है कि जब वहां मेले के लिये फूस की, घास की दुकानें लगती हैं उसके लिये कोई ठीक से व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं । घास-फूस में तो एक चिनगारी पूरे मेले को स्वाहा कर सकती है । तो इसका ठीक से प्रबन्ध क्यों नहीं होती है ? आग बुझाने के लिये व्यवस्था क्यों नहीं होती है । यहां पर मेरे क्षेत्र से और शाहजहांपुर से करोड़ों रुपये का सामान आता है । इस मेले में इस बार करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, 4 लोग जल कर मर गये कम से कम 10 ट्रैक्टर जल गये, 20 मोटर साइकिलें जल गयीं और सैकड़ों साइकिलें जल गयीं जिसका लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है । इसलिये मेरी मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाय और आगे के लिये ठीक व्यवस्था की जाय आग बुझाने के लिये केवल मशीन की व्यवस्था चाहिए पानी तो गंगा से मिल जायेगा । चूंकि गंगा किनारे मेला लगता है इसलिये पानी वहां मौजूद था । यदि मशीनरी आग बुझाने की होती तो यह आग वहां ज्यादा नुकसान न कर पाती । इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों के जो गुण्डे होते हैं वह मेले में टैक्स वसूली का काम करते हैं और अराजकता फैलाते हैं । इसलिये निवेदन है कि सरकार इस मामले की इन्क्वायरी करे और देखे कि भविष्य में इस तरह का हादसा वहां मेले में न होने पाये ।

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद की सीमा पर जो ढाई घाट का स्थायी मेला लगता है और जैसा माननीय सदस्यों ने बताया कि मेले में फूस की झोपड़ी बनती है चूंकि यह मेला गंगा के किनारे लगता है इसलिये वहां कोई पक्का स्ट्रक्चर दुकानों के लिये नहीं खड़ा किया जा सकता है जिससे घास-फूस की झोपड़ियां होने के कारण वहां आग लगी । वहां इतना जबरदस्त मेला था कि शासन की तरफ से मेले में कोई इस प्रकार की घटना न हो इसके लिये वहां अग्निशमन की व्यवस्था होते हुए भी चूंकि भगदड़ मच गयी इसलिये जान माल का नुकसान हुआ । (व्यवधान) आप लोग हमारी बात सुने लें, जितनी आपको पीड़ा है उतनी ही हमें भी है । पहाड़ में जो भूकम्प आया उसकी संवेदनशीलता देखते हुए हमने अधिक से अधिक सहायता दिया । यहां पर चूंकि इस मेले में जगह-जगह से लोग आये थे और आग लग गयी जिससे जिनकी जानें गयीं उनका पता लगाने और संबंधित व्यक्तियों को सूचना भेजने के लिये जिलाधिकारी, शाहजहांपुर, एस० एस० पी०, सी० एम० ओ० को निर्देश भेजे और जो डाक्टर वहां मौजूद थे उनके अलावा डाक्टरों की टीम वहां भेजी गयी और जो लोग जख्मी हुए हैं उनका उपचार कराया और कराया जा रहा है । लेकिन फिर भी जो हमारी सूचना है हो सकता है माननीय सदस्यों की सूचना में चार से अधिक व्यक्ति हों जो वहां जलकर मेले में मरे । कितने जख्मी हुए इसका पता लगाया जा रहा है । घायल व्यक्तियों को एक-एक हजार रुपया दिया गया और मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को दस-दस हजार रुपये देने की व्यवस्था कर दी गयी है और इस संबंध में निर्देश जिलाधिकारी को भेज दिये गये हैं । मान्यवर, जो पशुओं की क्षति हुई है उसके संबंध में जो नियमावली है उसके अनुसार सहायता देने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे माननीय सदस्यों के पड़ोस का मामला है वैसे ही मेरे पड़ोस का मामला है, शासन किसी स्तर पर अग्नि से जो लोग मरे हैं उनकी सहायता देने में और जो घायल हुए हैं उनका इलाज कराने एवं सहायता देने में कोई ढिलाई सरकार नहीं बरत रही है ।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मैं श्री द्विवेदी जी से कहना चाहता हूं कि आपकी ही बात मान लें कि वहां पर 4 आदमी ही मारे गये हैं और उनको जो 10-10 हजार रुपये का जो मुआवजा दिया गया है वह तो पहले से ही स्वीकृत था । वह देकर आपने कोई एहसान नहीं किया है । प्रत्येक जिलाधिकारी को यह पहले से ही आदेश हैं कि दैवी आपदा में मरने वालों के परिवारजनों को 10-10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जायेगा । यह

माननीय मंत्री जी का कोई एहसान नहीं है । हमेशा से ऐसे आदेश रहे हैं । अभी तमिलनाडु में जो घटना घटी वहां पर प्रत्येक मृतक के परिवार को एक-एक लाख रुपये दिये गये । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो राम रमैया की सरकार है, यह राम के नाम पर जो लोग मारे गये हैं उनको एक-एक लाख रुपया दे दो राम नाम की सरकार का सपना साकार होगा । जिलाधिकारी पैसा देते हैं सरकार का कोई एहसान नहीं होता है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट का समय दें मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी सूची उनके पास है, क्या कोई ऐसी सूची उन्होंने तैयार करवायी है जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि कितने दुकानदारों की दुकानें जलीं, कितने का नुकसान हुआ और कौन-कौन व्यक्ति मारे गये उनके नाम पते हैं । मैं श्री शाही जी से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग अधिकारियों को ऐसे ही बचाते रहे तो चल चुकी आपकी सरकार । हर मामले में पुलिस, एस० एस० पी० और बड़े-बड़े अधिकारियों को आप इसी तरह बचाते रहते हैं । जिससे नौरकशाही शासन पर अपना शिकंजा कसती जा रही है । राम नाम पर राम के स्थान पर लोग मारे गये हैं । राम की मर्यादाओं से डरिये और उन्हें राम के नाम पर मुआवजा दीजिये । कौन लोग मारे गये हैं, उनका क्या पता है, कितनी दुकानें जली हैं उनका कितने का नुकसान हुआ कोई जानकारी आपको है तो बता दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

हमारे पास चार आदमियों के मरने की सूचना है । आपके पास इसके अतिरिक्त कोई सूचना है तो आप भेज दीजिये ।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

आप चार आदमियों की सूचना दता रहे हैं ! मैं इसके अतिरिक्त की सूचना दे दूंगा पहले आप उन चार लोगों के तो नाम बता दीजिये ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, दो-दो मंत्री जी एक साथ बोल रहे हैं । इस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को बचाया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शान्त हो जायं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

अधिष्ठाता महोदय, यह कैसी व्यवस्था है ? कितनी दुकानें जलीं, कितने का नुकसान हुआ कौन-कौन लोग मारे गये । मान्यवर, चार लोगों की सूचना है इनके पास लेकिन वह कौन हैं उनके क्या नाम हैं ? सरकार बता नहीं पा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब इसे समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री इज़हार आलम खां–

मान्यवर, यह ढाई घाट के मेले में जो घटना घटी लाखों रुपये की सम्पत्ति स्वाहा हो गयी ।

श्री राम चरित्तर–

अरे फिर कहां इसे ले रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों की नियम-56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से निदेश सं-15 के अन्तर्गत आठ सूचनाएं चयनित की गयीं । इनमें से पहली सूचना जो श्री शयाद अली, श्री यदुनाथ सिंह, श्री किशोरी लाल, श्री ज्वाला प्रसाद, श्री राज नारायण बिन्द, श्री प्रमोद तिवारी की आटो ट्रैक्टर, प्रतापगढ़ की अवैधानिक बिक्री तथा कर्मचारियों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, आधे

घण्टे की चर्चा स्वीकार की गयी है । चर्चा 24 फरवरी से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह में किसी दिन होगी । दूसरी सूचना जो श्री यदुनाथ सिंह, श्री अंगद यादव, श्री ऊदल व तीसरी सूचना जो श्री दिवाकर विक्रम सिंह व श्री हरेन्द्र सिंह की है वह माननीय सदस्यों ने वापस ले ली है । चौथी सूचना जो श्री मोहम्मद रिजवानुल हक तथा श्री अकबर हुसैन की जनपद मुरादाबाद में दो व्यक्तियों की गर्दन काटकर की गयी हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है उसके बारे में यह निर्णय दिया गया है कि उसे दिखवा लिया जायेगा । श्री हृदय नरायण दीक्षित ने अपनी सूचना वापस ले ली है । शेष सूचनायें अस्वीकृत की गयीं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग शान्ति बनाये रखें ।

(व्यवधान)

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दस प्रतिशत स्थान मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले छात्रों के लिये आरक्षित कर दिये जाने के संबंध में संकल्प

* श्री सुरेश प्रताप गांधी–

माननीय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दस प्रतिशत स्थान मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले छात्रों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं ।"

यह संकल्प लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? हमारे प्रदेश में ग्रामों की संख्या अधिक है और प्रदेश की आबादी 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामों में निवास करती है । यह प्रदेश ग्रामों का प्रदेश है । 74,102 ग्राम सभाएं हैं तथा एक लाख 12 हजार 566 आबाद ग्राम हैं । इन सब ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए । अनिवार्य की जानी चाहिए । क्योंकि जैसी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र उस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि वह चिकित्सा शिक्षा आदि की जो परीक्षायें होती हैं उसमें उत्तीर्ण हो सकें । उनको समुचित स्थान, शिक्षा सही ढंग से न होने की वजह से, नहीं मिल पाता है । हम चाहते हैं कि 80 प्रतिशत में दस प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिए जाएं, जो ग्रामों में छात्र निवास करते है उनके लिये । मेडिकल, टेक्निकल और इंजीनियरिंग में इसको अनिवार्य कर दिया जाये । ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले छात्रों की संख्या स्नातक और स्नातकोत्तर में नगण्य हो रही है । इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था और वहां का आर्थिक पिछड़ापन है । इन परीक्षाओं के लिए जो प्रवेश परीक्षायें होती हैं उसमे विषयों और सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त उत्तर देने की एक विशिष्ट शैली होती है, तो शहर के जो छात्र होते हैं वह कोचिंग के माध्यम से इस शैली से अवगत हो जाते हैं । जिससे इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती है यह जो विशिष्ट शैली है यह सफलता प्राप्त करने का माध्यम होता है । ग्रामीण क्षेत्रों में कोचिंग न होने के कारण वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं । यह कोचिंग की शिक्षा मात्र बड़े शहरों में उपलब्ध है और ग्रामीण क्षेत्र के छात्र को इसका अनुभव नहीं होता है । कोचिंग क्लासेज को अटेंड करने के लिये शहरों में रहना होता है लेकिन शहरों में रहने के लिये आवास की व्यवस्था करना उनके लिये सम्भव नहीं है, इतना धन रहने और फीस देने के लिये गांवों के छात्रों के पास नहीं है । यह बात नहीं है कि देहात के छात्रों में टैलेंट का या प्रतिभा का अभाव है । संसाधनों की कमी के कारण उनकी प्रतिभा को मुखरित होकर विकसित होने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है । इसीलिये मैंने इन संस्थाओं में न्यूनतम 10 प्रतिशत स्थान देहात के छात्रों के लिये आरक्षित करने की बात कही है । मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसके दो मुख्य कारण हैं एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर शिक्षा व्यवस्था और दूसरी आर्थिक विपन्नता ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देने का एकमात्र माध्यम शिक्षा परिषद् के स्कूल हैं । चतुर्थ शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 13082 प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिए थे इसी प्रकार से 6735 जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना आवश्यक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी चाहिए थी परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधनों के अभाव के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है । जब वांछित संख्या में प्राइमरी स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कैसे सुधर सकता है । मान्यवर, दूसरी तरफ आप देखें शहरों में कांवेंट स्कूलों से पढ़कर आने वाले विद्यार्थियों का बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों से पढ़कर आने वाले छात्रों का क्या मुकाबला किया जा सकता है । जो ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों का अनुपात है उस अनुपात पे विद्यालय नहीं खुल पाये हैं । जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनकी स्थिति यह है छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है । मैं अलीगढ़ जनपद के बारे में उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर छात्रों के अनुपात में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या बहुत कम है । बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी अध्यापक नहीं है जिससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । बहुत से प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक या दो अध्यापक हैं । कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक को एक समय में एक अध्यापक कैसे पढ़ा सकता है, मैं समझता हूं कि यह आसान कार्य नहीं है । इसी प्रकार से शिक्षा के संबंध में जो हमारा राष्ट्रीय मानक है उसके अनुसार 400 की आबादी पर डेढ़ किलोमीटर की परिधि में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए । इसी तरह से 800 की आबादी तथा 3 किलोमीटर में एक जूनियर हाई सकूल की स्थापना की जानी चाहिए थी परन्तु यह व्यवस्था आज तक सम्भव नहीं हो पायी है ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शांत रहें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, सामान्य शिक्षा के नाम पर प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा पर धन व्यय किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि यह धन जो व्यय किया जा रहा है यह धन का अपव्यय है क्योंकि मैंने कहीं नहीं देखा कि प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र चल रहे हैं केवल पुल, पुलियों पर ही प्रौढ़ शिक्षा के बारे में लिखा मिलता है वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं चलते हैं । मान्यवर, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है । संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है । इस वय वर्ग के बालक बालिकाओं को शिक्षा देने की गारंटी दी गयी है परन्तु क्या यह सम्भव हो पायेगा इन संसाधनों से । एक तो इसका कारण आपकी शिक्षा व्यवस्था और दूसरे आर्थिक पिछड़ापन है । दूसरे प्रदेश के श्रमिकों में 74 परसेंट कृषक या श्रमिक हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं । इन श्रमिकों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अपने बच्चों को कोचिंग क्लासों में प्रवेश दिलायें या कान्वेन्ट स्कूलों के माध्यम से पढ़ाकर इस योग्य कर सकें कि स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिला सकें । मान्यवर, जो अनुसूचित जातियां हैं, हमारे देश में सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है । पूरे देश की 25 परसेंट अनुसूचित जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं । हमारे अपने प्रदेश की जनसंख्या में 21 परसेंट अनुपात अनुसूचित जातियों का है । मान्यवर, इनकी शिक्षा का स्तर या साक्षरता मात्र 15 परसेंट है । ये 75 परसेंट गरीबी की रेखा के नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले श्रमिकों और भूमिहीन मजदूरों से यह अपेक्षा करना कि वे अपने बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध करा सकें जो शहरी क्षेत्र के बच्चों को उपलब्ध करायी जाती हैं, असम्भव है । मान्यवर, प्रदेश में 66 अनुसूचित जातियां, 70 विमुक्त जातियां और 56 पिछड़ी जातियां

हैं । मान्यवर, सरकार माध्यमिक शिक्षा में जो व्यवस्था कर रही है उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये जो व्यवस्था है उसका मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहूंगा । प्राइमरी स्कूलों में जहां औसत संख्या छात्रों की 300 के करीब है. ... (व्यवधान)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, संकल्प के प्रारूप पर बोलते तो अच्छा होता !

श्री अधिष्ठाता–

उनको बोलने का 25 मिनट का समय है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, इस संकल्प को लाने का कारण आपके विभाग की दुर्व्यवस्था है । वह व्यवस्था ठीक होती तो यह संकल्प लाने की जरूरत नहीं पड़ती । सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूलों में मान लीजिये 300 औसत छात्र हैं तो 10 के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था है । 5 क्लासों के 300 छात्रों के लिये सिर्फ 10 छात्रों के लिये छात्रवृत्ति दी जाती है । इसी तरह से प्राइमरी में 15 छात्रों के लिये दी जाती है । जूनियर हाई स्कूल में औसत अनुपात में 200 या 250 छात्र होते हैं, उसमें से केवल 15 को छात्रवृत्ति दे रहे हैं । किन परिस्थितियों में कैसे आप कहते हैं कि देहात के छात्र उस स्तर पर आ सकेंगे, जिस स्तर पर शहर के छात्र हैं । मान्यवर, 10 प्रतिशत स्थानों की मांग करना मै समझता हूं कि यह कोई अनुचित बात नही है । यह न्यायोचित बात है । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों का चिकित्सा में अनुपात कम होने के दुष्प्रभाव के बारे में मैं बताना चाहता हूं । ग्रामों में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले है लेकिन उनमें चिकित्सकों का नितान्त अभाव है, क्योंकि वहां पर वे लोग जाना नहीं चाहते हैं, वे लोग शहरों में पले पोसे हैं, अगर उनका स्थानान्तरण देहातों में कर दिया जाता है, तो वे अपना स्थानान्तरण रोकवा लेते हैं । मान्यवर, जो हमारे दूसरे चिकित्सालय है, वहां पर चिकित्सकों का बहुत बड़ा अभाव है । वहां पर चिकित्सकों की संख्या बहुत कम है । महिला चिकित्सालय जो छोटे कस्बों या ब्लाक मुख्यालय पर हैं, उनमें महिला चिकित्सक का नितान्त अभाव है । ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के स्थान पर निजी प्रैक्टिस करना वे उपयुक्त समझती हैं ।

मान्यवर, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक केन्द्र तहसील मुख्यालय या ब्लाक मुख्यालय पर खुल गये हैं, वहां विशेषज्ञों व पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सकों के स्थान रिक्त पड़े हुए हैं । अब मान्यवर, मैं शिक्षा के संबंध में चन्द बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं । मान्यवर, गांवों में प्राविधिक शिक्षा का अभाव है और मेरी इस भावना से सभी लोग अवगत होंगे । गांवों में जो निर्माण कार्य होते हैं, वहां पर कोई भी इंजीनियर या अवर अभियन्ता या सहायक अभियन्ता कड़ी धूप में या रेत में या धूल में खड़े होकर काम नहीं करना चाहता है । यही कारण है कि वहां पर प्रभारी निरीक्षक न होने के कारण, वहां पर एजेण्टों से काम कराया जाता है । इंजीनियर लोग कार्य-स्थल पर नहीं जाते हैं, इससे कार्यों की गुणवत्ता और स्तर में गिरावट आयी है । ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वे लोग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के छात्र समुचित रूप से परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके आये होते, तो आज यह स्थिति न होती । इस स्थिति का कारण यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र अपने पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करके नहीं आते हैं । कालोनियां बन कर रह गयी हैं । जितनी सुविधाएं हैं, सभी शहरों तक सीमित रह गयी हैं और गांवो की उपेक्षा की जा रही है । गांव के कृषक और मजदूर जो हैं वह इस जर्जर व्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं का शोषण किया जा रहा है । वही उत्पादन के कार्यों से लगे हुए हैं, लेकिन उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है और इस कारण उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर गिरता जा रहा है । 80 प्रतिशत जनसंख्या के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना कोई बड़ी बात नहीं है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, इनको कितना समय दिया गया है ?

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, तो मैं कह रहा था कि गांवों की हालत बडी जर्जर हो गयी है । जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं हैं अपने बच्चों को शहरों में पढ़ा नहीं पाते हैं और इसी कारण उनके बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं आ पाते हैं । इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिये चिकित्सा शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा में स्थान आरक्षित करना चाहिए । शिक्षा में जो अन्तर है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए । मैं इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और शासन को इस अन्तर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए । मान्यवर, जब नयी शिक्षा नीति आयी, तो 1985 में मैं मान्यवर, इस सदन का सदस्य था और यह आशा बंधी थी कि नई शिक्षा नीति से ग्रामीण और शहरी अन्तर को कम किया जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री राम चरित्तर–

मान्यवर, इनकी समय सीमा को निर्धारित कर दें । यह 25 मिनट बोल चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी इनका समय अवशेष है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं सभी सदस्यों की भावनाओं को देखते अपने समय को सीमित करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि ग्रामीणों का जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जाये और गांवों और शहरों का जो अन्तर है, उसको दूर किया जाये ।

* श्री राम चरित्तर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है, तब से दलित भाइयों के उत्थान के लिये प्रयास कर रही है और हर प्रकार की कोशिश कर रही है । दलित भाइयों के लिये जो कार्य हमारी सरकार कर रही है, वह कार्य आज से 40 साल पहले कभी नहीं किये गये । मान्यवर, इन्होंने अब तक के अपने शासनकाल में कभी भी दलित बन्धुओं का कोटा पूरा करने के लिये कोई चिन्ता नहीं की तब इन्हें उनके सुख-दुख के बारे में चिन्ता नहीं थी और हमारी सरकार को बने हुए अभी 6 महीने हुए हैं और ये अब उनके लिये विधवा की तरह आंसू बहा रहे हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए (व्यवधान)

(श्री स्वामी नाथ यादव की ओर इशारा करते हुए) आप कृपया यह बतायें कि आपके हाथ में यह चोट कैसे लगी, मुझे बड़ा खेद है ।

(व्यवधान)

*श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है उसे आप सुन लीजिये । आज इस सप्ताह का अन्तिम दिन है और सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को या तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना है या तो अपने निवास जाना है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसे स्वीकार करें तो जो संकल्प इस समय है उनको माननीय सदस्य प्रस्तुत कर दें जिसमें आगे के दिन उसको कंटीन्यू मान लिया जाय और आपके जो सरकारी कार्य हैं उनको आप निपटा लें जिससे कि माननीय सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र या अपने निवास स्थान पर जा सकें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय विशारद जी ने जो सुझाव दिया है, मैं समझता हूं कि स्वयं इस बात की उनको जानकारी होगी कि हमारे नियमों में व्यवस्था यह है कि जो संकल्प आ गया उसी पर एक पर कार्यवाही चले और जब तक इस पर अन्तिम चर्चा नहीं हो जाती, वोट नहीं हो जाता या माननीय सदस्य वापस नहीं लेते तब तक दूसरा प्रस्ताव पेश नहीं होगा या हम नियमों को बदलकर यह परिपाटी डाल दें कि पांचों प्रस्ताव आज पेश कर दिये जायं तो पांचो चलते रहेंगे, कदाचित दीर्घकाल तक कोई नया प्रस्ताव सदन में आ ही नहीं पायेगा। यह तो मान्यवर, आपका गैर सरकारी कार्य है और आपके हित में है हम इस बात को समझते हैं कि यहां प्रतिपक्ष अपना हित कैसे देख रहा है, यह तो हम उपस्थिति देखकर ही समझ रहे हैं। प्रस्ताव आपका है, इसे आप जान लें, हम आपके हितो की पूरी-पूरी रक्षा करना चाहते हैं इसलिये हमारा सुझाव है कि एक-एक प्रस्ताव चलने दीजिये नहीं तो कोई नया प्रस्ताव नहीं आ पायेंगे। वैसे जैसी आपेकी आज्ञा हो।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, हमने निवेदन किया था सुविधा की दृष्टि से और नियमों की दृष्टि से जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, यह ठीक ही कहा है, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है, अगर ऐसा कर दें तो सुविधा रहेगी, लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह संसदीय परिपाटी है विशारद जी प्रस्तावक को हटना नहीं चाहिए लेकिन गांधी जी अब्सेन्ट हो गये है चले गये हैं। हो सकता है आवश्यक कार्य से बाहर गये हो, यह प्रस्ताव चलता रहेगा तो फिर भाषण देना है जब अपने प्रस्ताव पर टिप्पणियां नहीं सुन पायेंगे तो फिर उनको असुविधा होगी। अगर गांधी जी अपने प्रस्ताव पर बल नहीं देना चाहते हैं तो वोट करा दें।

(श्री सुरेश प्रताप गांधी जी के आ जाने पर)

श्री भगवती सिंह विशारद–

नहीं पूरा बल देना चाहते हैं।

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, इस माननीय सदन के सदस्य गांधी जी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया और संकल्प प्रस्तुत करने के पश्चात् उन्होंने अपनी जो बात विषद मे विवेचन किया, जब इस पर विचार कर रहे थे, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ था, उस संकल्प की सारी महत्ता एक ऐसी कोठरी में जिसमें भूसा भरा हो, उस सत्यता को उन्होंने छिपा लिया इधर उधर से ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मालूम पड़ता था कि उनके सामने अंधेरा है और संकल्प ढूंढे नहीं मिला! जो संकल्प में भावना दी गयी है, यह विचार दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले जो मूल निवासी विद्यार्थी हैं उनको प्राविधिक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाय । मैं समझता हूं कि जब आपने यह प्रस्ताव--संकल्प प्रस्तुत किया होगा तो माननीय सदस्य के मन में भाव रहा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इन संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल पाता होगा । लेकिन, मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हम किसी की ऐसी पैरवी करें कि वैसे ही योग्यता के आधार पर कहीं 22-23 प्रतिशत मिल रहा हो प्रवेश और फिर ऐसा संकल्प प्रस्तुत कर दें कि जिससे 10 प्रतिशत आ जाय तो आपके मन में जरूर संतोष होगा लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ आप ऐसा संकल्प प्रस्तुत करके अन्याय कर रहे है । जिन्हें अभी प्रवेश मिल रहा है 22-23 प्रतिशत, उनका वह प्रतिशत घटकर रह जायेगा 10 प्रतिशत । शासन में विभिन्न मेडिकल कालेजों के संबंध में आंकड़े आये हैं मैं बताना चाहता हूं कि के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में 1989 में टोटल 181 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला और उस 181 में से 46 मूलत: गांव के निवासी विद्यार्थी थे उनका प्रतिशत हुआ 25.4 मा० गांधी जी के इस संकल्प से आप उन क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ अन्याय ही करेंगे उनकी संख्या साढ़े 25 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह जायेगी ।

1990 में परीक्षण कराया गया 199 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला उसमें 42 विद्यार्थी मूलत: ग्रामीण क्षेत्र के थे । इसी तरह से मेडिकल कालेज इलाहाबाद में 1990 में 84 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला उसमें 35 विद्यार्थी मूलत: ग्रामीण क्षेत्र के निवासी थे उनका प्रतिशत 45 पड़ना हैं । जो परीक्षायें हो रही हैं मेडिकल कालेजों में और प्राविधिक संस्थाओं में उसमें उनका प्रतिशत 22, 25, 40 और 45 ऐसा है । अगर हम यह प्रतिबन्धित कर दें तो उनके साथ अन्याय होगा, हँसी होगी । आप इससे यह देखें कि सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कितने विद्यार्थी हैं कितने प्रतिशत हैं जिनको मेडिकल कालेज और प्राविधिक संस्थाओं में प्रवेश मिलता है । अगर विचार किया जाय तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग और कई ऐसी श्रेणियां हैं जिनके आधार पर इन तकनीकी विद्यालयों, चिकित्सकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिये आरक्षण किया है । मैं जानकारी के लिये बता दूं पिछड़ी जाति के लिये 15 प्रतिशत आरक्षण का शासनादेश जारी है इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्र के लिये 3 प्रतिशत का शासनादेश जारी है । अनुसूचित जाति के लिये 18 प्रतिशत आरक्षण है अनुसूचित जनजाति के लिये 2 प्रतिशत आरक्षण है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित विद्यार्थी हैं उनके लिये 5 प्रतिशत आरक्षण कर रखा गया है ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो प्रतिशत है, विकलांगों के लिए भी दो प्रतिशत है और इस प्रकार से 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर अभी भी चिकित्सा विद्यालयों और प्राविधिक शिक्षा विद्यालयों में प्रवेश मिल रहा है तथा 50 प्रतिशत प्रतिभा के आधार पर है । अभी माननीय गांधी जी कह रहे थे कि गांवों में प्रतिभा की कमी नहीं है । मै भी इस बात को स्वीकार करता हूं । लेकिन जिस प्रकार से माननीय श्री गांधी जी ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की उसमे तो ऐसा लगता है कि जो वर्ग के आधार पर 24.25 या 40 प्रतिशत आया था और आज जो आप यहां वकालत कर रहे हैं उसके आधार पर वह मात्र 10 प्रतिशत ही रहता है मैं चाहता हूं कि माननीय गांधी जी इस सम्बन्ध में पुनर्विचार कर लें । मैं मानता हूं कि गांधी जी के मन में संभवत: यही भावना रही होगी कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रवेश मिल सके, हो सकता है कि उन्हें जानकारी न हो । लेकिन एक कठिनाई होगी । अभी तो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, जनजाति के आधार पर आरक्षण हुआ उसी आधार पर व्यवस्था की गयी और जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, प्रदेश सरकार उस पर विचार कर रही है, केन्द्र सरकार ने विचार किया ।

अगर क्षेत्रीयता के आधर पर हम आरक्षण करेंगे तो नगरीय क्षेत्र के लोग भी कहेंगे कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए । मान्यवर, आज ग्रामीण क्षेत्र में बहुसंख्यक लोग रहते हैं, 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और उन 80 प्रतिशत लोगों के लिए यह 10 प्रतिशत की मांग करते हैं तो मैं यह समझता हूं कि यह अपने पक्ष को कमजोर कर रहे हैं । एक कठिनाई और होगी अगर इस प्रकार किया

गया तो उत्तरांचल के लोग भी यह मांग करेंगे, बुन्देलखंड के लोग मांग करेंगे, पूर्वांचल की तरफ से यह मांग उठेगी तो हम क्षेत्रीयता के आधार पर किस तरह से आरक्षण कर दें । अगर हम इसे क्षेत्रीयता के आधार पर बांट देंगे, तो हमारे जो सामान्य विद्यार्थी हैं वह कहां जायेंगे । इसलिए मान्यवर, इन्होंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है यह व्यवहारिक नहीं है और जिसकी यह वकालत करने जा रहे हैं उन लोगों का अहित हो जायेगा । मैं समझता हूं कि यह भावना शायद हमारे माननीय सदस्य के मन में नहीं है इसलिए मैं बड़े विनम्र शब्दों में अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य इस पर पुनर्विचार कर लें इसी में विद्यार्थियों का हित होगा और उनके हित में इस संकल्प को वापस ले लें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो सर्वेक्षण कराया है उसे मैं चुनौती देता हूं । जो उन्होंने सदन के सामने ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रतिशत रखा है वह उचित नहीं है उसे मैं चुनौती देता हूं । आज आप ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण करा लें आप यह पायेंगे कि जिन लोगों को इसका लाभ मिला है वे निश्चित रूप से शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं और उनके फर्जी पते गांवों के हैं । हमारे संकल्प की जो मूल भावना रही है कि गांव के अकिंचन लोगों के बच्चे इस लाभ से लाभान्वित हो सकें ।

संकल्प की मूल भावना यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, जिनके माता पिता खेती पर निर्भर हों, किसी छोटे उद्योग पर निर्भर हों, उनके बच्चों को लिया जाय । होता यह है कि लोग कभी गांव में रहे जरूर होंगे लेकिन अब शहरों में रहने लगने के बाद गांव के किसी रिश्तेदार का पता दे देते हैं । मान्यवर, भाषण कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की घोर उपेक्षा हो रही है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो भी अपना प्रतिशत निकाला हो, अपने दिल और दिमाग को साफ करके उन ग्रामीणों की तरफ, अकिंचन गरीबों की तरफ ध्यान डालिये, जो खेती पर निर्भर हैं, छोटे उद्योगों पर निर्भर हैं, उनके बच्चों को कितना लिया गया है । अगर आप सच्चाई देखेंगे, तो आपका दिल और दिमाग साफ हो जायेगा । आपका आंकड़ा कोरा और काल्पनिक है, उसमें कोई दम नहीं है, इसलिये मैं श्री गांधी जी के इस संकल्प पर बल देता हूं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने बताया कि मैं दिशा भ्रमित हूं और मैंने दिशाभ्रमित होकर गलत चीजें कहीं, या जो बातें गौण थी, उन्हें प्राथमिकता दी और जिन चीजों की तरफ परिलक्षित करना चाहिये था, नहीं किया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दो बातें मुख्यतः उठाई हैं, एक 10 प्रतिशत स्थानों की बात और दूसरे आरक्षण की अवधारणा की बात कही है । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र एवं छात्राओं के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अनुपात को आप देखें । मैं समझता हूं कि संकल्प में ऐसा कोई अनुबन्ध नहीं है, कोई ऐसा प्राविधान नहीं है या ऐसी कोई सीमा रेखा निर्धारित की गई हो कि 10 प्रतिशत की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे या प्रवेश नहीं पा सकेंगे । यह केवल एक न्यूनतम व्यवस्था आवश्यकता की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया था । मंत्री जी ने उदाहरण दिया है, विभिन्न मेडिकल कालेजों का, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का, इंजीनियरिंग कालेजों का और ग्रेजुएट स्तर की बात कही, परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएट में 10 प्रतिशत कहां हैं ?

दूसरी बात जैसा अभी भाई स्वामी नाथ जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का फायदा लेने के लिये, एडवान्टेज लेने के लिये लोग गांव के किसी रिश्तेदार से प्रमाण-पत्र बनवाकर प्रस्तुत कर देते हैं । हमारे आगरा में बलवन्त राजपूत कालेज में कुछ स्थान थे, वहां लोग ऐसे ही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देते थे और फायदा ले लेते थे । क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय से, जिसने एक भी परीक्षा उत्तीर्ण की है, प्राथमिक या माध्यमिक, उसे ही

ग्रामीण माना जायेगा । दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कही कि अगर हम आरक्षण की बात करने लगेगें तो सर्वत्र आरक्षण की मांग होने लगेगी । एक दशा में आप इसे सिद्धान्तः स्वीकार कर लें, सदन स्वीकार कर ले, सरकार भावना से सहमत हो जाय तो माननीय मंत्री जी ने जो शंका व्यक्त की है कि आरक्षण की मांग सर्वत्र होने लगेगी, पर्वतीय क्षेत्रों का आरक्षण किया जाय, शहरों का आरक्षण किया जाय, अल्पसंख्यकों का आरक्षण किया जाय, हरिजनों का आरक्षण किया जाय, विभिन्न स्तरों पर आरक्षण किया जाय, तो क्या वे ज्योति बसु की तरह कह सकते हैं कि हम आरक्षण की अवधारणा के खिलाफ हैं और पूर्णतः विपरीत हैं ? माननीय मंत्री जी अगर इस बात की आज यहां सदन में घोषणा करें तो मैं अपना संकल्प वापस लेने के लिये तैयार हूं । जब आरक्षण की आवाज पार्लियामेंट में आपके नेता बाजपेयी जी उठाते हैं और कहते हैं कि अनुसूचित जाति का आरक्षण होना चाहिये, वह इसे सिद्धान्तः स्वीकार करते हैं । आपने विभिन्न श्रेणियां गिनाई । अगर एक श्रेणी में आरक्षण को मानते हैं तो विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण की मांग होने लगेगी । अगर आप यह कह दें कि मैं किसी भी स्तर पर आरक्षण की अवधारण के विरुद्ध हूं तो मैं अपना संकल्प वापस ले लूंगा । सामाजिक स्तर में विपन्नता, आर्थिक स्तर में विपिन्नता, प्रदेश में विभिन्न स्थानों में संसाधनों की कमी आदि को देखते हुए संविधान में जो विशेष आरक्षण की गारन्टी दी गई है, उसके विपरीत आपने यहां पर बात कही है । ऐसा कह कर आपने संविधान की मूल भावना पर प्रहार किया है । आपने कहा कि मैं दिशा भ्रमित हो गया हूं, मैं आपका छोटा भाई हूं और आप मेरे बड़े भाई है, परन्तु मुझे दिशा देने के चक्कर में आप स्वयं दिशाभ्रमित हो गये हैं । हम आपसे यह अपेक्षा नहीं करते थे कि आरक्षण की नीति पर आप चोट करेंगे । दूसरी बात आपने बार-बार कही कि मैं 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत लाना चाहता हूं और 45 प्रतिशत से 10 प्रतिशत लाना चाहता हूं । मैं पूछना चाहता हूं कि इस संकल्प में यह व्यवस्था कहां पर की गयी है । कहां पर लिमिटेशन्स रखी गयी हैं । आप घोषणा करें कि देहाती क्षेत्र से आप उसे मानेंगे जिसने प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय किसी भी स्तर ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षा ली हो । दूसरा, आप यह घोषणा करें कि आप आरक्षण की नीति के अवधारण के विरुद्ध हैं । मैंने संकल्प में कोई ऐसी बात नहीं कही है, जिससे नियमों का उल्लंघन होता हो और देहाती क्षेत्र में जो सुविधायें मिल रही हैं, उनमें कटौती होती हो । मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि इसे पारित किया जाय ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, केवल एक बात कहना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य श्री स्वामी नाथ यादव जी ने कहा कि कुछ लोग फायदा उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के निवास का नाम लिख दिये हैं, इसलिए यह आंकड़ा गलत है । मैं कहना चाहता हूं कि जब ग्रामीण क्षेत्र के लिए आरक्षण है ही नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र के आवास का नाम लिखाने से उन्हें क्या फायदा मिल जायेगा । श्रीमन् यह शंका व्यक्त की गयी कि ग्रामीण क्षेत्र का लिवास पहन कर कोई उसका फायदा उठा लेगा यह आशंका निर्मूल है क्योंकि उस आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है ।

श्री सोमांश प्रकाश–

किस सर्वेक्षण के आधार पर आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभ लेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

यह किंग जार्ज मेडिकल कालेज में जो आपने कहा स्नातकोत्तर कक्षाओं की हैं । यह फीगर्स चाहे सजपा सरकार के समय की हों या कांग्रेस सरकार की समय की हों । इसलिए आपकी आशंका निर्मूल है ।

दूसरी बात कहना चाहता हूं मुझे कुछ गलत समझा गया और कहा गया कि मैंने यह कहा कि अनुसूचित जाति और जन जाति का आरक्षण नहीं होना चाहिये । मैंने यह कतई नहीं कहा मैंने कहा कि इसके लिये आदेश हैं जिसके आधार पर कार्य हो रहा है और हमारी सरकार भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये आरक्षण के जो नियम हैं उन पर बल देती है और जो पहले पूरा नहीं हुआ उसे पूरा करने पर भी बल देती है । मेरा अभिप्राय जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस

समय एक जो लाभ मिल रहा है एक जो सुविधा मिल रही है वह मिलती रहे । इसलिये मैंने कहा था कि वह अपना संकल्प वापस ले लें । अगर मेरे छोटे भाई वापस नहीं लेना चाहते हैं तो आप राय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप वापस ले रहे हैं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मैं इस पर बल देना हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दस प्रतिशत स्थान, मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले छात्रों के लिये आरक्षित कर दिये जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकार हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

दूसरा संकल्प श्री विजय सिंह राणा का है (नाम पुकारने पर) नहीं हैं ।

तीसरा श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय का है । आप प्रस्तुत करें ।

मऊ जनपद के थाना मधुवन के अन्तर्गत हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में हुए शहीदों की यादगार में शहीद स्मारक का निर्माण कराये जाने के संबंध में संकल्प (जारी)

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं–इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद मऊ के थाना मधुवन के अन्तर्गत हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में हुये शहीदों की यादगार में शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाय ।

मान्यवर, मैं बहुत लम्बी चौड़ी बहस नहीं करना चाहता हूं केवल संक्षेप में अपनी बात कहूंगा .....

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मेरा निवेदन था कि अब यह संकल्प प्रस्तुत हो गया है इसको आगे के लिये ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 96 के अनुसार यदि माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो वह बोल सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, समय का आवंटन तो आपके हाथ में है जैसा विशारद जी ने शुरू में कहा था । यह प्रस्तुत हो गया है आगे फारवर्ड हो जायेगा ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मैं इस पर लम्बी चौड़ी बहस नहीं करूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगली बार असरकारी दिवस जब होगा उसमें आपको पूरा मौका मिलेगा । आपको गलत फहमी हो रही है आपने पेश कर दिया है आगे पूरा भाषण आप दे दे ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

ठीक है ।

श्री अधिष्ठाता–

तीसरा संकल्प मैंने प्रस्तुत करवा दिया है और अगली बार इसपर बोलने का मौका दिया जायेगा ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

ठीक है ।

उत्तर प्रदेश की सरकारी, अर्धसरकारी एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं की नौकरियों में आरक्षण कोटा न पूरा करना संज्ञेय अपराध माने जाने के संबंध में संकल्प

* श्री बरखू राम वर्मा–

मान्यवर, "इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश की सरकारी/अर्धसरकारी एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं की नौकरियों में आरक्षण कोटा न पूरा करना संज्ञेय अपराध माना जायेगा ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का.....।"

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें । अब यह संकल्प पेश हो गया है लेकिन इन पर चर्चा नहीं हुई । इसलिये जब अगला गैर सरकारी दिवस आयेगा तो इन पर चर्चा जारी रहेगी और तब प्रश्न उपस्थित किया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

रूलिंग है कि एक असरकारी संकल्प के निस्तारण के उपरान्त ही दूसरा संकल्प प्रस्तुत हो सकता है इसलिये माननीय सदस्य आप बोलें ।

श्री इम्तियाज अहमद खां–

व्यवस्था का प्रश्न है । नियमावली के नियम 96 के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय पहली बार 25 मिनट बोलेंगे । लेकिन आपने दूसरा संकल्प प्रस्तुत करवा दिया । तो पहला समाप्त हुए बिना दूसरा हो नहीं सकता है, इस पर व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन की सहमति से हुआ है, इसलिये वह पेंडिंग हैं । दूसरे में माननीय सदस्य यदि प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो करें ।

श्री बरखू राम वर्मा–

मान्यवर, मैंने तो अपना संकल्प पहले ही प्रस्तुत कर दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियम तो यही था कि जब एक संकल्प का निस्तारण हो जाए तब दूसरा लिया जाये । लेकिन पूर्व दृष्टांत है कि सारे असरकारी संकल्प एक साथ पेश कर दिये जाते हैं, और जैसा आपके निर्देशानुसार पेश हो गये हैं, इसलिये पूर्व दृष्टांत को स्वीकार करते हुए दोनों को पेश हुआ मान लें और अगले गैर सरकारी दिन इन पर बहस हो जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

प्रश्न यह है कि संकल्प 10(3) और 10(4) पर अगले गैर सरकारी दिन को बहस जारी रहेगी ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ (चर्चा जारी रहेगी)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है। मान्यवर, यह भा० ज० पा० की सरकार अध्यादेशों की सरकार है और यह संवैधानिक प्रक्रिया का हनन करके जब कि सत्र बुलाया जाने वाला था यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस भा० ज० पा० सरकार को इस प्रदेश की जनता का कोई ख्याल नहीं है और अपने निहित स्वार्थवश इस तरह के संशोधन पेश कर रही है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आर० एस० एस० और बजरंग दल के लोगों को सुविधा देने के लिये इस अध्यादेश को लाया गया है। मैं इसका अननुमोदन करता हूं।

उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991। इसके सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने कहा था मैं समझता हूं यह जो अध्यादेश प्रख्यापित किया था 1991 में उसको उन्होंने देखा नहीं। मान्यवर, पिछले कई वर्षों से शिक्षक महासंघों की मांग रही है और भी कई माननीय सदस्यों ने इस तरह की मांग की है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उच्च शिक्षा मंत्री पहले प्रस्ताव पेश कर लें।

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, यह ठीक चल रहा है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

विधान सभा के कई सदस्यों ने भी मांग की थी इसलिये अध्यादेश इस समय लाया गया। 30 जून, 1991 तक विश्वविद्यालयों में जो अल्पकालिक शिक्षक कार्यरत थे उनके विनियमितीकरण का निर्णय लिया गया था और मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष के जो लोग हैं उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। यह मांग सभी की तरफ से थी। मैं स्वयं शिक्षक महासंघ का पूर्व में अध्यक्ष तथा महामंत्री भी रहा हूं। पूर्व सरकार से मैंने कई बार इस सम्बन्ध में वार्ता की। उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन मान्यवर, जैसा कि कथनी करनी में अंतर है। हमने इस तरह की बात नहीं की थी। हमने जो अल्पकालिक शिक्षक हैं उनको नियमित करने का निर्णय लिया है। मैं इसका विरोध करता हूं वह कृपया इसे वापस ले लें।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

उच्च शिक्षा मंत्री जी प्रस्ताव रखें ।

(व्यवधान)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाए ।

(व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी)–

एक माननीय सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया और उस पर बल भी दिया गया । माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने वापस लेने को कहा तो उस पर भी बल दिया गया । अब इसमें प्रश्न उपस्थित हो जाए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाए ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 1992 का प्रस्ताव लाये हैं । माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 और धारा 13 के संशोधन प्रस्ताव को देखा होगा, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि और माननीय मंत्री जी से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आया है इसमें कहीं न कहीं संदेह की बातें हैं । मैं कहना चाहूंगा कि नियमितीकरण करना था तो जी० ओ० कर देते । संशोधन के माध्यम से आपने ऐसा रास्ता निकाला है । आपने अध्यापकों के प्रति स्पष्ट नीति तैयार नहीं की है । आप अध्यापकों को स्थाई करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं इसमें हमें संदेह है । शिक्षा मंत्री जी शिक्षकों के लिए सीधा संशोधन नहीं लाये हैं, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर आप उन शिक्षकों का भला चाहते हैं जो लम्बे समय से स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, तो इसको आप प्रवर समिति को सौंप दें वह एक महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी । शिक्षकों को परेशानी हो रही है इसलिए मैंने प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है । प्रवर समिति शिक्षकों की भलाई के लिये निश्चित रूप से कोई प्रतिवेदन देगी । इसलिये मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने आयोग का नाम लिया, मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके विनियमितीकरण किये जाने के संबंध में है । विश्वविद्यालयों में तदर्थ शिक्षक कार्य कर रहे थे उनके संबंध में 22 नवम्बर, 1991 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 44 सन् 1991) प्रख्यापित किया जा चुका हैं । मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूं । जो नियुक्ति के संबंध में अर्हतायें हैं उनमें कोई रिलैक्शेशन नहीं दिया गया है मौलिक नियुक्ति देने के लिये और भविष्य में इस तरह की अल्पकालिक व्यवस्था में अध्यापकों की नियुक्ति को रोकने के लिये यह लाया गया है । इस तरह की अल्पकालिक व्यवस्था आगे नहीं होगी जो हमारे माननीय सदस्य को शंका है । इस तरह की जो गड़बड़ियां थीं, अब नियमित नियुक्ति ही विश्वविद्यालय में हो सकेगी इसलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । माननीय सदस्य ने जो इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूं और इसको पारित करने के लिये सदन से अनुरोध करता हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

एक स्पष्टीकरण मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से यह अध्यादेश लागू हुआ है तब से अब तक कितने अध्यापकों का विनियमित करण किया जा चुका है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जो जानकारी है उसके अनुसार दो विश्वविद्यालय हैं एक इलाहाबाद और दूसरा गढ़वाल । इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 19 तथा गढ़वाल विश्वविदयालय में 27, कुल 46 प्रकरण थे, जहां तक शासन की जानकारी है यह सभी लोग विनियमित किये जा चुके हैं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर मंत्री जी ने कहा है कि मैंने आयोग की बात कही, मान्यवर, इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है "ऐसे प्राध्यापकों को जो 30 जून, 1991 को या उसके पूर्व अल्पकालिक व्यवस्था में तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश किये बिना नियुक्त किये गये थे" तो मान्यवर, चयन समिति की बात आपने की है । चयन समिति में आप फिर भेज रहे हैं इसलिये मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 4, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 22 नवम्बर, 1991 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 13 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 13 में,--

(क) उपधारा (6) में, शब्द "जहां कोई" के स्थान पर शब्द "जहां विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति से भिन्न कोई" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (8) में शब्द "या अध्यापक" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 31 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 31 में,--

(क) उपधारा (1) में, अन्त में शब्द "चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो ।" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, खण्ड (ख) और उसके परन्तुकों के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

(ग) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जिसकी नियुक्ति प्राध्यापक के रूप मे 30 जून, 1991 को या उसके पूर्व अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिये तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश किये बिना की गयी थी, कार्य परिषद् द्वारा मौलिक रूप में नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति 22 नवम्बर, 1991 को उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक--

(एक) 22 नवम्बर, 1991 को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक से निरन्तर कार्य कर रहा हो ;

(दो) प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हता 22 नवम्बर, 1991 को रखता हो ;

(तीन) कार्य परिषद् द्वारा नियमित नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाया गया हो ।

ऐसा कोई अध्यापक जिसे उपर्युक्त प्रकार से अल्पकालिक व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो, जो इस खण्ड के अधीन कोई मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है ऐसे दिनांक को जैसा कार्य परिषद् विनिर्दिष्ट करे ऐसा पद धारण नहीं करेगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 44 सन् 1991

निरसन और अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1991 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992

* श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अननुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जबसे यह सरकार आयी है, तब से ऐन-केन-प्रकारेण अपनी गोटों को फिट कर रही है । चाहे कोआपरेटिव का सेक्शन हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे विश्वविद्यालय का मामला हो, ये किसी न किसी तरीके से एक कुत्सित प्रयास करते रहे हैं कि अपनी एक निजी संस्कृति, माडर्न संस्कृति के आधार पर अपने आदमियों को एडजेस्ट करें । मैं कहना चाहता हूं कि आज यह आयोग के सम्बन्ध में विधेयक लाये हैं, वह किसी न किसी तरीके से अ[illegible] का क्षेत्राधिकार कम करना चाहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष पिछली सरकार ने नियुक्त किया था और उसके बहुत से सदस्यों की नियुक्ति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पिछली सरकार द्वारा की गयी थी और यह भाजपा सरकार अपना अनावश्यक दबाव देकर अध्यक्ष एवं सदस्यों से गलत काम कराना चाहती है । लेकिन वे निष्पक्षता और ईमानदारी से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य काम कर रहे हैं । उसके परिणाम में यह हुआ कि जब उन्होंने नाजायज दबाव नहीं माना तो सरकार विधेयक ले आयी और इसके इतिहास में, पृष्ठभूमि में इनका कोई निहित स्वार्थ बना हुआ है । इसलिये मैं इस विधेयक का अननुमोदन करता हूं ।

उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के बारे में कहा कि यह सरकार उन पर दबाव डालना चाहती है । इसमें मैं कहना चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश लाया गया, उसके माध्यम से जो माननीय सदस्य ने बात कही, तो भाजपा सरकार के आने के बाद इसमें कोई नियुक्ति वहां पर नहीं की गयी है । तदर्थ अध्यापकों का जो अशासकीय महाविद्यालय के हैं, उनके विनियमितीकरण का यह प्रस्ताव है, यह प्रश्न कई वर्षों से लम्बित है । मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार ने आश्वासन दिया था शिक्षक संघों को, वे अध्यादेश निकालने वाले थे, लेकिन निकला नहीं क्योंकि वे कहते थे, करते नहीं थे । जबकि हमारी सरकार ने अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में अध्यादेश निकाला है । अभी माननीय सदस्य ने अननुमोदन की बात कही, मैं उसका विरोध करता हूं और कहता हूं कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरी निश्चित जानकारी में है कि जो इस समय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ नियुक्तियां की हैं,उनको समाप्त करने के लिये सरकार अनावश्यक रूप से दबाव डाल रही है । मैं कहना चाहंता हूं कि ऐसे निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं कि उनकी नियुक्तियां न हों ।

श्री अधिष्ठाता–

उच्च शिक्षा मंत्री जी विचार के लिये प्रस्ताव पेश करें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मैं पुनः यह जो माननीय सदस्य ने संकल्प रखा है, उसका विरोध करता हूं और उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि वह उसे वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप कोई प्रस्ताव विचार के लिये सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहे हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, इसके संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूं कि उद्देश्य और कारण के अन्तर्गत बहुत साफ लिखा हुआ है, माननीय मंत्री जी ने दो तरफ की बात कही है, दूसरी तरफ लगता है कि प्रबन्ध तंत्र में भी उनकी सांठ-गांठ है । ये गलत तरीके से रख लिये गये हैं । जो इसके मुखिया हैं, जो प्रबन्ध तंत्र है उन्होंने जितनी नियुक्तियां कर ली हैं, क्या उन्हें पुनः इस आयोग के सामने खड़े करके उनकी छटनी तो नहीं करने जा रहे हैं ? क्योंकि एक तरफ तो आपने उन्हें सशक्त करने की बात कही है और दूसरी तरफ [redacted] करने की भी बात कही है इस अधिनियम के अन्तर्गत मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से आप साफ रास्ता नहीं चलना चाहते हैं । इसीलिये जो प्रवर समिति के सम्बन्ध भेजने का प्रस्ताव लाया हूं मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाय तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अध्यापकों के प्रति आपका क्या रवैया है स्थायी करना चाहते या नहीं । यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अध्यापकों के प्रति आपका क्या रवैया है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कुछ प्रश्न उठाये, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यह जो तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण की बात है, उनकी अर्हताओं की बात है, उसमें किसी तरह के रिलेक्सेशन की बात नहीं है । उसमें उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है, जो इन सारी बातों को देखेगी, तभी उन्हें विनियमित किया जायगा । इसमें धारा 16 को समाप्त करने का भी प्राविधान किया गया है । इसे माननीय सदस्य ने जो प्रवर समिति के समक्ष रखने की बात कही है, मैं उसका विरोध करता हूं । मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनकी अर्हताओं को देखकर ही नियुक्त किया गया है, लेकिन मेरा निश्चित मत है कि बिना सोचे समझे ही इन अध्यापकों को नियुक्त किया गया है, इसलिये मैं पुनः बल देता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन को प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, १९९२ पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 6 तक, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा ।

(2) यह 22 नवम्बर, 1991 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 12 से 14 का प्रतिस्थापना

2–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12, 13 और 14 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

अध्यापको की नियुक्ति के लिये प्रक्रिया

"12–(1) किसी महाविद्यालय के अध्यापक के रूप में प्रत्येक नियुक्ति प्रबन्धतंत्र द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी और उसके उल्लंघन में की गयी प्रत्येक नियुक्ति शून्य होगी ।

(2) प्रबन्धतंत्र वर्तमान रिक्तियों की और आने वाले शिक्षा वर्ष के दौरान सम्भावित रिक्तियों की सूचना, ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, निदेशक को देगा ।

स्पष्टीकरण–पद "शिक्षा वर्ष" का तात्पर्य एक जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से हैं ।

(3) निदेशक, सभी महाविद्यालयों से उसे सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची आयोग को, ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, अधिसूचित करेगा ।

(4) किसी महाविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के चयन की रीति ऐसी होगी, जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु आयोग प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकृष्ट करने की दृष्टि से उपधारा (३) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों का राज्य में व्यापक प्रचार करेगा :

परन्तु यह और कि अभ्यर्थियों से विभिन्न महाविद्यालयों के लिये जिनकी रिक्तियां विज्ञापित की गयी हैं अपनी वरीयता का क्रम इंगित करने की अपेक्षा की जायेगी ।

आयोग की सिफारिश

१३–(१) आयोग, धारा १२ की उपधारा (३) के अधीन रिक्तियों की अधिसूचना के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र अभ्यर्थियों का (लिखित परीक्षा सहित या रहित) साक्षात्कार करेगा और निदेशक को, प्रत्येक विषय में रिक्तियों की संख्या से यथासम्भव पच्चीस प्रतिशत अधिक, सर्वाधिक उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के नामों की संस्तुति करते हुए एक सूची भेजेगा । ऐसे नामों को साक्षात्कार में, या यदि कोई परीक्षा हुई हो, परीक्षा और साक्षात्कार में दर्शायी गयी योग्यता क्रम में, रखा जायगा ।

(२) आयोग द्वारा भेजी गयी सूची आयोग से नई सूची की प्राप्ति तक विधिमान्य होगी ।

(३) धारा १२ की उपधारा (४) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा इंगित वरीयताक्रम यदि कोई हो, का विहित रीति से सम्यक् ध्यान रखते हुए, निदेशक धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित रिक्ति में नियुक्ति के लिये उपधारा (१) में निर्दिष्ट सूची से अभ्यर्थी का नाम प्रबन्धतंत्र को सूचित करेगा ।

(४) जहां सूची की विधिमान्यता की उपधारा (२) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान कोई रिक्ति मृत्यु या त्यागपत्र से या अन्यथा होती है और ऐसी रिक्ति धारा १२ की उपधारा (३) के अधीन आयोग को अधिसूचित नहीं की गयी है वहां निदेशक ऐसी रिक्ति में नियुक्ति के लिये ऐसी सूची से अभ्यर्थी का नाम प्रबन्धतंत्र को सूचित कर सकता है ।

(५) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी महाविद्यालय में अध्यापक के किसी पद की समाप्ति के कारण ऐसे पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं वहां राज्य सरकार किसी अन्य महाविद्यालय में किसी उपयुक्त रिक्ति में, चाहे वह रिक्ति धारा १२ की उपधारा (३) के अधीन अधिसूचित की गयी हो या नहीं, उसकी नियुक्ति के लिये उपयुक्त आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तद्नुसार प्रबन्धतंत्र को सूचित करेगा ।

(६) निदेशक उपधारा (३) या उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन दी गयी सूचना की एक प्रति सम्बद्ध अभ्यर्थी को भेजेगा ।

प्रबन्ध तन्त्र का कर्तव्य

१४–(१) प्रबन्धतंत्र, धारा १३ की उपधारा (३) या उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर उस व्यक्ति को, जिसका नाम सूचित किया गया है, नियुक्ति पत्र जारी करेगा ।

(२) जहां उपधारा (१) में निर्दिष्ट व्यक्ति नियुक्ति पत्र में अनुमत समय के भीतर या इस निमित्त ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जिसके लिये प्रबन्धतंत्र अनुज्ञा दें, पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे या जहांऐसा व्यक्ति नियुक्ति के लिये अन्यथा अनुपलब्ध हो वहां निदेशक, प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर, धारा १३ की उपधारा (१) के अधीन आयोग द्वारा भेजी गयी सूची में विहित रीति से नया नाम सूचित करेगा ।"

धारा १६ का निकाला जाना

३—मूल अधिनियम की धारा १६ निकाल दी जायगी ।

धारा ३१-क का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३१-क में, उपधारा (१) में, परन्तुक में शब्द "इस अधिनियम" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, १९९२ रख दिये जायेंगे ।

नई धारा ३१-ग का बढ़ाया जाना

५—मूल अधिनियम की धारा ३१-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी अर्थात् :—

"३१-ग (१) प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक को, जो—

अन्य तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण

(क) ३ जनवरी, १९८४ के पश्चात् किन्तु ३० जून, १९९१ तक ऐसे किसी पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था—

(एक) जो अपने सम्यक् सृजन के पश्चात् पहले कभी नहीं भरा गया था; या

(दो) जो अपने सम्यक् सृजन के पश्चात् पहले भरा गया था और इसके रिक्त होने पर, उसे भरने की अनुमति निदेशक से प्राप्त की गयी थी; या

(तीन) जो महाविद्यालय को स्वीकृत नवीन सम्बद्धता या मान्यता के निबन्धनों के अनुसरण में सृजित हुआ था, और ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, १९९२ के प्रारम्भ के दिनांक तक महाविद्यालय में निरन्तर कार्य करता रहा हो,

(ख) धारा १६ की उपधारा (१) के अधीन, जैसी कि वह खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा निकाले जाने के पूर्व थी, आयोग की अधिसूचना के तीन मास पश्चात् इस प्रकार नियुक्त किया गया था, या यदि वह ऐसी अवधि के भीतर नियुक्त किया गया था तो ऐसी अवधि के भीतर आयोग द्वारा कोई संस्तुति नहीं की गयी थी ;

(ग) नियमित नियुक्ति के लिये ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को ऐसी अर्हतायें रखता था जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन उस पद के लिये अपेक्षित थी ;

(घ) संबंधित महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य या प्राचार्य से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा २० के स्पष्टीकरण में उल्लिखित प्रकार से सम्बन्धित न हो ;

(ङ) उपधारा (२) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाया गया हो ;

महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जा सकती है यदि उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को उपलब्ध हो ।

(२) चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक) सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट आयोग का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा ;

(दो) विशेष सचिव के पद से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी जो सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा ।

(तीन) निदेशक,

प्रत्येक ऐसे तदर्थ अध्यापक के मामलों पर विचार करेगी और उपधारा (१) के उपबन्धों की दृष्टि से उसकी पात्रता और उसके अभिलेख के आधार पर उसके कार्य और आचरण के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर उपधारा (१) के अधीन नियुक्ति के लिये महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को उसके नाम की संस्तुति करेगी ।

(३) जहां उपधारा (१) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व धारा १३ के अधीन आयोग द्वारा संस्तुत कोई व्यक्ति इस कारण नियुक्ति नहीं पाता है कि उस रिक्ति में जिसके लिये उसकी संस्तुति की गयी थी उपधारा (१) के अधीन अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गयी, वहां राज्य सरकार किसी महाविद्यालय में किसी उपयुक्त रिक्ति में उसकी नियुक्ति के लिये उपयुक्त आदेश देगी और धारा १३ की उपधारा (५) और (६) और धारा १४ के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(४) उपधारा (१) में निर्दिष्ट, तदर्थ आधार पर नियुक्त कोई अध्यापक जो इस उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है और तदर्थ आधार पर नियुक्त कोई अध्यापक जो उपधारा (१) के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने का पात्र नहीं है, ३१ मार्च, १९९२ के पश्चात् तदर्थ नियुक्ति पर नहीं रह जायेगा ।"

निरासन और अपवाद

६–(१) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, १९९१ और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९९१ एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४३ और ४८ सन् १९९१

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से ६ तक, खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, १९९२ पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, १९९२ पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र चायल एवं दोआबा के सर्वांगीण विकास हेतु उद्योगों की स्थापना के संबंध में नियम १०३ के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नियम १०३ के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र चायल एवं दोआबा के सर्वांगीण विकास हेतु इस क्षेत्र में बृहद्रूप से उद्योगों की स्थापना की जाये ।

मान्यवर, दोआबा क्षेत्र इलाहाबाद का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । इस क्षेत्र में तीन तहसीलें हैं–चायल, मंझनपुर और सिराथू । चायल में ४ विधान सभा क्षेत्र हैं, एक विधान सभा क्षेत्र शहर उत्तरी इलाहाबाद है जिससे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी चुनकर आये हैं, दूसरा विधान सभा क्षेत्र शहर दक्षिणी इलाहाबाद है जहां का हमारे इस सदन के माननीय अध्यक्ष जी प्रतिनिधित्व करते हैं शहर

पश्चिमी से निर्दलीय विधायक श्री अतीक अहमद आये हैं और चायल विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं । हमारे क्षेत्र में मान्यवर, ब्लाक हैं–चायल, मूरत गंज और नेवादा । चायल में १३ ग्राम न्याय पंचायत हैं, मूरत गंज में १० हैं और नेवादा में १३ हैं । मैं, मान्यवर, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इलाहाबाद के चायल क्षेत्र में भरवारी, चायल और सराय अकिल टाउन एरिया है और मंझनपुर में करारी और मंझनपुर टाउन एरिया है और सिराथू में अझुवा और सिराथू टाउन एरिया है उस पूरे दोआबा क्षेत्र की आबादी लगभग ६ लाख है औ इस पूरे क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोग , पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की बहुतायत है और कम से कम पूरे क्षेत्र की आबादी में ८० फीसदी इन्हीं वर्गों के लोग वहां पर रह रहे हैं । यह पूरा का पूरा क्षेत्र हर मायने में पिछड़ा हुआ है, सड़क के मामले में, शिक्षा के मामले में, सिंचाई के मामले में, विद्युत के मामले और उद्योग के मामले में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेंत्र है । इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता के बारे में बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में कौसम्बी, पभौसा, कड़ा जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं जहां अनेक प्राचीन अवशेष अभी विद्यमान हैं । सन् १८५७ की गदर में अंग्रेजों के खिलाफ चायल क्षेत्र के महगांव के रहने वाले मौलवी लियाकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और १५ दिन तक इलाहाबाद में अपना शासन किया था । इसी क्षेत्र से पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू सबसे पहले आजादी के बाद चुनकर लोकसभा में गये थे । आज यह क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ हैं ।

आज इस क्षेत्र में न तो सार्वजनिक क्षेत्र में और न ही निजी क्षेत्र में कोई उद्योगों की स्थापना की गयी है । यहां के नौजवान बेरोजगार होकर इलाहाबाद की सड़कों से लेकर लखनऊ की सड़कों तक टहला करते हैं । मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में कोई उद्योग न होने से यहां पर मात्र कृषि का कार्य होता है और कृषि पर ही आधारित होकर लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र जो गंगा यमुना के बीच बसा हुआ है, उसका शोषण किया गया है और आजादी के बाद से आज तक लगातार कोई उद्योग नहीं स्थापित किया गया है । कुछ वर्ष पहले इसी दोआबा क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने एक कोच फैक्ट्री लगाने की घोषणा की थी लेकिन पंजाब समझौते के अन्तर्गत स्वर्गीय राजीव गांधी सरकार ने उसको पटियाला को भेज दिया । यह भेदभाव इस क्षेत्र के साथ किया जा रहा है । मैं बताना चाहता हूं कि आज इस क्षेत्र के विकास के लिए वहां पर बहुत आवश्यक है कि उद्योगों का जाल बिछाया जाय क्योंकि वहां पर अभी तक कोई भी औद्योगिक आस्थान का निर्माण नहीं किया गया है । इसलिए उद्योगों की स्थापना के लिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जब भाजपा की सरकार आयी थी तो उसने नारा दिया था कि सबको रोटी सबको काम, भाजपा का एलान । तो भाजपा की सरकार के सामने आज इसे चरितार्थ करने का समय आ गया है इसलिए दोआबा और चायल क्षेत्र की जनता की तरफ से निवेदन करता हूं कि उस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना बड़े पैमाने पर की जाय । मान्यवर, वहां पर कई नेता गये हैं और अपना आश्वासन उद्योगों की स्थापना के लिए दे आये हैं लेकिन आज तक वहां कोई उद्योग की स्थापना नहीं की गयी है । इस प्रदेश की राज्य मंत्री नियोजन, श्रीमती शारदा चौहान भी वहां गयी हैं और आश्वासन देकर आयी थीं कि वहां पर उद्योगों की स्थापना की जायेगी । इसलिए मैं अपने प्रस्ताव के माध्यम से अपने क्षेत्र के औद्योगिक एवं दोआबा पिछड़े चायल विकास के लिए अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और मांग करता हूं कि हमारे वहां पर उद्योगों की बड़े पैमाने पर स्थापना की जाय ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी सम्मानित सदस्य इलाहाबाद ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस आदरणीय सदन में रखा और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। उन्होंने मांग की कि उनके क्षेत्र में विशेष रूप से औद्योगिकीकरण किया जाय। हमें उनकी मांग से पूरी सहानुभूति है लेकिन अगर एक-एक क्षेत्र के बारे में विचार करेंगे तो किंचित सही निर्णय पर नहीं पहुंच पायेंगे। हमारी वर्तमान सरकार की नीति है कि पूरे प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछाया जाय और इसके लिए हमने एक नया निर्णय लिया, अभी तक जो पिछड़े क्षेत्र गिने जाते थे, पिछड़ा क्षेत्र निर्धारित करने का जो मानक माना जाता था वह जिले का औद्योगिक विकास माना जाता था वह भी पुराने मानक के आधार पर लेकिन उससे सही न्याय नहीं हो पाता था। जिले के कुछ हिस्से में उद्योग लग गये तो हम मान लेते कि पूरे जिले में उद्योग लग गये। अब एक-एक ब्लाक को इकाई मानकर चलने की बात है कि कौन से ब्लाक में उद्योग लगे और कौन से पिछड़े हैं कौन आगे बढ़े हैं ? नियम बना दिया है, आपका पिछड़ा हुआ इलाका है तो हमारी परिधि में आयेगा उसके विकास के लिये विशेष ध्यान दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र का जहां तक ताल्लुक है, उस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। जब तक ग्रामों का विकास नहीं होगा तब तक देश प्रदेश का विकास नहीं होगा। हमारी सरकार ने घोषणा की है कि नया बजट प्रस्तुत करेंगे, अपने बजट का 60 फीसदी गांवो पर खर्च करेंगे। गांव में खेती पर आधारित उद्योग का विकास हो। यह सोच है कि उद्योगों का विकास इस तरह से वहां हो की कृषि पर से निर्भरता कम हो।

आज आप दुनिया के अन्य देशों को देखें, वहां कृषि पर निर्भरता कम हो रही है। मान लीजिये किसी परिवार में 2 पीढ़ी पहले 100 बीघा खेती थी वह परिवार 10 हिस्से मे बंट गया तो स्वाभाविक है कि परिवार के सामने भुखमरी की नौबत आ जायेगी और उसी परिवार में से किसी ने पान की दुकान खोल ली या चपरासी हो गया या कहीं पर चक्की लगा ली तो यह परिवार खुशहाल हो जाता है उनके कपड़ों का रंग बदल जाता है। सोच यह है कि हम कृषि पर से निर्भरता हटायें हम उसको कृषि आधारित उद्योगों के साथ सोचें। कृषि आधारित उद्योग का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि जो जहां का लोकल रा-मेटिरियल है उसके आधार पर विकास करें, यह हमारी नीति है। ग्रामीण अंचल का विकास होगा, उद्योग में कारखाने का ही नाम तो नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो पूर्व भारतीय जनसंघ थी, उनके प्रवर्तकों में से जो थे पं० दीन दयाल उपाध्याय जी उनका आर्थिक चिन्तन हमारे सामने है कि यह गरीबी, आर्थिक दरिद्रता यह हमारी विषमता का सबसे बड़ा कारण है इस विषमता के कारण पीड़ा होती है, लोगों में असंतोष बढ़ता चलता है। महाभारत में भी हमने देखा है। लक्षागृह में बैठी माता कुन्ती कहती है कि गरीबी बर्दाश्त है लेकिन कौरवों का वैभव देखा नहीं जाता है। वह उनकी सोच थी। हमारी भी सोच है कि जब तक समानता नहीं आयेगी जब तक आजादी का सही भाव गांव के अन्दर नहीं पहुंच पायेगा। गांव का आधुनिकीकरण हो, कृषि पर से निर्भरता घटे, उससे हमारा सैद्धांतिक मतभेद बिल्कुल नहीं है। आपने अपने क्षेत्र का नाम यहां भले ही क्यों न लिया हो लेकिन पूरे प्रदेश के आधुनिकीकरण की दृष्टि से शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन के ध्यान में यह बात पहले से थी । लेकिन प्रस्ताव पेश करके एक क्षेत्र के विकास की बात करें तो माननीय सदस्य इस बात से दुखी होंगे चिन्तित होंगे और फिर एक-एक क्षेत्र की बात यहां उठने लगी वह अच्छी बात नहीं होगी । आपसे प्रार्थना है कि कृपया अपने प्रस्ताव को वापस लें । जो हमारे शासन की नीति है उस नीति का सम्मान करें । ग्रामीण अंचलों का विकास होगा और ग्रामीण अंचल में तो इनके क्षेत्र का विकास होगा । अभी तक मैं कोई राजनीतिक आलोचना के भाव से नहीं कह रहा हूं लेकिन अभी तक विकास करते समय आवश्यकता पर बल कम दिया गया, बल इस पर दिया गया कौन सा क्षेत्र है और उस क्षेत्र का रिप्रेजेन्टेटिव कौन है ? मैं भी बहुत बातें सुना करता था इसमें एक उदाहरण नहीं कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं । हमारी शासन की नीति, विकास की प्राथमिकताओं को तय करते समय वहां की आवश्यकता को प्राथमिकता देनी है । आपका क्षेत्र पिछड़ा है स्वाभाविक है आप प्राथमिकता के पात्र हैं । मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि कृपया आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो इस प्रदेश का नेतृत्व इस सदन में कर रहे हैं, उन्होंने बड़े उपदेशजनक भाषा में हमे समझाने की कोशिश की है । उपदेश देने से दिमाग मजबूत होता है, बुद्धि बढ़ती है मगर इससे पेट की भूख नहीं मिटती है । मान्यवर, मै चायल और दोआबा क्षेत्र की बात कर रहा हूं । किसी एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं । उस दोआबा क्षेत्र में तीन विधान सभा क्षेत्र आते हैं चायल, मंझनपुर और सिराथू । मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील है और जो बजट आयेगा उसमें इस बात का उल्लेख करेंगे । मान्यवर, इलाहाबाद का यह दोआबा क्षेत्र काफी उपेक्षित है, इसमें उद्योगों की स्थापना आवश्यक है इलाहाबाद के गंगा पार के फूलपुर में एक करोड़ की लागत से एक इफको का कारखाना लगाया गया है दोआबा में एक भी कारखाना नहीं है । इसी तरह जमुना पर मनैनी से लेकर मेजा तक तथा शंकरगढ़ आने वाली बड़े कारखाने लग रहे हैं । मान्यवर, जब सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करेगी तो गंगा पार और जमुना पार की बात करेंगे । तो मान्यवर, आपने प्राथमिकता के आधार पर दोआबा क्षेत्र में एक मजबूत कारखाना स्थापित कराने की घोषणा की । दूसरी बात यह है कि चायल एवं दोआबा क्षेत्र कृषि पर आधारित क्षेत्र है । कृषि पर निर्भर वही रहेगा जिसके पास खेती है किसानी करने के लिये जिसके पास खेत होगा वही उस पर निर्भर करेगा मगर दुर्भाग्य यह है कि जिनके पास खेती है वह खेती तो नहीं कर रहे हैं नौकरियों पर लगे हुए हैं और खेती वहां का मजदूर करता है । इसलिये उस पर कैसे निर्भर किया जायेगा । हमारे क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शासन द्वारा अमरूद फल पट्टी के आधार पर कोई उद्योग लगाया जाये । मान्यवर, इसी तरह से हमारे यहां गन्ना का उत्पादन भी काफी होता है । आपके दल के नेताओं ने घोषणा की है कि वहां पर चीनी मिल लगायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें और इस प्रस्ताव पर मैं पुनः बल देता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक महान पुरुष का नाम लिया पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का । तो मैं कहना चाहता हूं कि आप उन्हीं के आदेशों पर चलें । उनका जो नारा था "हर हाथ को काम, हर खेत को पानी" उनके अनुसार अगर आप हर हाथ को काम तो नहीं दे सकते है इसे मैं जानता हूं तो कम से कम हर खेत को पानी दे दें जिससे उनका विकास हो सके और आप का नाम भी सम्यक् हो जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने अपने भाषण में अभी माननीय सदस्य की तारीफ की कि उन्होंने एक अच्छा विषय उठाया है। हमारे सामने एक ही क्षेत्र नहीं है बल्कि और भी क्षेत्र हैं। उन्होंने दोआबा और चायल क्षेत्र के बारे में बात की। मैं वहां उन क्षेत्रों में गया भी हूं। वहां उन क्षेत्रों में बड़े-बड़े नामी नेता हुए हैं और उनका बड़ा ही मजबूत व्यक्तित्व रहा है। माननीय नाथूराम शिक्षक जी थे, वे बड़े ही नामी व्यक्ति थे। आज हमारी जिम्मेदारी है लेकिन बड़ा भारी बैक लाग हो गया है, उसकी बड़ी उपेक्षा हो गयी है। मैं कोई एक क्षेत्र को लेकर नहीं चलना। लेकिन अगर आप एक क्षेत्र की बात कहलायेंगे तो बाकी लोग भी कहेंगे कि हमारे क्षेत्र का भी विकास किया जाये। मान्यवर, शासन की यह मंशा रही है कि वह पूरे प्रदेश के गांवों के विकास के लिए कार्य करे। अगर किसी क्षेत्र का विकास करना होता, किसी कान्स्टीट्यूएन्सी का विकास करना होता। मान्यवर, तब यह कहते कि हमने पिछड़ेपन के निर्धारण में ब्लाक को इकाई नहीं माना। हमने ब्लाक को इकाई माना है और आपका क्षेत्र उसके अनुसार निश्चित ही पिछड़ेपन के क्षेत्र में पहुंचेगा और तब उसका लाभ आपको मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की बातों से संतुष्ट नहीं हुआ हूं और मुझे उसमें शक हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे प्रस्ताव को पारित किया जाय और मैं उस पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र चायल एवं दोआबा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु इस क्षेत्र में वृहद् रूप से उद्योगों की स्थापना की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 21 जनवरी, 1992 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई। इसमें प्रथम श्री इम्तियाज अहमद व श्री ऊदल की उत्तर प्रदेश में हैण्डलूमों और छोटे पावरलूम उद्योगों में व्याप्त गम्भीर संकट से बुनकरों में फैली बेरोजगारी तथा फाकाकशी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दूसरी श्री स्वामी नाथ यादव की जनपद देवरिया में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जी० पी० फण्ड का रुपया फर्जी रूप से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री बरखू राम वर्मा, श्री श्रीराम, श्री प्रमोद निवारी, श्री सुखदेव राजभर, श्री शिव चरण प्रजापति की आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ की अवैधानिक बिक्री तथा कर्मचारियों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में (नियम–58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित), चौथी श्री लालजी वर्मा की जनपद उन्नाव के थाना पुरवा में दलितों की झोपड़ी उजाड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध मे, पांचवीं श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ में मूल्य वृद्धि से पीड़ित किसानों की दयनीय दशा के संबंध में, छठी श्री हृदय नारायण दीक्षित की जनपद उन्नाव में अधिकारियों की अनियमितता के कारण ग्राम्य विकास कार्यों में हो रही शिथिलता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, सातवीं श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, आठवीं श्री बरखू राम वर्मा की आजमगढ़ जिला

मुख्यालय को मण्डल मुख्यालय बनाये जाने के संबंध में, नवीं श्री सुरेन्द्र सिंह की जनपद गाजीपुर में गन्ना कृषकों के शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दसवीं श्री यदुनाथ सिंह की प्रदेश की खाद्यान्न वितरण नीति के दोषपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, ग्यारहवीं श्री मुन्ना चौहान की जनपद टिहरी की कुमारी रीना नौटियाल की बिजली के तार से हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा बारहवीं श्री महेन्द्र सिंह भाटी की जनपद सहारनपुर के थाना गंगोह की पुलिस ज्यादतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

इसमें प्रथम श्री इम्तियाज अहमद व श्री ऊदल की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार हुई है तथा दूसरी श्री स्वामी नाथ यादव की सूचना केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुई है, शेष सभी सूचनायें अस्वीकृत हुई ।

जनपद उन्नाव में पुलिस पर किये जा रहे हमलों से संबंधित श्री हृदय नारायण दीक्षित की नियम 51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–19 के संबंध में माननीय सदस्य का पत्र आ गया है, अतः उसे स्थगित किया जाता है ।

अब हम उठते हैं, 24 फरवरी, 1992 को पूर्वाह्न 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 55 मिनट पर दिनांक 24 फरवरी, 1992 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
२१ फरवरी, १९९२

प्रेम चन्द सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'क'

(देखिए अता० प्र० सं० 64 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

बांदा द्वितीय पुनर्गठन पेयजल योजना भाग के अन्तर्गत रुपया 48 लाख के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की अद्यावधिक स्थिति

क्रमांक	मद का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1-16वीं शाखा द्वारा व्यय की गयी धनराशि का विवरण:-		
1	योजना विरचन शुल्क	6,97,600.00
2	ट्रीटमेंट प्लान्ट	23,928.00
3	वलीवर वाटर राइजिंग मेंन	56,120.00
4	तिन्दवारी रोड की राइजिंग मेन	12,940.00
5	सामग्री की व्यवस्था	24,62,370.00
6	कार्य प्रभारित अधिष्ठान	47,713.00
7	कान्टिन्जेन्सी	71,374.00
8	सुपरविजन चार्ज	1,37,157.00
	योग=	34,99,202.00
2 जल निगम यांत्रिक शाखा, बांदा द्वारा नलकूप पम्पिंग प्लान्ट आदि पर व्यय		12,00,000.00
	योग=	46,99,202.00
	अर्थात्	47.00 लाख

नत्थी 'ख'

(देखिए अता० प्र० सं० 160 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 88 पर)

संलग्नक—सूची

1—श्रीमन्त मेडीकयूरा ड्रग्स एण्ड फर्मास्युटिकल्स, गाजियाबाद ।

2—श्रीमन्त सुमन फार्मा, इलाहाबाद ।

3—श्रीमन्त एम० सी० एम० केमिकल्स, बुलन्दशहर ।

4—श्रीमन्त भवानी फर्मास्युटिकल्स, कानपुर ।

5—श्रीमन्त एम० डी० फर्माम्युटिकल्स, मुजफ्फरनगर ।

6—श्रीमन्त राव फर्मास्युटिकल्स, झांसी ।

7—श्रीमन्त इण्डोकैम लैब, मेरठ ।

8—श्रीमन्त फेडरल कैमिकल वर्क्स, गाजियाबाद ।

9—श्रीमन्त फर्माम्युटिकल्स रेस्टिर्ग लैब, गाजियाबाद ।

10—श्रीमन्त हिन्दुस्तान ड्रग हाउस, मुरादाबाद ।

11—श्रीमन्त सोनेक्स इण्डस्ट्रीज, सण्डीला ।

12—श्रीमन्त विश्नोई सर्जिकल फैक्ट्री, मुरादाबाद

13—श्रीमन्त न्यू इण्डिया केमिकल्स, देहरादून ।

14—श्रीमन्त सेवा धन्दा, देहरादून ।

15—श्रीमन्त सुधा फर्मास्युटिकल्स, हरिद्वार ।

16—श्रीमन्त रूबी कैम, लखनऊ ।

17—श्रीमन्त ग्रोमन्स फर्मास्युटिकल्स, लखनऊ ।

18—श्रीमन्त सांकेत मेडिकल्स, फैजाबाद ।

19—श्रीमन्त पियामेन कैमिकल्स, मेरठ ।

विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—एल० 81 विधान सभा (137)—1993—572 । (डी० टी० पी०)